राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 3 चतुर्थ विधान सभा के तृतीय सत्र का 17वां दिवस संख्या 13

बुधवार, दिनांक 11 सितम्बर, 1968

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.5 बजे विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजननाथ आचार्य अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[स्वायत्त शासन, सार्वजनिक निर्माण, शिक्षा, विधि, गृह, जनस्वास्थ्य, उद्योग, समाज-कल्याण, खनिज विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न ! श्री भैरोंसिंह !

श्री भैरोंसिंह : प्रश्न संख्या 323।

कांतिनगर में बिना लाइसंस का कारखाना

323. श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि जयपुर नगर के कांतिनगर क्षेत्र में दीपक इन्डस्ट्रीज के नाम पर बाल्टियों को गेलवेनाइज करने का एक कारखाना बिना लाइसेंस के लगाया हुआ है ?

(ख) क्या यह सही है कि इस कारखाने के कारण उस क्षेत्र की आबहवा खराब हो रही है जिसके कारण वहां की जनता के स्वास्थ्य पर बड़ा विपरीत प्रभाव पड़ रहा है ?

(ग) क्या यह सही है कि इस विषय में स्थानीय नागरिकों की ओर से नगर परिषद्, स्वायत्त शासन विभाग, विभागीय सचिव एवं संबंधित मंत्री महोदय को इस न्यूसेंस को हटाने के लिये आवेदन-पत्र दिये हैं ? यदि हां, तो इन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं तो क्यों ?

राज्य मंत्री, स्वायत्त शासन विभाग

श्रीमती सुमित्रा देवी : (1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) नगर परिषद् जयपुर, को आवेदन-पत्र प्राप्त हुये हैं। परिषद् इसको हटाने की कार्यवाही कर रही है। मामला न्यायालय एडीशनल मुन्सफी में चल रहा है।

श्री भैरोंसिंह : इस पर न्यायालय का स्टे आर्डर हुआ है ?

श्रीमती सुमित्रा : जी हां।

श्री भैरोंसिंह : स्टे किस बात का है ?

श्रीमती सुमित्रा : काम में नगरपालिका वाले अड़चन डाल रहे हैं अतः न्यायालय ने स्टे दिया।

Page No. 2

श्री भैरोंसिंह : किस बात पर ?

श्रीमती सुमित्रा : पार्टी ने नगरपालिका के विरुद्ध दावा किया है कि फैक्टरी चलाने के अन्दर नगरपालिका दखल दे रही है, इसलिये कोर्ट से स्टे मिल गया।

श्री भैरोंसिंह : स्टे किस बात का मिला है ? क्या फैक्टरी को रिमूव नहीं किया जा सकता या फैक्टरी चालू नहीं रख सकते, किस बात का स्टे मिला है ?

श्रीमती सुमित्रा : क्योंकि नगरपालिका क्षेत्र में 63 तक फैक्टरी चल रही थी। अत: पास-पड़ोस के नागरिकों ने शिकायत की कि इस फैक्टरी की वजह से नुकसान होता है हमें तकलीफें होती है तो नगरपालिका ने लाइसेन्स को रद्द करने की सोची और उसके बाद लाइसेंस नहीं दिया गया। यह मामला म्युनिसिपल मजिस्ट्रेट को पेश किया गया लेकिन वहां से मुलजिम बरी हो गया और उसके बाद म्युनिसिपैलिटी की अपील हाई कोर्ट ने भी खारिज कर दी। इसके बाद मालिकों की तरफ से मुन्सिफ मजिस्ट्रेटी में दावा दायर किया कि म्युनिसिपैलिटी के हस्तक्षेप के कारण हमको फैक्टरी चलाने में दिक्कत आ रही है अतः नगरपालिका को रोका जावे। वहां से स्टे दे दिया।

श्री भैरोंसिंह : आपने स्टे आर्डर पढ़ा है।

श्रीमती सुमित्रा : जी नहीं।

श्री भैरोंसिंह : यही दिक्कत है। यह तो माननीय मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है कि उससे वहां के नागरिकों को असुविधा होती है नगरपालिका उस फैक्ट्री को उठाने का प्रयत्न कर रही है,लेकिन नहीं उठा पाती। आज केवल एक मामले में स्टे के कारण न उसको म्युनिसिपैलिटी हटा पा रही है और न सरकार ही कुछ कार्यवाही कर पा रही है। आज हालत यह है कि दुनियां भर में कहीं भी शिकायत कर लो लेकिन कुछ नही होता।

श्री अध्यक्ष : स्टे आर्डर की क्या मन्शा है ?

श्री भैरोंसिंह : इसमें फैक्ट्री को लाइसेन्स देने का सवाल है लाइसेन्स रिन्यू किया जाय या नहीं। म्युनिसिपल लाज के अन्तर्गत बिना लाइसेन्स के फैक्ट्री चल नहीं सकती। या तो फैक्ट्री वहां से रिमूव कर दी जाय क्योंकि अब न उसके पास आगे का लाइसेन्स है और फैक्ट्री का सारा कन्स्ट्रक्शन हो गया जो म्युनिसिपल बाई लाज के विपरीत हुआ है। इसका कोई नक्शा पास नहीं हुआ। इस बारे में राज्य सरकार हस्तक्षेप कर सकती है।

अध्यक्ष महोदय इस वक्त भी इन्डस्ट्रियल एस्टेट में इसको शेड मिला हुआ है। वह वहां फैक्ट्री नहीं लगा रहे हैं। ऐसी हालत में मेरा सरकार से यह निवेदन है कि स्टे आर्डर होते हुए भी सरकार ऐसा कोई रास्ता निकाले जिससे वह फैक्टरी वहां से हट जाय और जो लोगों को शिकायत है वह दूर हो जाय।

श्रीमती सुमित्रा : सब जुडिस है नगरपालिका कोई कार्यवाही नहीं कर सकती। इसी कारण यह काम रुका हुआ पड़ा है।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : नगर परिषद और पालिका....

श्रीमती सुमित्रा : 63 के बाद लाइसेन्स तो दिया ही नहीं गया है ।

श्री भैरोंसिंह : और फैक्ट्री में भी लाइसेन्स न देने का नोटिस दिया है । आपने लाइसेन्स उसका रिन्यू करने से इन्कार कर दिया । इस नोटिस के अगेंस्ट में वह कोर्ट में गया है, कन्स्ट्रक्शन किया और फैक्ट्री चला रहा है इससे उस नोटिस का सम्बन्ध नहीं है । वह तो आपके रिन्युअल करने से इन्कार करने से सम्बन्ध रखता है केवल न कि म्युनिसिपल बाई-लाज के अगेंस्ट कन्स्ट्रक्शन करने और उसे रिमूव करने की कार्यवाही से । इन दो बातों में अन्तर है । आप दोनों को मिला देते हैं यही दिक्कत है ।

श्रीमती सुमित्रा : कन्टेम्प्ट आफ कोर्ट की कार्यवाही से बचते हुए राज्य सरकार इस सम्बन्ध में कार्यवाही करने की कोशिश करेगी ।

श्री अध्यक्ष : लीगल कम्पलीकेशन क्या हैं सब एग्जामिन करालें और कोई एल्टरनेटिव निकलता हो तो वह एडाप्ट किया जावे ।

नेक्स्ट । श्री श्रवणलाल ।

गांधीनगर के सरकारी क्वार्टर

324. श्री श्रवणलाल (हिण्डौन) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि गांधीनगर स्थित सरकारी क्वार्टरों का निर्माण राज्य सरकार के उन कर्मचारियों के रहने के लिए किया गया है जिनके निजी मकान नगर पालिका क्षेत्र में नहीं है ?

(2) क्या यह सही है कि कुछ क्वार्टरों में ऐसे कर्मचारी भी रह रहे हैं जो राज्य सरकार के कर्मचारी नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) इन क्वार्टरों को खाली कराने में सरकार के सामने क्या कानूनी बाधा है ?

(4) इन क्वार्टरों को खाली कराने के लिए सरकार ने कब कब व क्या क्या प्रयत्न किये व असफल क्यों रही ?

उप मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग (श्री माधोसिंह मेवाड़ा) : (1) जी हां ।

(2) सर्वे कराया जा रहा है ।

(3) सर्वे के बाद यह मालूम होने पर कि वस्तु स्थिति क्या है, कानूनी कार्यवाही की जायगी ।

(4) अभी कोई कार्यवाही नहीं की गई है ।

श्री श्रवणलाल : चार-पांच सालों से सरकारी क्वार्टरों में रहते हुए भी आप क्या जल्दी नहीं करा सकते ? हफ्ते पन्द्रह दिनों में खाली कराने का क्या आप आश्वासन दे सकते है ?

श्री माधोसिंह : मैंने निवेदन कर दिया कि एक कमेटी है इसके लिए उसके पास है इत्तला आई है । हमारी यह पहले जानकारी में नहीं था । पूरी सूची तैयार कर ली जावेगी

(श्री माधोसिंह)
खाली कराने की कार्यवाही एक महीने के अन्दर अन्दर कर दी जावेगी।

जैसलमेर जिले की माध्यमिक शालाएं

325. श्री बालसिंह सोढ़ा (जैसलमेर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे--

(1) क्या यह सही है कि इस वर्ष जैसलमेर जिले में केवल दो माध्यमिक शालाएं ही खोली गई हैं जो अपर्याप्त हैं जबकि जिला परिषद् व शिक्षा बिभाग ने चार का निर्णय लिया था? अगर हां, तो इसके क्या कारण हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि गत वर्ष शिक्षा मन्त्रीजी ने अपने जैसलमेर के दौरे के समय यह आश्वासन भी दिया था? अगर हां, तो जैसलमेर नगर व राम मंठाई में माध्यमिक शालाएं कब तक खोल दी जावेंगी अगर नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री बीरसिंह) : (1) जी हां। अन्य शालाओं की पांचवीं कक्षा में छात्रों की संख्या कम से कम तीन और ज्यादा से ज्यादा 8 हैं। इसके अतिरिक्त भवन की भी सुविधा उपलब्ध नहीं है।

(2) विभाग को इसकी जानकारी नहीं है। अन्य ऐसे प्रस्तावों के साथ छात्रों की संख्या एवं गुणावगुण को दृष्टिगत रखते हुए इस प्रश्न पर भी विचार किया जायेगा।

रेवेन्यू अपीलेट ऑथोरिटी एवं वकीलों की नियुक्ति

326. राजवी श्री रूपसिंह (सरदार शहर) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे--

(1) राजस्थान में रेवेन्यू अपीलेट ऑथोरिटी कहां-कहां हैं व उनमें सरकारी वकील कौन-कौन एवं कब से हैं? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इनकी नियुक्ति व हटाने का क्या तरीका या क्राइटेरिया है?

(3) क्या इनकी नियुक्ति के लिए सरकार ने कोई रूल्स बनाये हैं? यदि नहीं तो क्यों नहीं?

(4) क्या यह सही है कि इन वकीलों की नियुक्तियां व हटाना विधि मंत्री अपनी इच्छानुसार करते हैं?

उपमंत्री विधि विभाग (श्रीमती प्रभा मिश्रा) (1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) उपयुक्तता के आधार पर नियुक्ति की जाती है।

(3) जी नहीं। नियम बनाये जा रहे हैं।

(4) जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिए)

राजवी श्री रूपसिंह : सरकारी वकील जो मुकर्रर किये जाते हैं उनको क्या कोई फिक्स पे दी जाती है या रेम्यूनेरेशन दिया जाता है और रेम्यूनेशन पर कैसे दिया जाता है?

विधि मंत्री (श्री बरकतुल्ला खां) : फिक्स फीस पर दिया जाता है और कुछ केसों में रिटेनर की फीस भी दी जाती है।

राजवी श्री रूपसिंह : उनको एपॉइन्ट किया जाता है तो परमानेन्ट बेसिस पर या टैम्परेरी बेसिस पर किया जाता है और वह भी कितने पीरियड के लिये ?

श्री बरकतुल्ला खां : ग्राम तौर पर तीन साल के लिये किया जाता है। इसके रिवाईज करते हैं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : इसके बारे में नियम हैं क्या ?

श्री बरकतुल्ला खां : रूल्स नहीं बने हैं अभी।

राजवी श्री रूपसिंह : क्या इससे डिफीकल्टी महसूस नहीं होती, पक्षपात होने का अन्देशा नहीं रहता ?

श्री बरकतुल्ला खां : रूल्स बनाये जा रहे हैं और ग्राम तौर से रिकमण्डेशन आती हैं तो कलेक्टर के यहां से भी पूछ लिया जाता है और सेक्रेटरी उस पर कमेन्ट पुट अप करता है।

प्रश्न संख्या 327

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री रामानन्द अग्रवाल !

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 328

श्री मोहनलाल मोदी !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल !

जोधपुर विश्वविद्यालय के मामलों की जांच

329. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य सरकार को जोधपुर विश्वविद्यालय के मामलों की जांच किये जाने हेतु कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

(2) जोधपुर विश्वविद्यालय की प्रशासनिक एवं वित्तीय हालत को सुधारने हेतु अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ?

उप मंत्री, शिक्षा (श्री धीरसिंह) : (1) जी हां। रजिस्ट्रार विश्वविद्यालय जोधपुर से टिप्पणी मांगी गई है।

(2) इस सम्बन्ध में तीनों विश्वविद्यालयों की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिये एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जा रहा है जिसमें तीनों विश्वविद्यालयों के उपकुलपति, शिक्षा मन्त्री तथा वित्त मन्त्री सदस्य होंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : टिप्पणी आपने कब मांगी ?

श्री धीरसिंह : 28–9–68 को यह टिप्पणी चांसलर के पास पेश कर दी है और अब चान्सलर सैक्शन (10) में कार्यवाही करेगा।

Page No. 6

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : प्रशासनिक और वित्तीय स्थिति में गिरावट आ रही है और हड़ताल के कारण अन्य समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं और आज के समाचार-पत्रों में यह बात आई है कि जो सुलह शिक्षा मन्त्री करा रहे थे उसमें वे असफल रहे हैं इसके । लिए जोधपुर विश्वविद्यालय की हालत गम्भीर हो गई है, इस पर क्या राज्य सरकार कोई चिन्ता प्रकट नहीं करती है और करती है तो क्या कार्यवाही करने का राज्य सरकार इरादा रखती है ?

शिक्षा मंत्री (श्री बरकतुल्लाखां): विश्वविद्यालय और विद्यार्थियों के बीच फैसला हो जावे इसकी मैंने कोशिश की और इस सम्बन्ध में वाइस चान्सलर और डीन से भी मैं मिला और इस सम्बन्धी सारी स्थिति की मैंने मुख्य मन्त्री को रिपोर्ट कर दी है एक-दो दिन में चान्सलर साहब की सेवा में भी सारी स्थिति पेश कर रहा हूं । हड़ताल की स्थिति चिन्ताजनक है । पूरी कोशिश सरकार करेगी कि यह हड़ताल टूटे और आपस के झगड़े मिटें ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : राजस्थान के वित्त मंत्री ने आज के दस दिन पहले इस बात की घोषणा की थी कि जोधपुर विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में जांच कराई जावेगी । इस प्रकार की उनकी घोषणा राजस्थान के कई समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई है । क्या वह जांच करवाई गई ?

श्री बरकतुल्ला खां : ऐसा कोई वक्तव्य मैंने नहीं देखा और ऐसा एश्योरेन्स भी मैंने नहीं दिया ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने नहीं, राजस्थान के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने ।

श्री हरिदेव जोशी : डिप्टी चीफ मिनिस्टर कोई नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : यह तो आप नाराज हैं उनसे । डिप्टी चीफ लीडर हैं ।

श्री हरिदेव जोशी : ऐसे कहो ।

श्री बरकतुल्ला खां : किसी पेपर में बयान आये हैं उनके, इसकी जानकारी मुझे नहीं है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कैसे नहीं है । राजस्थान पत्रिका में, नवज्योति आदि में सभी समाचार-पत्रों में मथुरादास माथुर के नाम से एक समाचार प्रकाशित हुआ है कि विश्वविद्यालय जोधपुर के सम्बन्ध में जांच करवाई जावेगी । इस प्रकार की घोषणा एक मन्त्री कर दे और दूसरे मन्त्री को जानकारी भी न हो, यह कैसे हो सकता है ?

श्री अध्यक्ष : क्या किया जावे, नहीं है तो ?

श्री बरकतुल्ला खां : जोधपुर विश्वविद्यालय की सबको चिन्ता है ।

श्री भैरोंसिंह : आपको नहीं है ।

श्री बरकतुल्ला खां : मुझ को तो होनी है, मैं वहां से चुनकर आया हूं ।

श्री भैरोंसिंह : ऐसा आपके चेहरे से दिखता नहीं, इसका हल निकालना चाहिए या नहीं ?

श्री बरकतुल्ला खां : वित्त मंत्री के बयान का औथेन्टिक वर्शन मेरे पास नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि सरकार का डिसीजन हुआ है कि जोधपुर विश्वविद्यालय की जांच कराई जावे।

श्री बरकतुल्ला खां : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में एक कमेटी कुछ महीने पहले हुई थी जिसके अन्दर भूतपूर्व शिक्षा मन्त्री जी, वित्त मंत्रीजी और मैं भी मौजूद था। आम चर्चा हुई थी। फाइनेन्शियल इर्रेगुलेरिटीज के बारे में चर्चा होती है उसका हल निकालना चाहिए, उसका समाधान होना चाहिए और उसके ऊपर एजूकेशन डिपार्टमेन्ट से मैंने भी डिस्कस किया था। सही तरीके से सब चीजों के बारे में यूनीवर्सिटी से टिप्पणी लेकर इन सब चीजों को समझ कर फिर चला जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जवाब टाला जा रहा है। मैं तो सीधा सा प्रश्न पूछ रहा हूं। आप हां या ना में जवाब दे दें कि क्या सरकार ने अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया है जिसके अनुसार जोधपुर विश्वविद्यालय के कामों की जांच की जावे।

श्री अध्यक्ष : हां–ना स्पष्टीकरण के साथ कह रहे हैं।

श्री बरकतुल्ला खां : माननीय अध्यक्ष महोदय, हां-ना का सवाल नहीं है। जोधपुर विश्वविद्यालय के बारे में जो जो बातें हमारे सामने आई हैं उनके लिये सबको चिन्ता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह तो दिख रहा है आप इस चिन्ता से बहुत दुबले हो गये हैं। वह सबको मालूम है। सवाल चिन्ता का नहीं है। सवाल यह है सरकार ने डिसीजन लिया है या नहीं?

श्री धीरसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बता रहा था कि हमने एज्युकेशन सेक्रेटरी को बुलाकर बात की और उनको कहा कि इस सिचुएशन पर जो जो सवाल उठे हैं उन पर एक डिटेल्स के साथ गवर्नमेंट को जानकारी मिलनी चाहिये। हम हाफ हार्टेड वे से दो गलत बेसिस पर और गलत सूचनाओं के आधार पर निर्णय नहीं लेना चाहते। इसलिये हमने उस मीटिंग में एज्यूकेशन सेक्रेटरी से कहा कि यूनिवर्सिटी के अन्दर जो भी अनियमितताएं हुई हैं उन पर यूनिवर्सिटी से भी कमेंट्स लेकर हमारे सामने रखें ताकि हम चांसलर महोदय को इनफार्मली एडवाइज कर सकें कि क्या करना है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: आपका मतलब यह है कि यूनिवर्सिटी के मसलों की जांच हो रही है और वह एज्युकेशन सेक्रेटरी कर रहा है?

श्री धीरसिंह : जांच के मतलब है जानकारी हासिल करना। जिस तरीके की शिकायतें यूनिवर्सिटी के खिलाफ आई हैं उनकी जानकारी करना आवश्यक था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह बात क्लीयर करदें कि आप केवल जानकारी कर रहे हैं, जांच नहीं कर रहे हैं?

श्री अध्यक्ष : जानकारी और जांच में फर्क है।

श्री बरकतुल्ला खां : जी हां।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, आपने जो तीन मन्त्रियों की मीटिंग बुलाई, शिक्षा मन्त्री, वित्त मन्त्री

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
और एज्यूकेशन सेक्रेटरी की वह कोई गवर्नमेंट की कान्स्टीट्यूटेड कमेटी थी या इनफार्मल तरीके से आप बैठे थे ?

श्री बरकतुल्ला खां : जिस वक्त आर्डिनेन्स निकालने की बात थी उस वक्त यह मीटिंग बुलाई थी और उसके बाद जब विद्यार्थियों की हमारे साथ भेंट हुई, उस वक्त यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर वगैरह भी आये हुए थे, उस वक्त यह कहा था कि बार बार आर्डीनेन्स निकालना अच्छा नहीं है । इसलिये एज्यूकेशन सेक्रेटरी से कहा गया कि वे यूनिवर्सिटी से बात करके डिटेल्ड रिपोर्ट और इनफारमेशन हमें दे दें ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : 1967 में जब चांसलर महोदय जोधपुर यूनिवर्सिटी में आये, उस वक्त से ले कर आज तक उनको एडवाइज क्यों नहीं किया गया धारा 10 के अन्दर ।

श्री धीरसिंह : धारा 10 के अन्दर चांसलर को खुद की पावर्स हैं वे खुद कर सकते है, और गवर्नमेंट को कोई एडवाइज करने के पावर्स नहीं हैं, वे स्वयं जांच कर रहे हैं । जांच गवर्नमेंट नहीं कर सकती । जांच करने के पावर्स सेक्शन 10 के अन्दर चांसलर महोदय को हैं और चांसलर ने वाइस चांसलर से कमेंट्स मांगे हैं । वे कमेन्ट्स आ गये हैं चांसलर के पास और अब वे सेक्शन 10 के अन्दर आवश्यक आर्डर्स यूनिवर्सिटी को दे देंगे। जब ऑडिट रिपोर्ट गवर्नमेंट के पास आयेगी तब ही गवर्नमेंट नैसेसरी ऐक्शन ले सकती है । उससे पहले गवर्नमेंट के पास ऐक्ट के तहत कोई पावर्स नहीं हैं कि फाइनेन्शियल मेटर्स में या ऐडमिनिस्ट्रेटिव मेटर्स में एनक्वायरी करा सकें ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सवाल तो इस बात का है कि राजस्थान सरकार के पास जिस वक्त यह सूचना आई कि जोधपुर यूनिवर्सिटी की हालत खराब हो रही है, प्रशासनिक स्थिति गिर रही है, चारों ओर गड़बड़ी हो रही है, जब शिक्षा मन्त्री खुद मानते हैं कि स्थिति चिन्ताजनक है, तो राजस्थान सरकार से चांसलर महोदय को एडवाइज करने में क्यों गुरेज करते हैं ।

श्री धीरसिंह : जांच करने के लिये वे खुद कर रहे हैं । एडवाइज करना कोई जरूरी नहीं है । वे खुद जागरूक हैं । कमेंट्स उनके पास पहुंच गये हैं और वे नेसेसरी ऑर्डर्स यूनिवर्सिटी को दे देंगे ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । श्री बद्री प्रसाद गुप्ता !

कस्बा हमीरपुर का वाटर वर्क्स

330. श्री बद्री प्रसाद गुप्ता (बानसूर) : क्या जन-स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अलवर जिले में कितने स्थानों पर कितने अर्से से नल योजना (वाटर वर्क्स) का निर्माण कार्य समाप्त होने पर भी नल चालू नहीं हो सके हैं । वह स्थान किस किस तहसील में है ?

(2) सरकार इन वाटर वर्क्स को कब तक चालू करा सकेगी ?

(3) क्या यह सही है कि कस्बा हमीरपुर, तहसील बानसूर, जिला अलवर में

(श्री बद्री प्रसाद गुप्ता)
करीब पांच साल से वाटर वर्क्स का निर्माण कार्य समाप्त हो गया है मगर नलों से पानी देना चालू नहीं हो सका है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

राज्यमन्त्री, जन-स्वास्थ्य, (श्रीमती सुमित्रा) : (1) अलवर जिले में तीन स्थानों पर नल योजना का कार्य एक साल से दो साल से पूर्ण हो गया है। वे इस प्रकार है;--

गांव का नाम	तहसील	पूर्ण होने का वर्ष
1. नारायणपुर	थानागाजी	1967–68
2. हमीरपुर	बानसूर	1966–67
3. शाहजहांपुर	बहरोड़	1966–67

(2) बिजली विभाग द्वारा विद्युत् कनेक्शन उपलब्ध कराने पर एवं सम्बन्धित पंचायतों द्वारा इनके हिस्से की जन-सहयोग की रकम जमा कराने पर शीघ्र ही चालू करा दिया जा सकेगा।

(3) वाटर वर्क्स का कार्य 1966–67 में पूर्ण किया गया था किन्तु विद्युत् कनेक्शन बिजली विभाग द्वारा उपलब्ध न कराये जाने के कारण पानी वितरण करना शुरु नहीं किया जा सका। इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा विद्युत् विभाग को बराबर विद्युत् कनेक्शन देने के लिए लिखा जा रहा है।

माननीय सदस्य ने जैसा कि कल सुना होगा कि एक मील की एरिया के अन्दर जो गांव आते हैं, जैसा हमीरपुर, इनको विद्युत् बोर्ड जल्दी ही कनेक्शन देगा, उसके बाद पानी देना शुरु कर दिया जा सकेगा।

एक माननीय सदस्य : शाहजहांपुर के अन्दर बिजली के खम्भे भी पहुंच गये हैं और फिर भी वाटर वर्क्स चालू नहीं किया गया, यह क्यों ?

श्रीमती सुमित्रा : जन सहयोग की राशि जब तक नहीं आयेगी तब तक पानी वितरण का कार्य शुरु नहीं होगा। अभी जन-सहयोग की राशि नहीं आई है।

श्री अमोलाल यादव (बहरोड़) : यह कब की इनफोर्मेशन है ?

श्रीमती सुमित्रा : मैं आज की इनफोर्मेशन दे रही हूं।

श्री डूंगाराम राजौरिया (दौसा सु.) : वहां तो काम शुरु ही नहीं होना चाहिये जब तक कि जन-सहयोग की राशि न आ जाये।

श्रीमती सुमित्रा : वैसे तो यही करते है, लेकिन कहीं कहीं पहले काम शुरू कर देते हैं और बाद में जन-सहयोग की राशि आने में देरी होती है तो विभाग के पास सिवाय इसके और कोई रास्ता नहीं कि वे पानी का वितरण बन्द रखें जब तक कि जन-सहयोग की राशि आ जाये।

श्री डूंगाराम राजौरिया : जन सहयोग की राशि आने के बाद में तो पानी मिलना चाहिये।

श्री दुर्गालाल बाखरवार : जन-सहयोग का क्या अभिप्राय है, अध्यक्ष महोदय ?

श्रीमती सुमित्रा : सुनने में नहीं आता।

श्री डूंगाराम राजौरिया : मैं निवेदन कर रहा हूं कि जहां जल प्रदाय योजना लागू करनी है, पानी देना है, तो उसमें जहां पर आपको जन-सहयोग की राशि प्राप्त हो गई है उसके बाद भी आप कार्य चालू नहीं करते, इसका क्या कारण है ?

श्रीमती सुमित्रा : माननीय सदस्य, दो भिन्न बातें हैं। जन-सहयोग की राशि आने के पहले गांव में काम शुरू नहीं किया जाता, लेकिन जहां काम पूरा कर दिया गया है और दुर्भाग्य वश जन-सहयोग की राशि न आ सकी है, वहां पर जल-वितरण का काम चालू करने से पहले जन-सहयोग की राशि आनी चाहिये। इसलिये राज्य सरकार के पास और कोई चारा नहीं रहता है कि जब तक जन-सहयोग की राशि न आ जाये तब तक पानी-वितरण का काम बन्द रखें।

श्री डूंगाराम राजौरिया : जब आप··

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, श्री जुझारसिंह !

श्री डूंगाराम राजौरिया : अध्यक्ष महोदय,·······

श्री अध्यक्ष; आर्डर, आर्डर !

श्रीमती सुमित्रा: जल-योजना का काम शुरू होना अलग बात है और जल-वितरण का काम शुरू होना अलग बात है। मैं जल-वितरण के बारे में कह रही हूं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, यस, श्री विजयसिंह !

मंत्रियों के बंगलों पर व्यय

331. श्री विजयसिंह (मकराना): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) कितने बंगले केवल मंत्री महोदय के निवास हेतु सुरक्षित रखे हुए है ?

(2) इन बंगलों में से किन किन बंगलों में सन् 1952 से सन् 1967 तक इम्प्रूवमेंट हेतु कितना कितना रुपया सालाना व्यय किया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उपमंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री माधोसिंह): इस प्रश्न का पूरा उत्तर अभी प्राप्त नहीं हो सका है····

श्री विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के बारे में····

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज एक्सप्लेनेशन देने दीजिये।

श्री माधोसिंह : हमने समझा था कि केवल मंत्रियों के बारे में ही सूचना देनी है, यह विभाग को गलतफहमी हो गई, बाद में मालूम हुआ कि उपमंत्रियों और राज्य मंत्रियों के बारे में भी सूचना देनी है, इसलिये वह सूचना भी इकठ्ठी की जा रही है।

श्री विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, जानकारी कब तक कर लेंगे ?

श्री देविदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय, जानकारी किसी दूसरी जगह से नहीं मंगवानी है, यह तो इनके यहां ही उपलब्ध

(श्री देवदत्त पाहिया)
होनी चाहिये। जयपुर के जयपुर में ही जानकारी मिल जानी चाहिये, इसमें देरी क्यों लगनी चाहिये ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, मैं समझ गया माननीय सदस्य !

श्री भवणलाल (हिन्डोन) : इन बारह मंत्रियों की जिनकी जानकारी उपलब्ध हो चुकी है वह तो सदन को बताला दें।

श्री माथोसिंह : अधूरा जवाब देना उचित नहीं होगा। पूरे प्रश्न का पूरा उत्तर देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, स्थगित किया गया।

श्री भवणलाल : माननीय मंत्री के खुद के बंगले पर कितना खर्चा हुआ यह तो बतला दें।

श्री केशरसिंह हाडा (हिन्डोली) : सरकार ने यह रवैया बना रखा है कि प्रश्न को टाल दिया जाये।

श्री माथोसिंह : मैं वचन देता हूँ कि माननीय सदस्य को उत्तर दे दिया जायेगा।

श्री केशरीसिंह हाडा : इसलिये इसका उत्तर इसी सत्र में मिलेगा ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, श्री मूलचन्द डागा !

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर): कब उत्तर दे देंगे कम से कम इसका संकेत करेंगे क्या ?

श्री अध्यक्ष : संकेत मैं ले लूंगा।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : क्या मंत्री महोदय यह आशा व्यक्त करेंगे कि इसी सदन के कार्य काल के अन्दर उत्तर दिया जायगा।

श्री माथोसिंह : सदन का कार्य काल 20 तारीख तक चला तो अवश्य उत्तर दिया जायगा।

श्री केशरीसिंह हाडा : एक ही जवाब है, चला तो।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री मूलचन्द डागा !

नगरपालिका, पाली द्वारा तांगा किराये पर व्यय

332. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) नगरपालिका ने सन् 1967 की पहली जनवरी से आज तक तांगा किराया का कुल कितना खर्चा किया ? जिन तांगे वालों के तांगे किराये पर लिये हैं उनकी सूची भी सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सत्य है कि नगरपालिका पाली फैयाजखां नामक मुसलमान का तांगा ही बराबर भारी रेट पर किराये पर लेती है ?

(3) क्या यह सत्य है कि क्या तांगा नगरपालिका के काम में न लिया जाकर मेम्बरान अपने प्राईवेट काम में लाते हैं ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कदम उठायेगी ?

Page No. 12

(श्री मूलचन्द डागा)

(4) क्या यह भी सही है कि फैयाजखां तांगे वाले का तांगा किसी मेम्बर का है? यदि हां, तो किसका ?

राज्य मंत्री स्वायत्त शासन (श्रीमती सुमित्रा) : (1) दिनांक 1-1-67 से 20-8-68 तक 2,446 रु. 85 पैसे खर्च किये गये हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) यह सही नहीं है।

(3) यह सही नहीं है।

(4) यह सही नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री मूलचन्द डागा : आपने 2,446 रु. में से फैयाजखां को तांगे के किराये के कितने रुपये दिये ?

श्रीमती सुमित्रा : केवल एक बार दिया है। एक्जेक्ट फीगर नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : एक बार में तांगे के किराये के कितने रुपये दिये हैं, और क्या यह सही है कि आपके मेम्बर 10 रु. बराबर किराया लेते हैं ?

श्रीमती सुमित्रा : दो हजार चार सौ छियालीस रुपये अब तक दिये हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि श्री फैयाज खां ने माननीय सदस्य को बैठाने से इन्कार कर दिया है ?

श्री मूलचन्द डागा : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, प्लीज।

नेक्स्ट।

औद्योगिक क्षेत्र, कोटा में अनधिकृत कब्जा

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कोटा नगर के दीर्घ औद्योगिक क्षेत्र में जे. के. सिन्थेटिक्स लि. को नाईलोन, एक्रीलिक फाइबर एवं आर्ट सिल्क के कारखाने स्थापित किये जाने हेतु कितनी कितनी भूमि कब-कब एलॉट की गई व किस भाव से ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त दीर्घ औद्योगिक क्षेत्र में प्लाट्स बनाये गये थे व उनके बीच में सड़कों का निर्माण किया था ?

(3) क्या यह सही है कि जे. के. सिन्थेटिक्स को उक्त कार्यों के लिये कई प्लाट्स आवंटित किये गये हैं ? अगर हां, तो कितने कितने क्षेत्र के कितने प्लाट्स ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त प्लाट्स के आवंटन में कई सड़कें एवं उनसे लगी हुई बगल की भूमि भी उक्त फर्म ने अपने कब्जे में अनधिकृत रूप से ली है ? अगर हां, तो कितनी ?

(5) क्या यह सही है कि उक्त अनधिकृत भूमि के लिये सरकार ने विकास शुल्क वसूल नहीं किया ? अगर हां, तो क्यों ?

उपमंत्री, उद्योग (श्री भीमसेन) : (1) कोटा में जे.के. सिन्थेटिक्स लिमिटेड को नाईलोन एक्रीलिक फाईबर के लिये 134.42

(श्री भीमसेन)
एकड़ व मार्ट सिल्क के लिये 40.9 एकड़ भूमि दिनांक 21–8–65 को आवंटित की गई थी। वह भूमि विकास शुल्क दर 1500) रु. प्रति एकड़ एवं लीज दर 30रु. प्रति एकड़ प्रति वर्ष नियत की गई है।

(2) जी हां।

(3) जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) जी नहीं।

(5) प्रश्न नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि दीर्घ इन्डस्ट्रियल एरिया के अन्दर इण्डस्ट्रीज को प्लॉट अलॉट करने से पहले प्लान बनाया गया था और क्या प्लान के अनुसार प्लाट काटे गये हैं जिनमें बीच में सड़कों का प्रावधान किया गया था ?

उद्योग मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : जी हां।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है जिन दो कन्सर्न्स के लिये प्लाट बेचे हैं उनके बीच में कोई सड़कें थीं ?

श्री हरिदेव जोशी : जी हां।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि जो इनके बीच में सड़कें आई है—लम्बी चौड़ी सड़क के आस पास में कुल कितनी जमीन थी।

श्री हरिदेव जोशी : वह सब केलक्यूलेट कर लिया है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या मंत्री महोदय ने जो क्षेत्रफल बताया है उससे ज्यादा जमीन उन्होंने नहीं ली है।

श्री हरिदेव जोशी : जी नहीं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : प्लाट नं. 2, 3, 4, 13, 14—इन प्लाटों का क्षेत्रफल कितना है ?

श्री हरिदेव जोशी : जो इसमें बताया गया है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, जो सूची दी गई है उसमें प्लाट नं. बताये गये हैं और जो प्लाट के क्षेत्रफल है वह बताया गया है। मंत्री महोदय ने इनके बीच में जो सड़कें थीं उनको शामिल कर दी हैं मैं निवेदन करूंगा जो क्षेत्रफल आपने बताया है प्लाटों का तो इन प्लाटों के बीच 3-4 बड़ी बड़ी सड़कें हैं इनमें जो डेवलपमेंट चार्जेज और लीज चार्जेज हैं वह नहीं लिये हैं।

श्री हरिदेव जोशी : मेरी जानकारी यह है कि इसको केलक्यूलेट कर लिया गया है। गवर्नमेंट को बड़ी इन्डस्ट्रीज को देखकर उनको रिक्वायरमेंट अलाटमेंट से ज्यादा है तो ज्यादा अलाट कर देना चाहिये। माननीय सदस्य ने जो सूचना दी है, मैं इसको फिर जांच करवा लूंगा और ज्यादा पैसे लेने की बात होगी तो उसको वसूल कर लिया जायगा।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि स्टोन फेक्टरी को सब नेट कर रखी है ?

Page No. 14

श्री हरिदेव जोशी : जी नहीं ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं इसको चुनौती देता हूं । सब-लेट की गई है । उसको क्षेत्र के अनुसार जमीन······

श्री हरिदेव जोशी : मेरे पास इसकी कोई सूचना नहीं है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : स्टोन फैक्टरी चल रही है । मैंने स्वयं ने देखा है ।

श्री हरिदेव जोशी : आपने बताया है, मैं इसको देख लूंगा ।

प्रश्न संख्या 334

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । श्री शंकरलाल ।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न सं. 335

ग्रामीण पेय जल योजनाओं के लिये राशि

श्री केशरीसिंह हाडा (हिन्डौली) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राजस्थान सरकार को केन्द्रीय सरकार से ग्रामीण क्षेत्रों के लिये पीने के पानी की योजनाओं के लिये पहली तीन पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि में 45 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई थी ?

(2) ग्रामीण क्षेत्रों में उक्त अवधि में सरकार ने कितनी योजनायें बनाईं, कितनी योजनायें हाथ में ली और इनमें से कितनी कार्यान्वित की गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(3) इसके अतिरिक्त और कौन कौन सी योजनायें भविष्य में हाथ में लेने का विचार है ?

राज्य मंत्री, जन-स्वास्थ्य (श्रीमती सुमित्रा): अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के संबंध में वित्त विभाग से और आयोजना विभाग से सूचना आनी बाकी है इसलिये मैं इस प्रश्न को पोस्टपोन करने के लिये निवेदन करती हूं ।

श्री केशरीसिंह हाडा : अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा अफसोस है कि राज्य सरकार जनता के प्रति··

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री केशरीसिंह हाडा : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न के लिये क्या सरकार इतने दिन होते हुये भी इस प्रकार का उत्तर नहीं देने का क्या कारण है । आप कहती हैं सूचना उपलब्ध नहीं हुई । सूचना उपलब्ध होने में कौनसी बाधा है ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज । श्री पृथ्वीसिंह ।

श्री केसरीसिंह हाडा : अध्यक्ष महोदय, यह बताया जाय कि किन कारणों से इसको स्थगित किया गया ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न सं. 336 ।

मुण्डारा सिरोही सड़क पर अधूरा कार्य

श्री पृथ्वीसिंह (बाली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

Page No. 15

(श्री पृथ्वीसिंह)

(1) मुण्डारा से सिरोही रोड वाया लाटारा, लूणावा, सेवाड़ी, बीजापुर, मादुन्द भणदर, बेडा, नाणा के बनाने पर कितनी राशि की स्वीकृति है ?

(2) उक्त सड़क का कितने मील का टुकड़ा बन गया है और कितने मील का बनना बाकी है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त सड़क पर अब कार्य बन्द पड़ा है ? यदि हां तो कार्य पूरा हुये बिना कार्य बन्द क्यों किया गया है ?

(4) क्या यह सही है कि इस तरह कार्य बन्द करने से, अधूरा छोड़ने से, एवं बने हुए कार्य की मरम्मत नहीं करवाने से जो कार्य हुआ है वह भी नष्ट हो जावेगा ?

उप मन्त्री सार्वजनिक निर्माण (श्री माधोसिंह) : (1) मण्डारा से सिरोही नाम से योजना में सड़क स्वीकृत नहीं है सादड़ी-पिण्डवारा रोड स्वीकृत है इसके 32,0000) रु. मंजूर हुआ है।

(2) सादड़ी-पिण्डवारा रोड के केवल 4 मील बने हैं पानी जिन में 28 मील बनना शेष है।

(3) जी हां, अर्थाभाव के कारण।

(4) सड़क की टूट-फूट होने पर मरम्मत का ध्यान रखा जाता है।

श्री पृथ्वीसिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है मण्डारा से सिरोही की रोड स्वीकृत नहीं है पर सादड़ी से पिन्डवाड़ा तक स्वीकृत है। खेर मुझे उसका ऐतराज नहीं है। तीन लाख की स्वीकृत राशि है और इसमें सिर्फ 4 मील का टुकड़ा पूरा करवाया है क्या मैं पूछ सकता हूं कि यह कार्य कब चालू करवाया गया था और कब बन्द कर दिया गया है।

श्री माधोसिंह : 1966-67 के अन्दर तीन लाख मंजूर हुए थे। 64-65 में 10 हजार।

श्री पृथ्वीसिंह : अध्यक्ष महोदय, क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि 67 के अन्दर इसका कार्य चालू हुआ था ?

श्री माधोसिंह : जी नहीं।

श्री पृथ्वीसिंह : चुनाव के दिनों में इसका कार्य जोरों से चल रहा था मैं निवेदन करूं, मैंने अपनी खुद आंखों से देखा है। चुनाव समाप्त होते ही कार्य बन्द कर दिया गया।

श्री माधोसिंह : वह तो सड़क की मरम्मत करवाई जा रही थी।

(व्यवधान)

श्री विजयसिंह (मकराना) : सड़क ही नहीं थी तो मरम्मत किसकी करवाई ! आप अपनी मरम्मत करा रहे थे क्या ? और क्या यह सही है कि मन्त्री महोदय अपने सुसराल को सड़क बनाने में।

श्री अध्यक्ष : यहां कोई सुसराल का सवाल नहीं है।

श्री पृथ्वीसिंह : यह जो चार मील का टुकड़ा है वह किस किस जगह बना है।

श्री माधोसिंह : मण्डारा से शुरू किया है।

Page No. 16

श्री अध्यक्ष : जमीन पर है या आसमान पर है ?

श्री माधोसिंह : अध्यक्ष महोदय, जमीन पर है।

श्री पृथ्वीसिंह : अध्यक्ष महोदय, मुण्डारा से सिरोही रोड वाया लाटारा लूणावा, सेवाड़ी, बीजापुर, भाटुन्द मणदर बेड़ा आदि में 4 मील में आधी सड़क पूरी हो चुकी हैं।

श्री अध्यक्ष : क्या यह सही है कि आधी सड़क पूरी हो चुकी है ?

श्री पृथ्वीसिंह : अध्यक्ष महोदय, इसकी जांच होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : क्या यह सही है कि इसकी जांच की जा सकती है ?

श्री माधोसिंह : जी हां, जांच कराई जा सकती है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री पृथ्वीसिंह : क्या यह काम सन् 72 के पहले पहले पूरा करा दिया दिया जायेगा?

श्री माधोसिंह : हां, राशि उपलब्ध होते ही करा देंगे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री दुर्गालाल बाढ़दार।

मुर्दा मवेशी उठाने का ठेका

337. श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवा महल, जयपुर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर नगरपालिका द्वारा मुर्दा मवेशी उठाने का ठेका वर्तमान में किसके नाम दिया हुआ है और कितने रुपये का है ?

(2) क्या वर्तमान ठेकेदार से नगर परिषद् ने कोई जमानतनामा तहरीर कराया है ? यदि हां तो जामिन कौन है और क्या जायदाद जमानत में दी गई है ? नकल जमानतनामा सदन की मेज पर रखें।

(3) रकम ठेका कितनी किश्तों में वसूल हो चुकी है ?

(4) क्या यह सच है कि वर्तमान ठेकेदार का वालिद मुहम्मद इब्राहीम पंचायतों में मुर्दा मवेशी का ठेका लेता था और वह ब्लेक लिस्ट में है ? यदि हां, तो इनके जिम्मे किस किस पंचायत का कितना कितना रुपया बाकी है ?

राज्य मंत्री, स्वायत्त शासन (श्रीमती सुमित्रा) : (1) श्री युसुफ पुत्र श्री बहादुरखां मुसलमान को एक माह का ठेका दिनांक 16-8-68 से 15-9-68 तक के लिए 3,580.50 पैसे में दिया गया।

(2) वर्तमान ठेकेदार से कोई जमानत नामा तहरीर नहीं करवाया गया है क्योंकि ठेके की समस्त राशि दिनांक 17-8-68 को करा दी गई।

(3) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(4) जी नहीं, प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : यह ठेकेदार कितने वर्षों से ठेकेदार है, इस नगरपालिका का ?

श्रीमती सुमित्रा : अध्यक्ष महोदय, जरा जोर से बोलें ।

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है ।

श्री दुर्गालाल बाड़दार : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो वर्तमान में ठेकेदार है उसमें कितनी रकम बकाया थी ? जमानतनामा तहरीर नहीं कराया गया और इसके फादर ब्लेक लिस्ट में थे और प्रश्न के भाग (4) में आप कहते हैं कि प्रश्न नहीं उठता । प्रश्न तो बराबर उठता है ।

श्री अध्यक्ष : उठ गया और जबाव भी दे दिया ।

श्री दुर्गालाल बाड़दार : अध्यक्ष महोदय आपको असुविधा नहीं हो सकती क्योंकि उस तरफ न तो इस प्रकार के जंगली जानवर आते है, शहर में देखिये सूअरिया वगैरह आती है मगर कोई मर जाये तो उठाने वाला नहीं, गाय मर जाय तो उसको उठाने वाला नही, भैंस मर जाय तो उसको उठाने वाला नहीं । यह तो शहर की हालत हो रही है

श्री केसरीसिंह हाड़ा (हिण्डोली) : और आदमी मर जाये तो जलाने वाला नहीं ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री रघुनाथ विश्नोई !

बिघोड़ी की रकम का गबन

338. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि ग्राम गुंदाऊ, तहसील सांचोर में पचायतेदारान की बीघोड़ी की रकम जागीर मुआवजा बॉड्स में से काट कर कुछ शख्सों ने गबन कर लिया था ? यदि हां, तो कब व कितनी रकम का ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि एस.डी. ओ. भीनमाल की रिपोर्ट पर पुलिस थाना सांचोर में 409 आई.पी.सी. के तहत उन शख्सों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था ? अगर हां, तो क्या उन मुल्जिमान से सरकारी राजस्व की रकम पुलिस द्वारा बरामद करली गई है ? अगर हां, तो कब ? और नहीं, तो क्यों नही ? क्या यह भी सत्य है कि मुल्जिमान ने रकम वितरण के समय राजस्व की रकम काटकर अपने पास रखना एस.डी. ओ. के समक्ष जांच के दौरान मंजूर किया था ?

(3) क्या यह भी सत्य है कि उपरोक्त जुर्म में सिर्फ एक ही मुल्जिम का चालान किया गया है ? अगर हां तो क्यों ? क्या सरकार दूसरे मुल्जिमान के खिलाफ भी मजीद छानबीन कराई जाकर अदालत में चालान पेश कराने का विचार रखती है ? अगर हां, तो ऐसा कब तक कर दिया जावेगा ? अगर नहीं तो क्यों नहीं ?

(4) क्या यह भी सत्य है कि उपरोक्त मामले में जिस मुल्जिम का चालान किया गया था वह अदालत द्वारा रिहा कर दिया गया है ? अगर हां तो कब और आगे इस विषय में क्या कार्यवाही की जा रही है ? क्या यह भी सत्य है कि दीगर मुल्जिमान का चालान न करने से इस मुल्जिम को रिहा कर दिया गया ? अगर हां तो ऐसी चालान में कमी रखने की किसकी जिम्मेदारी है ? अब इस मामले में दुबारा चालान कमियां दूर

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
करने के बाद कब तक कर दिया जावेगा ? रकम वसूली के बारे में क्या किया जा रहा है ?

राज्य मंत्री गृह (श्री हीरालाल देवपुरा): (1) जी हां, ग्राम गुदाऊ तहसील सांचोर में पत्तायतेदारान की बंधोड़ी की रकम 3610) रु० जागीर मुआवजा बोंड्स में से काटी गई थी और यह रकम तारीख 18-12-64 को खयानत करली गई

(2) जी हां, मुलजिमों के विरुद्ध एस डी. ओ., भीनमाल की रिपोर्ट पर धारा 406 ता० हि० में न कि 409 ता० हि० के अन्तर्गत अभियोग पंजीबद्ध हुआ था। रकम जो गबन की गई वह पुलिस द्वारा बावजूद काफी प्रयत्न के वसूल नहीं हो सकी। एस. डी. ओ. के समक्ष मुलजिम ने रकम, राजस्व की रकम काटकर अपने पास रखना जांच के दौरान मन्जूर नहीं किया था।

(3) जी हां, खयानत रकम की रसीद केशरसिंह को साबित होने से उसका चालान किया गया। दोगर के प्रति ठोस सबूत नही होने से चालान नही किया गया। इस स्टेज पर मजीद छानबीन की जाने का प्रश्न नहीं उठता।

(4) जी हां, दिनांक 20-9-67 को अभियुक्त मुन्सिफ मजिस्ट्रेट, सांचोर द्वारा इस अभियोग से रिहा कर दिया गया है। अब इस फैसले के विरुद्ध न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, जालोर में रिवीजन किया गया है जो विचाराधीन है। जो नही रकम लेने की रसीद केवल (श्री केशरसिंह) के विरुद्ध ही साबित हुआ है। इसलिए अन्य किन्हीं भी व्यक्तियों को मुलजिम नहीं ठहराया गया था। मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के फैसले में यह उल्लेख है कि दूसरे व्यक्ति (श्री बलवन्तसिंह पटवारी) का भी चालान करना चाहिए था। परन्तु इस व्यक्ति के विरुद्ध चालान के काबिल कोई सबूत नहीं था। इसलिए उसके खिलाफ चालान नहीं किया गया था। मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के फैसले के खिलाफ रिवीजन की कार्यवाही की गई है। अब इस स्टेज पर चालान करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है जब कि रिवीजन न्यायालय में विचाराधीन है। रकम की वसूली के लिए अनुसंधान के दौरान काफी प्रयत्न करने पर भी असफलता रही है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : क्या यह सही है कि एस. डी. ओ, भीनमाल के रूबरू तीनों ने मन्जूर किया था कि पटवारी ने कैलकुलेट करके रकम बताई हुई थी। सरपंच के रूबरू तहसील में जमा कराने का वादा किया था ?

श्री हीरालाल देवपुरा : मैंने निवेदन किया कि इस प्रकार की बात तफतीश के दौरान नहीं पाई कि इस प्रकार कबूल एस. डी. ओ. के समक्ष किया था।

श्री रघुनाथ विश्नोई : क्या यह सही है कि रसीद फर्जी बनाई गई।

श्री अध्यक्ष : This is a question of fact.

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह 3600 रुपये की रकम का सवाल है जो गरीब आदमियों के बोंड्स थे। उनको स्टे मिली थी कि उनसे बोंड नही मिले तब तक रकम जमा रखे और उसने रसीद लेली और केशरीसिंह

Page No. 19

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
को रसीद दे दी थी तो पटवारी का फर्ज था कि वह इत्तला देता कि रकम उसके पास है।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, सवाल इतना सा है कि ज्यों ही पुलिस को इत्तला मिली उसने तफतीश की और जो बना सके उसको उसने अदालत में पेश कर दिया अब रिवीजन में केस भेजा गया है जब तक फैसला नहीं होता, मैं कुछ नहीं कह सकता।

श्री रघुनाथ विश्नोई : क्या यह सही है एस. पी. जालौर की तफतीश करने के बाद एक सब-इन्सपेक्टर को इसकी जांच दे दी।

श्री हीरालाल देवपुरा : मैं यही निवेदन करूंगा कि तफतीश पूरी नहीं हुई है वह दुबारा कराई गई और जो वाकयात सामने आये उसके हिसाब से चालान कर दिया गया।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय इसमें यह हुआ कि एक रसीद प्राप्त हुई जिसमें फर्जी दस्तखत बनाये गये और सरपंच आकर नट गया और अदालत में मना कर दिया।

श्री अध्यक्ष : रिवीजन किया गया है। यह प्रश्न रिवीजन में है इसलिए नहीं उठाया जा सकता है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : जो रसीद ली गई थी उसकी हैंड राइटिंग एक्सपर्ट से जांच क्यों नहीं कराई गई ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। नेक्स्ट, श्री जुझारसिंह।

कोटा डिवीजन में खोले गये नये स्कूल

339. श्री जुझारसिंह (रामगंज मण्डी) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) कोटा डिवीजन में किन किन स्थानों पर नये मिडिल स्कूल खोले गये हैं और कितने मिडिल स्कूल किन किन स्थानों पर अपग्रेड किये गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) रामगंज मण्डी के ग्राम खेड़ारुद्धा बागं के पास कोयला व झालरापाटन के ग्राम असनावर में मिडिल स्कूल व सैकेण्डरी स्कूल खोलने की क्या सरकार के समक्ष मांग की गई थी ? यदि हां, तो कब से ? कृपया यह भी बतलावें कि इन स्थानों के नजदीक से नजदीक मिडिल व हाई स्कूल कितने कितने फासले पर स्थित हैं और किन किन स्थानों पर ?

(3) कोटा डिवीजन के जिन जिन स्थानों पर नये मिडिल स्कूल व हाई स्कूल खोले गये हैं उनकी तुलनात्मक आबादी फासला व छात्रों की संख्या उपरोक्त स्थानों के मुकाबले में बतलाने की कृपा करें।

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री वीरसिंह) : अध्यक्ष महोदय, इसकी सूची पूर्ण प्राप्त नहीं हुई है इसलिए इसको स्थगित कर दिया जाये।

श्री जुझारसिंह : इसमें क्या सूचना की बात है, बहुत साधारण सा प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : बहुत साधारण सा प्रश्न है। क्या संग्रह करने की बात है ?

श्री धीरसिंह : पापुलेशन के फीगर और जो डिस्टेन्स मांगा है वह इन्फोमेशन नहीं आई है।

श्री जुझारसिंह : पार्ट 1 और 2 का उत्तर दे दिया जाये वह तो बिलकुल साफ है।

श्री अध्यक्ष : उसके बाद स्थगित नहीं करूंगा।

श्री जुझारसिंह : अच्छा।

श्री धीरसिंह : पार्ट 1 और 2 का नहीं है। जानकारी नहीं आने पर सूचना अपूर्ण है।

श्री केसरीसिंह हाड़ा (हिन्दोली) : अध्यक्ष महोदय, यह सरकार ही अपूर्ण है।

प्रश्न संख्या 340

श्री अध्यक्ष : श्री गोकुल प्रसाद शर्मा।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री हरिवल्लभ शर्मा।

मीना होस्टल, सवाई माधोपुर में प्रवेश के लिए इन्टरव्यू

341. श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई माधोपुर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) वर्तमान सत्र में मीना होस्टल सवाई माधोपुर में प्रवेश देने हेतु किस तारीख को इन्टरव्यू लिए गए और चयन समिति में कितने सदस्य थे ?

(2) क्या यह सही है कि चयन समिति के सदस्यों ने संचालक, समाज कल्याण विभाग एवं सम्बन्धित मन्त्री को यह शिकायत की थी कि जिला अधिकारी समाज कल्याण ने चयनित विद्यार्थियों की लिस्ट में काफी हेरफेर कर मनमानी लिस्ट प्रकाशित करदी और उन विद्यार्थियों को प्रवेश भी दे दिया ?

(3) विभाग ने इस शिकायत पर क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्य मन्त्री, समाज कल्याण (श्री विश्म्भर नाथ जोशी) : (1) वर्तमान शैक्षणिक सत्र में मीना छात्रावास सवाई माधोपुर में प्रवेश देने हेतु दिनांक 20-7-68 को साक्षात्कार किया गया जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे :

(1) श्री हरिवल्लभ शर्मा, सदस्य विधान सभा।

(2) श्री चुन्नीलाल, सदस्य विधान सभा।

(3) श्री प्रधानाध्यापक, हायर सेकेन्डरी स्कूल, सवाई माधोपुर।

(4) जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सवाई माधोपुर।

(5) अधीक्षक, छात्रावास।

(2) जी हां।

(3) जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सवाई माधोपुर से जांच करने पर उनके कथनानुसार ज्ञात हुआ कि छात्रावास प्रवेश सलाहकार समिति द्वारा चयन किये गये 21 छात्रों में से केवल 2

(श्री विश्म्भरनाथ जोशी)

छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जा सका इसमें से श्री रामफूल के सप्लीमेंटरी आने से वे आये नहीं। इनके स्थान पर श्री चुन्नीलाल, सदस्य विधान सभा जो चयन समिति के सदस्य हैं उनकी लिखित सिफारिश पर श्री रामबिलास को प्रवेश दिया गया। श्री मस्तराम के स्थान पर श्री रामबिलास पुत्र श्री माधोलाल को प्रधान पंचायत समिति, सवाई माधोपुर की लिखित सिफारिश पर प्रवेश दिया गया। श्री कन्हैयालाल तथा श्री रामनिवास गत वर्ष के छात्र थे जो छात्रावास छोड़कर चले गये। जिनके स्थान पर श्री बनकलाल तथा रामेश्वर प्रसाद को चयन समिति की वेटिंग लिस्ट में सम्मिलित थे उनको प्रवेश दिया गया। इसके अतिरिक्त जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सवाई माधोपुर को लिखित रिपोर्ट के अनुसार अन्य कोई परिवर्तन नहीं किया गया। किन्तु विभाग उनके कथन की सत्यता को स्वीकार नहीं करता है। कार्यवाही जांच के दौरान सन्देहास्पद पाई गई व आंशिक परिवर्तन जिला समाज कल्याण एवं परिवीक्षा अधिकारी ने स्वयं स्वीकार किया है। अतः विभाग जिला समाज कल्याण अधिकारी को चार्जशीट सर्व कर रहा है तथा जांच के आदेश दिये जा चुके है।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : यह जांच जिसका रिजल्ट आपने अभी सुनाया है यह अधिकारी कौन थे ?

श्री विशम्भरनाथ जोशी : जांच के आदेश अब किये गये हैं। जांच अब होना बाकी है। लेकिन यह तो जो प्राईमाफेशी केस था उसके बेसिस पर इस नतीजे पर पहुंचे।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : जिला अधिकारी की रिपोर्ट पर आपने यह जवाब दिया है।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : जी हां। यह जवाब जिला अधिकारी के द्वारा जो जानकारी प्राप्त थी उसके आधार पर दिया गया है। लेकिन विभाग ने क्योंकि उसको प्रापर नहीं समझा इसलिए उनको चार्जशीट देकर जांच के आदेश अब दिये गये हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री गाड़िया !

श्री देवीदत्त गाड़िया : (प्रश्न संख्या 342)

श्री श्रवणलाल : अध्यक्ष महोदय, क्या जैसा कि आपने बताया···

श्री अध्यक्ष : 342 दूसरा प्रश्न ले लिया गया।

श्री श्रवणलाल : नहीं अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री श्रवणलाल : नहीं अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा यह जानना चाहूंगा··

श्री अध्यक्ष : मेरे द्वारा मत मानियेगा

श्री श्रवणलाल : इसके अन्दर जैसा कि माननीय मन्त्री महोदय ने बताया··

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य, दूसरा प्रश्न ले लिया गया है।

श्री गाड़िया !

बारां नगर में हरिजनों की नई बस्ती निर्माण कार्य

342. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बारां नगर में हरिजनों के लिए नई बस्ती के निर्माण के लिए सरकार ने रुपया स्वीकृत किया है ? यदि हां, तो किस किस तारीख को, कितने घरों की बस्ती के लिए कितने कितने रुपये स्वीकृत किये तथा किस विभाग को सुपुर्द किया गये ?

(2) क्या हरिजन कालोनी निर्माण कार्य चालू हो गया ? यदि नहीं, तो क्यों और अब कब तक चालू हो जायगा ?

राज्य मंत्री, स्वायत्त शासन (श्रीमती सुमित्रा) : (1) समाज कल्याण विभाग ने दिनांक 26-3-60 को 22 हरिजनों के मकान हेतु 16,500) रुपयों की राशि स्वीकृत की थी। यह राशि नगरपालिका बारां के सुपुर्द की गई थी।

(2) जी नहीं ! हरिजनों द्वारा शर्तों के अनुसार उक्त राशि का उपभोग नहीं किया गया। अतः नगरपालिका द्वारा यह राशि राज्य कोष में लौटा दी गई। प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या यह सही है कि वहां के हरिजनों ने बारां नगरपालिका को यह लिखकर दिया था कि इस प्रकार से यह जो कालोनी बनाने के लिए जो पैसा मांगा जा रहा है उस पैसे का एक अंश नगरपालिका ऋण के रूप में हरिजनों को दे और वापिस उनके वेतनों में से वह काट ली जाय।

श्रीमती सुमित्रा : हरिजनों के लिये जो 750 रुपये की स्वीकृति होती है मकान बनाने के लिये उसमें वे मकान बनाने के लिए तैयार नहीं हुए और नगरपालिका के पास पैसा नहीं था इसलिए वह राशि लौटा दी गई।

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय अध्यक्ष जी, मैं मंत्री महोदया से यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि बारां नगरपालिका में काम करने वाले हरिजनों ने नगरपालिका से इस प्रकार की मांग की थी कि इस प्रकार से 750 रु० का जो समाज कल्याण विभाग ने अनुदान दिया है, कालोनी बनाने के लिए और बाकी की रकम जो हरिजनों को देनी है वह नगरपालिका अपने फण्ड से दे दे और उस पैसे को वेतन में से कांट ले ?

श्रीमती सुमित्रा : अध्यक्ष महोदय, यह सारी ही जगह जहां हरिजनों की बस्तियां बसाई जाती है वहां पर राज्य सरकार से 750 रु० ही मिलता है और नगरपालिका चाहे तो अपने पास से हरिजनों को पैसा देती हैं। बारां नगरपालिका की भी ऐसी हैसियत नहीं थी कि वह कुछ पैसा दे सकें। उस हालत में वह मजबूर थी उनको पैसा देने में।

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय अध्यक्ष महोदय, बारां नगरपालिका की आर्थिक स्थिति के बारे में शायद मंत्री महोदय को जानकारी नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बारां नगरपालिका के फिक्स्ड डिपाजिट में दो लाख रुपया जमा है। और इसके साथ साथ

(श्री देवीदत्त गाड़िया)
यह भी कहना चाहता हूं कि क्या आपने कोई यह कालोनी बनाने के लिए जगह निर्धारित की थी ? क्या सरकार द्वारा एस्टीमेट्स बनाये गये थे ? क्या सरकार ने उसके नक्शे बनाये थे ? यदि हां, तो किस स्थान के लिए बनाये थे ?

श्रीमती सुमित्रा : यह सन् 60 की बात है आज की बात नहीं है, और उसी वक्त लौटा दिये गये थे, पैसे।

श्री देवीदत्त गाड़िया : पैसे उसी समय भी नहीं लौटाये थे। यह आप गलत कह रही हैं। ये पैसे 66 में लौटाये हैं नगरपालिका ने। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि जब यह हरिजनों लिए 22 मकान बनाने के लिए पैसा दिया गया तो यह बताने का कष्ट करें कि किस स्थान पर यह कालोनी बनाई जाने वाली थी क्या कालोनी के नक्शे बना लिए गये थे ? क्या उसके एस्टीमेट्स बना लिये थे ?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय, यही प्रश्न है और बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न महत्वपूर्ण है लेकिन अलग है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय अध्यक्ष जी, हरिजन कर्मचारियों ने पूछा कि कालोनी किस जगह बनाई जायगी यह बताया जाय तो यह नहीं बताया गया। कर्मचारियों ने पूछा कि इसके नक्शे बनाये गये हैं तो वे बताये जायं तो नक्शे नहीं बनाये गये।

श्री अध्यक्ष : दूसरा प्रश्न पूछिये माननीय सदस्य।

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या यह सही है कि बारां नगरपालिका के पास यह जो 16 हजार का अनुदान था वह काफी अर्से तक पड़ा रहा और हरिजनों के बार बार मांग करने के बाद भी हरिजनों को नहीं दिया गया और न हरिजनों से किसी प्रकार का एग्रीमेंट कराया गया।

श्रीमती सुमित्रा : अध्यक्ष महोदय, साइट का सिलेक्शन नगरपालिका करती है। यह उनके ऊपर निर्भर था।

श्री अध्यक्ष : मैंने स्वीकार नहीं किया है। आप दूसरे प्रश्न का जवाब दें कि क्या यह रुपया बहुत देर तक पड़ा रहा। यह प्रश्न है माननीय सदस्य का।

श्रीमती सुमित्रा : बहुत देर तक इसलिए पड़ा रहा कि नगरपालिका इन्तजार करती रही। जब उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया तो क्या करते ? नगरपालिका ने लौटा दिया।

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय मंत्री महोदया जो उत्तर दे रही हैं वह गलत दे रही हैं। क्या वे मकान हवा में बनाते ? क्या नगरपालिका ने स्थान दिया ? वे मकान बनाने के लिए तैयार थे। वे चाहते थे कि मकान बनाये जांय। न तो स्थान बताया और न कोई नक्शे दिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने ऐसा लिखकर दिया है कि वे मकान नहीं बनाना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : लिखकर दिया क्या ?

श्रीमती सुमित्रा : जानकारी नहीं है।

Page No. 24

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय, लिखकर नहीं दिया है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, श्री गंगा सहाय।

श्रीमती सुमित्रा : इस बारे में किसी की शिकायत नहीं आई है।

श्री डूंगाराम राजोरिया (दौसा-सु.) : 750 रु० का जो अनुदान दिया गया है वह किस आधार पर किया है ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री भीखाभाई): अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने कहा है कि नगरपालिका के द्वारा ऋण नहीं देने के कारण हरिजन उसका उपयोग नहीं कर सके तो कई जगह इस प्रकार की म्युनिसिपैलिटीज हैं जिनके पास आर्थिक संकट है। कई म्युनिसिपैलिटीज की यह हालत रहती है। वे किस प्रकार से ऋण दें यह उन पर निर्भर करता है। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बारां की म्युनिसिपैलिटी की सन् 60 के अन्दर क्या अवस्था थी मैं नहीं बता सकता हूं ... (अश्रव्य)

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय ...

श्री अध्यक्ष : उत्तर आ रहा है। एक प्रश्न पूछ लिया गया है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, उत्तर किस की तरफ से आ रहा है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय की तरफ से।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (जौहरी बाजार, जयपुर) : माननीय मंत्री महोदय जो उत्तर देते हैं वह न तो हम सुनते हैं और न समझ सकते हैं। वे उत्तर बैठे बैठे देते हैं। उनसे खड़े होकर उत्तर दिलवाइये।

श्री अध्यक्ष : नहीं खड़े होकर दे रहे हैं।

श्री डूंगाराम राजोरिया : 750 रु. किस आधार पर दिया जाता है ?

श्री भीखाभाई : समाज कल्याण विभाग द्वारा 750 रु. मकान बनाने के लिए उनको दिया जाता है शेड्यूल्ड ट्राइब्स वालों को एक हजार रुपया समाज कल्याण विभाग ने अब कर दिया है। जो नगरपालिका के क्षेत्र में होते हैं उसके लिए पैसा नगरपालिका को दिया जाता है और जो पंचायतों के क्षेत्र में होते हैं उनके लिए पंचायतों को पैसा दिया जाता है। अगर उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो वे अपनी तरफ से 750 या 1000 रु. देकर उनके मकानों को पूरा करवा सकती हैं। बारां नगरपालिका की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण वह मकान को पूरा नहीं करा सके।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री देवीदत्त गाड़िया : नहीं, अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न है। क्या सरकार ...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य मेरे पास बहुत से प्रश्न हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : इससे सम्बन्धित प्रश्न है। मैं एक प्रश्न पूछूंगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य इस पर काफी विचार हो गया है। अभी 15 सवाल और हैं। इस पर काफी विचार हो गया है। श्री गंगा सहाय।

Page No. 25

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या सरकार यह आश्वासन देगी कि हरिजन बारां के अन्दर जो कालोनी बनाना चाहते हैं उसके लिए क्या सरकार रुपया देने को तैयार है ?

श्री अध्यक्ष : वापिस हरिजन मकान बनाने के लिए तैयार हैं तो क्या आप यह आश्वासन दे सकते हैं कि उनको रुपया दिया जायगा।

श्री भीखाभाई : अध्यक्ष महोदय, यह कोई आश्वासन नहीं दे सकता हूं, क्योंकि समाज कल्याण विभाग का पैसा है। जब हमारा पैसा नहीं होगा तो पैसा कैसे मांगेंगे ?

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय· · ·

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करिये।

श्री गंगासहाय : श्री शिक्षा मंत्री।

संगीत नाटक अकादमी

343. **श्री गंगासहाय (कठूमर) :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान संगीत नाटक अकादमी को वार्षिक कुल अनुदान कितना मिलता है ?

(2) व्यवस्था पर कितना व्यय होता है ?

(3) इस वर्ष का बजट क्या है ?

(4) क्या अकादमी के भूतपूर्व सचिव, श्री कोमल कोठारी ने अकादमी से वेतन लेने के साथ साथ शिक्षा मंत्री के सचिव होने का भी वेतन प्राप्त किया है ?

(5) वर्तमान सचिव की वेतन-शृंखला क्या है ? क्या सचिव को यह वेतन-शृंखला देने की अनुमति राज्य सरकार से प्राप्त कर ली गई है ?

(6) अकादमी ने पिछले 5 वर्षों में प्रकाशन पर कितना व्यय किया है ? प्रकाशित सामग्री की बिक्री से अकादमी को कितनी आमदनी हुई है ? वर्तमान में प्रकाशित सामग्री का स्टाक कितना है ?

(7) क्या प्रकाशित पुस्तकों की अनुमति प्रकाशन से पूर्व कार्यकारिणी से प्राप्त करली गई थी ?

(8) संस्थाओं को अनुदान देने के नियम क्या हैं ? संस्थाओं को अकादमी से सम्बद्ध होने के कितने समय बाद अनुदान दिया जाता है ?

(9) रवीन्द्र मंच की व्यवस्था पर अकादमी प्रति वर्ष कितना खर्च करती है ?

उप मंत्री, शिक्षा (श्री धीरसिंह) : (1) एक लाख रुपया।

(2) 40 से 45 हजार रुपया खर्च होता है।

(3) एक लाख रुपये का।

(4) उक्त समय में श्री कोठारी ने कोई वेतन अकादमी से नहीं लिया।

(5) वेतन शृंखला है 250—15—500 इसकी स्वीकृति राज्य सरकार से ली है।

(6) प्रकाशन पर व्यय 6329-39 रु.
आमदनी 8209-70 रु.
स्टाक 10,913-00 रु.

Page No. 26

श्री धीरसिंह)

(7) जी हां।

(8) नियम की प्रति संलग्न है। 1 वर्ष के बाद।

(9) 29–30 हजार का बजट है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

(12 मध्यान्ह)

श्री गंगासहाय : क्या यह सही है कि अकादमी का चेयरमैन उदयपुर रहता है, अकादमी का कार्यालय जोधपुर में है और अकादमी का रंगमंच, जो इसका महत्वपूर्ण अंग है, जयपुर में है ? इन तीनों को अलग अलग जगह रखने में जितना खर्चा पड़ता है, यदि तीनों को जयपुर में ले आया जाय तो यह खर्चा बच सकता है।

श्री अध्यक्ष : क्या यह सम्भव है कि इन तीनों को एक ही जगह रख दिया जाय।

श्री धीरसिंह : यह आपने इस प्रश्न में पूछा नहीं है। फिर भी इस पर विचार कर लिया जायगा।

श्री अध्यक्ष : श्री दौलतराम सारण !

म्हेरी गांव में हत्या का मामला

344. **श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़)** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि चूरू जिले में भंवरसिंह पुरोहित म्हेरी के मामले में एफ. आई. आर. में हत्यारे का नाम होते हुए और चश्मदीद गवाहों द्वारा मौके पर हत्या का अपराधी बतलाने पर भी उन्हीं आधारों पर कुछ हत्यारों का चालान कर दिया गया और एक को निर्दोष बतला कर सी आई. डी. जांच में बिना कोई कारण बतलाते हुए छोड़ दिया गया ?

(2) क्या इसी भंवरसिंह के भाई और लड़के आदि से जिन पर भंवरसिंह की हत्या का आरोप था उसी की शिकायत पर भारी नेक चलन की जमानतें ली गई?

(3) क्या उसी भंवरसिंह के कातिल द्वारा भंवरसिंह के भतीजे को म्हेरी में घर पर गोली मार कर हत्या कर दी गई है? तो कब ? क्या भंवरसिंह के भाइयों वगैरह ने खतरे की आशंका की सूचना पुलिस को कई बार दी थी ?

(4) यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(5) क्या भंवरसिंह को लाठियों से पीट कर म्हेरी गांव के पास शाम के समय मारा गया था ? क्या म्हेरी से 22 मील दूर सरदारशहर अस्पताल में भंवरसिंह को भरती करवाया गया था ? यदि हां तो कितने दिन वह चिकित्सा में रहा ?

(6) क्या यह सही है कि भंवरसिंह अस्पताल में बेहोशी की हालत में ही भरती किया गया था और उसके शरीर पर अनेक लाठियों के जख्म थे हाथ पैरों की हड्डियां कई पसलियां टूटी हुई थीं ?

(7) क्या यह सही है कि सरदारशहर अस्पताल में उसकी गम्भीर चिंताजनक घायल अवस्था की चिकित्सा की व्यव-

(श्री दौलतराम सारण)
क्या नहीं थी और पुलिस ने डाक्टर को लिखित में शिकायत की थी ?

(8) भंवरसिंह की मौत का डाक्टर ने क्या कारण बतलाया ?

राज्य मंत्री, गृह (श्री हीरालाल देवपुरा): (1) एफ.आई.आर. में चार मुलजिमान के नाम थे। परन्तु तफतीश से एक अभियुक्त का इस अपराध में शामिल होना प्रमाणित नहीं था। इसलिए उसका चालान नहीं किया गया।

(2) अभियुक्तगण की पार्टी की दरख्वास्त पर भंवरसिंह के भाई एवं लड़के आदि के विरुद्ध शांति कायम हेतु धारा 107।117 भा.द.प्र.सं. की कार्यवाही की गई। न्यायालय ने मृतक के भाई केसरीसिंह एवं मृतक के पुत्र मोहनसिंह को 5000, 5000 रु. की दिनांक 23-11-67 को जमानतें ली थीं

(3) श्री भंवरसिंह के भतीजे शंकरलाल पुत्र केशरसिंह पुरोहित सा. म्हैरो दिनांक 24-7-68 को हत्या हुई। गोली चलाने वाले का नाम रघुनाथसिंह पाया गया है। तफतीश चल रही है भंवरसिंह के भाइयों ने इससे पूर्व कोई खतरे की सूचना नहीं दी थी।

(4) तफतीश जारी है।

(5) जी हां, भंवरसिंह, सरदारशहर अस्पताल में आठ दिन जेर इलाज रहा।

(6) भंवरसिंह को बेहोशी की हालत में ही अस्पताल में दाखिल कराया गया था उसकी टांग पर एक प्रदद सदीद चोट थी जिसकी हड्डी टूटी थी बाकी चार चोटें साधारण थी। और कोई हड्डी अथवा पंसली भंवरसिंह के शरीर की नहीं टूटी थी।

(7) अस्पताल में भंवरसिंह की गम्भीर हालत की चिकित्सा का इन्तजाम था परन्तु भंवरसिंह के रिश्तेदार डाक्टर सरदारशहर की निष्पक्षता पर सन्देह करते थे जिसकी शिकायत उन्होंने अधीक्षक एवं उप अधीक्षक आरक्षी मंडल चूरू को की थी।

(8) डाक्टर साहब ने मौत का कारण निमोनिया होना जिससे भंवरसिंह के दोनों फेफड़ों का कन्जेशन होना और उसके शाक से भंवरसिंह की मृत्यु होना लिखा है।

श्री दौलतराम सारण ; अध्यक्ष महोदय, प्रश्न नं. 1 में आपने जैसा बताया है, तफतीश प्रमाणित नहीं होना, इसलिए उसका चालान नहीं किया गया। अगर प्रमाणित नहीं था तो एफ. आई. आर. में उसका नाम था और चश्मदीद गवाहों ने बयानों में यह बात कही थी—यह बात सही नहीं है क्या ?

श्री हीरालाल देवपुरा : एफ.आई. आर. में नाम था, यह मैंने निवेदन किया लेकिन जब तफतीश हुई तो गवाहान के बयान से यह साबित नहीं हुआ।

श्री दौलतराम सारण : क्या यह सही है कि डी.एस.पी. लेवल पर जो इन्क्वायरी की गई थी उस इन्क्वायरी में मुलजिम रघुजी का साबित हो गया था अपराध ?

श्री हीरालाल देवपुरा : तफतीश के द्वारा यह साबित नहीं हुआ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल जयपुर) : क्या कहा ?

श्री अध्यक्ष : डी. एस. पी. ने जो जांच की क्या उसमें इसका अपराध प्रमाणित नहीं हुआ ?

श्री हीरालाल देवपुरा : जी नहीं।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह बात सही है कि जिन व्यक्तियों का नाम एफ. आई. आर. में दर्ज था उनका चालान करने के लिए डी. एस. पी. ने सब-इन्सपेक्टर को लिखित में आदेश दिया था ?

श्री हीरालाल देवपुरा : ऐसी जानकारी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या इसका मतलब यह हुआ कि कोई आदेश नहीं दिया गया था कि चालान किया जाय ?

श्री हीरालाल देवपुरा : मैंने निवेदन किया कि चार व्यक्तियों के नाम एफ. आई. आर. में दर्ज थे लेकिन तफतीश में एक के खिलाफ जुर्म साबित नहीं हुआ इसलिए उसका चालान नहीं किया गया और अन्य तीन के खिलाफ जुर्म साबित हुआ इसलिए उनका चालान किया गया। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि जुर्म साबित हुआ फिर भी चालान नहीं किया गया।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जिन तीन व्यक्तियों का चालान किया गया उनका चालान भी डी. एस. पी. की इन्क्वायरी के कारण से ही हुआ ?

श्री हीरालाल देवपुरा : इन्क्वायरी जारी हुई है। मैं यह नहीं कह सकता कि किसकी इन्क्वायरी के कारण चालान हुआ। तीन मुलजिमों का चालान किया गया है उनमें से दो को गिरफ्तार कर लिया है और एक मुलजिम एब्सकोंडिंग है जिसके खिलाफ कार्यवाही चल रही है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि डी. एस. पी. ने सब-इन्सपेक्टर को इस बात के लिए लिखा था कि जिन व्यक्तियों को मुलजिमों को पनाह दी है उनके खिलाफ प्रासीक्यूशन किया जाय।

श्री हीरालाल देवपुरा : यह जानकारी नहीं है और न ही इसका इस केस से सम्बन्ध है। ऐसे मर्डर के जो केसेज होते हैं उनके अन्दर C. O. की भी निगरानी होती है अब डी. एस. पी. ने इस प्रकार का आदेश किया है यह नहीं कह सकता।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि डी. एस. पी. ने सब-इन्सपेक्टर को यह लिखित आदेश दिया है कि सरदार शहर के, जिनका नाम है हीरालाल·····

एक माननीय सदस्य : हनुमान जी।

श्री भैरोंसिंह : हनुमान जी ने मुलजिमों को पनाह दी है इसलिए उसके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए ? इस प्रकार का लिखित आदेश डी. एस. पी. ने सब-इन्सपेक्टर को दिया था या नहीं ?

श्री हीरालाल देवपुरा : इससे सम्बन्धित नहीं है, जानकारी नहीं है।

श्री दौलतराम सारण : क्या यह सही है कि डी. एस. पी. ने इस मामले में जो तफतीश की थी कि उस तफतीश के अन्दर कचजी को

(श्री दौलतराम सारण)
मुलजिम करार दिया गया था, जब रूघजी को मुलजिम करार दे दिया गया और उसके चालान की तैयारी हो गई उसके बाद में सी. आई. डी. को इसकी इन्क्वायरी सौंपी गई और सी. आई. डी. को इन्क्वायरी में पहले वाली तफतीश के खिलाफ कोई वजनदार सबूत नहीं होते हुए और कोई कारण नहीं बताते हुए रूघजी को चालान से निकाल दिया गया और बाकी के तीन आदमियों का ही चालान किया गया ?

श्री हीरालाल देवपुरा : अभी मैंने निवेदन किया था उसमें दोनों बातें साफ बता दी हैं। रूघजी जिनका नाम बता रहे हैं मुलजिम का, उसके खिलाफ जुर्म साबित नहीं था इसलिए उसका चालान नहीं किया गया।

श्री दौलतराम सारण : क्या यह सही है कि भंवरसिंह के केस के अन्दर रूघजी के नाम वारन्ट जारी हुआ था ?

श्री हीरालाल देवपुरा : इसकी जानकारी नहीं है।

श्री दौलतराम सारण : फिर उत्तर क्या दे रहे हैं ?

श्री हीरालाल देवपुरा : उत्तर सही दे रहा हूं।

श्री दौलतराम सारण : क्या सही दे रहे हैं। उनके हथियार जब्त किए गए हैं, उनके नाम वारन्ट जारी हुआ है और डी. एस. पी. की इन्क्वायरी के अन्दर उनको मुलजिम करार दिया गया है फिर उसके बाद में सी. आई. डी. को इन्क्वायरी क्यों दी गई ? सी. आई. डी. ने अपनी इन्क्वायरी में पूर्व इन्क्वायरी के खिलाफ कोई ठोस प्रमाण नहीं बताते हुए और कोई कारण नहीं बताते हुए उसका नाम निकाल दिया मुलजिम की लिस्ट से और चालान कर दिया तीन का, क्या इस प्रकार की शिकायत नहीं की गई है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : इस प्रकार की अलग से कोई शिकायत नहीं हुई है। अगर कोई शिकायत होगी तो उसकी जांच करेंगे। इस केस के मुतल्लिक आपने प्रश्न पूछा है, इसके अन्दर जो तफतीश के द्वारा जानकारी मिली है उसको मैंने इस प्रश्न के जवाब में सदन के समक्ष निवेदन कर दिया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : डी एस. पी. ने इन्क्वायरी की है उसमें चश्मदीद गवाह थे उनके बयान हुए हैं—तो क्या इस बात से मंत्री महोदय इन्कार करते हैं कि डी. एस. पी. ने इस सम्बन्ध में जो इन्वेस्टीगेशन किया है उसमें चश्मदीद गवाहों ने रूघजी के खिलाफ बयान नहीं दिये हैं ?

श्री हीरालाल देवपुरा : मैंने निवेदन किया है कि इस केस में चालान कोर्ट में कर दिया गया है। आप जिन चश्मदीद गवाहों का जिक्र कर रहे हैं उनके भी कोर्ट में बयान होंगे। आप यह सोचते हैं कि ऐसे उन्होंने बयान नहीं दिये जैसा मैंने निवेदन किया तो वह कोर्ट में बयान दे सकते हैं कि ऐसी बात नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कोर्ट का सवाल नहीं है…

श्री हीरालाल देवपुरा : कोर्ट का सवाल क्यों नहीं है। वह मामला कोर्ट में है इसलिये इस मामले को डिस्कस नहीं किया जा सकता।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री दौलतराम सारण : मैं यह जानना चाहता हूँ कि डी एस.पी. ने इस केस में चश्मदीद गवाहों के बयान लिये और चालान के लिये केस तैयार किया गया जिसमें रूघजी को मुलजिम करार दिया गया, उसके खिलाफ वारन्ट निकाले गये, उसके बाद में वह फरार हो गया। इस पोजीशन में सी. आई.डी. को इसकी जांच दी गई और सी आई डी. के अधिकारी ने बिना किसी अधिकृत सबूत के, बिना कोई कारण बताये रूघजी को मुलजिम न मान कर उनको छोड़ दिया और उन्हीं चश्मदीद शहादतों के बयान के आधार पर तैयार किये गये एफ.आई.आर. के हिसाब से तीन व्यक्तियों का चालान कर दिया, इस प्रकार एक व्यक्ति को बचाया—क्या यह सही है ?

गृह मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : अध्यक्ष महोदय, इस मामले में ही नहीं कई मुकदमात में एफ.आई.आर. में जिन मुलजिमान के नाम होते हैं जिसके खिलाफ कमोवेश इल्जाम सबूत होते हैं उस एफ. आई.आर. के आधार पर उनका चालान कर दिया जाता है। इस एफ.आई.आर. में जिन मुलजिमों का नाम दर्ज था उनका चालान कर दिया जाय—यह वाजिब नहीं है क्योंकि अगर किसी के खिलाफ सबूत नहीं पाया गया इन्क्वायरी के अन्दर तो उसका चालान नहीं किया गया। अब यह मामला जेर तजवीज अदालत है, ऐसी स्थिति में यह कहना उचित नहीं है कि दूसरे मुलजिमों का चालान कर दिया गया और एक को मेरिट पर छोड़ दिया या नहीं छोड़ दिया गया, मेरा निवेदन है कि एक सबजुडिस केस पर इस प्रकार का डिस्कशन नहीं होना चाहिए मर्डर केस में इतने आदमी अदालत में अपनी ट्रायल स्टेन्ड करते हैं उसमें एक मुलजिम को लेकर यह कहने की पोजीशन में नहीं हूं कि वह गुनहगार था या नहीं था। बहरहाल पुलिस की तफतीश में यह चीज साबित नहीं हुई इसलिए चालान नहीं किया गया। रहा सवाल इस बात का कि एक पुलिस के आफिसर ने एक व्यक्ति को गुनाहगार करार दिया है और क्राइम ब्रान्च की जांच करने के बाद में उसका गुनाह साबित नहीं हुआ। तो मेरा निवेदन है कि एक आफिसर से दूसरे आफिसर को मुकदमे मुन्तकिल किये जाते हैं और इन्क्वायरी से जो नतीजे निकलते हैं उनके आधार पर चालान किया जाता है। मेरी प्रार्थना है कि इससे ज्यादा कहने की स्थिति में मैं नहीं हूं क्योंकि यह सबजुडिस केस है।

श्री दौलतराम सारण : सी. आई. डी. से जांच क्यों करवाई ? इसका उत्तर दे दीजिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब भी कोई ऐसा प्रश्न खड़ा होता है जिसका एक पार्ट अदालत में चल रहा होता है और राज्य सरकार जब कुछ प्रश्नों का उत्तर न दे सके तो सब-जुडिस है यह केस यह बहाना लेकर उन प्रश्नों को टालना चाहती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रश्न को इस सदन में कई बार खड़ा किया है, और अध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दी है और पूर्व के अध्यक्ष ने भी व्यवस्था दी है इस सम्बन्ध में। प्रश्न यह नहीं कि जिन व्यक्तियों का अदालत में चालान कर दिया गया है, वह गलत कर दिया गया है और उनको छुड़वाया

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
जाय । यह सब-जुडिस मैटर है । लेकिन जिनका चालान कर दिया गया है उनके अलावा और जो मुलजिम हैं जिनको गिरफ्तार नहीं किया, जिनका नाम एफ. आई. आर. में दर्ज है, जिनके विरुद्ध चश्मदीद गवाह के बयान हैं, जो तफतीश हुई है और उसमें जो गवाह पेश हुए हैं और उस तफतीश में उसके विरुद्ध जुर्म साबित हो चुका है, उस व्यक्ति को छोड़ा जाना और उसके सम्बन्ध में प्रश्न करना–यह सब-जुडिस की तारीफ में नहीं आता । यह सब-जुडिस मैटर नहीं है । जिनको छोड़ दिया और जिनका चालान पेश नहीं किया गया तो उनका चालान पेश क्यों नहीं किया गया–यह प्रश्न है ।

श्री फतेहसिंह (ब्यावर) : मैं इस प्रश्न का उत्तर चाहता हूं कि सी आई. डी. से जांच क्यों करवाई गई ?

श्री दामोदर लाल व्यास : सब-जुडिस की कैटेगरी में यह नहीं आता है, उसके सम्बन्ध में आपके यह रीजन्स हैं · ·

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में व्यवस्था दीजिये । तीन मुलजिमों का चालान कर दिया गया है उनका प्रश्न नहीं उठाया जा सकता लेकिन जिसका चालान नहीं किया गया है उसका प्रश्न इस सदन में उठाया जा सकता है ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता !

श्री दौलतराम सारण : प्रश्न यह है कि एक आदमी की हत्या की गई · · · ·

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर ।

श्री दामोदर लाल व्यास : वे कहते हैं कि सब-जुडिस नहीं है, वह गलत है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार, जयपुर) : यह आपका रोंग एप्रोच है, यदि आप सही हैं तो अध्यक्ष महोदय से व्यवस्था दिलवा दीजिये ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर । नेक्स्ट ।

श्री दौलतराम सारण : प्रश्न यह है कि एक हत्या की रिपोर्ट में 4 मुल्जिमों के नाम दर्ज हुए, इसकी ताईद में चार चश्मदीद गवाहों के बयान हुए हैं, उन बयानों से चारों मुल्जिमों के खिलाफ जुर्म साबित होता है । डी-वाई. एस पी. ने जो तफतीश की उसमें भी चारों मुल्जिमान को अपराधी मान कर चालान के आर्डर हुए । उसके बाद चौथा मुल्जिम फरार हो गया, उसके बाद केस सी. आई. डी. को दिया जाता है, हालांकि सी. आई. डी. को तफतीश दिये जाने के लिये कोई ग्राउण्ड नहीं, कोई वजनदार दलील नहीं, कोई कारण नहीं कोई डोक्यूमेंट नहीं और सी. आई. डी. को केस देकर उस एक मुल्जिम को निकलवा देते हैं । इतना ही नहीं अध्यक्ष महोदय, एस. डी. ओ. को उस मुल्जिम की जमानत लेने के लिये दबाया जाता है, एस. डी. ओ. ने जमानत लेने से इन्कार कर दिया तो तार से उसका ट्रान्सफर किया जाता है जिसका तार से ट्रान्सफर किया जाता है, उसको 6 महीने तक अबेयेंस में रखा जाता है, उसके स्थान पर जो दूसरा जाता है वह 325 में केस को अपने पास रख लेता है, सेशन्स में केस का चालान नहीं करता । अध्यक्ष महोदय, यह हकीकत एक मामले की है ।

(श्री दौलतराम सारण)

दूसरे मामले में उसी परिवार के लोगों के खिलाफ जिनके परिवार वाले की हत्या की गई 107 और 117 के अन्तर्गत उन मुल्जिमान के खिलाफ होम मिनिस्टर और मुख्य मंत्री को रिपोर्ट कर दी कि हमारी जान खतरे में है, उस पर कोई भी कार्यवाही नहीं की जाती है और मुल्जिम की साधारण दरख्वास्त पर मकतूल के भाइयों के लड़कों को गिरफ्तार किया गया और हथकड़ियां डाल कर गांव में घुमाया गया और फिर चूरू लाकर पांच-पांच हजार रुपये की जमानतें ली गई। मुल्जिम के जो हथियार जब्त किये गये थे उनको रिलीज करने के लिये डी. एम. को सिफारिश की गई और हथियार रिलीज करवाने की पुलिस ने चेष्टा की उसका नतीजा यह हुआ कि भंवरसिंह के भतीजे की गोली मार कर हत्या की गई। और अब आप कहते हैं कि हत्या गोली चला कर की जाने का पता नहीं चला। जब कि उसको इश्तिहारी मुल्जिम डिक्लेअर करके सम्पत्ति कुर्क करने की कार्यवाही चालू है पर फिर इसी 30 तारीख को केस सी. आई. डी. को दिया गया है और इस तरह से सी. आई. डी. को केस देकर पहले हत्या करने वाले को बचाया गया था। जिस परिवार के आदमी की पहले हत्या की गई थी उसी परिवार के दूसरे आदमी की हत्या कर दी गई अब फिर गुनहगार को हत्यारे को बचाने की कोशिश की जा रही है। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं आपको इस मामले में हस्तक्षेप करने की प्रार्थना करता हूं। हत्यारों को इस तरह से नहीं बचाया जा सकता।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्विश्चन।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : यह नहीं अध्यक्ष महोदय, हत्या की गई और कहा कि निमोनियां से मरा है, क्या यह सही है कि डाक्टर की रिपोर्ट को गलत पाया गया? यदि हां, तो डाक्टर के खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की?

श्री फतेहसिंह : किन परिस्थितियों में सी. आई. डी. को यह एन्क्वायरी दी गई?

श्री हीरालाल देवपुरा : दूसरे केस के बारे में आपने कहा कि सी. आई. डी. को तफतीश सौंप दी गई है, तफतीश किसी को नहीं सौंपी है, तफतीश वही अधिकारी कर रहे हैं जो पहले कर रहे थे, इसलिये फाइल उन्हीं को भेज दी है। तो आपको यह संदेह नहीं होना चाहिये कि तफतीश दूसरे को सौंप दी है।

यह कहा गया कि निमोनिया से मरने का डाक्टर ने सर्टीफिकेट दिया, इससे तो तफतीश करने वालों की और सतर्कता साबित होती है कि चोट से मरना उस सर्टीफिकेट से नहीं पाया जाता था. उसमें सतर्कता से जांच करके चोट से मरना बताया गया। डाक्टर ने निमोनिया का कहा पर दूसरे गवाहों से चोट का साबित हुआ, डाक्टर के जैसा समझ में आया वैसा कहा. इसके बारे में कोर्ट क्या निर्णय लेता है, डाक्टर ने जैसा समझा वैसी रिपोर्ट दी। (श्री भैरोंसिंह आदि अनेक मा. स. एक साथ बोले)।

श्री अध्यक्ष : डाक्टर का क्या हाल है, सस्पेन्शन में है या कार्य कर रहा है?

श्री हीरालाल देवपुरा : यह जो भंवरसिंह मारा गया है, वह सरदार शहर की डिस्पेन्सरी

Page No. 33

(श्री हीरालाल देवपुरा)
में था, तो उसके वारिसान ने रिपोर्ट दी कि वहां के डाक्टर पर उनको विश्वास नहीं है इसलिये उसको दूसरे होस्पिटल में ट्रान्सफर किया जाय। इसलिये उसको रतनगढ़ डी. एम. एच. ओ. रतनगढ़ होस्पिटल में शिफ्ट करने को कार्यवाही की गई, उसे रतनगढ़ में ले जाया गया। वहां रतनगढ़ के डाक्टर ने यह रिपोर्ट दी है।

श्री दौलतराम सारण : यह भी सही नहीं है। 7 दिन अस्पताल में रखा गया, पुलिस की शिकायत पर डी. एम. एच. ओ. के यहां भेजा है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, भैरोंसिहजी ने नाम बताया, भूतपूर्व मंत्री के पोलिटिकल प्रेशर से इस केस में गलत सर्टिफिकेट दिलाया गया है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, प्रश्न समाप्त हुए।

श्री देवीदत्त गाड़िया : डाक्टर के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई? डाक्टर इस तरह से गलत रिपोर्ट देने लग गये तो जन जीवन सुरक्षित नहीं रह सकता। गृह मंत्री जी और मुख्य मंत्री जी जैसी चाहेंगे वैसी रिपोर्ट डाक्टर से दिलवा देंगे। अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा गम्भीर मसला है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। भाषण नहीं, यह प्रश्न काल है, भाषण काल नहीं है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : भाषण नहीं अध्यक्ष महोदय.....

श्री गिरधारीलाल व्यास (आमोद) : बहुत इम्पार्टेन्ट क्विश्चन्स अभी बाकी है, अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न में काफी समय लग गया है, अब दूसरा प्रश्न लिया जाय।

श्री दौलतराम सारण : एक ही परिवार में ढाई वर्ष के समय में दो हत्याएं की गई। पहली हत्या में जिस हत्यारे को आपने बचाया तो उसी परिवार के दूसरे आदमी की हत्या की गई, उसको बचाने की आप और कोशिश कर रहे हैं, वह हथियार लेकर घूम रहा है और उस इलाके में भयंकर आतंक है सारा इलाका आतंकित है। पुलिस राजनैतिक दबाव से कार्यवाही करने में असमर्थ है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, इस मुलजिम को गिरफ्तार करवाया जाय। नहीं तो वह और हत्यायें करेगा उसी परिवार के लोगों की।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया कि दूसरे केस में जिसके लिए कह रहे हैं, वह मुलजिम नामजद हो गया है, उसके गोली चला कर हत्या करना पाया गया है। पुलिस बराबर सतर्क है कि जल्दी से जल्दी उसको गिरफ्तार करके चालान किया जाय।

श्री दौलतराम सारण : आप कहते हैं कि गोली चलाने वाले का पता नहीं चला..

श्री हीरालाल देवपुरा : यह नहीं..

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : जो भंवरसिंह की हत्या के बारे में रिपोर्ट की गई और उसमें 4 मुलजिमान दोषी पाये गये, क्या डी.वाई.एस.पी. ने चारों मुल्जिमान का चालान करने का कहा था? यदि हां, तो किस आधार पर सी.आई.डी. को एन्क्वायरी सौंपी गई?

श्री अध्यक्ष : वह मन्त्री महोदय ने दुबारा, तिबारा, क्लीयर कर दिया है, आप प्रेज्युडिस्ड कह सकते हैं, पर मंत्री महोदय ने क्लीयर कर दिया है।

(शोर गुल)

आर्डर, आर्डर, स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

श्री रामचन्द्र आर्य (नौहर) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात जानना चाहता हूं··

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री रोशनलाल शर्मा (सलूम्बर) : रामानन्दजी का एक प्रश्न बहुत इम्पोर्टेन्ट है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं निवेदन करूंगा कि मैं थोड़ा लेट हो गया था, कृपया उस प्रश्न को ले लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : लेट भी पर्याप्त हुए। मैं दूसरे प्रश्न नहीं लूंगा उसके बाद।

श्री दौलतराम सारण : गृह मंत्रीजी ने कुछ नहीं कहा।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। स्थान ग्रहण करिये।

माननीय सदस्य ने सुरक्षा का प्रश्न उठाया कि वहां आतंक है। वहां थोड़ा और प्रबन्ध किया जाय, सुप्रबन्ध सुरक्षा का किया जाय।

श्री रामचन्द्र आर्य (नौहर) : अध्यक्ष महोदय, अभी एक तार मिला है··

श्री अध्यक्ष : अब तार रहने दीजिये अब हाउस के बिजनेस का सवाल है, तार का नहीं। हाउस का बिजनेस ले रहा हूं।

श्री रामचन्द्र आर्य : उस मुल्जिम को भी सी.आई.डी. से जांच करवा कर छुड़वाने की चेष्टा की जा रही है।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

माननीय सदस्य रामानन्दजी का प्रश्न दूसरे माननीय सदस्य अपने प्रश्नों को नहीं उठायें तो ले सकता हूं।

अनेक माननीय सदस्य : यह नहीं, यह नहीं साहब।

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल, प्रश्न संख्या 327।

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और राज्य कर्मचारी

327. **श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर):** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य सरकार को मालूम है कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को एक राजनैतिक पार्टी घोषित कर दिया है और इसलिए अपने समस्त राज्य कर्मचारियों को इस दल की सदस्यता और गतिविधियों में भाग लेने से मना कर दिया है ?

(2) क्या यह सही है कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने इसी आशय का पत्र अन्य राज्य सरकारों को भी लिखा है और वह पत्र राजस्थान में भी राज्य सरकार को प्राप्त हुआ है ?

(3) क्या राज्य सरकार ने भारत सरकार के उक्त निर्णय के संदर्भ में राज्य कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की गतिविधियों में भाग लेने या उसकी सदस्यता

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
ग्रहण करने के सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया है? यदि हां तो क्या? यदि नहीं तो क्यों नहीं?

राज्य मंत्री, गृह (श्री हीरालाल देवपुरा): इस सम्बन्ध में भारत सरकार से पत्र-व्यवहार जारी है। इसमें कुछ नीति का प्रश्न इन्वाल्वड है, इसलिए इसको स्थगित कर दिया जाय।

श्री रामानन्द अग्रवाल: कब तक उत्तर देंगे?

श्री दामोदरलाल व्यास (गृहमंत्री): मुकम्मिल हो जायगा तब।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये परिशिष्ट 4 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

जयपुर में हरिजनों एवं अनुसूचित जाति के लोगों के लिए कालोनी

328. **श्री मोहनलाल मोदी (नोम का थाना)**: क्या स्वायत शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर नगर में नगर सुधार न्यास द्वारा हरिजनों व अन्य अनुसूचित जाति के लोगों के लिए कॉलोनी बनाई गई है? यदि हां, तो किस किस स्थान पर कितने कितने परिवारों की कॉलोनी बसाई गई और उस पर कितना कितना रुपया किस किस प्रकार व्यय किया गया? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि इन कॉलोनियों में से किसी कॉलोनी का नाम किसी मंत्री के नाम पर रक्खा गया है? यदि हां, तो किस कॉलोनी का नाम किस मंत्री के नाम पर रक्खा गया तथा उसका आधार क्या है?

उत्तर

(1) जी नहीं अन्य योजनाओं के साथ बजाज नगर व अमृतपुरी जैसी योजनाओं का निर्माण अधिकांश हरिजनों व अन्य अनुसूचित जाति, जन जाति आदि के लोगों को योजनाबद्ध बसाने हेतु किया गया था। अन्य योजनाओं जिनमें हरिजनों को बसाया गया है और उन योजनाओं में विकास कार्य हेतु जो धन राशि व्यय की गयी है वह संलग्न तालिका में दर्शित की गयी है।

(2) जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

पाली बस स्टेन्ड पर पकड़ा गया अवैध सोना

334. **श्री शंकरलाल (जैतारण)**: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पाली बस स्टेन्ड पर दिनांक 3-8-68 को श्री पुखराज वल्द श्री चतुरभुज जैन पोरवाल, तखतगढ़ निवासी को खुफिया पुलिस ने अवैध सोना लाने के अपराध में गिरफ्तार किया?

(2) श्री पुखराज के पास कितना सोना बरामद हुआ और यह सोना कहां से लाया गया था?

(3) क्या यह सही है कि यह सोना दमन द्वीप से लाना मुल्जिम ने स्वीकार किया?

(श्री शंकरलाल)

(4) क्या यह सही है कि मुलजिम खांडेराव से बस में टिकट लेकर बैठा था और उसके साथ एक बूढ़ी औरत भी थी ?

(5) क्या यह सही है कि बूढ़ी औरत के पास के माल की तलाशी नहीं ली गई ?

(6) पुलिस की जांच का क्या नतीजा रहा ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) श्री पुखराज के कब्जे से 160 तोला सोना पुलिस द्वारा बरामद किया गया। यह सोना बम्बई से लाना बताया गया है।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं।

(5) जी नहीं। श्री पुखराज के साथ कोई औरत नहीं थी इसलिये औरत की जामा तलाशी का प्रश्न ही नहीं उठता।

(6) पुलिस द्वारा 160 तोला सोना बरामद कर मय माल मुलजिम के सेन्ट्रल एक्साइज को सौंप दिया गया, आगे की कार्यवाही सेन्ट्रलएक्साइज द्वारा की जा रही है।

अलवर शहर में पानी की सप्लाई

340. श्री गोकुलचन्द (खेरथलसु.): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) अलवर जिले में कितने वाटर वर्क्स कार्य कर रहे हैं और किन किन स्थानों पर ?

(2) कौन से गांवों में या कस्बों में वाटर वर्क्स की योजनाएं अधूरी पड़ी हैं और उनमें कहां कहां क्या क्या बाधाएं आ रही हैं ?

(3) अलवर शहर में शाम सवेरे कितने समय पानी सप्लाई होता है ? और जितने समय पानी सप्लाई होता है उससे पूरे समय में कितना पानी उपभोक्ता को मिल सकता है ?

(4) क्या सरकार के ध्यान में है कि नगर सुधार न्यास की योजनाओं में जो लोग मकान बनाना शुरू करते हैं उनमें 60 पैसे प्रति हजार लीटर लिया जाता है ? यदि हां, तो इस असमानता का क्या कारण है ?

(5) क्या सरकार के ध्यान में है कि अलवर शहर में कई माह से दूसरी व तीसरी मंजिल में पानी नहीं चढ़ता है ?

(6) क्या मीटर की खराबी के कारण कंजम्शन अधिक आने की दिशा में जब तक मीटर ठीक न हो, बिलों की अदायगी रोकी जा सकती है ?

उत्तर

(1) अलवर जिले में राज्य सरकार द्वारा अलवर एवं राजगढ़ में वाटर वर्क्स चालू है। विभाग द्वारा पंचायत की ओर से ततारपुर, शाहबाद, हारसोली, खेरथल, किशनगढ़, बहरोड़, रामगढ़, तिजारा, नीमराना, मांढ़न, रामपुर, लक्ष्मणगढ़, बांसूर, थानागाजी, प्रतापगढ़, बड़ौदा मेव और मालाखेड़ा गांवों की जल योजनाएं चलाई जा रही हैं।

(श्री जनस्वास्थ्य मंत्री)

(2) हमीरपुर, शाहजहांपुर, नारायणपुर, टपूकड़ा, नहादुर, बड़ौद, मण्डावर, गिल्डी, उमरैतगढ़ी, अकबरपुर, गोविन्दगढ़, और गोगलाना।

हमीरपुर, शाहजहांपुर और नारायणपुर की योजनाएं पूरी बन गई हैं परन्तु बिजली का कनेक्शन नहीं मिलने की वजह से चालू नहीं किया जा सका है। जन सहयोग की 5 प्रतिशत राशि अभी तक शाहजहांपुर और नारायणपुर से प्राप्त नहीं हुई है। अन्य योजनाओं का कार्य निर्माणाधीन है, एवं इनको पूरा आवश्यक धन राशि प्राप्त होने पर कर दिया जावेगा।

(3) अलवर शहर में सुबह 5 बजे से 8 बजे तक एवं सायंकाल 5 बजे से 7 बजे तक जल वितरण किया जाता है इस समय में उपभोक्ताओं एवं पी. एस. पी. इत्यादि पर जलदाय योजना की क्षमता के अनुसार 13 से 14 लाख गैलन पानी जल वितरण हेतु दिया जाता है।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

(4) जी हां स्थायी व अस्थायी कनेक्शनों के लिये पानी को दर क्रमशः 50 पैसे व 60 पैसे प्रति हजार लिटर है। साधारण दर पर 20 प्रतिशत छूट दी जाती है। जबकि अस्थायी कनेक्शनों की दर में कोई छूट नहीं दी जाती यह दरें सभी उपभोक्ताओं पर सामान्य रूप से लागू हैं।

(5) अलवर शहर में सिर्फ गरमी के मौसम में नगर के कुछ हिस्सों में पानी का दबाव कम होने पर दूसरी या तीसरी मंजिल पर पानी नहीं पहुँच पाता है।

(6) नहीं, ऐसा नियमों में कोई प्रावधान नहीं है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

वक्फ बोर्ड

363. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): क्या वक्फ मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान वक्फ बोर्ड कब बना? उसके अध्यक्ष व कार्यकारिणी के सदस्यों की नामावली सदन की मेज पर रखने को कृपा करें।

(2) क्या यह भी बतावेंगे कि वक्फ विभाग में किस किस योग्यता के कितने कर्मचारी किस किस वेतन के काम करते हैं? सूची सदन को मेज पर रखने को कृपा करें।

(3) वक्फ बोर्ड का सालाना बजट कितने का है? क्या इसका नियमानुसार हर साल ऑडिट होता है? यदि हां, तो गत 3 साल की ऑडिट रिपोर्ट्स सदन की मेज पर रक्खें।

(4) क्या यह सच है कि वक्फ बोर्ड ने अपनी चल व अचल सम्पत्ति का सर्वे कराने व अन्य काम के लिये राजस्थान सरकार से कर्ज ले रखा है जिसका भुगतान वर्षों से नहीं कर रहा है? यदि हां, तो कब से कितने रुपये का कर्ज लिया है?

(5) वक्फ बोर्ड के पास प्रान्त के कौन कौन से जिलों में कितनी जमीन, मकान

(श्री जयनारायण सालोदिया)
आदि चल अचल सम्पत्ति है व उनका किराया देने आदि के नियम बने हैं या नहीं यदि नियम हों तो उसकी प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(6) हर जिले की सम्पत्ति के लिये किसको अधिकारी बना रखा है तथा यदि कोई नियम के खिलाफ किराये पर दे देता है तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की जाती है ?

उत्तर

(1) राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड 6 अगस्त, 1962 को बना। मेम्बरान और अध्यक्ष के नामों की सूची संलग्न है।

(2) सूची संलग्न है।

(3) इस साल का अनुमानित बजट 1,14,517 रुपये का है ऑडिट पहली दफा इस साल तारीख 17 जौलाई से तारीख 28 जौलाई तक हुआ है। ऑडिट रिपोर्ट अब तक नहीं आई है।

(4) सर्वे राजस्थान सरकार द्वारा कराया गया। बोर्ड द्वारा नहीं, ऐसी सूरत में बोर्ड द्वारा सर्वे के लिये कर्ज लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। राशि और भुगतान का जवाब देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(5) बोर्ड की चल व अचल सम्पत्ति की सूची राजस्थान राज-पत्र में ता. 4-11-65 से 8-8-65 तक भाग 2 (क) में प्रकाशित हुई है। गजट की अतिरिक्त प्रतिलिपि उपलब्ध नहीं है। किराये पर देने के कोई नियम नहीं बने हैं। जायदाद को नाजायज कब्जे से बचाने के वास्ते फोरी तौर पर कदम उठाने पड़ते हैं।

(6) बोर्ड के पास इतनी धनराशि नहीं है कि हर जिले में अलग-अलग अधिकारी तैनात करे। किराये पर देने के कोई नियम नहीं बने हैं। फिर भी अगर कोई शख्स कायदे के खिलाफ किराये पर दे देता है तो बोर्ड को उसके खिलाफ मुकदमेबाजी करनी पड़ती है। क्योंकि बोर्ड को और कोई अधिकार नहीं है।

जेल सलाहकार समितियां

364. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या कारावास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में किस-किस जेल के लिए सलाहकार समितियां बनी हुई हैं और उनमें कौन-कौन सदस्य हैं ? नामवार सूचियां सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सच है कि जेल सलाहकार समितियों के सदस्यों को सरकार नामजद करती है ? यदि हां, तो कितने समय के लिए तथा किस आधार पर ?

(3) क्या टोंक जिले की टोंक स्थित जेल के लिए कोई सलाहकार समिति बनी है ? यदि हां, तो कब और उसके सदस्य कौन-कौन हैं ? यदि नहीं तो क्यों ? क्या सरकार टोंक जिले के लिए कोई सलाहकार समिति बनाने का विचार रखती है ?

(4) जेल सलाहकार समितियों की बैठकें साल में कितनी बार होती हैं ? और उनके

Page No. 39

(श्री जयनारायण सालोदिया)
द्वारा की जाने वाली शिफारिशों को सरकार कितने प्रतिशत मानती है ? अलग अलग जेल सलाहकार समिति की सिफारिशों और उनको सरकार ने कितना माना, की तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(5) जेल सलाहकार समितियों में जेल संबंधी किन विषयों पर विचार किया जाता है ?

उत्तर

(1) राज्य में जेल सलाहकार समितियां नहीं बनी हुई हैं । बल्कि राज्य में केन्द्रीय व जिला कारागृहों पर जेल सलाहकार बोर्ड बने हुए हैं वर्तमान सदस्यों के नामों की सूची संलग्न है ।

(2) हां, यह सच है कि जेल सलाहकार बोर्ड के गैर सरकारी सदस्यों को राज्य सरकार एक वर्ष के लिए नामजद करती है जो सम्भवत: विधान सभा व लोक सभा के सदस्य होते हैं । कभी कभी दूसरे लोग भी नामजद किये जाते हैं । जेल सलाहकार बोर्ड की नियुक्ति राजस्थान प्रिजनर्स शार्टनिंग आफ सेन्टेन्सेज रूल्स सन् 1958 के नियम, 3 के अन्तर्गत राज्य सरकार करती है । नियमों की प्रति संलग्न की जाती है ।

(3) नहीं, क्योंकि टोंक, केन्द्रीय या जिला कारागृह न होकर केवल उप कारागृह है अतः सलाहकार बोर्ड बनाने का प्रश्न ही नहीं उठता है । यह बोर्ड केवल कारागृहों एवं जिला कारागृहों पर ही होते हैं ।

(4) जेल सलाहकार बोर्ड की बैठक सम्बन्धित जेलों पर साल में कम से कम दो बार होती है जो सामान्यतः जनवरी व जुलाई में होती है । सिफारिशें मानने का प्रतिशत कोई निश्चित नहीं है । बोर्ड द्वारा की जाने वाली उचित शिफारिशों को सरकार विचार करने के बाद सामान्यतः स्वीकृति प्रदान कर देती है । इन सिफारिशों की तादाद सैकड़ों में है अतः इनको इकट्ठा करने में समय लगेगा । यदि इसकी विशेष आवश्यकता समझी जावे तो समय दिया जाने पर इनके बाबत सूचना एकत्र की जा सकती है ।

(5) सलाहकार बोर्ड उन बन्दियों की रिहाई एवं सजा के कम करने के बारे में विचार करती है जिनकी सजा 3 वर्ष या इससे अधिक होती है तथा जो अच्छे चाल चलन से अपनी सजा का एक निश्चित भाग पूरा कर लेते हैं उस पर विचार कर लेने के बाद राज्य सरकार को बन्दी को जल्दी मुक्त करने अथवा निर्धारित सजा कम करने के बाबत सिफारिश करती है। इसके अलावा सलाहकार बोर्ड का और कोई कार्य नहीं है ।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

चमड़ा उद्योग

365. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या राजकीय उपक्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कि राज्य में चमड़ा उद्योग पर विभाग द्वारा कितना कर्जा व अनुदान दिया है, इसके विकास के लिए सरकार के पास क्या योजना है ?

(2) क्या यह सच है कि अन्य उद्योगों के मुकाबले चमड़ा उद्योग को सरकार की

(श्री जयनारायण सालोदिया)
ओर से कम प्रोत्साहन देने के कारण यह उद्योग नहीं पनप सका है ?

(3) क्या यह भी सच है कि राजस्थान में चमड़े का अच्छा उद्योग न होने से बढ़िया किस्म का कच्चा चमड़ा राजस्थान के बाहर जाता है ? यदि हां, तो हर साल किस किस जानवर का कितना चमड़ा ? आंकड़े पेश करें ।

उत्तर

(1) चमड़ा उद्योग को विभाग द्वारा अब तक 18,93,197 रु. का ऋण दिया गया है। अनुदान कोई नहीं दिया गया है ।

(2) इसके विकास के लिए लेदर वर्क्स ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट चल रहा है जिसमें चमड़े का काम और चमड़ा रंगाई के आधुनिक तरीकों का प्रशिक्षण दिया जाता है अगली पंच वर्षीय योजना में राजस्थान के चमड़े के कारीगरों को देश की अन्य बड़ी फैक्ट्रियों में प्रशिक्षण दिलाने की योजना है और लघु उद्योग निगम द्वारा एक चमड़ा उत्पादन केन्द्र चमड़े के निर्यात हेतु लगाने की योजना है । इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा चमड़ा रंगाई का एक बड़ा कारखाना टोंक में लगाने की योजना है ।

जी, नहीं ।

(3) जी हां, 1961–62 से 65-66 तक जो कच्चा चमड़ा राजस्थान से बाहर गया उसके आंकड़े निम्न प्रकार हैं ।

कच्ची खालें क्विंटल में

61-62	62-63	63-64	64-65	65-66
1048	2943	1264	1942	2382

कच्चा चमड़ा क्विंटल में

61-62	62-63	63-64	6465	65-66
3722	3309	3667	1121	2675

पुलिस चौकी निम्बी जोधा में ज्वार की ब्लेक का दर्ज मामला

366. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनू): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम निम्बी जोधा, थाना लाडनूं, जिला नागौर में इन्चार्ज पुलिस चौकी निम्बी जोधा ने कन्ट्रोल की ज्वार ब्लेक में बेचने का एक केस रंगे हाथों पकड़ा था और थाना लाडनूं में केस नम्बर 35 सन् 67 दायर हुआ था ? यदि हां, तो उसमें आगे क्या कार्यवाही हुई और किन किन को गिरफ्तार किया गया और केस का चालान किन किन के खिलाफ कब हुआ और वह पकड़ी गई ज्वार कहां है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या यह सही है कि उक्त केस में ज्वार बेचने वाले को न तो पकड़ा गया और न उससे कोई तफतीश ही की गई ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि इस पकड़ी गई ज्वार का नायब तहसीलदार लाडनूं ने कोई परमिट जारी किया था और जांच के दौरान पुलिस के सामने वह परमिट आया और ज्वार परमिट से लेनी बताई ? यदि हां तो खरीदने वालों को गिरफ्तार करके पुलिस ने जब अदालत में पेश कर दिया और जूडिशियल लॉक अप

(श्री हरजीराम बुरड़क)
करने के बाद जमानत की अर्जी दी थी उस समय खरीददार मजिस्ट्रेट के सामने भाव से ब्लेक में ज्वार खरीदना स्वीकार कर चुके थे तो बाद में पुलिस ने इस ज्वार को परमिट से लेना कैसे माना और परमिट जारी करने वाले और पेश करने वालों के खिलाफ और इस परमिट की फर्जी एन्ट्री करने वाले दुकानदार के खिलाफ क्यों नहीं कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है कि ता. 26-7-67 को एफ. सी. श्री हेमाराम मुतीन ओ. पी. निम्बी जोधा ने हरजीराम पुत्र भीमाराम, सूरजा राम पुत्र गोदा राम भांभी निवासी लिढामोसर को मय 3 क्विण्टल लाल ज्वार व एक क्विण्टल ज्वार का आटा को थाना पुलिस लाडनूं में पेश किया। जिस पर मु. नं. 35 ता. 26-8-67 दफा 317 ई. सी. एक्ट दर्ज हुआ था। ज्वार व आटा जब्त किया जाकर तेबोल पुलिस में लिया गया। हर दोनों मुलिजमानों को गिरफ्तार किया गया। तफतीश से मुलजिम रामानन्द महाजन सा. लाडनूं के खिलाफ भी जुर्म साबित होने से उसको भी गिरफ्तार किया गया और मुलजिमान हरजीराम, सुरजाराम व रामानन्द के खिलाफ चालान ता. 2-4-68 अदालत एम. एम. कोर्ट डीडवाना में पेश किया गया व बरामद शुदा ज्वार व आटा अदालत मजाज में बराय सबूत पेश की जा चुकी है।

(2) ज्वार बेचने वाला मुलजिम रामानन्द राठी को गिरफ्तार किया गया और चालान अदालत एम. एम. कोर्ट डीडवाना में ता. 2-4.68 को पेश किया जा चुका है। उसे गिरफ्तार नहीं किया गया व तफतीश नहीं की गई, यह बात सही नहीं है।

(3) जी नहीं। नियमानुसार कोई परमिट जारी होना नहीं पाया गया। राजूराम की दरख्वास्त पर जो कार्यवाही नायब तहसीलदार लाडनूं ने की पहले तो वह परमिट की तारीफ में नहीं आवे, दूसरे यह कार्यवाही कब व कैसे की गई थी इस बारे में अलग से एस. डी. ओ. डीडवाना द्वारा जांच की जा रही है।

ग्राम पंचायत भुखरावली के सरपंच द्वारा चीनी का ब्लेक

367. श्री श्रवणलाल (हिन्डोन) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सच है कि ग्राम पंचायत भुखरावली, पंचायत समिति हिण्डौन के सरपंच के खिलाफ 5 बोरी चीनी का ब्लेक करने के आरोप हैं ?

(2) क्या यह भी सच है कि उपरोक्त सरपंच के खिलाफ पुलिस थाना हिन्डौन में भी सहकारी विभाग की ओर से लिखित में शिकायत की गई है ?

(3) यदि हां, तो सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) जी हां। 5 बोरी चीनी का नहीं बल्कि 6 बोरी चीनी के ब्लेक करने का आरोप था।

Page No. 42

(श्री गृह मंत्री)

(2) जी नहीं। एन्फोर्समेन्ट आफिसर द्वारा सूचना दी गई थी।

(3) ग्राम पंचायत मुबरावली के सरपंच श्री कन्हैयालाल के विरुद्ध अभियोग पंजीबद्ध होकर अनुसंधान पश्चात् अदालत ए. डी. एम. सवाई माधोपुर में चालान प्रस्तुत हुआ। अदालत से 1-8-67 को 250) रु. जुर्माना अदम अदायगी जुर्माना एक माह की सजा हुई।

ग्राम ककोड में मूर्तियों की चोरी का मामला

369. श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम ककोड, तहसील अलीगढ़, जिला टोंक में मूर्तियां चोरी की गई थीं? यदि हां, तो कितनी और कब?

(2) क्या यह सत्य है कि यह मूर्तियां प्राचीन बतलाई जाती हैं?

(3) क्या यह सत्य है कि इस ग्राम में दुबारा फिर मूर्तियां चोरी की गई हैं और अभी तक चोरी करने वालों का पता नहीं चला है?

(4) स्थानीय पुलिस थाना उनियारा द्वारा उक्त मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई है, और क्या कोई मुलजिम भी पकड़े गये हैं?

उत्तर

(1) यह सत्य है कि ग्राम ककोड़ तहसील अलीगढ़ जिला टोंक के चार पीतल की प्राचीन मूर्तियां दिनांक 8-9 जनवरी, 1968 की बीच की रात्रि को रघुनाथ जी के मन्दिर में चोरी हो गई।

(2) जी हां, यह मूर्तियां प्राचीन बताई जाती हैं।

(3) यह सत्य नहीं है। दुबारा मूर्तियों की चोरी की घटना की कोई सूचना पुलिस को प्राप्त नहीं हुई है।

(4) पुलिस ने सूचना प्राप्त होते ही अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान किया। काफी प्रयत्न माल व अभियुक्तगण का पता चलाने के लिये किये। परन्तु अभी तक अभियुक्तगण अथवा मूर्तियों का पता नहीं चल सका है। कोई अभियुक्त नहीं पकड़ा गया है। अभियोग में अन्तिम प्रतिवेदन दे दिया गया है।

बरड़वा पुलिस थाने में दर्ज मामला

369. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पुलिस थाना बरड़वा, जिला नागौर में सी. आर. नं. 20 दिनांक 7-10-67 को कोई केस दर्ज हुआ है? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही हुई तथा किस किस के खिलाफ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि उक्त केस में कोई रेकार्ड भी बरामद हुआ है? यदि हां, तो कौन कौनसा रेकार्ड कहां कहां से किन किन के कब्जे में से तथा किन किन तारीखों में? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) उक्त सी. आर. की थाने में एफ. आई. आर. किसने दी थी तथा एफ. आई.

(श्री हरीराम बुरडक)
आर. देने वाले ने क्या क्या सबूत पेश किये ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) इस प्रकार के मामलों को इतने समय तक बिना तफतीश के पड़े रखने का क्या कारण है ?

उत्तर

(1) जी हां। अभियोग क्रमांक 20 दिनांक 7-10-67 की धारा 381 ता. हि. में थाना बरडवा जिला नागौर में दर्ज हुआ था। यह अभियोग केवल श्री हनुमानमल भेड के विरुद्ध दर्ज हुआ था।

(2) जी हां! उक्त केस में सम्बन्धित रिकार्ड पंचायत चोलू खां का प्रबन्धक थाना डीडवाना श्री नरपतसिंह, उपनिरीक्षक ने दिनांक 7-10-67 को धारा 550 जा. फौ. में केवल श्री हनुमानमल भेड के कमरे में से उसकी प्रदम मौजूदगी में बसिलसिले तफतीश मु. न. 22167 हु. द.-409/420/418/467/468 आई. पी. सी. थाना डीडवाना बरामद कर जब्त किया था। रिकार्ड जब्त शुदा का ब्यौरा निम्न है :

1—रजिस्टर ग्राम पंचायत चोलूखां 2—नामान्तरण रजिस्टर 3—इनवर्ड रजिस्टर 4—रोकड़ बही 5—स्टाक रजिस्टर चोलू खां 6—विविध दावों का रजिस्टर 7—मिसलों का रजिस्टर 8—कार्यवाही रजिस्टर 9—खाता रजिस्टर पंचायत चोलू खां 10—मृत्यु रजिस्टर पंचायत चोलू खां 11—जन्म रजिस्टर पचायत चोलूखां 12—विवाह रजिस्टर चोलू खां 13—जुर्माना वसूली रजिस्टर 14—पशु दाखिल कराने की रसीद बुक सन् 61 से 63, 15—पशु दाखिल कराने की रसीद बुक सन् 63 से 64 (16) ग्राम पंचायत चोलूखां को मिसल व दीगर फाइल्स।

(3) उक्त अभियोग की एफ. आई. आर. बिना नम्बरी स्वयं श्री नरपतसिंह, उपनिरीक्षक प्रबन्धक थाना डीडवाना ने दी थी और यह बिना नम्बरी एफ. आई. आर. थाना बरडवा में श्री नरपतसिंह उपनिरीक्षक द्वारा भेजी गई थी। चूंकि रिकार्ड की बरामदगी थाना बरडवा के क्षेत्र में से की गई थी। पंचायत रिकार्ड का बरामद होना ही स्वयं सबूत था जिस पर उक्त अभियोग दर्ज हुआ था।

(4) इस अभियोग के अनुसंधान में समय लगने का प्रमुख कारण कुछ गवाहान का उपलब्ध न होना है। अब तफतीश शीघ्र समाप्त करने हेतु आदेश जारी किये जा चुके हैं।

सिपाहियों के बकाया बिल तथा उनका चुकारा

370 श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) राजस्थान में कितने सिपाहियों के टी. ए. व डी. ए. के बिलों का भुगतान शेष है ? जिलेवार सूचना देने की कृपा करें।

(2) इन टी. ए. व डी. ए. के बिल्स की संख्या कितनी है और वे कुल कितने रुपयों के हैं ? तथा इनका भुगतान किन कारणों से रुका हुआ है ?

(3) क्या सरकार ने यह निर्णय किया है कि सिपाहियों के पेंन्डिंग में पड़े हुये तमाम टी. ए. व डी. ए. बिल्स का चुकारा शीघ्र ही करा दिया जावेगा ? यदि हां, तो कब तक बिलों का चुकारा करा दिया जावेगा ?

(श्री गृह मंत्री)

उत्तर

(1) राजस्थान में 3345 सिपाहियों के टी.ए.व डी.ए. बिलों का भुगतान शेष है। जिलेवार सूची संलग्न है।

(2) इनटी.ए.व डी.ए. बिलों की संख्या 647 है और ये कुल 1,24,325 रुपये 51 नये पैसे के हैं। इनके भुगतान में देरी का कारण सूची में अंकित है (सूची संलग्न है)।

(3) सिपाहियों के टी.ए.व डी.ए. बिल्स का भुगतान यथा शीघ्र कर दिया जाता है तालिका में दिये हुए टी.ए.व डी.ए. बिल्स माह अक्टूबर से पहले भुगतान कर दिया जावेगा।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

गृह निर्माण एवं कुटीर उद्योग के लिए अनुदान एवं ऋण

371. श्री देवीदत्त गाडिया (बांरा): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों के लिये गृह निर्माण हेतु एवं कुटीर उद्योग के लिए अनुदान व ऋण के रूप में कोटा जिला में रुपया दिया है? यदि हां, तो किस किस मद के लिए कितना कितना रुपया किस किस रूप में दिया गया?

(2) क्या यह सही है कि समाज कल्याण विभाग कोटा द्वारा इन रुपयों का वितरण कर दिया है या वितरण किया जा रहा है? यदि हां, तो कब तक किस किस स्थान के किस किस जाति के किस किस व्यक्ति को दिया गया या दिये जाने वाला है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) गृह निर्माण एवं कुटीर उद्योग के लिए अनुदान व ऋण के रूप में रकम दिये जाने के क्या नियम हैं?

(4) कोटा जिला में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों में आने वाली कौन कौन सी जातियां हैं? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) जी नहीं। समाज कल्याण विभाग द्वारा कुटीर उद्योग या गृह निर्माण के लिये ऋण नहीं दिया जाता।

सन् 1967–68 में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिये गृह निर्माण हेतु अनुदान के रूप में कोटा जिले में रुपया स्वीकृत किया है।

अनुसूचित जाति कल्याण योजना [योजना व्यय] हाउसिंग सब्सीडी [मकान सहायता] मद में निम्न राशि मकान निर्माण हेतु स्वीकृत की गई:–

स्वीकृति संख्या ए 7।1
115। सकवि।67=68।
6146=54 दिनांक
2-,3,68 800 रुपये 18 मकानों के लिये।

(श्री समाज कल्याण मंत्री)

स्वीकृति संख्या एफ. 7
11115। सकवि।67=68
17020-40 दिनांक
29-3-68 25000 रु. 25 मकानों के लिये।

स्वीकृति संख्या एफ 7
1111विकास।प्र.
जा. सकवि।67=68।
15651 दिनांक
16,3,68 750 रु. 3 अपूर्ण मकानों को पूरा करने के लिये।

कुटीर उद्योग के लिये कोई रकम अनुदान या ऋण के रूप में स्वीकृत नहीं की गई है।

(2) जी हां। उपरोक्त राशि का वितरण कर दिया गया है। सूची [अ] सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) सूची [ब] सदन को मेज पर रख दी गई है।

(4) कोटा जिले में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जातियों में आने वाली जातियों की सूची [स] सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

आदर्श बस्तियों का नमूना

372. श्री गंगा सहाय : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्थान सरकार ने अनुसूचित जातियों अथवा जन जातियों को मकान बनाने के लिये अनुदान दिया है और उन बस्तियों को आदर्श बस्तियों की संज्ञा दी है? क्या सरकार ने आदर्श बस्ती का कोई नमूना निश्चित किया है?

(2) यदि किया है तो क्या? और नहीं किया तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) निश्चित विधि के अनुसार सरकारी सहायता से बनी बस्तियों में मकान सहायता की राशि के अतिरिक्त निम्न लिखित सुविधायें उपलब्ध की गई हैं:

सुविधाओं का रूप	राशि
1. पंचायत घर का निर्माण	6000 रु.
2. पीने के पानी का कुआ	2000 रु.
3. सड़क, पानी, एवं बालोद्यान आदि बनाने के लिये।	5000 रु.

कुटीर उद्योग एवं ग्रामोद्योग में परिगणित जाति एवं परिगणित जन जाति के लोगों की संख्या

373. श्री गंगासहाय (कठूमर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्थान में कुटीर उद्योग और ग्रामोद्योग में कितने कितने लोग लग चुके हैं उद्योग वार व जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इस संख्या में परिगणित जाति व परिगणित जनजाति के लोगों की संख्या कितनी है? उसका विवरण उद्योगवार व जिलेवार दिया जावे।

(श्री सहदेव)

(3) इसमें सहकारिता क्षेत्र के अन्तर्गत परिगणित जाति के कितने लोग आते हैं ?

उत्तर

(1) कुटीर उद्योगों में लगे श्रमिकों की उद्योगवार तथा जिलेवार गणना नहीं की गई है। राजस्थान में खादी और ग्रामद्योग के द्वारा दिये गये रोजगार की उद्योग वाईज सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) इस प्रकार की जानकारी उपलब्ध नहीं है !

(3) इस प्रकार की जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

उच्च शिक्षण हेतु विदेशों में गये अनुसूचित एवं जन जाति के लोग

374. श्री गंगासहाय (कठूमर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(क) गत पांच वर्षों में राजस्थान से उच्च शिक्षण हेतु विदेशों में कितने व्यक्तियों को भेजा गया है ?

(ख) इनमें अनुसूचित जाति के लोग कितने हैं और अनुसूचित जनजाति के लोग कितने हैं ?

उतर

(1) किसी को नहीं भेजा गया।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

बी. एड. टीचर्स की नियुक्ति एवं उनको सेकेण्ड ग्रेड

375. श्री गंगासहाय (कठूमर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि जिन बी. एड. टीचर्स को नियुक्ति सीधे तरीके से की जाती है उनको सेकेण्ड ग्रेड दिया जाता है और जो टीचर्स विभाग में रहते हुए बी. एड करते है, उनको सेकण्ड ग्रेड नहीं दिया जाता ? यदि हां, तो क्यों ?

उतर

यह सही नहीं है। सेकण्ड ग्रेड में रिक्त स्थानों के 50 प्रतिशत स्थान बी. एड. अध्यापकों से सीधे भरे जाते हैं तथा 50 प्रतिशत स्थान अध्यापकों से जो विभाग में रहकर बी. एड. करते हैं, वरिष्ठता के अनुसार भरे जाते हैं।

डेपुटेशन पर जाने वाले अध्यापकों का वेतन

376. श्री गंगासहाय (कठूमर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग से अध्यापकों को एक शाला से दूसरी शाला में डेपुटेशन पर भेजा जाता है ? यदि हां, तो क्या डेपुटेशन पर उसी विभाग में भेजे जाने का कोई नियम है ? यदि नियम है तो डेपुटेशन पर जाने वाले कर्मचारियों को वेतन में से मनिआर्डर कमीशन काट कर वेतन क्यों दिया जाता है ?

(2) क्या यह सही है कि नियमानुसार मनिआर्डर कमीशन का खर्च सरकार को वहन करना चाहिए ?

Page No. 47

(श्री स्वायत्त शासन मंत्री)

उत्तर

(1) अध्यापकों की प्रतिनियुक्ति एक शाला से दूसरी शाला में साधारणतया नहीं दी जाती है। यदि किसी शाला में छात्रों छात्राओं की संख्या अधिक हो जाती है और दूसरी शालाओं में निर्धारित संख्या कम होती है तो ऐसी परिस्थिति में कन्या विद्यालय निरीक्षिका। विद्यालय निरीक्षक ऐसा करते हैं।

(2) जी हां।

डूंगरपुर नगर में पानी की व्यवस्था

977. महारावल श्री लक्ष्मण सिंह (डूंगरपुर) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) डूंगरपुर नगर में जनता को पानी की सप्लाई की व्यवस्था की क्या स्थिति है?

(2) क्या यह सत्य है कि एडवर्ड समन्द से डूंगरपुर नगर को कई वर्षों के पश्चात् पानी की सप्लाई करने की जो व्यवस्था गत वर्ष शुरू की गई थी वह पुनः नष्ट हो गई है? यदि हां, तो इसका क्या कारण है?

(3) एडवर्ड समन्द से पानी सप्लाई करने की व्यवस्था पुनः कब तक चालू हो जाने की संभावना है? क्या इसके लिए सरकार कोई कार्यवाही कर रही है?

उत्तर

(1) डूंगरपुर नगर में जनता को पानी गेप सागर टैंक से दिया जा रहा है।

(2) जी हां, अधिक बरसात होने के कारण करीब 500 फीट पाइप लाइन टूट गई थी। इस लाइन की मरम्मत की जा रही है।

(3) करीब 100 फीट लाइन की मरम्मत करना और शेष है जो इस माह में शीघ्र ही कर दी जावेगी, पानी वितरण की व्यवस्था शुरू में गेप सागर टैंक से थी किन्तु गेप सागर टैंक के सूख जाने पर एडवर्ड समन्द से पानी दिया जाता था। अब चूंकि भारी वर्षा के कारण गेप सागर पूरा भर गया है अतः कुछ समय तक जल वितरण व्यवस्था गेप सागर टैंक से ही की जावेगी क्योंकि गेप सागर से पानी वितरण से होने वाला खर्चा कम होता है।

जालोर जिले के ग्रामों की पेय जल योजना

378. श्री आईदान सिंह (भीनमाल) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) जालोर जिले के कितने गांवों में पेय जल के लिए नल योजना चालू करने का प्रावधान है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) कितने गांवों से जन सहयोग [5 प्रतिशत] प्राप्त हो गया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) कितने गांवों में यह योजना चालू हो चुकी है?

(4) बाकी में कब तक हो जायेगी?

उत्तर

(1) 16 नल योजनाओं के लिए प्रावधान है। सूची संलग्न है।

(जन स्वास्थ्य मन्त्री)

(2) 10 गांवों से जन सहयोग की पूरी राशि प्राप्त हो चुकी है और 5 से कुछ हिस्सा प्राप्त हुआ है। सूची सलग्न है।

(3) 14 गांवों में यह योजना पूर्ण हो जाकर चालू की जा चुकी है। यह उत्तर एक सूची में दिखा दिया गया है।

(4) बाकी के गांवों की योजनाओं का काम इस वर्ष तक पूर्ण किए जाने की सम्भावना है।

(कृपया परिशिष्ट 9 देखिए)

चूरू जिले के ग्रामों में पीने के पानी की व्यवस्था का सर्वे

379. श्री सहदेव (आमेर): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या चूरू जिले में ग्रामवार पीने के पानी के साधनों की कोई सर्वे की गई थी? यदि हां, तो कब?

(2) चूरू जिले में कुल कितने ग्राम हैं तथा उनमें से कितनों में खारा पानी है? कितनों में जहरीला (बराइया) पानी है? कितनों में अपर्याप्त पानी है तथा कितनों में पीने योग्य पर्याप्त पानी है?

(3) पीने के पानी का जिन गांवों में अभाव है उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है या क्या व्यवस्था करने की योजना है? क्या सरकार इसे गंभीर मानती है?

(4) जब से सरकार ने चूरू जिले में पीने के पानी को समस्या की सर्वे करवाई है तब से उसके समाधान के लिए क्या कदम उठाये गये? उस सम्बन्ध में विभाग द्वारा क्या किया गया तथा पंचायत समितियों की मारफत क्या व्यवस्था की गई?

(5) कितने वर्ष में इस समस्या का हल करने का कार्यक्रम बनाया गया है व किस प्रकार? वर्षवार क्या रूपरेखा है?

(6) इस क्षेत्र में नये कूप निर्माण में कितनी लागत आने का अनुमान है?

उत्तर

(1) जी हां, 65–66 में ग्राम जल योजना के लिए एक मास्टर प्लान विभाग द्वारा तैयार किया गया है जिसमें चूरू जिले के ग्रामवार पीने के पानी के साधनों आदि की सूचनायें इकट्ठी की गई हैं।

(2) चूरू जिले में कुल 859 गांव हैं इनमें से 251 गांवों में खारा पानी है। जहरीले पानी के बारे में सूचना देना कठिन है क्योंकि ऐसे केस, विभाग के पास अभी तक नहीं आये हैं। पीने योग्य पर्याप्त पानी के गांवों की संख्या 361 है व 122 गांवों में अपर्याप्त पानी है। 115 गांव ऐसे हैं, जहां पानी की कोई समस्या नहीं है।

(3) पीने का पानी का जिन गांवों में अभाव है उनके लिये राज्य सरकार ने मास्टर प्लान बनवाया है और धनराशि उपलब्ध होने पर राज्य सरकार की स्वीकृति से इन गांवों की योजना ली जावेगी। राज्य सरकार अवश्य गांवों में पीने के पानी अभाव को गंभीर मानती है और इसलिये जितना भी पैसा मिल पाता है उनमें गांवों की योजना को बनाया जाकर चालू किया जाता रहा है।

(समाज कल्याण मंत्री)

(4) मास्टर प्लान बनने के बाद चूरू जिले में अनेक गावों में जल योजना चालू की गई जिस में से ग्राम बोगा, पड़िहारा मोमाखर, दरीबा, दूदावास, घीमला मुरवा-बास आदि हैं। इसके अलावा बहुत से गावों में ई.टी.ओ. द्वारा 250 नल कूप खोदे जाने वाली योजना के अन्तर्गत नल कूप बनवाये हैं। ग्राम योजना चालू करने से पहले सदैव पंचायत समिति की सिफारिश ली जाती हैं और उनको प्राथमिकता के बाद ग्राम का सर्वे आदि करवाकर योजना को सरकार के पास भेजा जाता है। तथा मास्टर प्लान की प्रतिलिपि प्रत्येक पंचायत समिति को भेजी गई है।

(5) यह धन की उपलब्धि पर निर्भर करता है और इसलिये प्रत्येक वर्ष जो कुछ भी पैसा विभाग को मिलता है उससे ग्राम के ऊपर आवश्यकतानुसार लगाया जाता है।

(6) नये कूप निर्माण में कितना पैसा लगता है कहना कठिन है क्योंकि यह इस बात पर निर्भर करेगा कि वहां कितना नीचे पानी है व धरातल किस प्रकार है। वैसे लगभग 20-30 हजार रुपया लग जाता है

जिलों की जल प्रदाय योजनाएं

380 श्री बालसिंह सोढ़ा (जैसलमेर): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

राज्य के प्रत्येक जिले में कौन कौनसी जल प्रदाय योजनाएं अभी कार्य कर रही हैं सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

जो योजनाएं कार्य कर रही हैं (संधारण में हैं) की सूची संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है)

नगर परिषद जयपुर में नियुक्त व्यक्तियों से कार्य

381. श्री लादूराम मुलानियां (फागी): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सत्य है कि जयपुर नगर परिषद में जो व्यक्ति जिस पद पर नियुक्त है उससे उस पद का कार्य न लिया जाकर अन्य उच्च पदों का कार्य लिया जाता है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या जयपुर नगर परिषद के समस्त कर्मचारियों का रिवाइज्ड पे स्केल में फिक्सेशन हो चुका है?

(3) क्या यह सत्य है कि राष्ट्रपति शासन के दौरान सरकार ने चुंगी शाखा में कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिये चार तरह के पद क्रमशः नाकेदार, मुख्य नाकेदार, शिक्षित गार्ड व चुंगी गार्ड के पद स्वीकृत किये थे? यदि हां तो क्या उसके अनुसार ही कार्य किया जा रहा है? इन पदों की वेतन श्रृंखलाएं क्या है?

(4) क्या चुंगी चौकियों पर कार्य करने वाले कर्मचारियों को रविवारीय एवं अन्य राजपत्रित अवकाशों के भोगने की व्यवस्था है? यदि हां, तो उन अवकाशों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

Page No. 50

(श्री लादूराम सुलानिया)

(5) क्या चुंगी कर्मचारियों के लिये अन्य राज्य कर्मचारियों के अनुसार ही आकस्मिक, उपार्जित, मेडिकल आदि अवकाशों के भोगने का प्रावधान है ? यदि है तो किस किस किस्म व अवधि के अवकाशों का ?

(6) क्या इन कर्मचारियों को पदोन्नत किये जाने का कोई प्रावधान है ? यदि हां, तो क्या ?

(7) क्या इन कर्मचारियों को 8 घन्टे से अधिक समय तक कार्य करने के कारण कोई ओवरटाइम आदि दिये जाने का प्रावधान है ? यदि है, तो उसकी दर क्या है ?

(8) क्या जयपुर की समस्त चुंगी चौकियों पर लगे हुए कर्मचारियों की सुरक्षा एवं सुविधा की पूर्ण व्यवस्था है ? यदि हां, तो उसका विवरण देने की कृपा करें।

उत्तर

(1) नगर परिषद जयपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार यह सही नहीं है।

(2) समस्त कर्मचारियों का नहीं हुआ है। जिन कर्मचारियों का नहीं हुआ है उनके संबंध में परिषद द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

(3) जी हां, नगर परिषद द्वारा चुंगी चौकियों पर वहां की कार्यक्षमता को देखते हुये कर्मचारियों को रखा जाता है। इन पदों की वेतन शृंखला निम्न प्रकार है। नाकेदार ग्रेड–50–2–60ई.बी. 4–100 सबनाकेदार ग्रेड 40–2–60 ई. बी. 2–80 शिक्षित नाका–गार्ड–ग्रेड बनाने सम्बन्धी प्रश्न विचाराधीन है।

नाकागार्ड ग्रेड 25–1–30।

(4) चुंगी चौकियों पर कार्य करने वाले कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश दिया जाता है। राज्य पत्रित अवकाश नहीं दिये जाते हैं।

(5) नगरपरिषद ने कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों की भांति राज्य सरकार के द्वारा स्वीकृत नियमों के अनुसार चुंगी कर्मचारियों को भी उपार्जित, आकस्मिक, मेडिकल आदि अवकाश दिये जाते हैं।

(6) राजस्थान म्यूनिसिपलटिज सबोडिनेट एवं मिनिस्ट्रियल सर्विस रूल्स 1963, के अनुसार पदोन्नतियां की जाती हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को उनके लिये बने हुए सेवा नियमों के अन्तर्गत पदोन्नतियां की जाती है।

(7) इन कर्मचारियों की 8 घन्टे की ड्यूटी लगाई जाती है जो एक चुंगी चौकी पर तीन शिफ्ट में पूरी की जाती है यदि किसी विशेष परिस्थितिवश ओवरटाईम कार्य लेने की आवश्यकता पड़ती है तो उस समय के लिये कम्पनसेटरी लीव दी जाती है।

(8) जी हां

पोखरन में जन सुविधा के लिए प्याऊ

38. श्री मजलिस खां (कामां) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका पोखरन जिला जैसलमेर में तीजों का मेला लगता है ?

Page No. 51

(श्री मजलिस खां)

(2) क्या यह भी सही है कि सदैव से मेले में नगरपालिका की ओर से जन सुविधा के लिए पानी की प्याऊ की व्यवस्था कराई जाती रही है ? यदि हां, तो प्याऊ कितने दिन चलाई जाती है और प्रति दिन उसका क्या खर्चा नगरपालिका को देना पड़ता था ?

(3) क्या यह भी सही है कि इस वर्ष नगरपालिका पोकरन के प्रशासक तहसीलदार पोकरन हैं ? यदि हां, तो कब से ? उनका क्या नाम है ?

(4) क्या यह भी सही है कि इस वर्ष भी पोकरन में श्रावण तीज का मेला लगा था ? और क्या यह भी सही है कि पोकरन की जनता ने प्रशासक से मेले में सदैव की भांति नगरपालिका की ओर से पानी के लिए प्याऊ की व्यवस्था की मांग की थी ?

(5) क्या यह भी सही है कि इस आवश्यक मांग को प्रशासक ने ठुकरा दिया और मेले में प्याऊ की व्यवस्था नहीं की गई ?

(6) क्या यह भी सही है कि मेले के स्थान पर जो तालाब है वह भी सूखा पड़ा था ? यदि हां, तो प्रशासन ने प्याऊ की व्यवस्था क्यों नहीं की ?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

गांधीनगर के क्वार्टरों में रहने वाले कर्मचारियों की शिकायतों पर कार्यवाही

383. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सरकार की ओर से जयपुर में स्थित गांधीनगर में कितने एच. जी. और एफ. टाइप के क्वार्टर्स हैं ?

(2) क्या इनकी देखभाल के लिये सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से कोई नर्सरी स्थापित की हुई है ?

(3) इन क्वार्टर्स में रहने वाले कर्मचारियों द्वारा नल पंखे, फेंसिंग, लेवलिंग तथा सफेदी आदि के संबंध में की गई शिकायतों का मासिक औसत क्या है ?

(4) इन शिकायतों की पूर्ति होने का मासिक औसत क्या है ?

(5) क्या यह सही है कि कर्मचारियों द्वारा अंकित कराई गई शिकायतों पर उचित रूप में ध्यान नहीं जाता है ? यदि हां, तो इसको दूर करने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

(1) गांधी नगर में एच. जी. तथा एफ. टाइप क्वार्टर्स क्रमशः 135, 139, 328 है।

(2) ए. बी. सी. डी. ई. श्रेणी के क्वार्टर्स की देखरेख के लिये नरसरी है।

(3) लगभग 500 मासिक शिकायतों का औसत है।

(4) शिकायतों का निपटारे की मासिक औसत 490 है।

(5) कर्मचारियों की वाजीब शिकायत पर उचित ध्यान दिया जाता है।

ठेके के अपूर्ण कार्य एवं ठेकेदार पर लगाई गई पेनल्टी की वसूली

384. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बारां उप जिला क्षेत्र के सार्वजनिक निर्माण विभाग के ठेकेदार श्री कादरबक्स द्वारा सन् 63-64 व 64-65 में लिये गये ठेकों का कार्य नियमानुसार पूरा नहीं करने के कारण विभाग ने उसके ऊपर पेनल्टी लगाई थी ?

(2) उक्त ठेकेदार ने किस किस स्थान के किस किस निर्माण कार्यों के किस किस वर्ष कितने कितने रुपयों की लागत के कितने कितने ठेके कोटा जिले में लिए थे और उनमें से कौन कौन से ठेके का काम कितना कितना किया ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(3) उक्त ठेकेदार के द्वारा लिये गये ठेके के कार्यों को जो अभी तक प्रारम्भ नहीं किये या जो अधूरे पड़े हैं को पूरा कराने के लिये विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है ?

(4) उक्त ठेकेदार पर लगाई गई पेनल्टी की वसूली के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) सूची (ब) प्रस्तुत है ।

(3) ठेकेदार की जिम्मेदारी पर अन्य ठेकेदारों को आवंटित कर दिये हैं ।

(4) पी. डी. आर. एक्ट के तहत कार्यवाही हेतु जिलाधीश झालावाड़ को लिख दिया गया है ।

(कृपया परिशिष्ट 10 देखिये)

कठूमर-मण्डावर सडक का ठेका

385. श्री गंगासहाय (कठूमर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कठूमर से मण्डावर तक बनने वाली सड़क का ठेका एक वर्ष के लिए दिया गया था ?

(2) इस सडक का ठेका कितने रुपये का हुआ था ?

(3) क्या यह सही है कि इस ठेके की अवधि समाप्त हो चुकी है ?

(4) क्या यह सही है कि इस सडक का कार्य अभी पूर्ण नहीं किया गया ?

(5) क्या सरकार ने इस ठेकेदार के समय पर कार्य पूर्ण न करने के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है ?

(6) क्या यह सही है कि इस ठेकेदार पर अभी भी मजदूरों की मजदूरी का रुपया बकाया है ? यदि हां, तो कितना ?

(7) क्या सरकार ने इन मजदूरों की बकाया राशि के भुगतान कराने के लिए कोई कार्यवाही की है ? नहीं की, तो क्यों नहीं की ?

उत्तर

(1) मील 1 से 2 तथा 3 से 5 का ठेका 6 मास की अवधि तथा मील 6 से 12

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)
का ठेका 1 वर्ष की अवधि का किया गया था ?

(2) मील 1 से 2 का ठेका 68,472 मील 3 से 5 का ठेका 17,000) रु. मील 6 से 8 का ठेका 1,00,570) रु0 मील 10 से 12 का ठेका 74,814) रु0 का किया गया था।

(3) जी, हां।

(4) जी, हां।

(5) कार्यवाही की जा रही है।

(6) इस विभाग को मजदूरों की शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

(7) प्रश्न नहीं उठता।

फिक्सेशन के मामले

386. श्री केदारनाथ (श्रीगंगानगर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पी.डब्ल्यू.डी., बीकानेर में ऐसे कितने इलेक्ट्रीशियन है जिनके फिक्सेशन अभी तक नहीं हुए हैं ?

(2) क्या यह सच है कि पुराने (सीनियर) इलेक्ट्रीशियन के फिक्सेशन तो हुए नहीं परन्तु जूनियर इलेक्ट्रीशियन्स के फिक्सेशन कर दिये गए हैं ? जिनके फिक्सेशन नहीं हुए हैं उनके कब तक हो जावेंगे ?

उत्तर

(1) सार्वजनिक निर्माण विभाग भवन व पथ डिविजन में 2 इलेक्ट्रिशियन जिनका फिक्सेशन 1-1-62 की स्केल में कर दिया है 1-4-66 का फिक्सेशन विचाराधीन है।

(2) दो इलेक्ट्रीशियन उक्त डिविजन में है जिनका फिक्सेशन समान रूप से किया जा रहा है।

चम्बल कमाण्ड एरिया की सड़कों की मरम्मत

387. श्री जुझारसिंह (रामगंज मण्डी): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि चम्बल कमान्डेन्ड एरिया में चम्बल की नहरों के फलस्वरूप कई स्थानों पर बरसात के पानी का निकास रुक जाने से सड़कों के डूबने या उन पर पानी भर जाने व सड़कों के बिगड़ने की शिकायत है ? यदि हां, तो मुख्यतः किन किन स्थानों पर ?

(2) क्या किसी योजना को हाथ में लेने से पूर्व ऐसे दूसरे विभाग को जिस पर योजना का बुरा असर पड़ता हो कोन्फीडेन्स में लिया जाता है या कम्पन्सेट किया जाता है ? यदि हां, तो चम्बल इरिगेशन आथोरिटी द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग को सड़कों के सुधार के लिए कितना धन दिया गया है और उसका कहां कहां उपयोग किया गया है ?

(3) क्या यह सही है कि चम्बल क्षेत्र में सार्वजनिक निर्माण विभाग व सिंचाई विभाग की सड़कें क्रास ड्रेनेज व पुलियाएं एक ही इलाके में अलग अलग बनी हुई हैं, अलग अलग मेन्टेन की जाती हैं और आपसी तालमेल से एक दूसरे के सबस्टीट्यूट की तरह काम में भी ली जा सकती हैं ? यदि हां, तो

Page No. 54

(श्री जुझार सिंह)
क्या सार्वजनिक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग से मिलकर ऐसी सड़कों को जो पब्लिक के काम में आ सकती हैं मेटल या टार रोड करवाने का विचार करेगा जिससे खर्चे में कमी हो सके ?

(4) क्या यह सही है कि देश के अन्य बहुत से राज्यों में सिंचाई विभाग की सड़कों को सार्वजनिक काम में लिया जाता है और पक्का हो जाने के बाद नहर की दीवारें खराब होने का अन्देशा नहीं रहता ? यदि हां, तो राजस्थान में अभी तक किसी भी स्थान पर यह प्रयोग नहीं करने का क्या कारण है ?

(5) क्या यह सही है कि कोटा-बारां रोड पर पलायता की पुलिया नीची होने के कारण बरसात में काली सिंध पर ट्राफिक रुक जाता है और उसको मामूली खर्चे से नहरी सड़क से काली सिंध व परवन एक्वेडक्स पर से चालू किया जा सकता है ? यदि हां, तो मंजूर होते हुए भी इस लूप रोड पर काम चालू नहीं किये जाने के क्या कारण हैं ?

(6) क्या सरकार इस योजना को शीघ्र चालू करने का विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

सवाई माधोपुर इन्दरगढ़ सडक निर्माण कार्य पर व्यय

388. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सवाई माधोपुर से इन्दरगढ़ रोड के निर्माण की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा कब दी गई ? यह सड़क कितनी लम्बी है ?

(2) अब तक इस सड़क पर कुल कितना काम हुआ है और कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है ?

(3) इस सड़क को बनाने का ठेका किस ठेकेदार का है ? यदि एक से अधिक है तो किस किस को कितना मील का ?

(4) क्या यह सही है कि श्रीनारायण ने भी इस सड़क का ठेका लिया ? यदि हां, तो एग्रीमेन्ट में पत्थर (बोल्डर्स) लाने की कितने माइल की लीड की शर्त है, और बोल्डर्स की क्या रेट तय की गई ?

(5) इस ठेकेदार को अब तक कितना पेमेन्ट किया जा चुका है ?

(6) क्या यह सही है कि इस रोड पर ठेकेदार ने बोल्डर्स केवल आधा मील दूरी खान से लाकर लगाये हैं ?

(7) यदि हां, तो फिर बोल्डर्स का पेमेन्ट विभाग द्वारा किस रेट में किया गया है ?

(8) यदि अधिक पेमेन्ट हो गया है तो क्यों ? और इसे अब वापिस वसूली के लिए राज्य सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) यह सडक द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत की गई थी यह सड़क 20 मील

(सार्वजनिक, निर्माण मंत्री)

30 चेन लम्बी है ?

(2) स्वीकृति अनुसार काम पूरा हो गया है 5,25,755) रु खर्च हुआ है ?

(3) मैसर्स हरिनारायण रामगोपाल को मील 0 से 4, श्री नारायण ठेकेदार को मील 5 से 20 चैन 30 का ठेका दिया गया था।

(4) एग्रीमेंट में लीड का निम्न प्राव-धान है--

मील 5 व 8	विद ग्राल लीड एण्ड लिफ्ट	16-00 प्रतिशत	घन फुट
मी. 6 व 7	,,	17-25	,,
मी. 9 व 12	,,	14-50	,,
मी. 10 व 11	,,	13-00	,,
मी. 13 व 16	,,	16-00	,,
मी. 14 व 15	,,	17-25	,,
मी. 172,0,21	,,	14-50	,,
मी. 18 व 19	,,	13-00	,,

(5) 3,89.611) रु. का भुगतान किया गया है।

(6) जी नहीं।

(7) भुगतान एग्रीमेंट अनुसार किया गया है।

(8) अधिक भुगतान नहीं किया गया है।

अलवर की कचहरियों में शेड्स की व्यवस्था

389. श्री गंगासहाय (कठुमर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या राजस्थान की सभी जिला कोर्ट्स में Litigants sheds बने हुए हैं ?

(2) क्या अलवर की कचहरियों में भी कोई Litigants sheds बना हुआ है ? यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) इस विभाग को जानकारी नहीं है।

(2) जी, नहीं--इस कार्य की प्रशा-निक स्वीकृति नहीं होने के कारण।

कामां-कोसी सड़क की मरम्मत

390. श्री मजलिस खां : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सही है कि पिछले वर्ष और पहले भी कामां-कोसी रोड बाढ़ के कारण राजस्थान की सरहद तक पूरी डूब में रही है ? यदि हां, तो उक्त सड़क पर बाढ़ का पानी कितने फीट तक गहरा था ? क्या यह भी सही है कि उक्त सड़क का निर्माण बहुत नीचा हुआ है तथा उक्त सड़क बाढ़ के कारण बिलकुल खराब हो गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का ऊंचा कराने और उसकी मरम्मत कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कितनी ऊंची कराई जावेगी और कब तक मरम्मत हो जावेगी ?

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

उत्तर

सड़क का कुछ भाग डूब में रहा है पानी लगभग डेढ़ फुट गहरा था सड़क नीची नहीं है बाढ के पानी से सड़क खराब हुई है मरम्मत कार्य चल रहा है।

सहकारी समितियों को ठेका देने में प्राथमिकता

391. श्री रामसिंह कुडी (जायल) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या नागौर जिले में सहकारी समिति को पी. डब्ल्यू. डी. का कोई ठेका कभी गत दस वर्षों में दिया गया ? यदि हां, तो कब कब व किस किस कार्यों का ? क्या ऐसी किसी सहकारी समिति का कोई चुकारा सरकार में बकाया है ? यदि हां, तो उसका चुकारा कब तक कर दिया जावेगा ?

(2) क्या श्रमिक ठेका सहकारी समितियों को ठेका देने में प्राथमिकता देने का निर्देश या नियम सार्वजनिक निर्माण विभाग के इस ठेका देने की कार्य पद्धति में प्रावधान है ? यदि हां, तो नागौर जिले में गत दस साल में दिये गये ऐसे ठेकों में ऐसे कितने मामले हैं, जिनमें सहकारी समिति भी टेन्डर देने वालों में से एक थी एवं वह ठेका किसी व्यक्ति के नाम मंजूर हुआ है ?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

नगर कामां—एवं डीग की सड़कों का निरीक्षण

392. श्री मजलिसखां (कामा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 26-7-68 को मंत्री महोदय ने भरतपुर जिले की पंचायत समिति नगर-कामां और डीग की सड़कों का निरीक्षण किया था ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त तारीख को नगर-पहाड़ी रोड, पहाड़ी-फिरोजपुर रोड, पहाड़ी-कामां रोड, कामां-जुरहडा रोड, कामां-कोसी रोड और कामां-डीग रोड पर मंत्री महोदय को विभाग की ओर से पेंचिंग कार्य चालू मिला था ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त पेंचिंग स्वयं मंत्री महोदय की कार से और साथ में चलने वाली दूसरी गाडियों से उखड़-उखड़ कर गिट्टियां रोडी गाड़ियों में लग रह थी, जिनकी आवाज से साथ में बैठने वालों से मंत्री महोदय बात भी नहीं कर सके ? यदि हां, तो क्या मंत्री महोदय ने उस पर यह ध्यान दिया और माना कि देश की सम्पत्ति को बरबाद किया जा रहा है ? यदि हां, तो संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध इस पर क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(1) जी हां

(2) जी हां

सीमेन्ट की बिक्री

393. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : क्या नागरिक रसद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में सीमेन्ट की फेक्टरी कितनी हैं ? उनमें प्रतिदिन कितना सीमेन्ट

(श्री रामचन्द्र आर्य)
तैयार होता है ?

(2) राजस्थान की सीमेन्ट फेक्टरियों से सीमेन्ट किस किस जिले में बेचा जाता है और सीमेन्ट बेचने वाले डीलर कुल कितने हैं ? जिले व तहसील वाइज लिस्ट दी जावे।

(3) क्या यह सही है कि डालमियां सीमेन्ट फेक्टरी द्वारा सीमेंट राजस्थान में बेचा जाता है ? यदि हां, तो किस जिले में बेचा जाता है और कुल कितना सीमेन्ट किस किस डीलर की मारफत बेचा जाता है ?

(4) क्या यह सही है कि राजस्थान की सीमेन्ट फेक्टरियों से डालमियां सीमेन्ट फेक्टरी द्वारा सीमेन्ट की कीमत ज्यादा ली जाती है ? यदि हां, तो कुल कितना अंतर प्रति थैले में है ?

(5) क्या राजस्थान की सीमेन्ट फेक्टरियों में सीमेन्ट का उत्पादन कम है ? यदि हां, तो डालमियां सीमेन्ट फेक्टरी से सीमेन्ट क्यों मंगवाया जाता है ?

(6) क्या यह सही है कि डालमियां सीमेन्ट फेक्टरी का सीमेन्ट मंगाने के कारण ही ब्लेक अधिक हो रहा है ? यदि हां, तो सीमेन्ट के क्षेत्र क्यों बना रखे हैं ?

(7) डालमियां दादरी से सीमेन्ट राज्य में कितना आता है व राजस्थान के कारखाने कितना सीमेन्ट सप्लाई करते हैं।

उत्तर

(1) राजस्थान में तीन सीमेंट फेक्ट्रियां हैं। प्रतिदिन उत्पादन के आंकड़े इस विभाग में उपलब्ध नहीं है।

(2) इन सीमेंट फेक्ट्रियों से सीमेंट राजस्थान के जिन जिन जिलों में बेची जाती है उनकी सूची (अ) संलग्न है। इन फेक्ट्रियों के द्वारा जिलेवार नियुक्त डीलर्स 504 हैं। उनकी जिलेवार सूची (ब) संलग्न है। तहसीलवार सूची इस विभाग में उपलब्ध नहीं है।

(3) जी, हां। करीबन 6,000 टन तिमाही अलवर, भरतपुर, चूरू, जयपुर, झुंझुनूं, सीकर व श्री गंगानगर जिलों में नियुक्त डीलर्स की मारफत बेचा जाता है।

(4) सूचो सीमेंट फेक्ट्रियों में बनी सीमेंट की कीमत सीमेंट कारपोरेशन द्वारा समान एफ. ओ. आर. दर से निर्धारित की गई है मगर रेल हैड से अन्दर के इलाकों में ले जाने पर खर्च के कारण कीमत में असमानता हो सकती है। प्रति थैला के अन्तर की जानकारी इस विभाग को नहीं है।

(5) जी, नहीं। सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इण्डिया नई दिल्ली ने सीमेंट वितरण के लिये जोन बना रखे हैं और जो जिले डालमियां की सिमेंट फैक्ट्री के क्षेत्र में आते हैं वहां डालमियां सीमेंट मंगवाया जाता है।

(6) जी, नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

(7) डालमियां दादरी से करीबन 6000 टन तिमाही आता है और राजस्थान के सीमेंट कारखाने 40,000 टन तिमाही सप्लाई करते हैं।

(कृपया परिशिष्ट 11 देखिये)

स्थगित प्रश्न

28-8-68

चूरू जिले की राष्ट्रीय राज पथ तथा सुरक्षा पथ में आई भूमि का मुआवजा

46. श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) चूरू जिले में राष्ट्रीय राज पथ नं. 11 और राष्ट्रीय सुरक्षा पथ का निर्माण कब चालू किया गया था ? ये सड़कें कब तक बन कर तैयार हो जायेंगी ?

(2) अब तक इन पर कितना कितना व्यय हुआ है और कुल लागत कितनी होगी ? पूर्व अनुमान क्या था ? लागत बढ़ने के क्या कारण हैं ?

(3) क्या इन सड़कों के नीचे आई हुई भूमि का मुआवजा किसानों को दे दिया गया है ? यदि हां, तो कितना कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(4) कुल कितनी कितनी भूमि छुड़ाई गई है और उसका कितना कितना मुआवजा होता है।

(5) क्या यह सही है कि सड़क में आई हुई भूमि का लगान भी अभी तक किसानों से लिया जा रहा है ?

(6) चूरू जिले में बनी हुई सड़कों में से किस किस सड़क में आई भूमि का मुआवजा किसानों को दे दिया गया है और किस किस सड़क में आई भूमि का मुआवजा किसानों को देना बाकी है तथा कब से, क्यों ? इसमें विभागीय और अकाल सहायता कार्यक्रम में बनी सड़कें अलग अलग बतलाई जावें ?

(7) क्या इन सड़कों के नीचे आई भूमि का लगान भी अभी तक किसान दे रहे हैं ? ऐसे कितने किसान हैं ? कितना मुआवजा देना बाकी है ?

उत्तर

(1) (क) राष्ट्रीय राज्य पथ संख्या 11 का निर्माण कार्य चूरू जिले में अक्टूबर 66 में चालू किया गया था और डामर के काम को छोड़कर यह सड़क मार्च 1969 तक पूर्ण होने की आशा है।

(ख) राष्ट्रीय सुरक्षा पथ का कार्य फरवरी, 1965 में चालू किया गया था और यह सड़क सितम्बर, 1968 तक तैयार हो जाने की आशा है।

(2) (क) राष्ट्रीय पथ संख्या 11 पर चूरू जिले में 47.00 लाख रुपये जुलाई, 68 तक व्यय हो चुके हैं और कुल लागत 69.00 लाख रुपये के करीब होगी। पूर्व अनुमान 60.00 लाख का था। लागत बढ़ने का कारण टेन्डर की दरें बढ़ जाना है व बड़े बड़े टीबों की कटाई का काम करने से हुआ है।

(ख) राष्ट्रीय सुरक्षा पथ पर जुलाई 68 तक 150.00 लाख रुपये का व्यय हो चुका है और कुल लागत करीब 173.00 लाख रुपये की होगी। पूर्व अनुमान 123.00 लाख रुपये का था। लागत बढ़ने का कारण

(श्री सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)
टैण्डर की ऊंची दरें व सड़क की गोलाइयों में सुधार व बड़े बड़े टीबों की कटाइयां है।

(3) (क) राष्ट्रीय राज पथ नं. 11 के नीचे आई हुई भूमि का कुल मुआवजा 12,071.70 रु भूमि अवाप्ति अधिकारी बीकानेर द्वारा दे दिया गया है।

(ख) राष्ट्रीय सुरक्षा पथ के नीचे आई हुई भूमि का मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया है पर जो भूमि इस सड़क के नीचे आई है उसके लिए भूमि का मुआवजा देने की कार्यवाही चल रही है। भूमि अवाप्ति अधिनियम 1953 के अन्तर्गत 4 व 6 के नोटिस जारी कर दिए गये हैं व एवार्ड मिलते ही मुआवजा दे दिया जावेगा।

(4) (क) राष्ट्रीय राजपथ नं. 11 में कुल 411 बीघा 12 बिस्वा रकबा छुड़वाया गया है और उसका मुआवजा 12,071.70 रुपया होता है।

(ख) राष्ट्रीय सुरक्षा पथ के सम्बन्ध में जानकारी एवार्ड मिलने पर ही दी जा सकती है।

(5) इस विभाग को जानकारी नहीं है।

(6) तारानगर से साहुवा सड़क तथा राजगढ़ पिलानी रोड़ में आई हुई भूमि का मुआवजा कुछ काश्तकारों को दे दिया गया है और कुछ को देना है। अकाल राहत रोड्स सार्वजनिक निर्माण विभाग की रोड्स जिनका मुआवजा दिया जाना शेष है सूची 'अ' व 'ब' में प्रस्तुत है।

(7) इस विभाग को जानकारी नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट 12 देखिए)

स्थगित प्रश्न
4–9–68

रवीन्द्र मंच, जयपुर

207. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) रवीन्द्र मंच जयपुर का निर्माण कब किया गया और उस पर कुल कितना रुपया खर्च किया गया ? इसके निर्माण के पीछे सरकार की क्या भावना थी ?

(1) क्या यह सच है कि रवीन्द्र मंच का किराया बिना किसी आधार के सन् 67–68 में बढ़ाया गया जिससे मनोरंजन कार्यक्रमों पर बड़ा बुरा प्रभाव प्रभाव पड़ा है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) मार्च सन् 1963 में इस पर कुल रुपये 12,71,769।— व्यय हुए। रवीन्द्र मंच निर्माण के पीछे केन्द्र सरकार के प्रस्तावानुसार यह भावना थी कि राज्य की राजधानी में विभिन्न सांस्कृतिक संस्थाओं के प्रयोग के लिये एक थियेटर हो और यह अव्यावसायिक सांस्कृतिक संस्थाओं के लिये साधारण और व्यावसायिक संस्थाओं के लिये उपयुक्त दरों पर उपलब्ध हो।

(2) जी नहीं। रवीन्द्र मंच का किराया संगीत नाटक अकादमी की कार्यकारिणी की सहमति से बढ़ा है क्योंकि पहले की दरें दैनिक व्यय को देखते हुए कम थी।

(12.20 म. प.)

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि श्री रामकिशन व श्री मुकुटबिहारीलाल, सदस्य, विधान सभा ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है जिसमें उन्होंने बतलाया है कि जिला सवाईमाधोपुर में जगर बांध को बनाए करीब 12-13 साल हो गए हैं किन्तु फिर भी इस क्षेत्र के किसानों से सिंचाई कर के अलावा 60 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से सुधार कर भी लिया जाता है जिससे वहां के किसानों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है।

मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए यह चाहूंगा कि इस संबंध में माननीय सिंचाई मंत्रीजी स्थिति को स्पष्ट करते हुए कल वक्तव्य देने की कृपा करें। मैं इस स्थगन प्रस्ताव को सदन में प्रस्तुत किए जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

मैं माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना चाहता हूं कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की गई है। जानकारी प्राप्त होने पर उन पर निर्णय लिया जाकर माननीय सदस्यों को सूचित किया जायगा:—

(1) अनावृष्टि से अकाल की स्थिति होने पर भी खाद्यान्नों का निर्यात बंद न किए जाने से उत्पन्न स्थिति के बारे में श्री चुन्नीलाल (खंडार) द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

(2) जोधपुर के जाट होस्टल के छात्रों द्वारा अन्य स्कूल पर हमला व 20-25 व्यक्तियों को घायल करने से उत्पन्न स्थिति के बारे में श्री ओमदत्त भाटी व श्री देवीदत्त गाड़िया द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

(3) नगर केकड़ी जिला अजमेर में दिनांक 2-9-68 को थानेदार केकड़ी द्वारा वहां के एक निवासी के साथ अशोभनीय कार्यवाही करने व उसे अपमानित करने के बारे में श्री देवीलाल बुरासिया द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

(4) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों द्वारा भूख हड़ताल के संबंध में श्री रामानंद अग्रवाल द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

(5) बूंदी जिले के लाखेरी ग्राम में जलाऊ लकड़ी की व्यवस्था नहीं होने के कारण ग्राम जनता को जलाऊ लकड़ी नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के बारे में श्री केशरीसिंह हाड़ा द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

(6) राजस्थान कैनाल क्षेत्र में सन् 1955 के बाद के समस्त अलाटीज काश्कारों को एलाट-शुदा रकबे का सालाना नवीनीकरण न किया जाकर उन्हें उस रकबे से बेदखल किए जाने से उत्पन्न स्थिति के बारे में श्री रामचंद्र आर्य, श्री नत्थीसिंह, श्री केदारनाथ, श्री मुकुटबिहारीलाल, श्री राजवी रूपसिंह, श्री रामानंद अग्रवाल, श्री कृष्णकुमार गोयल, श्री दौलतराम सारण, श्री रामकिशन व श्री हरजी राम बुरड़क द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

निम्नांकित स्थगन प्रस्ताव इतने अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं कि सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही को स्थगित की जाकर इन पर आज विचार किया जाय।

(श्री अध्यक्ष)
अतः मैं इन स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं:—

(1) कोटा जिले की तहसील पीपल्दा, दीगोद व लाखपुरा के किसानों से 1966-67 में बढ़ाई गई सरचार्ज की जबरदस्ती वसूली से उत्पन्न स्थिति के बारे में श्री महेन्द्रसिंह, श्री बृजवल्लभ श्री लक्ष्मण तानीवाल द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

(2) राज्य में भयंकर अकाल की वजह से सब प्रकार के बड़े भोजों पर कड़े प्रतिबंध लगाने के बारे में श्री मनोहरसिंह मेहता द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

(3) राणा प्रताप सागर प्रोजेक्ट के लिए बांध बनाने एवं कालोनी हेतु अवाप्त की गई भूमि का सीमांकन न होने से उत्पन्न स्थिति के बारे में श्री रामकुमार नंदवाना द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

(4) गत माह बहरोड़ जिला अलवर के समाजवादी नेता श्री विशम्भर दयाल की राजनैतिक कारणों से की गई हत्या के बारे में श्री रामकिशन, श्री नत्थीसिंह, श्री मुकुटबिहारीलाल व श्री आदित्येन्द्र द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

(5) जोधपुर विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों द्वारा भूख हड़ताल एवं आम हड़ताल के नोटिस से उत्पन्न स्थिति के बारे में श्री रामानंद अग्रवाल द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : हमने स्थगन प्रस्ताव दिया है और कहा है कि जो पंडित विशम्भरनाथ शर्मा की हत्या की गई उसमें राजनैतिक तौर पर भी लोग लिपटे हुए हैं जिनको बचाया जा रहा है। आपने उसको सदन में रखने की अनुमति नहीं दी है। इस संबंध में मैंने एक दिन पहले भी निवेदन किया था कि कम से कम गृह मंत्री का वक्तव्य दिलाया जाय ताकि पता लगे कि सारी स्थिति क्या है ? जब पहले मामला उठा कि पंडित विशम्भरनाथ की हत्या की गई है तो गृह मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति निकाली··

श्री अध्यक्ष : मैंने उसको स्वीकार नहीं किया है। जब स्वीकार ही नहीं किया है तो प्रश्न कहां पैदा होता है ?

श्री नत्थीसिंह : आपने कहा अनुमति नह दी जाती।

श्री अध्यक्ष : तो वक्तव्य का सवाल अवशेष है ?

श्री नत्थीसिंह : मंत्री महोदय ने विज्ञप्ति निकाली कि किसी अमुक व्यक्ति का इसमें हाथ नहीं है। क्या जरूरत विज्ञप्ति निकालने की पड़ गई ? हम चाहते हैं कि सारी बात को साफ किया जाय।

श्री अध्यक्ष : मैंने जो निर्णय दिया है, जिन पर जानकारी चाही गई है, उसमें जानकारी के लिए कह दिया गया है। जिसको अस्वीकार करते हुए वक्तव्य चाहा गया है, उनमें वक्तव्य के लिए कहा गया है और जिनको अस्वीकार किया गया है उसका अर्थ है न वक्तव्य न जानकारी। तो उसके बाद इस पर कोई वाद-विवाद नहीं होता है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : हम तो आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि

(श्री मुकुट बिहारीलाल)

प्रश्न की महत्ता को देखकर, भारत की प्रधान मंत्री के सामने भी इस प्रश्न को रखा गया है · ·

श्री अध्यक्ष : यह सदन के प्रांगण का प्रश्न नहीं। अस्वीकार कर दिया गया है तो अस्वीकार हो गया। उस पर आप निवेदन करें कि फरमायें मैं क्या कर सकता हूं ?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : यह प्रश्न भारत की प्रधान मंत्री के सामने रखा गया। उन्होंने भारत के गृह मंत्री को पत्र लिखा है और हम लोगों को आश्वासन दिलाया है कि समाजवादी नेता पंडित विशम्भरनाथ की राजनैतिक कारणों से जिन परिस्थितियों में हत्या की गई, जिन बड़े बड़े लोगों का हाथ है उन तमाम चीजों के बारे में एक निष्पक्ष जांच कराई जायगी। उन तमाम चीजों के होते हुए भी आज तक कुछ भी नहीं किया गया और इस मामले को खटाई में डालकर समाप्त करने की बात की जा रही है। कम से कम आपके जो आदेश हैं उन पर पुनर्विचार करें और गृहमंत्री से कहें कि इस बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट करें।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! अगर यह प्रश्न इतना महत्व रखता है तो मैं माननीय सदस्य से बात करूंगा, अगर वह पूर्ण प्रकाश डालेंगे तो मैं और देखूंगा।

श्री रामकिशन (वैर): आप अदांज लगायें कि सब समाजवादियों ने मिलकर प्रस्ताव दिया है · ·

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री रामकिशन : यह मामला ऐसा हैं · ·

श्री अध्यक्ष : इसके आगे क्या होता है, मैंने कहा है कि और तथ्यों पर प्रकाश डालें तो और देखूंगा।

श्री रामकिशन : और कौनसा तरीका है ?

श्री अध्यक्ष : मैंने कहा आप मुझसे मिलकर थोड़ासा स्पष्टीकरण कर दें तो देखूंगा इसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं हैं।

(श्री देवीदत्त गाड़िया और श्री रामानद अग्रवाल एक साथ बोलने लगे)

एक माननीय सदस्य बोलें।

श्री देवीदत गाड़िया : पाकिस्तान से 190 विस्थापित जिला भरतपुर · ·

श्री अध्यक्ष : पारस्परिक संबंधों का प्रश्न है। जब दोनों ही माननीय सदस्य एक साथ खड़े हो गए, तो मेरी दुविधा है। दोनों ही माननीय सदस्य मेरी दृष्टि में ऊंचे हैं। मैं निर्णय नहीं देता। आप निर्णय लें कि दोनों में से किसको बोलना है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : जोधपुर विश्वविद्यालय में जो स्थिति उत्पन्न हो रही है उस संबंध में मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया था आपने उसमें वक्तव्य दिलाने के लिये भी नहीं कहा है। स्थिति केवल वहां इंजीनियरिंग कालेज तक ही सीमित न रह कर भूख हड़ताल शुरू हो गई और आज वहां पर जनरल स्ट्राइक की स्थिति बनती जा रही है। तमाम विश्वविद्यालय में जो हालत पैदा हो गई है उनमें न केवल

Page No. 63

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
विद्यार्थियों की मांगों तक ही सीमित है बल्कि विश्वविद्यालय के प्रशासन में जो वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित सवालात हैं, वे जुड़ गए हैं। यहां से खुद माननीय मंत्रीजी वहां पर गये और अखबारों में यह छपा कि उन्होंने भी मध्यस्थता करने की कोशिश की। उसके बावजूद वाइस चान्सलर ने इतनी जिद पकड़ी कि वाजिब बात को भी स्वीकार नहीं किया। इसलिए विद्यार्थियों में जबरदस्त रोष व असन्तोष फैला हुआ है।

श्री अध्यक्ष : पर्याप्त होगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि माननीय मन्त्रीजी से क्या स्थिति है उस पर एक वक्तव्य दिलायें और माननीय सदस्य भी जो स्थिति है उस पर प्रकाश डाल सकें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (जौहरी बाजार, जयपुर) माननीय सदस्य उस वक्त उपस्थित नहीं थे जब विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में एक प्रश्न आया था। इस सम्बन्ध में मेरा एक सुझाव है कि कार्य सलाहकार समिति की बैठक में इस प्रश्न पर विचार कर लिया जाय। आज स्थिति यह है अध्यक्ष महोदय, जोधपुर विश्वविद्यालय में आम हड़ताल है और राजस्थान विश्वविद्यालय में भी आम हड़ताल है। जयपुर के तमाम कालेजों में और यूनिवर्सिटी के तमाम विभागों और कालेजों में हड़ताल हो रही है और राजस्थान विश्वविद्यालय विद्यार्थी संघ ने राजस्थान व्यापी हड़ताल करने की घोषणा भी की है इसका राज्य के व्यापक स्तर पर गम्भीर परिणाम हो सकते हैं। मैं इसके औचित्य और अनौचित्य के प्रश्न पर इस समय कुछ भी न कहते हुए केवल यही कहना चाहूंगा कि राज्य सरकार इन सारे प्रश्नों के विषय में क्या हल निकालना चाहती है। कालेजेज और युनिवर्सिटीज् बन्द कर देना ही इस प्रश्न का कोई हल नहीं हो सकता। कहीं यह हड़ताल राज्य व्यापी रूप धारण न कर लें और इस कारण जो विद्यार्थियों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है उस स्थिति पर सरकार को गम्भीरता से विचार करना चाहिए। माननीय शिक्षा मंत्री या मंत्रिमण्डल के कोई वरिष्ठ मन्त्री एक व्यापक स्टेटमेन्ट आज नहीं कल, परसों जब भी संभव हो, यहां सदन में दें ताकि समस्या का हल निकल सके।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरे ख्याल से शिक्षा के क्षेत्र में जो असाधारण स्थिति राजस्थान में उत्पन्न हुई है उस सम्बन्ध में माननीय सदस्य जो जयपुर से आये हैं उन्होंने जो सुझाव दिया उसके साथ मेरी एक हद तक सहानुभूति है। आखिरकार इस सम्बन्ध में सरकार को छिपाने की आवश्यकता नहीं। सरकार को वास्तविक स्थिति पर प्रकाश डालना चाहिये और साथ साथ विपक्ष के माननीय सदस्यों को कान्फिडेन्स में लेकर गम्भीरतापूर्वक इसका हल निकालने की चेष्टा करनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों ने जो भावना व्यक्त की है उस प्रश्न को सामूहिक रूप से देखते हुए, स्थगन प्रस्ताव के सन्दर्भ में नहीं, इस प्रश्न का कुछ निराकरण करायें स्पष्टीकरण करायें। भावनाओं में यह व्यक्त किया गया कि इस पर बिजनिस एडवाइजरी

(श्री अध्यक्ष)
कमेटी में विचार किया जाय। बिजनिस एडवाइजरी कमेटी में इस पर विचार हो अथवा विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों के समक्ष उस पर विचार किया जा सकता है, इस पर विचार किया जाय।

श्री बरकतुल्ला खां (शिक्षा मंत्री) : इस पर मैं एक स्टेटमेन्ट दे चुका हूं और आपका हुक्म होगा तो मैं फिर एक स्टेटमेन्ट दे दूंगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर!

प्रश्न यह है कि जो बिजनिस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग बुलाई जा रही है, उसमें इस प्रश्न पर विवेचन किया जाय और बिजनिस एडवाइजरी कमेटी के अतिरिक्त भी जो माननीय सदस्य रह जाते हैं उनको आमंत्रित करके इस पर विवेचन किया जा सके तो किया जाय और कोई तरीका निकाल सकें तो निकाला जाय।

श्री बरकतुल्ला खां : माननीय अध्यक्ष, मैं आपके हुक्म के अनुसार तैयार हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों की जैसी मंशा है माननीय मंत्रीजी ने कहा और जैसा सामूहिक रूप से माननीय सतीशचन्द्रजी ने कहा उनके सुझाव के आधार पर इस प्रश्न को लेने का विचार करता हूं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय अध्यक्षजी, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था....

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्ताव दिया है और अस्वीकार किया है तो उस पर प्रश्न नहीं उठाने दूंगा।

श्री देवीदत्त गाड़िया : न तो आपने स्वीकार किया है और न ही आपने अस्वीकार किया है। आपने कहा कि जानकारी प्राप्त करके जो भी निर्णय होगा निर्णय दिया जावेगा। निवेदन है कि आम...

श्री अध्यक्ष : जानकारी प्राप्त कर रहा हूँ तो आज निर्णय दे दूंगा। जानकारी नहीं भी आयी तो भी मैं उस पर अपना निर्णय आज दे दूंगा।

श्री देवीदत्त गाडिया : पाकिस्तान से विस्थापित होकर आये और फिर उन पर हमला हो रहा है....

श्री अध्यक्ष : फिर उसी पर बहस नहीं करने दूंगा। कृपया स्थान ग्रहण करें। उस पर कोई चर्चा नहीं होगी। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

उद्योग मंत्री, श्री हरिदेव जोशी।

उद्योग मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : अध्यक्ष महोदय...

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : अध्यक्ष महोदय, एक सूचना दे दें।

कल आसन से यह निर्णय दिया गया था कि कब्रिस्तान की जमीन पर जो अनधिकृत रूप से कब्जा किया गया है उस पर मंत्री प्रवर से सूचना प्राप्त करके सूचना दूंगा। वह कब दी जावेगी?

श्री अध्यक्ष : मैं उस पर सक्रिय हूं। सूचना उसकी नहीं आयी है। उस पर निर्णय आज दे रहा हूं।

श्री नत्थूसिंह : कुम्हेर पंचायत समिति में सरपंच को निलम्बित करने की सारी कार्यवाही चल रही है...

श्री अध्यक्ष : सामान्य रूप से निवेदन किया है। सारे प्रश्न पूछें, मैं उस स्थिति में नहीं हूं कि उनकी सूचना दूं। जानकारी दी गई है अथवा जिन प्रश्नों की जानकारी नहीं आयी है उन सब का आज निर्णय दे दूंगा।

श्री नत्थीसिंह : लेट होने पर इसके गम्भीर परिणाम हो सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों की गम्भीरता को मैं समझे हुए हूं इसलिये निर्णय आज ही दूंगा।

श्री देवीदत्त गाडिया : मेरा स्थगन प्रस्ताव दिये हुए छः दिन हो गये हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज! माननीय सदस्य इस प्रश्न पर मुझे अधिक न पूछें। निर्णय नहीं लिया है तो आज निर्णय ले लिया जावेगा।

श्री श्रवणलाल : माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

श्री श्रवणलाल : अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : माननीय श्रवणलाल जी, कृपया स्थान ग्रहण करिये।

श्री श्रवणलाल : एक व्यवस्था का प्रश्न है अध्यक्ष महोदय। 24 तारीख को मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया था।

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। सूचना का प्रश्न है। उस पर मैं व्यवस्था दे दूं। आपके पीछे माननीय सतीशचन्द्रजी बैठे हैं वे नियमों को जानते हैं, कई माननीय सदस्य जानते हैं।

श्री श्रवणलाल : मैं यह जानना चाहूंगा कि आपकी व्यवस्था दिये जाने पर भी 24 तारीख के स्थगन प्रस्ताव पर मंत्री महोदय द्वारा सूचना दे दी जावेगी लेकिन आज तक कोई जानकारी या सूचना नहीं दी गई।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। स्थान ग्रहण करें।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, आप जिन प्रश्नों की जानकारी चाहते हैं कितने समय में सरकार को आपको जानकारी देनी चाहिये? कितने दिनों तक मामला स्थगित होता रहे?

श्री अध्यक्ष : मैं प्रतीक्षा में ही नहीं बैठा रहता हूं। 24 घंटे में जानकारी नहीं आती है तो मैं उस पर निर्णय ले लेता हूं।

श्री भैरोंसिंह : आपत्ति तो उस बात पर होती है कि आप यहां पर कई बार घोषणा कर देते हैं कि सरकार से जानकारी ली जा रही है। समय निकल गया, निर्णय होते नहीं, अन्दाजा यह होता है कि जानकारी में होगा तो फिर उस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता पड़ती है।

श्री अध्यक्ष : मैं कर दूंगा।

[12.38 म. प.]

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र

उद्योग मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : अध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनीज अधिनियम 1956 की धारा 619 अ के अन्तर्गत जयपुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लि० जयपुर के 30 सितम्बर, 1967 को समाप्त होने वाले वर्ष से सम्बन्धित वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : मा. श्री अमृतलाल यादव।

यातायात मंत्री (श्री अमृतलाल यादव): अध्यक्ष महोदय, मैं पथ परिवहन निगम के निम्नांकित पत्र सदन की मेज पर रखता हूं।

(1) राजस्थान पथ परिवहन निगम के प्रवर्तीय परिणाम, वर्ष 1967

(2) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के लेखे अवधि अक्टूबर, 1964 से मार्च, 1965 एव उन पर अंकेक्षण प्रतिवेदन।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य पथ परिवहन निगम के लेखे अवधि अक्टूबर, 19 4 से मार्च, 1965 एवं उन पर अंकेक्षण प्रतिवेदन के पश्चात् की ऑडिट रिपोर्ट्स के अकाउण्ट्स अवेलेबल नहीं हैं ?

श्री अमृतलाल यादव : अवेलेबल होंगे तो सदन के सामने आवेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कोई भी ऑडिट रिपोर्ट नहीं है, मार्च 65 के बाद ?

श्री अमृतलाल यादव : जो अभी प्रतिवेदन हैं वे सदन के सामने उपस्थित किये गये हैं और आगे जो उपस्थित होने हैं वे उपस्थित किये जावेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं यह जानकारी चाहता हूं, पूछ रहा हूं कि आपको यह प्रतिवेदन कब मिला था ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, यह लेट क्यों पेश किया जा रहा है ?

श्री अमृतलाल यादव : आगे का फिर पेश हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न आगे का है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सन् 64 65 का प्रतिवेदन अब पेश किया गया है। इसका हम क्या करें। यहां तो सन् 66–67, 67-68 के प्रतिवेदन पेश किये जाने चाहिये तब तो हम कुछ कहें।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय द्वारा वक्तव्य।

श्री भैरोंसिंह : (किशनपोल जयपुर) : ऑन ए पाइंट आफ आर्डर सर। मन्त्री महोदय ने राजस्थान पथ परिवहन निगम के सम्बन्ध में लेखाओं का जो प्रतिवेदन यहां प्रस्तुत किया है, उस सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहूंगा कि एक्ट की किस धारा

(श्रीभैरोंसिंह)
के अन्तर्गत इस प्रकार की रिपोर्ट इस सदन में प्रस्तुत की जानी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : विधि मन्त्री महोदय।

विधि मन्त्री (श्री बरकतुल्ला खां) : अध्यक्ष महोदय, आमतौर से सदन के अन्दर जब ये रिपोर्ट नहीं रखी जाती हैं तो यह ख्याल रखा जाता है कि मिनिस्टर्स जान-बूझ कर नहीं रखते हैं। यह असर होता है कि हाऊस से मिनिस्टर्स कोई न कोई चीज छुपाना चाहते हैं इसमें कई दफा इस बात की कोशिश की जाती है कि अगर···

श्री भैरोंसिंह : जो परम्परा है, उसका उल्लेख मत करें। आप विधि मंत्री हैं, क्या कारपोरेशन के एक्ट और उस एक्ट के मातहत बने हुए रूल्स में इस तरह का प्रावधान है ? इस तरह से रिपोर्ट सदन में रखनी चाहिये ?

श्री बरकतुल्ला खां : मैंने तो ये रूल्स नहीं पढ़े हैं। जिस कारपोरेशन के एक्ट का रेफरेंस आप दे रहे हैं, वह मैंने नहीं पढ़ा है। इसलिये कुछ नहीं कह सकता।

श्री भैरोंसिंह : मैं तो यातायात मंत्रीजी से पूछता हूं ? यहां तो बे पढ़े लिखे भी मंत्री हो जाते हैं। फिर ये तो पढ़े लिखे हैं ? मन्त्री महोदय ने तो इस एक्ट को पढ़ा होगा तो इसका पता चल जायेगा कि किस रूल्स के मातहत इसको प्रस्तुत किया जाता है ?

श्री अध्यक्ष : कोई निराकरण है इसका ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसको पोस्ट-पोन्ड कर दीजिये।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय एक्ट के मातहत बने रूल्स में इसका प्रावधान है किन्तु उसके अनुसार कम्पलाइन्स नहीं होती है····

श्री अध्यक्ष : मैं भी देखूंगा। मंत्री महोदय और विधि मंत्री भी देखेंगे। नक्स्ट; मन्त्री महोदय का वक्तव्य। भाखरा क्षेत्र में भूमि की नीलामी।

शासकीय वक्तव्य

श्री रामप्रसाद लढ्ढा (सिंचाई मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, भाखरा क्षेत्र में भूमि की नीलामी के सम्बन्ध में एक एड्जोर्नमेंट मोशन प्रस्तुत किया गया था। उसके सम्बन्ध में एक वक्तव्य देने के लिये कहा है। मैं उसे पढ़ता हूँ। भाखरा क्षेत्र में कुल 2,47,602 एकड़ भूमि आवंटन हेतु उपलब्ध थी उसमें से 1,40,963 एकड़ भूमि भूमिहीन काश्तकार तथा आरजी काश्तकारान को आवंटन की जा चुकी है। शेष में से 90 512 एकड़ भूमि नीलामी द्वारा बेची गई थी तथा 4127 एकड़ भूमि अन्य काश्तकारों को आवंटन की गई। राजस्थान उपनिवेशन. भाखरा प्रोजेक्ट गवर्नमेन्ट लैण्ड अलोटमेंट एण्ड सेल नियम के नियम 19 के अनुसार उपलब्ध भूमि में से 50 प्रतिशत भूमि भूमिहीन तथा अन्य (टी. सी. होल्डर्स) को आवंटन करने के प्रावधान हैं! तथा शेष 50 प्रतिशत भूमि नीलाम द्वारा बेचने के नियम हैं। उक्त आंकड़ों से यह साफ है कि 50 प्रतिशत से अधिक भूमि, भूमिहीन अन्य आर्जी काश्तकारों को आवटन की जा चुकी है अतः शेष भूमि भूमिहीन को आवटन करने का नियमानुसार प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

श्री रामप्रसाद लड्ढा)

जो भूमि आवंटित की जाती है उसकी कीमत कई वर्षों में किश्तों में वसूल होती है इसलिये इस योजना पर जो खर्चा सरकार का हुआ है इसकी स्थिति को देखते हुए यह आवश्यक है कि प्रोजेक्ट के आर्थिक पहलू को भी नजरअन्दाज न किया जाय। इसी कारण से राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम के अन्तर्गत नियमों में यह स्पष्ट प्रावधान कर दिया गया था कि 50 प्रतिशत भूमि आवंटित की जानी चाहिये और 50 प्रतिशत नीलामी द्वारा बेची जानी चाहिये। अतः अब और भूमि आवंटन करना नियमानुसार नहीं होगा।

थोड़े दिन पहले भाखरा क्षेत्र में कमी पूर्ति एवं स्माल पेचेज के संबंध में एक निर्णय किया गया था और नियमों में भी परिवर्तन किया गया था उसके अनुसार बची हुई भूमि में से अधिकांश भूमि नीलाम न होकर कमी पूर्ति या 10 बीघा से कम के स्माल पेचेज के रूप में काश्तकारों को बिना नीलाम के मार्केट रेट पर मिल जायगी। नीलाम के लिये तो केवल गोगामेडी का रकबा है और कुछ और रकबा होगा जैसे कि और चार्टस और गार्डन्स के लिये सुरक्षित रकबा और नाली बेड का। यह रकबे पहिले से ही नीलाम होने को थे इस तरह नीलाम के लिये अधिक से अधिक बहुत कम भूमि उपलब्ध हो सकेगी।

भाखरा क्षेत्र के घोषित भूमिहीन काश्तकारों को कि जिन्हें भाखरा में भूमि नहीं दी गई थी राजस्थान कैनाल क्षेत्र में दे दी गई है। कुछ थोड़े से व्यक्ति बचे हैं जो बावजूद नोटिस देने के भूमि लेने उपस्थित नहीं हुए। अस्तु, भाखरा क्षेत्र के घोषित भूमिहीनों को कोई खास समस्या नहीं रहती है। माननीय सदस्य मुझसे सहमत होंगे कि करोड़ों रुपये जिस योजना पर खर्च हुए हों उससे कुछ आमदनी अवश्य राजस्थान को हो और वह आमदनी राजस्थान के हित में खर्च हो और उसी उद्देश्य से यह कार्यवाही की जा रही है।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : अध्यक्ष महोदय, भाखरा क्षेत्र में बचे हुए रकबा हैं, उसको नीलाम करने के सम्बन्ध में जो वक्तव्य अभी मन्त्री महोदय द्वारा दिया गया है, उसके बारे में मैं जानना चाहूँगा कि क्या तहसील नोहर और भादरा में 150 से ऊपर भूमिहीन काश्तकार आज प्रमाणित मौजूद हैं? पहले इन भूमिहीनों को जमीन दी जाकर उसके बाद में बची हुई जमीन, रकबे को बेचना चाहिये था लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भूमिहीनों की लिस्ट राजस्थान कैनाल महकमें में, उपनिवेशन विभाग ने भेजी है अतः उनको जमीन नियमानुसार राजस्थान कैनाल एरिया में दिये जाने का कहा है। भाखरा कैनाल एरिया में इन काश्तकारों को भूमि न दी जाकर अनूपगढ़ तहसील में 15 बीघा भूमि दी जाने को कहा है। वे लोग वहां कतई आबाद नहीं हो सकते। इसलिये मैं जानना चाहूंगा कि भूमिहीन काश्तकारों को जिनके नाम अधिकृत हैं, भाखरा उपनिवेशन विभाग द्वारा उनको पहले यह रकबा अलाट किया था उसके बाद में यदि सरकार के पास बचे तो उस रकबे को सरकार बेचती है तो बेचे इसके बारे में आप के क्या विचार हैं?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अध्यक्ष महोदय भाखरा क्षेत्र में घोषित भूमिहीनों को राजस्थान कैनाल में भूमि देने का निर्णय सन् 60-61 में

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

हुआ था। इसलिये हुआ था कि 50 प्रतिशत से अधिक भूमी आवंटित की जा चुकी थी और नियमों में 50 प्रतिशत भूमि आवंटित करने का प्रावधान था। इसलिये यह निर्णय लिया गया था कि बचे हुए भूमिहीनों को राजस्थान कैनाल क्षेत्र में जमीन दी जाय। इस फैसले के अनुकूल भाखरा के घोषित भूमिहीनों को राजस्थान कैनाल में भूमि दी जा चुकी है। केवल 300, 400 किसान ऐसे हैं, जो बचते हैं। उनको भी नोटिस दिये जा चुके हैं। जो नोटिसेज की तामील में उपस्थित होकर उन्होंने इस लाभ को नहीं उठाया है इसलिये वे बच रहे हैं। अब इस निर्णय को बदलना जनहित में नहीं होगा।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : अध्यक्ष महोदय··

श्री अध्यक्ष : प्रोफेसर केदार !

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : जो रकबा इलाट किया गया है, वह रकबा पहले ओर चार्ट्स और गार्डन्स के लिए रिजर्व था ? सरकार ने यह घोषणा की थी कि जो काश्तकार बाग लगायेंगे, उनको यह जमीन अलाट की जावेगी। इस बुनियादी नीति में परिवर्तन क्यों किया गया है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं आपके पाइंट को फालो नहीं कर पाया हूं। कृपया दुबारा बतायेंगे ?

श्री केदारनाथ : क्या यह सही है कि जो रकबा राज्य सरकार नीलाम करने जा रही है वह पहले बाग बगीचों के लिए रिजर्व था ? गवर्नमेन्ट की यह पालिसी थी कि वह रकबा उन काश्तकारों को अलाट किया जायेगा जो बाग बगीचा लगाना चाहते हैं। इस बुनियादी पालिसी में तब्दीली क्यों की ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : काफी रकबा दिया गया है। थोड़ासा रकबा बचा है। करीब 100--150 मुरब्बे हैं जिसको हम नीलामी से बेच रहे हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैं जानना चाहता हूं जैसा कि आपने फरमाया कि पचास प्रतिशत रकबा नीलामी से बेचने का नियम है उसमें अब तब्दीली नहीं कर सकते। आपको मालूम होगा नाजायज तौर पर जिन्होंने कब्जा कर लिया उनको आप खातेदार बनाने के लिये तो नियमों में तब्दीली कर सकते हैं लेकिन सदियों से जो आबाद हैं जिनके पास कोई रकबा नहीं आपने 15 बीघा देने का नियम भूमिहीनों के लिये बनाया है तो ऐसे लोग जिनके पास भूमि नहीं है जो प्रमाणित भूमिहीन हैं ऐसे भूमिहीनों को आप राजस्थान कैनाल में एडजस्ट करेंगे तो वह काश्तकार कभी भी वहां जाकर आबाद नहीं हो सकते। राजस्थान सरकार को उनको बसाने के लिये उनके परिवारों को गुजारा देने के लिये यह नियम जो बनाये हुए हैं, उनको तब्दीली करनी चाहिये।

(12.50 म. प.)

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई, उपाध्यक्ष पदासीन)

श्री मुकुटबिहारी लाल : यह तो आप वैसा ही कर रहे है जैसे आप भीलवाड़ा के रहने वाले हैं आपको जाकर कहा जाय कि

Page No. 70

(श्री मुकुट बिहारी लाल)
आप भरतपुर में बसने के लिये तैयार हैं। क्या आप तैयार हो जायेंगे ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ बातें मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं। एक तरफ तो आप यह कहते हैं कि पचास प्रतिशत भूमि नीलाम करने के लिये डिमारकेट की थी। यह ऐसी बात नहीं है जिसको आप जनहित की दृष्टि से, सामाजिक न्याय की दृष्टि से बदलना नहीं चाहिये, या इसमें बदलने में कोई दिक्कत आती हो।

दूसरा आपने जो भूमि बाग बगीचों के लिये रखी थी उनका धीरे धीरे निर्माण करना था अगर वह उसके लिये नहीं रखना था तो उसको अलोट करना था। इस प्रकार की भूमि 150, 200 मुरब्बा आपने बतायी है जिसको अलोट किया जाना था अब आप उसको बेचेंगे। इसमें से आप पचास प्रतिशत ले लीजिये भूमिहीनों को देने के लिये उसके बाद जो सरप्लस बच जाय उनको नीलाम कर दीजिये। पहले आपको भूमिहीनों को अलोट करना चाहिये अगर उस पर आपके पास पैंतालीस चालीस परसेन्ट भूमि रह जाय उसको आप नीलामी से बेच सकते हैं। पहले आपको लोगों को बसाना चाहिये।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, यह व्यवहारिक और मानवीय प्रश्न है। भूमिहीनों को राज्य सरकार जमीन देकर बसाना चाहती है। लेकिन जब उनको जमीन देने का सवाल आया तो सरकार कहती है हमारे जो नियम हैं उसके अनुसार पचास प्रतिशत जमीन तो देना थी और पचास प्रतिशत जमीन नीलाम करनी थी। चूंकि हम पचास प्रतिशत भूमि दे चुके हैं और अब बाकी जो बची है उसको नीलाम करेंगे। आप उनको कहते हैं कि हम आपको राजस्थान नहर में भूमि देंगे। भूमिहीन जो किसान हैं आप सब जानते हैं न उसका घर का घर होता है और न उसके पास खाने कमाने का साधन होता है न उन लोगों के पास हल है और न बीज। इस तरह से जिस व्यक्ति के पास अपनी आजीविका चलाने के कोई साधन नहीं है उसको आप पन्द्रह बीघा भूमि राजस्थान नहर इलाके में जमीन देना चाहते हैं तो उस जमीन पर किस प्रकार आबाद होकर बस जायगा। यह आपका तरीका न व्यवहारिक है और न सही है। आखिर आप रहते हैं कि नियम हमारे बने हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूं नियम आपने जन हित में बनाये हैं। नियम के लिये व्यवस्था नहीं चलती बल्कि व्यवस्था के लिये नियम बनते हैं। आपको जन हित के नियमों में परिवर्तन करना चाहिये और आपको इन लोगों को वहीं पर जमीन देना चाहिये। आप नीलाम नहीं करके जमीन उनको देंगे तो यह आपका व्यवहारिक कदम होगा इसमें कोई हानि नहीं होने वाली है। रही रुपयों की बात सो आपको इससे भी डाइरेक्ट फायदा मिल जायगा नियमों की आड़ लेकर आपको इन मांगों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिये।

श्री हंसराज आर्य (भादरा) : मैं एक जानकारी चाहूंगा ये नियम कब बने कि भाखरा क्षेत्र में पचास प्रतिशत भूमि नीलाम से दी जायगी और 50 प्रतिशत भूमिहीनों को दी जायगी। ये नियम कब बने और किसने बनाये ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा (सिचाई मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे वक्तव्य के सम्बन्ध में कुछ एतराजात माननीय सदस्यों ने उठाये हैं उसका स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ । जहां तक नियमों के बनने का सवाल है वहां तक सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि 1955 में ये नियम बनाये गये तभी यह प्रावधान रखा गया था पचास प्रतिशत भूमि नीलामी में दी जायगी और 50 प्रतिशत भूमि भूमिहीन लोगों में वितरित की जायगी । इसके पीछे यह उद्देश्य रहा है कि प्रोजेक्ट पर राज्य सरकार का काफी खर्चा हुआ है । इस प्रोजेक्ट पर करीब 25 करोड़ रुपया खर्च हो गया है। एक प्रोजेक्ट पर 25 करोड़ रुपया खर्च हो यह सारी जनता की जिम्मेदारी है उससे थोड़ी सी आमदनी कर सकें । और उसमें किसी प्रकार की बाधा उपस्थित न हो। मैं काश्तकारों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए निवेदन कर रहा हूं । गंगानगर में हमने दस बीघे से कम जितने भी स्माल पेचेज थे वे हमने उन लोगों को जिनके पास पन्द्रह बीघा से कम भूमि है उनको काश्त के लिये दे दी जायगी वह पेचेज नीलाम न कर उनको दे दिये जाय। इसके अलावा जिनके पास 15 बीघा भूमि है और उनके पास या उनकी भूमि के किनारे भी जो स्माल पेचेज होंगे वह भी भूमि उनको दे दी जायगी ताकि यह न हो कि भूमिहीन किसानों के पास कम भूमि आये और नीलामी में ज्यादा चली जाय ।

गोगामेड़ी क्षेत्र में जो भूमि है वह हम बेचना चाहते हैं । उसकी नीलामी के लिये कार्यक्रम बताया गया है । बाकी के जो भूमि हीन किसान बने हैं उनको जमीन हमने राजस्थान नहर क्षेत्र में दे दी है । अब उनको वापिस लाकर यहां बसाने से कोई मतलब हल होने वाला नहीं । अब दो सौ ढाई सौ काश्तकार रह गये जिनके मामले विवादास्पद है । न उनको कोई पैरवी है। जिनकी पहले एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुकी थी इसके बावजूद भी नोटिसेज देने के बाद भी वे नहीं आये । यह इस तरह की समस्या नहीं जैसी कि माननीय सदस्यों ने कही ।

नियमों की जहां बात कहते हैं वह मैंने अपने पहले वक्तव्य में कह दी है । नियम होते हुए भी हमने 9,512 एकड़ भूमि नीलाम की है और 1 लाख 50 हजार एकड़ भूमि भूमिहीन काश्तकारों को और आरजी काश्तकारों को दी है । भूमिहीन किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के हित में और जनहित में थोड़ा सा रकबा 200–300 मुरब्बा राज्य की आमदनी के लिये रखा जाता है माननीय सदस्यों को इसमें ऐतराज नहीं होना चाहिये । मैं इसमें कोई परिवर्तन करने को मंजबूर हूं।

श्री हंसराज आर्य (भादरा) : माननीय मंत्री महोदय ने यह बताया कि एक लाख और पचास हजार एकड़ भूमि भूमिहीनों को दी गई है यह सत्य नहीं है । आप सारी भूमि को मिला कर कह रहे हैं जो कि सम्वत् 1960 से लेकर जो भूमि 1955 तक किसानों के कब्जे में थी आरजी काश्तकार थे उनको भी आप भूमिहीन मानकर चल रहे है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आरजी काश्तकारों को कितनी भूमि दी गई और भूमिहीन काश्तकारों को कितनी दीगई। सन् 53 में जो नियम बनाये गये थे उसमें भाखरा क्षेत्र में एक इन्च भी भूमि जो काश्त के लिये है नीलाम नहीं की जायगी,

(श्री हंसराज आर्य)

यह था। पहले उस भाग को फिर तहसील को, गंगानगर जिले के लोगों को उसके बाद बीकानेर डिवीजन के लोगों को और उसके बाद राजस्थान निवासी को भूमि मिलेगी हां मंडो के लिये जो प्लाट हैं उनकी भूमि को नीलाम किया जायगा यह नियमों में था लेकिन प्लाट भी जिनकी आय तीन हजार से कम होगी राज्य रेट पर दिये जावेंगे। गोगा मेडी में ढाई हजार बीघा भूमि सरकारी बाकी है तीन सौ चार सौ मान्यता प्राप्त किसान इस समय बाकी है जिनको भूमि देनी है जिनके वहां मकान है, रिश्तेदारियां है भाखरा क्षेत्र की भूमि को तो नीलाम किया जाये और भाखरा क्षेत्र के मान्यता प्राप्त किसानों को राजस्थान केनाल में भूमि दी जाए, कहां का न्याय है? भाखरा के किसान अपने पुराने मकानों को नीलाम करके खानांबदोस बनकर अनूपगढ़ के इलाके में जंगलों में डेरा डालेंगे, इसमें सरकार को क्या लाभ मिलेगा। जो भूमि भूमिहीनों को राजस्थान कैनाल में देनी है. उसे तो नीलाम कर दिया जाए और भाखरा में गोगा मेडी की भूमि को जो 18-19-20-21 सितम्बर, 1968 को नीलाम होने वाली है, वह किसानों को अलॉट कर दी जाए। यदि ऐसा नहीं किया गया तो इससे बढ़कर क्या अन्याय होगा?

श्री रामचन्द्र आर्य : उपाध्यक्ष महोदय, पिछली मरतबा राजस्थान कैनाल का मसला आया था।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य!

(1 म. प.)

श्री रामचन्द्र आर्य : यह किसान विरोधी सरकार है इसका इससे बढकर प्रमाण और क्या हो सकता है वहां के बसने वाले भूमिहीन किसान मारे मारे फिरते हैं और उन मुरब्बों को बेचकर सरकार धन कमा रही है। बहाना बनाती है कि नियमों में परिवर्तन नहीं कर सकती। 50 परसेन्ट उसका बेचने का नियम है। तो निवेदन करूंगा कि सरकार इस पर पुनः विचार करे और नोहर भादरा तहसील के भूमिहीन काश्तकारों के गांवों के पास गोगामेडी की जो दोनों तहसीलों के बीच में जमीन पड़ती है वहां रकबा अलाट किया जावे। आपकी ख्वाहिश पैसे की है वह भी पूरी हो जावेगी। पर वह पैसा उनसे किश्त में मिलेगा। जिस तरह आपने कहा कि इतने बीघा जमीन भूमिहीनों को दी है यह सही नहीं है। भाखरा की जितनी जमीन थी इन तहसीलों में वह सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों ने मिलकर सस्ते भावों में हड़प ली।

श्री उपाध्यक्ष : जिन्होंने पहले प्रश्न पूछा है, उनको उत्तर देने दीजिये।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं उन लोगों की तस्वीर खींच रहा हूँ, उनके कारनामों को बता रहा हूं। जनता जनार्दन के साथ बुरा बरताव नहीं करना चाहिये। एक तरफ आप यह कहते हैं कि आप जनता के किसानों के प्रतिनिधि हैं और लोकतन्त्र में विश्वास रखते हैं, दूसरी तरफ जिनके पास रोजी रोटी का साधन नहीं है, भूमि हीन हो गये हैं, इन दो तहसीलों के बीच की जमीन उनको नहीं देकर बेचने जा रहे हैं। 150 भूमिहीन पदमपुर, अनूपगढ जाकर आबाद हों यह व्यवहारिक बात थोड़े ही। आपको इस पर पुनर्विचार करना चाहिये। नहीं करेंगे तो हम आपका डटकर मुकाबला करेंगे। नीलाम ही नहीं होने देंगे, यह स्थिति आप पैदा न करें।

Page No. 73

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री रामचन्द्र आर्य : गंगानगर की जमीनें बेच दीं। भूमिहीनों की आप अपेक्षा करते हैं। इसका आप स्पष्टीकरण दें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

श्री रामचन्द्र आर्य : आप कृपया स्पष्टीकरण दें। आप यह भी बता दीजियेगा कि इस पर आप पुनर्विचार कर रहे हैं या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष : आप यह भी बता-दीजियेगा कि इस स्थगन प्रस्ताव पर आपका भाषण कब तक होगा ?

श्री रामचन्द्र आर्य : जब तक सही उत्तर सरकार की तरफ से नहीं आवेगा मैं बन्द नहीं होऊंगा।

श्री उपाध्यक्ष : तो फिर इसे यहीं समाप्त कर दिया जावे, क्योंकि आप सन्तुष्ट होंगे नहीं।

श्री नत्थीसिंह : ये सन्तुष्ट कर देंगे तो हो जावेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, आप भी किसान के बेटे हैं। आप भी उत्तर से सन्तुष्ट हो गये हैं क्या ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : I have nothing to do.

श्री रामचन्द्र आर्य : उनके गांवों में जमीन पड़ी है, वह उनको मिलनी चाहिए। आप विचार नहीं करते हैं। आसन की तरफ से कहा जाता है कि हम सन्तुष्ट नहीं होंगे। तो जब तक आप सन्तुष्ट नहीं करेंगे सही जवाब देकर तब तक मैं बोलता रहूंगा यह समस्या हल नहीं होगी तब तक बोलता ही रहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : सदन के सामने तो नियमों के अन्तर्गत ही बोल सकते हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : उपाध्यक्ष महोदय, यह मामला बड़ा गम्भीर है।

श्री उपाध्यक्ष : हम समझते हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : गंगानगर के भूमिहीन काश्तकारों को यह किसान विरोधी सरकार भूमि से वंचित रख रही है। इसलिए इस पर विचार करना चाहिए, और जो गरीबों का वोट लेकर चुनकर आए हैं, और जो यहां आकर बैठे हैं उनको भी ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। यह मामूली बात नहीं है। उन किसानों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उनको क्या कोई जमीन नहीं मिलेगी ?

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। चर्चा समाप्त हुई।

श्री रामकिशन : मन्त्रीजी का रुख बड़ा खराब है। वे जवाब भी नहीं दे रहे हैं। यह तो बड़ी अपमानजनक स्थिति है। वे जो कुछ भी कहें, कहना तो चाहिए आखिर।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय उपाध्यक्ष जी, जो जो मुद्दे उठाये गये उनका जवाब मैं पहले ही दे चुका हूं। उनसे उनको तसल्ली हुई नहीं। फिर वही मुद्दे दुबारा उठा रहे हैं तो मुझे तो इन बातों के सिवाय

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

और कुछ नहीं कहना है। यही इन सबका जवाब है।

श्री उपाध्यक्ष: श्री गृह मन्त्रीजी, हनुमानगढ़ कालेज के सम्बन्ध में अपना वक्तव्य देंगे।

श्री हीरालाल देवपुरा : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय श्री केदारनाथ व श्री चुन्नीलाल· ·

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं निवेदन करूंगा कि यह सरकार किसान विरोधी है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री रामचन्द्र आर्य: गंगानगर से आये हुओं के दिलों में भी किसानों के प्रति कोई हमदर्दी नहीं है। आप सहयोग नहीं कर रहे हैं।

श्री हीरालाल देवपुरा :· · · ·द्वारा नेहरू मेमोरियल डिग्री कालेज हनुमानगढ़ के छात्रों द्वारा हड़ताल व उनके शान्तिपूर्ण जुलूस पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज का उल्लेख करते हुए यह स्थगन प्रस्ताव रखा गया था।

श्री रामचन्द्र आर्य : जो माननीय सदस्य ने· · ·

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर।
(शोरगुल, अश्रव्य)

(माननीय राज्य मन्त्री एवं सदस्य द्वारा साथ-साथ बोलने से शोरगुल, अश्रव्य)

आप नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता और मैं इसके विरोध में सदन से बहिर्गमन करता हूं।

(श्री रामचन्द्र आर्य द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री उपाध्यक्ष : हमारे बर्दाश्त की भी सीमा है। आप समझ लीजिये।

श्री हीरालाल देवपुरा : इस विषय में· ·

कई माननीय सदस्य : सुनाई नहीं दिया, फिर से कहें।

श्री उपाध्यक्ष : आरम्भ से शुरू कर दें कृपया कष्ट तो होगा, शुरू से वापिस पढ़ दीजिये।

श्री हीरालाल देवपुरा : माननीयश्री केदार नाथ व श्री चुन्नीलाल द्वारा नेहरू मेमोरियल डिग्री कालेज हनुमानगढ़ के छात्रों द्वारा हड़ताल व उनके शान्तिपूर्वक जुलूस पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज का उल्लेख करते हुए यह स्थगन प्रस्ताव रखा गया था। इस विषय में जानकारी प्राप्त की गई है तो स्थिति इस प्रकार पाई जाती है:–

दिनांक 30-8-68 को हनुमानगढ़ में स्टूडेन्ट्स फेडरेशन की तरफ से छात्रों की एक सभा हुई थी जिसमें नेहरू मेमोरियल कालेज हनुमानगढ़ में फीसों की बढोत्तरी, कालेज भवन-निर्माण में अनियमितताएं, प्राध्यापकों व अध्यापकों का छात्रों के साथ अशिष्ट व्यवहार, ट्यूशन की प्रणाली, विद्यार्थियों से एकत्रित धन-राशि का दुरुपयोग और प्राइवेट संस्थाओं के राष्ट्रीयकरण आदि विषयों पर विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विचार प्रकट किये गये थे। मीटिंग में यह तय किया गया कि दिनांक 31-8-68 को हड़ताल रक्खी जावे। निर्णय के अनुसार नेहरू

(श्री हीरालाल देवपुरा)

मेमोरियल कालेज के छात्रों ने हड़ताल कर दी तथा वहां से रवाना होकर छात्रों का यह जुलूस सवेरे 9 बजे गवर्नमेंट हायर सेकेण्ड्री स्कूल पर पहुंचा। गेट बन्द होने के कारण उसे तोडने की कोशिश की गई किन्तु पुलिस के पहुंच जाने से विद्यार्थियों को हटा दिया गया। विद्यार्थियों ने क्रुद्ध होकर पुलिस पर पथराव भी किया, किन्तु पुलिस द्वारा पूर्ण संयम रखा गया और कोई अप्रिय घटना नहीं होने दी। कुछ विद्यार्थी दीवार कूद कर स्कूल के अन्दर पहुंच गये और हड़ताल करवाने के लिये कोशिश की। स्कूल में उसी समय छुट्टी कर दी गई जिसके फलस्वरूप लगभग 600 विद्यार्थी और सम्मिलित हो गये और यह समूह गर्ल्स हायर सेकेण्ड्री स्कूल की ओर रवाना हुआ। रास्ते में माइक्रोफोन पर कुछ विद्यार्थियों द्वारा दूकानदारों को दूकान बन्द करने के लिये कहा गया और ऐसा न करने पर दूकानें लूटने की धमकी भी दी गई। गर्ल्स हायर सेकेण्ड्री स्कूल के सामने पहुंच कर इन विद्यार्थियों की भीड़ ने नारे लगाये तथा गेट को जो बन्द था, तोड़ डाला व लकड़ी के किवाडों को सडक पर लाकर आग लगा दी। पुलिस ने मौके पर तुरन्त पहुंच कर विद्यार्थियों को बिखेर दिया और आग भी बुझाई। पुलिस को देखकर विद्यार्थियों ने उन पर पत्थर फेंकना शुरू किया जिससे 3 पुलिस कर्मचारियों को चोटें आई। इस स्थल पर कुछ देर प्रदर्शन करने के पश्चात् छात्र वहां से चले गये और बस स्टेण्ड पर जाकर एक दूकान जो उनके कहने पर बन्द नहीं की गई थी को लूटा गया। इसी अवसर पर एस.डी.एम. हनुमानगढ मय पुलिस पार्टी के मौके पर पहुंचे तो छात्र उन्हें देख कर भाग गये। इन घटनाओं को लेकर मुकद्दमा नम्बर 72 दिनांक 31।8।68 हृ.द. 143।332।336 435।353।395।109 ता. हि. थाना हनुमानगढ टाउन पर दर्ज किया जाकर तफतीश प्रारम्भ की गई। दिनांक 1।9।68 को रविवार होने के कारण संस्थाएं बन्द रहीं। दिनांक 2।9।68 को कुछ विद्यार्थियों ने कालेज में जाने वाले छात्रों को रोकना शुरू किया अतः सूचना मिलते ही एस. डी. एम. व पुलिस उप-अधीक्षक मौके पर पहुंचे और श्री साहिब, रामलाल, राके' खां, मनोराम व रणवीरसिंह को हृ.द. 107।151 में गिरफ्तार किया गया। इसमें से 3 छात्र दिनांक 3-8-68 को दर्ज किये गये केसेज से सम्बन्धित भी थे। पुलिस की फोरन कार्यवाही के फलस्वरूप कोई भी अप्रिय घटना नहीं हुई। स्थगन प्रस्ताव में जैसा कि लाठी चार्ज का जिक्र किया गया है, वह सत्य नहीं है। विद्यार्थियों पर पुलिस द्वारा कोई लाठी चार्ज नहीं किया गया अलबत्ता छात्रों को आगजनी और पत्थरबाजी से बाज रखने के लिये काफी जाब्ता पुलिस मौजूद रखा गया था।

श्री केदारनाथ : 31 तारीख से लेकर 5 तारीख तक कितनी बार लाठी चार्ज किया गया ? कितने ही छात्रों को पिटाई की गई, कितने ही छात्रों को गिरफ्तार किया गया। एक छात्र को दो तारीख को खुले आम बाजार में पीटा गया। 5 तारीख को श्री दौलतराम को जो पब्लिक मीटिंग का अनाऊन्स कर रहा था, को 151 की दफा में गिरफ्तार किया गया। क्या सरकार की यह नीति है कि पोलिटिकल वर्कर्स छात्रों को खुले आम बाजार में डिमोरलाईज करें ? एक बात और एक तारीख को मेनेजमेंट कमेटी और छात्रों के बीच सम-

(श्री केदारनाथ)

झौता हो गया कि कल छात्र कालेज में चले जायेंगे, कोई गिरफ्तारी मत करना और फिर क्या यह सही है कि एस.डी.एम. और नाजिम ने छात्रों को 11 बजे गिरफ्तार किया और इसके बाद ही हड़ताल का झगड़ा शुरू हुआ।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया कि घटना में किसी प्रकार का कोई लाठी चार्ज नहीं किया गया। मैंने अपने उत्तर में 30,31, 1 व 2 तारीखों का स्पष्ट जिक्र किया है और इन घटनाओं का स्पष्ट उल्लेख किया है कि लाठी चार्ज नहीं गई, किसी प्रकार की कोई पिटाई नहीं की गई न किसी के द्वारा पुलिस में सूचना दी गई है। यह तो केवल आपके ऐलीगेशन है, कहां तक सत्य है, यह तो ये ही जानें। जो वस्तु-स्थिति थी वह मैंने बता दी पुलिस के द्वारा कोई दुर्व्यवहार नहीं किया गया है। पुलिस के पहुंचते ही स्टुडेन्ट्स चले गये। आपने जो दूसरी बात मैनेजमेंट कमेटी और स्टुडेन्ट्स के बीच में कोई समझौता हुआ इसकी पुलिस को कोई सूचना नहीं है। इसके अलावा जो स्टुडेन्ट्स दूसरे स्टुडेन्ट्स को रोक रहे थे–चार नाम बताये गये हैं मैंने निवेदन किया कि उनको गिरफ्तार किया गया है और बाद में अदालत में जमानत पर उनको रिहा कर दिया। हनुमानगढ़ में कोई अशान्ति नहीं थी। शान्ति से सब कुछ चल रहा था। आपने मुझ से जो स्टेटमेंट मांगा था कालेज की हड़ताल के सम्बन्ध में वह दे दिया है। विद्यार्थियों की हड़ताल के सम्बन्ध में मुझे जानकारी नहीं है।

श्री श्रवणलाल : क्या यह सही है कि गेट तोड़ा गया है और विद्यार्थियों के अन्दर उग्र वातावरण पैदा हो चुका था। राज्य सरकार के उप मंत्री महोदय ने गर्ल्स हायर सेकेण्ड्री स्कूल की दीवाल के कुछ भाग को तोड़ एक–आध मील लम्बी सड़क निकाल ली है जिसका खर्चा पी. डबल्यू. डी. ने किया है और जो इनके निजी काम में आ रही है।

श्री हीरालाल देवपुरा : इसमें इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री रामचन्द्र आर्य : उस गेट को जलाया, यह स्थिति क्यों पैदा हुई। श्री बृजप्रकाश जी गोयल के घर के पास स्कूल है। उस स्कूल की जमीन में अपने पीछे के नोहरे का गेट निकाला इसलिये तनाव बढ़ा और आग लगाने वाले कांग्रेसी थे।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : यह बिल्कुल गलत है।

श्री हीरालाल देवपुरा : 20 तारीख को एक मीटिंग हुई। गर्ल्स स्कूल की छात्राओं ने और मेमोरियल स्कूल के विद्यार्थियों ने स्ट्राइक की जो प्रश्न आपने पूछा है उससे उसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री रामचन्द्र आर्य : कौनसा गेट जलाया? गेट कौनसा जलाया, उपाध्यक्ष महोदय ?

श्री बृजप्रकाश गोयल (उपमंत्री) : नोहर से आने वाले माननीय सदस्य ने अभी मेरे खिलाफ ऐलीगेशन लगाये कि गेट निकाला गया। मैं यह कहता हूं कि श्री रामचन्द्र जी को या इस सदन के किसी भी व्यक्ति को वहां भेज दें और जांच करवा लें और अगर कोई बात पाई गई तो जो सदन सजा निर्धारित करेगा वह मुझे मंजूर है। इसी प्रकार श्री श्रवणलाल जी ने जो बात कही वह तथ्यहीन है। सड़क की जो बात कही है वह बिलकुल गलत है।

श्री रामचन्द्र आर्य : वह गेट कौनसा जलाया है और उस गेट को जलाने में क्या कारण थे ?

श्री हीरालाल देवपुरा : इसका जवाब दे दिया गया है।

श्री रामचन्द्र आर्य : इस बारे में शहर में ऐतराज पैदा हुआ। पुलिस के संरक्षण में वहां के सारे वातावरण को होल्ड करना चाहते हैं। मैं कहता हूं कि आप पुलिस के डंडे से जनता को काबू में नहीं कर सकेंगे–जनता को तो आप विश्वास से ही काबू में कर सकेंगे। इस तरह जिन पर अत्याचार हुआ है, जिन विद्यार्थियों की पिटाई हुई है उनका आप प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं यह कत्तई नामुमकिन है। आपको इस पर विचार करना है, और करना पड़ेगा। हनुमानगढ़ जैसे कस्बे में इस प्रकार की हरकतें रहे। बृजप्रकाश जी कहते हैं गेट नहीं निकाला गया, मैं साबित कर दूंगा। आप वचन दीजिये और यह कह दीजिये कि उस गेट पर मेरा कोई अधिकार नहीं रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई। स्थगन प्रस्ताव।

श्री रामचन्द्र आर्य : उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और। क्या नेहरू मेमोरियल कालेज के विद्यार्थियों को गिरफ्तार किया है और जो निर्दोष बच्चों पर मुकदमें चलाये गये हैं, उनको सरकार वापिस लेने का विचार करेगी ?

श्री हीरालाल देवपुरा : झूंठे मुकदमों का कोई सवाल ही नहीं है।

श्री रामचन्द्र आर्य : गंगानगर की दस लाख जनता को आप झूंठा बता रहे हैं जब कि वहां की जनता ने 7 आदमियों को जिताकर आपको मंत्रि-मण्डल में स्थान दिया। उस दस लाख जनता को पुलिस की मार से नहीं दबाया जा सकता है। इस पर सरकार को विचार करना होगा। आज 10 लाख जनता पर यह भावना फैल गई है कि हमारे कोई प्रतिनिधि नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

श्री रामचन्द्र आर्य : पुलिस के जरिये आप आतंक जमाना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दौलतराम सारण।

श्री दौलतराम सारण : उपाध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस हड़ताल के टाइम में कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ ?

श्री हीरालाल देवपुरा : नहीं हुआ।

श्री दौलतराम सारण : बिलकुल नहीं हुआ ?

श्री हीरालाल देवपुरा : बिलकुल नहीं हुआ।

श्री दौलतराम सारण : इसके बारे में जानकारी कर लें। वहां लाठी चार्ज एक बार नहीं, कई बार हुआ है।

श्री हीरालाल देवपुरा : मैंने जानकारी करके ही कहा है।

श्री दौलतराम सारण : इतने बड़े सत्य को असत्य कहा जाय तो कैसे क्या किया जाय ? मेरे पास पत्र है, उस इलाके के जिम्मेदार लोगों की जानकारी है। लाठी चार्ज हुआ है, निश्चित हुआ है। यह जो

(श्री दौलतराम सारण)

वक्तव्य दिया गया है वह असत्य है। घटनाओं को छिपाने की चेष्टा की गई है। अगर इस सदन के दो या तीन या 5 जो उपयुक्त समझें सदस्यों की एक कमेटी बनाकर उसको यह मसला सौंपा जाय कि लाठी चार्ज हुआ या नहीं हुआ ? लाठी चार्ज हुआ, डेफिनेट हुआ है। गलत तथ्य रख रहे हैं।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

व्यवधान

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय एक बात है इसमें···

श्री गिरधारी लाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय····

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय···

श्री गिरधारीलाल व्यास : आप उलटी सीधी बातें कर रहे हैं। माननीय राज्य मंत्री जी ने बताया जांच हो रही है जांच होने के बाद जो भी निर्णय होगा वह किया जायगा। आप उसके दौरान में इस प्रकार की बातें कर रहे हैं कि वहां की दस लाख जनता·· जिनके प्रोटेक्शन की बात करते हैं।

श्री दौलतराम सारण : मैं किसी के प्रोटेक्शन की बात नहीं करता।

श्री गिरधारीलाल व्यास : जो आदमी गलत काम करें···

श्री दौलतराम सारण : लाठी चार्ज हुआ है। एक बार नहीं कई बार हुआ है।

श्री गिरधारी लाल व्यास : बार बार यही बात कही जा रही है।

श्री दौलतराम सारण : कहेंगे क्यों नहीं ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : बार बार यही बात कही जाय। माननीय राज्य मंत्री महोदय ने साफ इन्कार किया है कि लाठी चार्ज नहीं हुआ है। आग लगी है, उसकी जांच कर रहे हैं और उस पर कार्यवाही की जायगी। इस तरह चलता रहा तो उपाध्यक्ष महोदय, फिर कोई व्यवस्था नहीं चल सकती है।

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक निवेदन करना है कि सरकार का जो रूख रहता है सदन के माननीय सदस्य कुछ तथ्य लाते हैं और सरकार का रुख यह रहता है कि वह सदैव यह कहती है कि जो माननीय सदस्य यहां कहते हैं यह असत्य हैं और उनकी जानकारी होती है वह पुलिस कर्मचारियों द्वारा दी जाती है जो कि खुद अपराधी होते हैं उनको दी हुई सूचना सत्य है। माननीय सदस्यों की सूचनायें भी शत प्रतिशत सही हों ऐसा मैं नहीं कहता लेकिन सरकार का यह रूख कि सदस्यों की सूचना गलत है और सरकार की सही है यह लोकतांत्रिक भावनाओं के खिलाफ है। मैं कहूंगा कि माननीय गृह मंत्रीजी कभी अपने दिमाग का भी इस्तेमाल किया करो और अपने दिमाग का इस्तेमाल इस रूप में किया करो कि जिस प्रकार की सूचना मिलती है और जिस प्रकार का वक्तव्य आपका सामने आता है यह भ्रांति पूर्ण होता है। मैं नहो कहता कि आपने तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर रखा है लेकिन मेरा आरोप है कि आप दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते

(श्री रामकिशन)

और सरकारी मशीनरी के ऊपर भरोसा करते हैं। जब आप सदन में यह बात कहते हैं कि लाठी चार्ज नहीं हुआ और इसका समाचार हनुमानगढ़ के लोग पढ़ेंगे तो क्या वह यह नहीं सोचेंगे कि पुलिस की इत्तला के ऊपर आपने यह वक्तव्य दिया है और क्या यह नहीं कहेंगे कि श्री हीरालाल देवपुरा और दामोदरलालजी व्यास गलत बात सदन में कहते हैं। वहां निश्चित रूप से लाठी चार्ज हुआ है, लोगों के चोटें आई हैं। जब यह पढ़ेंगे तो आपके बारे में क्या धारणा बनायेंगे इस पर आप सोचा करो। आपका कर्तव्य सरकारी कर्मचारियों को बचाने का नहीं है। इस प्रकार से यदि आप काम नहीं करें तो इन वक्तव्यों से हमारा भी समय खराब होता है और आप भी बुढ़ापे में खड़े होते हैं इससे आपको भी कष्ट होता है।

श्री हीरालाल देवपुरा : बुढ़ापा मेरा नहीं रामकिशनजी का आ गया है।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव—श्री रामकिशन।

श्री दौलतराम सारण : उपाध्यक्ष जी इसका क्या हुआ? यह प्रश्न हमारे सामने है। मेरे पास तथ्य हैं कि वहां लाठी चार्ज हुआ और एक दिन में दो बार लाठी चार्ज किया गया। उसमें लड़के घायल हुए, ईंटे लड़कों पर फेंकी गई जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों द्वारा और यह कहते हैं कि लाठी चार्ज नहीं हुई इसका निराकरण कैसे किया जाये? या तो मंत्री महोदय पुनः जांच का आदेश दें और इसके लिए आश्वासन दें...

श्री हीरालाल देवपुरा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों का भ्रम दूर करना चाहता हूं जैसा रामकिशनजी ने कहा और मैंने स्टेटमेन्ट दिया वह पुलिस के अधिकारियों के द्वारा दी गई जानकारी पर तो आधारित है ही लेकिन मैंने खास तौर से वहां के कलेक्टर से जानकारी ली है और जो वस्तुस्थिति है उसके आधार पर स्टेटमेन्ट दिया है। इसलिए इसमें ऐसी कोई बात नहीं कही जा सकती।

श्री रामकिशन : किसी कांग्रेस के कार्यकर्ता से पूछा क्या?

श्री भैरोंसिंह : पॉइन्ट ऑफ प्रिविलेज सर, उपाध्यक्ष महोदय, रामकिशनजी ने जो प्रश्न उठाया था वह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न था लेकिन उनका उत्तर जिस प्रकार से राज्य मंत्री जी ने दिया उससे उस प्रश्न का और भी महत्व बढ़ गया और उससे हमारा सम्बन्ध खास तौर से हमारे विशेषाधिकारों से है। सदन के कई माननीय सदस्य कह रहे हैं कि लाठी चार्ज हुआ और माननीय मंत्री महोदय अपनी जानकारी से नहीं कहना चाहते कि लाठी चार्ज नहीं हुआ बल्कि कलेक्टर ने उनको इस प्रकार की सूचना दी है। तो यह सदन आज इसका निर्णय करले कि सदन के माननीय सदस्य जो बात कहते है वह ज्यादा विश्वसनीय है या कलेक्टर जो बात कहता है वह अधिक विश्वसनीय है? यदि विधान सभा में कलेक्टर की रिपोर्ट मान ली गई और विधान के बाकी के सदस्य कहते हैं और उस बात को क्योंकि कलेक्टर ने कह दिया तो सदस्यों की बात को गलत मान लिया गया तो कलेक्टर की तुलना में इस प्रकार से कहने का या किसी प्रश्न को रखने का महत्व

(श्री भैरोंसिंह)

है वह अपने आप में खत्म होता है। यदि राज्य मंत्रीजी अपनी जानकारी से कहते कि लाठी चार्ज नहीं हुआ तो उचित था लेकिन यहां कलेक्टर के मुकाबले में सारे विरोधी दल को और विरोधी दल के सदस्यों के लिए कहा जाये कि वह जो कह रहे हैं असत्य है मैं समझता हूं कि हमारी भावनाओं के ऊपर कुठाराघात है और हमारे जो अधिकार हैं और हमारा जो प्रश्न उठाने का महत्व है उस पर सरकार का बहुत बड़ा कुठाराघात है। इसलिए मैं कहूंगा कि इस प्रश्न को आज तय कर दिया जाये कि हम जो बात कहते हैं वह कहां तक महत्वपूर्ण है और कहां तक इस कार्यवाही का असर पड़ सकता है।

श्री हीरालाल देवपुरा : उपाध्यक्ष महोदय मैंने इस दृष्टि से यह नहीं कहा है कि सदन के माननीय सदस्यों की भावनाओं के ऊपर मुझे आघात करना है। मैं माननीय सदस्यों की भावनाओं की बहुत कद्र करता हूं इसलिए मैंने निवेदन किया था कि कलेक्टर के द्वारा मैंने जानकारी कराई थी। जहां तक सवाल मेरे मौके पर होने का है तो मैं मौके पर नहीं था। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो स्थगन प्रस्ताव रखा गया है जहां तक मेरी जानकारी है माननीय सदस्य भी मौके पर उपस्थित नहीं थे और उनको भी जानकारी वहां के लोगों के द्वारा मिली है और जिस प्रकार से मुझे जानकारी मिली है तीसरे पक्ष से उसी प्रकार से आपको भी जानकारी तीसरे पक्ष से मिली है। इसलिए आपका यह कहना कि मैंने माननीय सदस्यों की भावनाओं पर आघात किया है तो यह कह कर मैं नहीं चलना चाहता हूं। मैंने तो स्पष्ट निवेदन किया है कि जो स्थिति आपके स्थगन प्रस्ताव देने के बाद जानकारी करने पर जो मालूम हुई उस पर मैंने अपना वक्तव्य दिया है। जो माननीय भैरोंसिंहजी ने कहा मैं साफ तौर से निवेदन करना चाहता हूं कि न तो मेरा ऐसा दृष्टिकोण, न मन्शा और न भावना रही है जिससे वह समझें कि विरोधी दल के सदस्य जो बात कहते हैं उसको मैं या मेरे दूसरे साथी गलत मानकर चलते हैं। ऐसी बात हम मन में रखकर नहीं चलते हैं।

श्री भैरोंसिंह : प्रश्न यह नहीं है· · · ·

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो सरकारी सूचना है, जो ऑफिशियल सोर्स हैं उसके आधार पर दी जाती है। यह बात बिल्कुल सही है। और कोई माननीय सदस्य यह कहे कि जो कुछ हुआ है उसको देखा है या अपने कानों से सुना है तब तो निजी जानकारी हो जाती है। उसमें प्रतिष्ठा का प्रश्न आ जाता है कि खुद माननीय सदस्य ने देखा है और खुद की उनकी जानकारी है तब तो आप जो कहते हैं वह प्रश्न आ जाता है। लेकिन उनकी भी जानकारी तीसरे सोर्स से है और यहां निर्णय नहीं हो रहा है कि यह जो कहा है यह सही है या गलत है। क्योंकि यह सभा तो निर्णय देती नहीं है। अब उसके तथ्य क्या हैं, डिबेट का असर बाहर भी आता है जैसा कि अभी श्री रामकिशन जी ने कहा कि वहां की जनता क्या लगायेगी। लेकिन यह कहना कि खुद की जानकारी के ऊपर है तो आपका प्रश्न हो सकता है।

श्री भैरोंसिंह : प्रश्न यह नहीं है। जितने भी माननीय सदस्य बैठे हैं वह किसी घटना के चश्मदीद गवाह नहीं होते। प्रत्यक्ष में उन्होंने जानकारी की है या देखी है और उसके बाद में सदन में रखा तभी तथ्यपूर्ण है। कोई

(श्री भैरोंसिंह)
भी सदस्य जब बोलता है तो जिस बात की उनको जानकारी मिलो है या जिस प्रकार से उन्होंने जानकारी की है उसके प्राधार पर वह बात सदन में प्रस्तुत की जाती है लेकिन यहां पर मंत्री महोदय ने कहा कि उन्होंने कलेक्टर से जांच कराई तो पहला प्रश्न तो यही होता था कि स्थगन प्रस्ताव आने के बाद उन्होंने कलेक्टर से जानकारी की और कलेक्टर की ड्यूटी थी और सरकार की भी ड्यूटी थी कि जिन माननीय सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं कम से कम उनसे तो जानकारी की जाती कि आपने स्थगन प्रस्ताव में जिन मुद्दों को उठाया है उनके संबंध में आपके पास प्रमाण हैं या नहीं, किस आधार पर स्थगन प्रस्ताव के द्वारा आरोप लगाये हैं लेकिन जिलाधीश ने रिपोर्ट दे दी । हनुमानगढ़ नोहर के माननीय सदस्य और गंगानगर के माननीय सदस्य जिन्होंने इस प्रश्न को रख कर इस सदन में यह बताया कि वहां लाठी चार्ज हुई है तो उनको भी जानकारी थी और जब माननीय सदस्य विश्वस्त सूत्र से जानकारी करके सदन में रखते हैं तो उस पर जिलाधीश को जानकारी प्राप्त गयी तो सारी बातें गलत हो गई । इसका मतलब यह है कि हम ब्यूरोक्रेसी के हाथों में आपको उनके झोलों में डाल रहे हैं । यही परम्परा आपके लिए भविष्य में घातक होगी, सदन के लिए भी घातक होगी और प्रशासन के लिए भी घातक होगी ।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ।

श्री रामचन्द्र प्रार्य : इस सदन की एक कमेटी बैठा कर इन्क्वायरी कराई जाये । मैं उस रोज नोहर में मौजूद था और नोहर और हनुमानगढ़ में कोई ज्यादा फासला नहीं है । यह तथ्य सही है कि वहां लाठी चार्ज हुई है लोगों के चोटें आई और लोगों के साथ बड़ी ज्यादती हुई ।

(1.30 म. प.)

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकिशन । ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ।

श्री परसराम मदेरणा (खाद्य मंत्री) : ओन ए पोइन्ट आफ आर्डर सर । माननीय उपाध्यक्षजी, भरतपुर और ... से आने वाले माननीय सदस्यों ने राजस्थान विधान सभा के रूल्स एण्ड प्रोसीजर आफ बिजोनेस कन्डक्ट की धारा 231 के अनुसार मेरा ध्यान ...

श्री रामकिशन : 131 ।

श्री परसराम मदेरणा : जी हां, 131 के अनुसार मेरा ध्यान फूड कार्पोरेशन आफ इण्डिया के द्वारा की गई खरीद में जो अनियमितताएं की गई हैं उसकी तरफ आकर्षित किया है । माननीय उपाध्यक्षजी, केन्द्रीय अधिनियम के अनुसार फूड कार्पोरेशन एक्ट 1964 जिसको सेन्ट्रल एक्ट 1964 कहते हैं, बनी है, और इस अधिनियम के अन्तर्गत जितने भी प्रावधान है उन प्रावधानों के अनुसार केन्द्रीय सरकार और लोक सभा का फूड कार्पोरेशन के ऊपर सुपरवाइजरी कन्ट्रोल है, क्योंकि यह एक स्टेट्यूटरी बॉडी है । इस स्टेट्यूटरी बोडी का गठन एक सेन्ट्रल एक्ट के अन्दर किया गया है । इसलिए जहां तक इस राज्य सरकार का प्रश्न है, और जहां तक इस विधान सभा का प्रश्न ..., इन दोनों का

(श्री परसराम मदेरणा)

कन्ट्रोल और सुपरवीजन इस बोर्ड पर नहीं है।

फूड कार्पोरेशन एक्ट, 1964 की कुछ मुख्य धाराओं की ओर मैं माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। धारा 16 (6), 17 और 35 ए के अनुसार उनसे इस फूड कार्पोरेशन की स्थापना का सम्बन्ध है, और उसके साथ साथ एफ.सी.आई. के जितने प्रोग्राम चलते हैं, जितनी एक्टीविटीज चलती हैं और फाइनेन्शियल स्टेटमेंट का जहां तक सम्बन्ध है वह केन्द्रीय सरकार को भेजते हैं। उपाध्यक्षजी, उसके साथ ही साथ फूड कार्पोरेशन आफ इन्डिया अपनी एन्युअल रिपोर्ट भी केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करती है अतः इस अधिनियम के अन्तर्गत जहां तक राज्य सरकार का प्रश्न है राज्य सरकार का किसी भी प्रकार का नियन्त्रण इस पर नहीं है यानि उसके नियन्त्रण की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है। उसके साथ ही साथ, माननीय उपाध्यक्षजी, जब राज्य सरकार एफ.सी.आई. के द्वारा किये किसी प्रकार की एक्टीविटी के लिए जिम्मेदार नहीं है तो उसके द्वारा किये गए ओमिशन्स और कमीशन्स और उसके दूसरे भी जो फन्क्शन्स हैं उन फन्क्शन्स के लिए भी इस विधान सभा के प्रति उत्तरदायी नहीं है या एकाउन्टेबल नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, जब हिन्दुस्तान की लोक सभा में एफ. सी. आई. की रिपोर्ट उसकी टेबिल पर रखी जाती है, और वह वहां पर डिस्कस होती है तो लोक सभा इसके लिए सक्षम है कि एफ. सी. आई. के द्वारा की गई अनियमितताओं के प्रति किसी प्रकार की कार्यवाही की जाय। मैं इस टेक्निकल ग्राउन्ड के ऊपर, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह नहीं चाहता कि माननीय सदस्य जो कुछ भी बात कहना चाहते हैं वह इस सदन में न कहें, लेकिन मुझे इतना ही निवेदन करना है....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने आब्जेक्शन रेज किया है तो यह नहीं हो सकता है बोट दी हंट एण्ड कोल्ड एट दी सेम टाइम। जब आपने टेक्निकल ग्राउन्ड पर टेक्निकल आब्जेक्शन लिया है तो उस पर स्टिक कीजिये।

श्री परसराम मदेरणा : आप पहले तो मुझे बोलने दें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप कह दीजिये। हम आपको कन्वीन्स करेंगे और चेयर को कन्वीन्स करेंगे कि आपने जो आब्जेक्शन लिया है इट इज बेसलेस एण्ड यूजलेस और केवल इन आरोपों से बचने के लिए किया है। फूड कार्पोरेशन के परचेजेज में घोटाले हुए हैं...

श्री परसराम मदेरणा : आप मेरी बात तो सुनिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सुनेंगे कैसे ?

श्री परसराम मदेरणा : आप जो कहना चाहते हैं...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो यह आपका पोइन्ट आफ आडर नहीं हुआ।

श्री उपाध्यक्ष : आप माननीय सदस्य को बोलने दें।

Page No. 83

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जब तक इसका नहीं होगा, ऑब्जेक्शन है इस बारे में विचार नहीं हो सकेगा।

श्री उपाध्यक्ष : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर के खिलाफ क्या पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर। आप उन्हें बोलने दें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यही बात इनको पहले स्पीकर को कहना चाहिए थी। जब मोशन एडमिट हो गया है तो चेयर की ऑथोरिटी को फ्लाउट कर रहे हैं। यह चेयर के बारे में आक्षेप है। जब काल अटेन्शन मोशन को एडमिट कर लिया है, उसको लिस्ट में ले लिया है, बिजीनेस में रख दिया है और वह हाउस में सब्मुर्जेट होता है और गवर्नमेंट चुप बैठी रहती है। तब मंत्री महोदय ने क्यों नहीं आब्जेक्शन किया? क्या आसन के सामने, अध्यक्ष के सामने यह जवाब दिया था? क्या आपने यह आब्जेक्शन लिया था कि फूड कार्पोरेशन सेन्ट्रल एक्ट के अन्दर आता है? उसका सुपरवीजन सेन्ट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होता है और पालियामेंट ही उसके लिए काम्पीटेन्ट है, और इस हाउस के अन्दर एडमिट नहीं होना चाहिए? क्या यह ऑब्जेक्शन माननीय अध्यक्ष ने जिस समय यह मोशन एक्सेप्ट किया था उस समय रखा था? अगर नहीं लिया था तो अब नहीं आ सकते हैं? यह क्या तरीका है?

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि इस प्रकार की स्टेट्यूटरी बॉडी का सुपरवाइजरी कन्ट्रोल भारत सरकार के पास है तो राज्य सरकार उसके द्वारा किये गये कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं है। इसलिए मैं यह निवेदन कर रहा था कि काल अटेंशन मोशन जो माननीय सदस्यों ने दिया है उस पर आप पसन्द करेंगे कि इस सम्बन्ध में कोई व्यवस्था हो और इसका स्कोप जहां तक काल अटेन्शन नोटिस का प्रश्न है, जहां तक इस विधान सभा का सवाल है, इसका स्कोप अमलगेमेटेड है राज्य सरकार इसके मामले में नियन्त्रण करने में और उसकी कमियों को ठीक करने के सम्बन्ध में लिमिटेशन्स है।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : माननीय उपाध्यक्षजी, इस सम्बन्ध में मैं एक निवेदन यह करना चाहता था कि माननीय मंत्री महोदय ने हमने जो काल अटेन्शन का नोटिस दिया है उसके बारे में ऑब्जेक्शन किया है। उस में एक बात की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पहले दिन जब यह नोटिस लिया गया था तब मन्त्री महोदय ने इस बात पर एतराज नहीं किया था कि इस टेक्निकल ग्राउन्ड पर इस पर बहस नहीं हो सकती है। उस दिन उन्होंने यह कहा था कि मुझे कुछ तथ्य और संग्रह करने हैं और पूरी सूचना प्राप्त नहीं हुई इसलिए इस पर टाइम दिया जाय। कल आपके सामने फिर यह सवाल आया था और कल भी यह कहा जाय कि सूचना पूरी नहीं होने के कारण समय दिया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आखिर रूल 131 है, उसका प्रावधान क्या है? उसमें कहा गया है:—

"A member may with the previous permission of the Speaker call the attention of a Minister to any matter of urgent public importance and

Page No. 84

(श्री नत्थीसिंह)

the Minister may make a brief statement or ask for time to make a statement at a later hour or date."

तो इसमें तीन बातें हैं—हमने परमीशन इसको अध्यक्ष महोदय से ली या नहीं, आपका ध्यान आकर्षित किया या नहीं और एक पब्लिक इम्पॉर्टेन्स का सवाल है या नहीं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो यह ऐसा कहते हैं कि खाद्य निगम हमारे नियन्त्रण में नहीं है तो उनको पहले आपके नोटिस में लाना चाहिए था अब इसकी बात उठाते हैं। मेरी खुद की बात केन्द्रीय खाद्य मंत्री से हुई तो उन्होंने बताया कि इतना पैसा हमने खर्च किया है वह राज्य सरकार ने जो लेवी की बात कही है उस लेवी के कहने पर की है। यह बात दूसरी है कि आप इस बात को वर्णन दें। राज्य सरकार ने खरीद कराई है, और उसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, लाखों का घोटाला हुआ है। उसमें जितने आफेन्स कमिट हुए हैं इससे राजस्थान के जन-जीवन में काफी असन्तोष हुआ है, इसलिए यह पब्लिक इम्पॉर्टेन्स का मामला है। अब आपने यह कह कर कि यह टैक्निकल मामला है आपने अपने स्टेण्ड को चेन्ज किया है। आपने दूसरी दफा अपने विचार को चेन्ज किया है जब सतीशचन्द्रजी ने कहा तो आपने कहा कि इसकी लिमिट कर देना चाहिए कि कहां तक डिस्कशन करें। मैं उपाध्यक्ष महोदय, कहूंगा कि मंत्री महोदय ने आपत्ति उठाई है उसमें कतई भी सार नहीं है। वे अपने आपको असहाय पाते है, क्योंकि अगर पोजीशन एक वक्त बनाई गई तो बस। क्या इलाज हो सकता है? राजस्थान के ... इस तरह की खरीद हुई है और उसमें राजस्थान के किसानों की लूट हुई है उसका प्रश्न इस विधान सभा में उठाया जाय, क्योंकि यहां पर उनको राहत देने के लिए कहा गया था कि उनको राहत देने के लिए खरीद की जायगी, तो सारे का सारा अधिकार विधान सभा का है। इन सारे तथ्यों को मद्दे नजर रखते हुए जो ऑब्जेक्शन किया है वह बेकार है। आपने स्वयं ने उस स्थिति को स्वीकार किया है। तथ्य भी आपके नोटिस में आ गये हैं तो उन गम्भीर आरोपों को कैसे मिटिगेट किया जाय इसलिए टैक्निकल आधार पर इस पर विचार को बन्द नहीं किया जा सकता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ इस बात पर कि खाद्य निगम द्वारा भरतपुर जिले में खाद्यानों की खरीद में जो बहुत बड़ी अनियमितताएं की गई हैं उसके सम्बन्ध में जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव माननीय सदस्यों ने प्रस्तुत किया है और जिसको माननीय अध्यक्ष ने राज्य सरकार से जानकारी करने के पश्चात् ग्रहण किया है और स्वीकार किया है और जिस प्रस्ताव को तुरन्त ही सदन के सम्मुख प्रस्तुत करने की अनुमति प्रचारित की गई है उस प्रस्ताव के सम्बन्ध में राज्य सरकार के द्वारा इस प्रकार का टैक्निकल आब्जेक्शन लाया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, ज्यादा अच्छा होता यदि राज्य सरकार की ओर से और मंत्री महोदय की ओर से इस प्रकार का ऑब्जेक्शन इस मोशन को एडमिट करने से पहले कर दिया जाता। लेकिन हमारी सरकार तो कुम्भकरण की तरह सोती रहती है इसलिए उसने समय पर आब्जेक्शन नहीं किया है—इसमें ज्यादा आश्चर्य की बात नहीं है।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

मैं एक बात और कहना चाहता हूं जिसको माननीय मंत्रीजी ने अपने भाषण के दौरान भी स्वीकार किया है कि फूड कॉर्पोरेशन के द्वारा की गई अनियमितताओं के लिए यह राज्य सरकार जिम्मेदार नहीं है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि फूड कॉर्पोरेशन के द्वारा अनियमिततायें की गई हैं इस बात को आप स्वीकार करते हैं। यह फैक्चुअल पोजीशन साफ है कि फूड कॉर्पोरेशन ने इस मामले में अनियमिततायें की हैं, घोटाले किये हैं लेकिन राज्य सरकार उसके प्रोमोशन और कमीशन के लिए जिम्मेदार नहीं है उसके लिए पालियामेन्ट जिम्मेदार है—यह तर्क दिया गया है क्योंकि फूड कॉर्पोरेशन एक सेन्ट्रल कानून के तहत बना हुआ है और फूड कॉर्पोरेशन का कंट्रोल सेन्ट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। मैं जानकारी के लिए माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि राजस्थान का विद्युत् मंडल कौन से कानून के तहत बना हुआ है? यह राजस्थान विधान सभा के बनाए हुए कानून के तहत बना हुआ है या सेन्ट्रल गवर्नमेंट के कानून के तहत बना हुआ? सेन्ट्रल गवर्नमेंट का इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट बना, उस इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के तहत इस इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का गठन हुआ है और उस एक्ट के तहत राज्य सरकार को पॉवर दी गई है जिसके आधार पर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का कान्स्टीट्यूशन करती है, और उस पर कंट्रोल राज्य सरकार का है। ऐसी स्थिति में अब प्रश्न पैदा होता है कि जो फूड कॉर्पोरेशन आफ इंडिया जिस फूड कॉर्पोरेशन एक्ट के तहत बना हुआ है और वह एक केन्द्रीय कानून के तहत बना हुआ है—उसके खिलाफ हमारी शिकायत नहीं है, हमारी तो राज्य सरकार से यह शिकायत है कि आपने ऐसे एक महकमे को, ऐसे व्यक्ति को अपना एजेन्ट बनाया खरीद के लिए कि वह राज्य के किसानों की तरफ से नाकाबिल घोषित हुआ है। आपने खरीद के लिए फूड कॉर्पोरेशन को एजेन्ट नियुक्त किया, वह खरीद करता है उसके बजाय आप किसी व्यक्ति को, किसी आई. सी. एस. ऑफिसर को इसके लिए नियुक्त कर देते और उसके लिए यह कह देते कि यह दिल्ली से आया है, यह सेन्ट्रल सर्विस का है, यह सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट से कन्ट्रोल होता है, इसने कई घोटाले कर दिये हैं तो उसके ऊपर राज्य सरकार का कन्ट्रोल नहीं है। ऐसी स्थिति में फूड कॉर्पोरेशन से राज्य सरकार का कोई ताल्लुक नहीं है तो फूड कॉर्पोरेशन को राज्य सरकार ने अपनी पर्चेजिंग का एजेन्ट बनाया है, यह नाजायज है...

श्री उपाध्यक्ष: आप कृपया, जो आपने पाइन्ट ऑफ ऑर्डर उठाया है, उस पर ही कहें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: यह क्या पाइन्ट ऑफ ऑर्डर पर नहीं है?

तो मेरे कहने का मतलब यह है कि फूड कॉर्पोरेशन के ऊपर चर्चा हो सकती है, और वह इसलिए चर्चा हो सकती है क्योंकि फूड कॉर्पोरेशन को राज्य सरकार ने पर्चेजेज के लिए एजेन्ट बनाया है, फूडग्रेन्स की पर्चेजेज के लिए। इसलिए राजस्थान सरकार ने किसी को एजेन्ट बनाया है, वह किस कानून के तहत में बनाया है, वह व्यक्ति विशेष है या सेन्ट्रल गवर्नमेंट का बनाया हुआ फूड कॉर्पोरेशन एजेन्सी है—इसमे हम ताल्लुक नहीं है। आपने जिसे एजेन्ट बनाया है उसके ऊपर हम चर्चा करना चाहते हैं। फूड कॉर्पोरेशन आफ इंडिया

(श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल)

एज एन एजेन्ट फॉर द पर्चेजेज आफ फूडग्रेन्स बिहाइन द स्टेट आफ राजस्थान उसके एक्ट्स और ओमीशन्स के लिए राजस्थान सरकार जिम्मेदार है और उसका राजस्थान सरकार को जवाब देना होगा। राजस्थान सरकार ने फूड कॉर्पोरेशन एक्ट की सम्बन्धित धाराओं के अन्तर्गत फूड कॉर्पोरेशन को अपना एजेन्ट बनाया है जिस एक्ट में लिमिटेड कंट्रोल राज्य सरकार को या सम्बन्धित राज्य सरकार को दिया गया है जिससे कि फूड कॉर्पोरेशन के माध्यम से राज्य सरकार इस प्रकार का काम ले सकते। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि फूड कॉर्पोरेशन एज एन एजेन्ट फोर द पर्चेजेज आफ फूडग्रेन्स के द्वारा जो अनियमिततायें की गई उनकी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए यह प्रस्ताव किया गया है, और इसके सम्बन्ध में जो मन्त्री महोदय के द्वारा ऑब्जेक्शन किया गया है इसको रूल आउट कर दिया जाय, और बहस प्रारम्भ करने की हम को इजाजत दी जाय।

श्री रामानन्द अग्रवाल: उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि माननीय खाद्य मंत्री जी ने जिस तरह से इस प्रश्न को पोज किया है वह दुरुस्त नहीं है। वास्तविक रूप में जो इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के द्वारा माननीय सदस्य माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं वह इस बात की ओर कि राज्य सरकार ने एक फ्लोर प्राइस खरीदने के लिए नियुक्त की, उस फ्लोर प्राइस से नीचे कीमत नहीं आयगी–यह आश्वासन राजस्थान के किसानों को दिया। राजस्थान सरकार अपनी उस फ्लोर प्राइज को कायम नहीं कर पाई, लोगों ने उस फ्लोर प्राइस से नीचे एक्चुअली किसानों से खरीद किया और पेमेन्ट इस सरकार को उस फ्लोर प्राइस पर करना पड़ा। इसलिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिये डिस्कस करना चाहिए कि जो कृषक और कृषि पैदावार, जो स्टेट सब्जेक्ट है और जिसके लिए जो सही मूल्य मिलना चाहिए, जो सरकार ने निर्धारित किया है और यह तय किया है कि जो उस मूल्य को नहीं दे वह असेंशियल कॉमोडिटीज एक्ट के तहत कानून का उल्लंघन करता है। अगर उन फ्लोर प्राइसेज का या होल्डिंग प्राइसेज का उल्लंघन करके कोई पर्चेज करे तो वह इस कानून का उल्लंघन करता है, उसके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की जाती हैं। इस राज्य सरकार ने जब वह फ्लोर प्राइसेज मुकर्रर की थीं किसानों के अनाज की खरीद की, किसानों से अनाज की खरीद उन फ्लोर प्राइसेज पर न होकर और कहीं दस रुपये कहीं आठ रुपये, कहीं पांच रुपये पर क्विन्टल के हिसाब से कम कीमत पर खरीद हुई है तो एक्चुअली कीमत किसानों को कम मिली है जब कि कागजात के अन्दर और सरकार के हिसाब के अन्दर उस फ्लोर प्राइसेज के हिसाब से कीमत दिखाई गई है, इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि यह माननीय मंत्री जी का इस प्रकार का यह ऑब्जेक्शन है कि इस प्रश्न को यहां पर डिस्कस नहीं किया जा सकता तो हम फूड कॉर्पोरेशन के इन्टरनल फंक्शनिंग को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, फूड कार्पोरेशन में कितना घाटा रहा, कितना मुनाफा रहा, किस मैनेजर की नियुक्ति की है, वह नियुक्ति किस तरह से हुई है, किस तरह से नहीं हुई है, उसके गोदामों में अनाज कितना है और उसके अन्दर से कितना अनाज चूहे खा गये या उसके अन्दर से कितना बोरियां निकल गई, यह सब हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम डिस्कस इस वक्त यह कर रहे हैं कि राजस्थान

Page No. 87

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

सरकार इन फ्लोर प्राइसेज को लागू करने में असफल रही है, किसानों के इन्ट्रेस्ट को बचाने में असफल रही है, अपने बनाए हुए कानून को, अपने बनाए हुए नियम के अनुसार किसानों को कीमत दिलाने में असमर्थ रही है। जैसा अभी सतीशचन्द्रजी ने कहा, फूड कॉर्पोरेशन ग्राफ इंडिया को आपने अपना पर्चेजिंग एजेन्ट चुना है वह किस कानून के तहत ? आपने खुद ने कानून पास किया उसमें आपने सारो पर्चेजिंग में, जो बाजार में माल खरीदा गया उसमें यह बाध्य किया कि पच्चीस पर्सेन्ट माल आप उनसे खरीदेंगे और आपने अपने खिलाफ पर फूड कॉर्पोरेशन को अपना एजेन्ट मुकर्रर किया इसलिए हो यह फूड कॉर्पोरेशन आपके एजेन्ट के तौर पर काम कर सका। आप फूड कॉर्पोरेशन को एजेन्ट मुकर्रर न करके किसी एक्स वाई जेड को कर सकते थे, आप अपने डिपार्टमेंट के जरिये कर सकते थे, तीसरे तरीके से कर सकते थे, उसमें आपके ऊपर कोई कानूनी पाबन्दी नहीं थी। इसलिए जो फूड कॉर्पोरेशन ने काम किया है वह आपके खिलाफ पर किया है। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि सरकार को इस टेक्निकल तरीके पर, जो अपने आप में गलत है, यह ऑब्जेक्शन नहीं उठाना चाहिए। फिर जो उनकी गलती से राजस्थान के किसानों को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है, इसमें भरतपुर का ही सवाल नहीं है, अलवर का सवाल है, गंगानगर में भी यह हानि हुई है, जहां भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई पर्चेज हुई है वहां यह हालत हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, यह भी बदकिस्मती है कि जब पिछली बार पर्चेज हुई उस वक्त मार्केट प्राइस गवर्नमेंट की सीलिंग प्राइस से ऊंची थी, उस वक्त किसानों से डंडे मार मार कर लेवी वसूल की गई, लोगों को कुर्की की गई....

श्री उपाध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री रामानन्द अग्रवाल : लोगों के हथकड़ियां डाली गई....

श्री उपाध्यक्ष : यह प्रश्न बाद में आयेगा तब इस पर कह दें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अब की बार फ्लोर प्राइसेज से मार्केट नीचे गया, आप फ्लोर प्राइसेज को कायम नहीं रखवा सके—ऐसी स्थिति में आप इस बहस से बचने की कोशिश करें यह उचित नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न एक सीधा सादा था। जिसका यह पाइन्ट ऑफ ऑर्डर उठाया गया यह पाइन्ट था नहीं। सवाल यह था कि जो 204 नियम है उसमें साफ लिखा हुआ है : "तत्समय सदन के समक्ष कोई औचित्य प्रश्न उठाया जा सकेगा।" सदन में अगर कोई कार्यवाही चलती है और वह इस नियम के विरुद्ध होती है तो उस समय किसी भी माननीय सदस्य को औचित्य का प्रश्न उठाने का अधिकार है। मैं समझता हूं कि कार्यवाही चल रही थी उस समय ठीक समय एक माननीय सदस्य ने, माननीय मंत्री महोदय ने एक प्रश्न उठाया जो औचित्य का प्रश्न था। अब सवाल यह रहता है कि जो केन्द्र के ऑब्जेक्ट्स है और हमारे राज्य के सम्बन्ध के हैं, तो 121 के अन्दर लिखा हुआ है : विषयों पर अविलम्बनीय लोक महत्व के किसी विषय पर जिस विषय पर मंत्री का अधिकार है जिसका मंत्री महोदय के पास, कहना

(श्री मूलचन्द डागा)

चाहिए, विभाग है, उस विभाग के बाबत आपका ध्यान उसकी ओर आकर्षित करना चाहता है, जिस विषय पर ध्यान आकर्षित करने का प्रश्न नहीं रहता उस बाबत में क्या पूछ सकते हैं ?" . .

121 में लिखा हुआ है "अविलम्बनीय लोक महत्व के किसी विषय पर किसी मंत्री का ध्यान आकर्षित करना।" तो महत्वानी करके समझिये कि एक सेंट्रल सब्जेक्ट को स्टेट वाले डिस्कस करने लग जायें तो बड़ी गड़बड़ी होगी। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो मंत्री महोदय ने ऐतराज उठाया है वह बिलकुल ठीक है।

श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) : उपाध्यक्ष महोदय, नियम 121 के अन्तर्गत जो अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न श्री रामकिशनजी ने उठाया है और उसके सम्बन्ध में जो पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर खाद्य मंत्रीजी द्वारा उठाया गया है, उस सम्बन्ध में मैं भी अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं।

कोई ऐसी घटना जो अर्जेन्ट नेचर की हो, जो स्टेट के जन-जीवन से संबंधित हो, उस प्रश्न को यहां 121 के अन्तर्गत उठाया जा सकता है। कोई मामला लॉ एण्ड ऑर्डर का है और सब्जेक्ट सेन्ट्रल गवर्नमेंट का है तो उसको यहां राजस्थान की विधान सभा में उठाया जा सकता है। उसी तरह से खाद्य समस्या है। राजस्थान के जन-जीवन में इस प्रकार की स्थिति पैदा हुई है और खाद्य निगम में इस प्रकार के घोटाले हैं वह तो बाद का प्रश्न है कि किस तरह के घोटाले हुए हैं पर सदन में इस प्रकार के अर्जेन्ट मामले को जो कि यहां के जन जीवन से सम्बन्ध रखता है उसको उठाया जा सकता है।

इसमें साफ है कि कोई माननीय सदस्य अध्यक्ष की पूर्व अनुज्ञा से अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले पर मंत्री का ध्यान दिला सकता है। अध्यक्ष की पूर्व अनुज्ञा से यह मामला उठाया गया। तो कोई मामला अध्यक्ष की पूर्व अनुज्ञा से उठा लिया जाता है तो उसकी एक सूचना राज्य सरकार के पास, सचिव और मंत्री दोनों के पास जानी चाहिये, उनके विचार सुने जाते हैं कि क्या यह उठाया जा सकता है या नहीं, उसके बाद स्पीकर महोदय, अध्यक्ष महोदय, सोच समझ कर सरकार के पक्ष को सुन कर अनुमति प्रदान करते है कि यह मामला सदन में उठाया जा सकता है। जब यह मामला सदन में उठाये जाने के लिये अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकार कर लिया गया, आज के बिजनेस में आ गया अध्यक्ष महोदय ने इसको स्वीकृति दे दी तो क्या इस आसन से, जबकि उपाध्यक्ष महोदय विराजमान है, उनके द्वारा इस मामले को वेनिस्टो को तय किया जा सकता है ?

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : श्री मुकुटबिहारीलाल संक्षेप में।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : संक्षेप में ही कहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय मंत्री प्रवर ने अपना पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर इस बात के लिए रेज किया

(श्री मुकटबिहारीलाल गोयल)
है कि सदन में इस डिस्कशन को नहीं आने देना चाहिए। मुझे बड़ा आश्चर्य है···

श्री उपाध्यक्ष : आप कानूनी मुद्दा रखिये उन उद्देश्यों की तरफ मत जाइये।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : नियम 131 बिलकुल साफ है। मेरे पास दुर्भाग्य से अंग्रेजी की कापी है, हिन्दी की है क्या? अच्छा मैं अंग्रेजी पढ़कर सुना दूं, इस तरह नियम चलता है···

Amember may with the previous permission of the Speaker call the attention of the minister to any matter of public importance.

तो इसके सम्बन्ध में परमिशन प्राप्त हो गई। अब सवाल यह है कि किसी भी मिनिस्टर महोदय का किसी भी अविलम्बनीय लोक महत्व के किसी प्रश्न पर ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। अब सवाल यह देखना है कि मंत्री महोदय की नजरों में वे घोटाले अविलम्बनीय या लोक महत्व के है या नहीं। अगर···

श्री उपाध्यक्ष : इस बात के वे जज नहीं हैं, आप जज हैं। इसके कहने की आवश्यकता नहीं है, अध्यक्ष महोदय कह दें, वह हो जाता है अविलम्बनीय···

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : आपको निर्णय लेने में सहूलियत हो इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं···

श्री उपाध्यक्ष : आप जल्दी बैठ जावें तो मैं समझता हूं सहूलियत हो।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मैं यह इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि इस प्रश्न की महत्ता के बारे में किसी को बात से आपके पास कोई गलतफहमी पैदा नहीं हो जाय। जो किसानों की लूट हो रही है, किसानों को उनकी पैदावार को उचित कीमत मिले, किसान का कृषि उत्पादन बढ़े, किसानों को इन्सेन्टिव मिले ताकि वे उत्पादन को बढ़ावें, उनके लेबर का, उनकी मेहनत का उनको पूरा फायदा मिले उनको उनके उत्पादन की पूरी कीमत मिले और राजस्थान की ग्रामीण जनता··

श्री उपाध्यक्ष : आप विषयान्तर हो रहे हैं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : ····का उत्थान हो, विकास हो, इस प्रकार का प्रश्न क्या लोक महत्व का नहीं है? आज इस तरह से जन जीवन के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, निगम में जो इस प्रकार के घोटाले हुए है, और हो रहे हैं, क्या उनको लोक महत्व का नहीं मानते?

श्री उपाध्यक्ष : आपकी बात मैं समझ गया।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मैं निवेदन करना चाहूंगा, दूसरा सवाल इस सम्बन्ध में मैं यह पूछना चाहूंगा कि क्रिमिनल लायबिलिटी 420 में होती है, किसानों के साथ धोखा देही होती है, 65 में किसानों से गल्ला खरीद लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : वह अलग है.··

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : राजस्थान की धरती पर कहीं चोटिंग किसी प्रकार कि

Page No. 90

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

किसानों के साथ हुआ है, धोखादेही किसानों के साथ हुई है, किसानों का गला घोंटा गया है, तो निश्चित रूप निश्चित तौर पर यह पीनल आफेन्स में आता है। पीनल प्रोविन्स सेन्ट्रल सब्जेक्ट नहीं हैं, राजस्थान का सब्जेक्ट है। अगर कोई निगम का अधिकारी जा रहा है, किसी ने उसकी मजामत कर दी तो क्या आप कहेंगे कि सेंटर अपनी फौज पुलिस भेजे ? क्योंकि यह सेंटर का सब्जेक्ट है ? नहीं, क्योंकि ला एण्ड आर्डर को मेन्टेन करना आपका मुख्य कर्तव्य है। उसी तरह से किसानों के साथ 42 . की जाती है, उनको चोट किया जाता है, तो यह आपका सब्जेक्ट है।

इसके साथ ही साथ एसेन्शियल सप्लाईज एक्ट के तहत जितनी धाराएं हैं, सप्लाईज को कन्ट्रोल करने की, खरीद की, प्रोक्योरमेंट की, लोगों को एश्योर कराने का सवाल है कि किसानों से, उत्पादक से गल्ला वसूल किया जाय, कन्ज्यूमर्स को उसे उचित कीमत पर प्रोवाइड कर दिया जाय, यह सब मसले आपके अन्तर्गत आते हैं, यह सब आपके क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं। सेंट्रल एक्ट के अन्दर राजस्थान सरकार को जो अधिकार हैं, उन्हीं अधिकारों के अन्तर्गत यह बात यहां रखी गई है। आपको इस सम्बन्ध में आगे बढ़ना चाहिये। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि किसानों के हितों के वे सबल प्रहरी बन कर, हमारा सहयोग ले कर जो आपका उत्तरदायित्व है, उसको निभाइये, आप नौजवान हैं, आइये, आगे आइये, किसानों के साथ जो यह अन्याय हुआ है, उसका पर्दा फास करिये। लाखों रुपया का घोटाला हुआ है 65 रु. क्विन्टल के हिसाब से किसानों से खरीदा गया 81 रुपया क्विन्टल के हिसाब से लोगों को दिया जावे, इससे अधिक और बेईमानी क्या हो सकती है।

यह मैं नहीं कहता कि इसके लिए केवल हमारे दिल में ही आग है, आपके भी दिल में वही आग है, इसलिए आप आगे आइये और इस सब घोटालों का पर्दा फास कीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री महोदय।

श्री रामकिशन (वैर) : उपाध्यक्ष महोदय, जो खाद्य मंत्री जी ने इस स्टेज पर एतराज उपस्थित किया है, उसके सम्बन्ध में ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा। पर उनका मुख्य मुद्दा यह है कि खाद्य निगम पार्लियामेंट के अन्दर में है और उसके सम्बन्ध में कोई भी कार्यवाही होगी वह पार्लियामेंट के अधीन होगी। उस एक्ट को पढ़ेंगे तो साफ मालूम होगा कि निगम के नफा, नुकसान, उसका इन्टरनल कार्यवाहियां गठन हैं, उनके लिए पार्लियामेंट जिम्मेदार है। आज यहां उसके नफा नुकसान, गठन, फंक्शन्स पर सवाल नहीं उठाया जा रहा है पर चूंकि खाद्य निगम राजस्थान सरकार का एजेंट था, न. एक एजेंट था खरीद में और न. दो एजेंट बनाया प्रोक्योरमेंट में। लेवी निगम द्वारा ली जा रही थी व इस काम में निगम ने किसानों को लूटा, किसानों के साथ निगम में धोखादेही की और अपना कर्तव्य नहीं निभाया। इस सम्बन्ध में मामला सदन में उठाया गया है। जो हम डिस्कस करना चाहते हैं वह राजस्थान विधान सभा के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत मामला है। इसलिए आपका पोइन्ट ऑफ ऑर्डर अनुचित है।

(श्री रामकिशन)

31 को यह मामला दिया गया, इसके बाद कई बार आपसे चर्चा भी हो गई। सूचना प्राप्त न होने का आधार लेकर आपकी मंशा ही इसे टालने की होतो उस मंशा से लाभ होने वाला नहीं है। वैसे हर प्रकार से यह हमारे अधिकार क्षेत्र का सवाल है। हमारे एजेंट ने गलत काम किये हैं, खाद्य निगम ने राजस्थान में एजेंट बन कर काम किया, उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। संगठन, नफा, नुकसान के लिये केन्द्र जिम्मेदार है।

(2 म. प.)

श्री परसराम मदेरणा (खाद्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य और वैर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, खाद्य निगम राज्य सरकार का एजेंट था और उस एजेंट की हैसियत में उसके द्वारा कार्यवाही की गई है, उसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है। मैं माननीय सदस्यों को जानकारी देना चाहता हूं कि लेवी आर्डर जो लागू किया वह 14 मई से लेकर 4 जून तक था। उस अर्से में खाद्य निगम राज्य सरकार का एजेंट की हैसियत से काम करता रहा और इस समय में जो लोकल परचेजिंग की हैं वह 63,000 टनों में से हमारे एजेंट की हैसियत से 6717 टन की हैं। इस निगम के बारे में जो कुछ शिकायतें आई, वे 4 जून के बाद की हैं।

श्री रामकिशन : 4 जून के पहले की भी हैं और बाद की भी हैं।

श्री परसराम मदेरणा : 4 जून के बाद की हैं। उस समय जो प्रोक्योरमेंट करते थे वह सेन्ट्रल अकाऊंट पर करते थे और हमारे एजेंट की हैसियत से नहीं कर रहे थे और न ही हमने कोई धनराशि उनको दी थी। ऐसी हालत में, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो एक एनोलोजी ड्रा की विद्युत् मंडल को लेकर, उस संबंध में मेरा निवेदन है कि विद्युत् मंडल के सदस्यों का मनोनयन राज्य सरकार करती है। उसके साथ ही राज्य सरकार के उस बोर्ड में 50 प्रतिशत से ऊपर शेयर्स खरीदे हुए हैं। उसके साथ साथ विद्युत् मंडल की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट के अन्तर्गत बोर्ड की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखी जाती है और जिस संस्था की, जिस स्टेचूटोरी बोडी की रिपोर्ट सदन में रखी जाये तो सदन उस पर डिस्कस करने के लिए सक्षम है लेकिन खाद्य निगम की कोई भी रिपोर्ट सदन की मेज पर उस अधिनियम के अन्तर्गत नहीं रखी जा सकती। क्योंकि माननीय अध्यक्ष महोदय ने काल एटेन्शन नोटिस द्वारा मेरा ध्यान आकर्षित करने के लिए इजाजत दी है इसलिए मैं टेक्नीकल ग्राऊंड पर नहीं कहता क्योंकि जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने एतराज किया है लेकिन इसका स्कोप लिमिटेड है और राज्य सरकार के कुछ लिमिटेशन्स है। उसको ध्यान में रखते हुए माननीय सदस्य मेरा ध्यान आकर्षित करेंगे, मेरा इतना ही पाइंट आफ आर्डर था। उसके साथ ही साथ यह बहस का प्रश्न नहीं है। धारा 131 के अंतर्गत मुझे स्टेटमेंट देना है, उसमें मुझे आनाकानी नहीं है। लेकिन राज्य सरकार की मजबूरी है प्रश्न लेने में, उसके लिये मैं सदन को जानकारी देना चाहता था।

श्री उपाध्यक्ष : ध्यान आकर्षण के संबंध में इतना ही है कि जो मंत्री महोदय ने कही है उसका सम्बन्ध इस बात से होना चाहिए ऐसा नहीं है। ध्यान आकर्षण में कोई आपत्ति

Page No. 92

(श्री उपाध्यक्ष)

नहीं है । कल पाकिस्तान का हमला हो जाय, सदस्यों को मालूम है और वहां मालूम न हो, सदन में माननीय सदस्य कहते हैं कि हम पर विपत्ति आ गई है, तो इस पर चर्चा नहीं होती है, ध्यान आकर्षित होगा उसके बाद में मंत्री महोदय समझते हैं तो वह अपनी बात कह देंगे । इतना ही मतलब होता है ।

श्री हरिदेव जोशी (उद्योग मंत्री) : पोइंट आफ आर्डर सर ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अच्छी परम्परा है कि मंत्री पोइंट आफ आर्डर रेज करते हैं । पोइट आफ आर्डर सदन की कार्यवाही में बाधा उपस्थित करने के लिए करिए ।

श्री हरिदेव जोशी : कतई नहीं । आप और हमेशा यह बात करते हों तब तो मैं समझता कि सदन की कार्यवाही में बाधा उपस्थित होती है लेकिन अगर किसी चीज को साफ करने के लिए उठाया जाता है · ·

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अभी तो आपोजीशन में बैठना पड़ेगा ।

श्री हरिदेव जोशी : आपने तो इधर बैठने की कोशिश की मगर सफल नहीं हो सके, यह मजबूरी है आपकी ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जनता का खून बहाकर हम उधर नहीं बैठना चाहते । यह आपको ही मुबारक हो ।

श्री हरिदेव जोशी : पसीना बहाइए । जो कार्य सूची आज सक्यूलेट की गई है, उसमें मेरा विषय पहले आने को था · · ·

श्री नत्थीसिंह : आपको पता ही नहीं है कि · · · ·

श्री हरिदेव जोशी : जो एजेन्डा सक्यूलेट किया गया है और जो मुझे दिया गया है, अगर वह गलत दिया गया हो तो मुझे कुछ नहीं कहना है · · ·

श्री नत्थीसिंह : कल व्यवस्था हो गई थी ।

श्री हरिदेव जोशी : तो इसका एरेटा आ जाना चाहिए था । मुझसे पहले प्राथमिकता किसी और मन्त्री महोदय को दी गई है या माननीय सदस्य को दी गई है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपको जलन इस बात की है कि परसरामजी को क्यों प्रायर्टी दी ।

श्री हरिदेव जोशी : बिल्कुल । न तो कोई एरेटा सक्यूलेट किया गया है न इसमें दूसरी सूचना दी गई है । इसलिए मैं केवल एक ही चीज जानना चाहता हूं कि क्या इस विषय को लेने का विचार नहीं ?

श्री रामकिशन : मंत्रियों की सीनियोरिटी अध्यक्ष महोदय को तय नही करनी है, वह तो मुख्य मंत्री तय कर सकते हैं । अगर आपको डिमोट कर दिया हो तो हमें पता नहीं और मदेरणा जी को सीनियर डिक्लेयर कर दिया हो तो उनसे तय करें ।

श्री भैरोंसिंह : रामकिशनजी के सुझाव में एक संशोधन करना चाहता हूं कि एक कमीशन नियुक्त किया जाय जिसके सामने ये रिप्रेजेन्टेशन करें और वह सीनियोरिटी तय करें ।

श्री हरिदेव जोशी : मुझे कोई एतराज नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : ध्यान आकर्षण प्रस्ताव कल लिए जाने को था लेकिन कल मंत्री महोदय उत्तर नहीं दे सके इसलिए आज लिया गया।

श्री हरिदेव जोशी : मैं 11 बजे से इन्तजार कर रहा हूँ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपको तनख्वाह ही इस बात की मिलती है। कोई एहसान करते हो ? गाली खाते हो।

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, आज जिस विषय को सदन में उठाया जा रहा है, यह महत्वपूर्ण है। केवल राजस्थान के किसानों को कुछ कीमतें दी गई हों, इससे संबंध नहीं है बल्कि भारत की राजनीति और राजस्थान की राजनीति से भी संबंध है। खाद्य निगम के संबंध में अभी व्यवस्था के प्रश्न के संबंध में जो बातें कही गई हैं वे सब सदन के सामने मौजूद हैं। अब के साल राज्य सरकार ने यह निश्चय किया था कि किसानों से मैक्सीमम प्राइस पर गेहूं खरीदे जायं और उसके लिए राज्य सरकार ने राजस्थान की तरफ से खाद्य निगम को अपना ऐजेन्ट नियुक्त किया था। उस समय सरकार ने विधान सभा में कीमतें घोषित की थीं, उस समय सदन के सदस्यों ने उसका विरोध किया था क्योंकि बाजार में कीमतें काफी ऊंची थी और सरकार ने घोषित किया था कि अगर उन कीमतों से नीचे अनाज जायेगा तो सरकार अनाज को खरीदेगी और किसानों को अच्छी फसल की उम्मीद थी, उसके कारण सरकार ने आश्वासन दिया था कि अगर इससे नीचे कीमतें जायेंगी तो सरकार इस सारे अनाज को खरीदेगी। मैं राज्य सरकार द्वारा सारे अनाज खरीदने की बात तो छोड़ता लेकिन अंत में फैसला किया कि गेहूं जो राजस्थान में पैदा हुआ है और गेहूं वाला इलाका है उन क्षेत्रों में राज्य सरकार खरीदेगी और उस समय उसने खाद्य निगम को अपना ऐजेन्ट नियुक्त किया था। खरीदने के साथ, निगम की दो जिम्मेदारियां थीं। जिस समय खाद्य निगम को खरीद का अधिकार दिया गया, उस समय राज्य सरकार ने किसानों पर लेवी भी लगाई थी और व्यापारियों पर भी लेवी लगाई थी। व्यापारियों के साथ शर्त लगाई कि जितना अनाज वे खरीदेंगे उसमें से 25 प्रतिशत अनाज सरकारी कीमतों पर निगम को देंगे और जो व्यापारी पहले निगम को देंगे वे राजस्थान के अन्य हिस्सों में भी गेहूं भेज सकेंगे। सरकार के इसमें दो उद्देश्य थे: एक तो

(2.09 म.प.)

(श्री राम नारायण चौधरी, सभापति, पदासीन)

अनाज की कीमतें ज्यादा नीचे न जायं और दूसरे जैसे हम अमरीका कैनाडा और दूसरे देशों में भिखमंगी करते हैं, उसको दूर करने के लिए खाद्य निगम बफर स्टाक बनाए। इसके लिए हिन्दुस्तान की सरकारों और खाद्य निगम से निवेदन किया कि वे परचेजिंग करें। तो यहां दो मुद्दे उठते हैं, एक तो जैसे खाद्य मंत्री ने कहा, हमने खाद्य निगम को ऐजेन्ट बनाया लेकिन वह हमारा एजेन्ट 14 मई से लाकर 4 जून तक चला। फिर लेवी वाले आदेश सरकार ने वापिस ले लिये। यह वापिस क्यों ले लिये आदेश और निगम के लिये जो लक्ष्य निर्धारित किया था वह क्यों नहीं पूरा किया यह सबसे पहला चार्ज खाद्य निगम पर मैं लगाना चाहता हूँ। लक्ष्य यह निर्धारित किया

(श्री रामकिशन)

गया था 65 हजार टन गेहूं लेवी के रूप में भिन्न 2 मंडियों से खाद्य निगम इकट्ठा करेगा। लेकिन निगम 4 जून तक 6 हजार टन गेहूं भी इकट्ठा नहीं कर पाया। इसका असर क्या हुआ ? इसका असर यह हुआ कि जब फसल मंडियों में आयी तो व्यापारी अनाज खरीदने के लिये तैयार नहीं थे। मैं सब ही मंडियों की बात नहीं कहता लेकिन भरतपुर, नदबई, बयाना, हिन्डौन सवाई माधोपुर की मंडी–जहां मैं पार्टी के काम से आया जरूर था, वहां किसान जब मंडियों में अनाज लाये तो पशु अनाज को खा रहे थे, क्योंकि व्यापारी तो खरीद नहीं रहे थे, इससे किसान परेशान थे, छः छः दिन अनाज को लेकर वे लोग वहां पर पड़े रहे, निगम तुलाने के लिये तैयार नहीं और दूसरी मंडियों को भेज नहीं सकते। इस सम्बन्ध में खाद्य निगम से निवेदन किया, आप, अनाज मंडियों में पड़ा हुआ है उसको तुलवाइये लेकिन तुलवाया नहीं। भाव नीचे चले गये और जो लेने की रेट्स रखी थीं उनसे भी नीचे मिल रहा था। लेवी क्यों लगा रहे हैं जबकि अनाज काफी मिल रहा है। लेकिन कोई सुनवाई नहीं। 14 मई से लेकर 4 जून तक 20 दिन तक राजस्थान के किसानों की लूट हो रही थी, अनाज लुट रहा था और उसके भाव नीचे जा रहे थे। भरतपुर में 26 रुपया मन बढ़िया गेहूं का भाव आगया था। मैंने खुद ने 24।। रु. मन खरीदा। लेकिन हालत यह थी कि निगम के पास न तो गोडाउन की व्यवस्था थी, न ही बारदाना था और न ही कर्मचारी थे। कोई भी तुलाने के लिये तैयार नहीं था। तीन चार चीजें वहां थीं। व्यापारी खरीदने के लिये तैयार नहीं थे, निगम की कोई व्यवस्था नहीं थी और वह खरीदने के लिये तैयार नहीं था और अनाज की रेट्स नीचे जा रही थी। किसान परेशान हो रहे थे। आप लिमिटेड स्कोप में ही बात करना चाहेंगे तो मैं लिमिटेड स्कोप में ही कहूंगा और 20 दिन की ही बात करना चाहूंगा। आपने जो लेवी का लक्ष्य निर्धारित किया था उसको पूरा क्यों नहीं किया ? पूरा इसलिये नहीं किया कि आपकी कोई व्यवस्था नहीं थी। अनाज काफी मंडियों में था लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं था और इस परिणाम स्वरूप आपके निर्धारित भाव से भी अनाज काफी नीचे जा रहा था। 20 दिन की गलत कार्यवाहियों की जिम्मेदारी आप लेना चाहते हैं ? यदि गलत कार्यवाहियों की जिम्मेदारी निगम लेना चाहता है तो 20 दिन का इलाज हो जाय तो दो महीने का भी इलाज हो सकता है। कीमतें नीचे चली गयीं और लेवी की आवश्यकता नहीं तो राज्य सरकार ने आदेश निकाल दिये कि लेवी समाप्त हुई। जब इस प्रकार के आदेश सरकार के निकले तो दूसरे ही दिन दो रुपया मन ऊंचा हो गया गेहूं। व्यापारियों ने खरीदना शुरू कर दिया। पहले व्यापारी खरीदने के लिये तैयार नहीं थे, निगम ले नहीं रहा था और किसान इस प्रकार लुट रहा था। खाद्य मंत्री जी इसका जवाब दें ? इसके साथ साथ इस बात का भी जवाब दें कि कीमतों का जो नुकसान हुआ उसके लिये कौन जिम्मेदार है ? 65 हजार टन का जो आपने इस समय में लक्ष्य निर्धारित किया था वह पूरा क्यों नहीं हुआ ? किसान को नुकसान उठाना पड़ा उसके लिये कौन जिम्मेदार है ?

दूसरे बड़े गम्भीर विषय पर आता हूं। सदन में कुछ लोग ऐसे हैं जो राजकीय व्यापार

(श्री रामकिशन)

का विरोध करते हैं लेकिन हम उन लोगों में से हैं जो राजकीय व्यापार का समर्थन करते हैं। हमारा यह मत है कि खाने पीने की चीजें, उपभोक्ता वस्तुओं का क्रय विक्रय राज्य सरकार के हाथ में आ जाय। चाहे वह राज्य सरकार हो या केन्द्रीय सरकार। हिन्दुस्तान के उपभोक्ताओं को सुरक्षा देने की दृष्टि से खाद्यान्न का व्यापार सरकार के हाथ में रहे। हम इसमें कोई व्यापारियों के विरोधी नहीं हैं। सदन में एक बार नहीं अनेक बार यह कहा गया है कि इस सरकार की मंशा राजकीय व्यापार को बढ़ाने की नहीं है। समाजवाद को यह सरकार बदनाम कर रही है अपने चरित्र से और कर्म से, कांग्रेस अपने जीवन-काल में ही समाजवाद को बदनाम कर रही है और यह कांग्रेस समाजवाद की अपने जीवन काल में ही एक ऐसी धुंधली तस्वीर छोड़कर जाना चाहती है जिस प्रकार रूस ने जैकोस्लावेकिया पर आक्रमण कर समाजवाद की तस्वीर को बिगाड़ा है। इसी प्रकार की बिगड़ी हुई तस्वीर यह कांग्रेस सरकार भी अपने जाने से पूर्व छोड़ जाना चाहती है।

इस सम्बन्ध में मैं राज्य सरकार के कर्मचारियों से मिला। मैं उनका नाम नहीं कहना चाहता। मैं बम्बई में उनसे मिला जहां अपनी पार्टी के काम से गया हुआ था। असिस्टेन्ट फूड कमिश्नर थे। पंचायत समिति में बुलाया और उनको कहा कि इस प्रकार की गड़बड़ियां हो रही हैं। एक जैन साहब थे। मैंने उनको कहा कि भरतपुर में जाइये वहां पर श्री नत्थीसिंह जी, श्री मुकुटबिहारी जी मिलेंगे और आप उनसे संपर्क स्थापित कीजिये। मैं नदवई में राजनैतिक काम से आया हुआ था। इसलिये मैंने उनको वहां भेजा। वे जो एजेन्ट गड़बड़ी कर रहे थे उनकी दुकान पर पहुँच गये। कैसे गड़बड़ी हुई वह बाद में अर्ज करूंगा। लोगों को बुलाया, मैंने कुछ व्यापारियों के नाम बताये। वे व्यापारी डर गये। क्योंकि वैसे ही व्यापारी समझता है कि वह हिन्दुस्तान को इस सरकार से सुरक्षित नहीं है। कभी भी उन पर सरकार की कोप दृष्टि हो जाय तो उनको नुकसान पहुंच सकता है। जो एजेन्ट गबन कर रहे थे, किसानों को लूट रहे थे, वहां पर सरकार के अधिकारी पहुंचे उन्होंने न नत्थीसिंह जी को बुलाया और न ही मुकुटबिहारी जी को बुलाया और ऐसे लोगों को बुलाया और ऐसे व्यापारियों को बुलाया जो एजेन्टों के लिये कुछ भी कहने में संकोच करते थे। दुबारा वे चले गये। विश्नोई साहब अच्छे आफिसर रहे हैं। 22 तारीख को वे जांच के लिये आ रहे हैं इस प्रकार की सूचना भरतपुर के जिलाधीश ने मुझे दी, अन्य माननीय सदस्यों को सूचना दी कि जो निगम के द्वारा अनियमिततायें हुई हैं उनकी जांच के लिये विश्नोई साहब आ रहे हैं लेकिन वे नहीं आये। हमने कलेक्टर साहब से और अन्य अधिकारियों से निवेदन किया। यह हम मानते हैं कि खाद्य निगम केन्द्रीय सरकार के प्रति जिम्मेदार है लेकिन यह भी सही है कि इसकी जांच हो जाय कि निगम क्या कर रहा है, वह अपराध कर रहा है और अपराधी है, जो अपराध वह कर रहा है उसकी जांच तो आपके हाथ में है। लेकिन कलेक्टर साहब ने असमर्थता प्रकट की। 60 लाख क्विन्टल गेहूं उस खाद्य निगम के अन्तर्गत खरीदे गये। मेरा यह आरोप है, इसके मुकाबले में मेनन का जीप स्केन्डल और न ही कोई दूसरे आरोप ठहरेंगे, 60 लाख रुपयों की इसमें गड़ब

(श्री रामकिशन)

हुई है माननीय जोशी जो आज 15 साल तक सुखाडिया जी की खुशामद करने के बाद मिनिस्टर बने हैं लेकिन केवल एक क्वालिटी इन्स्पेक्टर ही बन जाते तो निहाल हो जाते। वह करता क्या था ? मंडी में वह वहां जाता और एक ढेरी ले लेता और निगम को कह देता कि तुला लो। उसके बाद व्यापारी 65 रु. में खरीद लेते। निगम के खाते में उसी गेहूं को 82) रु. क्विन्टल लगा लेते थे। क्वालिटी इन्स्पेक्टर और तीन एजेन्टों ने मिल कर 82) में निगम के खाते में वह गेहूं जो 65) में व्यापारियों द्वारा खरीदा गया लगा लेते। आप कहेंगे कि इसकी कैसे जांच करें ? इससे सीधा और कोई मामला नहीं पकड़ा जा सकता। इस प्रकार के भरतपुर में एक नहीं कई मामले मिल जावेंगे आप उनके बही खाते मंगा लें। सुबह 65) रु. में खरीदा हुआ है और वह ही शाम को 82) रु लिखा हुआ है। हमने जगजीवनरामजी को सूचना दी, मदेरणा साहब को सूचना दी। आखिर हमने कलेक्टर के कार्यालय को घेरा। मुकुट बिहारी जी मंडी घेरने के लिये चले गये। हमारा घेराव करने का मतलब हिंसा नहीं होती है। हमारा घेराव अहिंसक होता है उस दिन सब भाग गये। जगजीवन रामजी, परसरामजी का जवाब नहीं। हिन्दुस्तान का किसान लुटता रहा और सरकार देखती रही। जितने लोकतन्त्रीय हथियार काम में लिये जा सकते थे काम मे लिये गये। कांग्रेस के लोग भी शामिल थे, भरतपुर जिला परिषद ने भी प्रस्ताव पास किया कि इस सारे कांड की जांच की जाय लेकिन ताज्जुब होगा कि 60 लाख रुपया गबन हुआ दस रुपया क्विन्टल के मुनाफे से कोई सुनने वाला नहीं। एक लाख 27 हजार क्विन्टल भरतपुर में खरीदा गया। 53 हजार क्विन्टल के करीब नंदवई में खरीदा गया। भरतपुर जिले में 25 लाख रुपया तीन आदमियों को मिल गया क्वालिटी इन्स्पेक्टर और एजेन्ट को। इससे बड़ा सरकार को और राजकीय व्यापार को बदनाम करने का कोई हथियार नहीं हो सकता। लेकिन केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार कुछ नहीं करना चाहती। जो राजकीय व्यौपार के विरोधी हैं इस कारण से राजकीय व्योपार का विरोध करते हुए घूम रहे हैं। 25 लाख की इस प्रकार गड़बड़ी कर दी और सारा ही व्यापार चला गया तो कितना नुकसान होगा। तो आपको इस बात में झिझक, शर्म नहीं होती है कि हमारे बारे में क्या कहा जा रहा है। सभापति महोदय इसको गंभीरता से लेते हैं। हम यह समझते हैं कि आप कार्यवाही कर रहे हों और आप इन मामले में चुप लगा कर बैठ गये हैं। मन्त्री महोदय एक आधा जवाब, टूटा फूटा जवाब दे देंगे। हम जानते है कि आप चतुर बन गये हो। किन्तु आप लोगों की जड़ों में न जाकर पत्तों पर ही कूदने की आदत बन गयी है। यह कहेंगे इन्क्वायरी करायेंगे। जो इन्क्वायरी करायी है, उसकी क्या रिपोर्ट है, मन्त्री जी बतावें। मैं जानता हूं कि परसराम जी ईमानदार हैं, होशियार हैं। इसकी कोशिश करेंगे किन्तु इन 20 वर्षों में कांग्रेस राज्य में बेईमानी इतनी घर कर गयी है कि भले और ईमानदार का कोई ख्याल नहीं है। जांच का रिजल्ट क्या रहा। एजेन्ट ने गड़बड़ की है, क्वालिटी इन्सपेक्टर व निगम के जिन अधिकारियों ने इसकी अपेक्षा की है, वे इस जांच में कठघरे में नजर आते। मेरी मांग है कि जांच से सन्तोष नहीं होगा। आपको सरकार जैसी जांच कराती है, उसके बारे में हमारा,

(श्री रामकिशन)

विश्वास नहीं है। 81-82 के भाव में खरीदा। यह उसके बहीखाते में, भरतपुर, अलवर के एजेन्ट के बहीखाते में मिल जायेगा। जितना डिफरेंस एजेन्ट ने लिया है, वह वसूल किया जाय और वह सारा किसानों को दिलाया जाय? निगम का एजेन्ट बनने के लिये आज व्यापारी लाखों रुपया खर्च करने को तैयार हैं। जितना 15 सालों में नहीं कमाया उतना उन्होंने निगम के एजेन्ट बनकर कमा लिया है। जितना बिड़लाजी ने नहीं कमाया उतना निगम के एजेन्ट बनकर कमा लेते हैं। बिड़लाजी ने फर्जी कार्यवाही कर कमाया हो! इन्दिरा जी से मिलकर नफा लिया हो, जोशी जी ने हाथ पैर पकड़कर फायदा लिया होगा किन्तु व्यापारियों ने निगम के एजेन्ट बनकर ज्यादा फायदा ले लिया है। इसमें सरकार की लागत है। सरकार का पैसा है। एक एक एजेन्ट ने एक एक महिने में 25 लाख रुपये का नफा कमाया है। इतनी बड़ी लूट हिन्दुस्तान में और किसी व्यापार में नहीं है। यह राज्य सरकार के नियमों में हो है। मेरे निवेदन करने का यह मतलब नहीं है कि खाद्य मंत्री जी समझदार नहीं हैं। मैं मानता हूं उनमें विवेक है। मैं पूछता हूँ दो दिनों से चर्चा चल रही है राज्य सरकार ने क्या स्टेप्स लिये? मैं जानता हूं आप कहेंगे हमारी सीमा है, मर्यादा है, इसलिये कुछ नहीं कर सके किन्तु आपने दिल्ली वाली सरकार को क्या कहा? कहेंगे चिट्ठी लिख दी। चिट्ठी लिख दी, यह तो मैं भी भरतपुर से चलता हूँ तो तीन-चार दिन में अपनी पत्नी को पोस्टकार्ड लिख देता हूं। इससे मेरा कोई मतलब नहीं है। क्या राज्य सरकार कोई कदम उठाने को तैयार है? कैसे एजेन्ट बनाये गये, उनके खिलाफ क्या आरोप है, यह नत्थीसिंह जी बोलने वाले हैं, उनके लिये छोड़ना चाहता हूँ। मुख्य रूप से वे इन पर ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। सभापति महोदय कुछ और मुद्दे हैं।

श्री सभापति : अभी ध्यान आकृष्ट नहीं हुआ?

श्री रामकिशन : जितना मेरा स्कोप है, उतना ही कहता हूँ।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : सभापति महोदय, बड़ा डंका बजाना पड़ता है नगाड़े पर तब जाकर कुंभकर्ण की नींद टूटती है।

श्री रामकिशन : एक दो बात और निवेदन करूंगा। लेव्ही की बात मैंने कह दी। खरीद की बात कह दी। रेट्स की बात कह दी। किस प्रकार से एजेन्ट मिलकर लूट रहे हैं, उसकी बात भी कह दी। अलवर, भरतपुर में ही नहीं, जहां कहीं गेहूँ की खरीद हुई है, वहां सब जगह यह लूट चली है। राज्य सरकार के सामने खाद्य का प्रश्न आ गया है। राजस्थान में अकाल की स्थिति पैदा हो गई है। अब बरसात भी हो जाय तो इस खतरे से नहीं बचा जा सकता। मैं पूछना चाहता हूं कि इस निगम ने जो खरीद की है, उसके लिये राज्य सरकार ने अपनी तरफ से क्या कार्यवाही की है? क्या आप इस अनाज को दूसरे राज्यों में भेज देना चाहते हैं? दूसरे राज्यों में भेजना चाहते हों तो भेजें, मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं यह नहीं चाहता कि राजस्थान के लोग सुखी रहें और दूसरे राज्यों के लोग भूखे रहें। दुःख में रहें। मैं इसे इस दृष्टि से नहीं देखता। दूसरे राज्यों को भेजें।

(श्री रामकिशन)

परन्तु पहले आप भेजें और दुबारा सेन्ट्रल गवर्नमेंट से मंगायेंगे तो इसमें ट्रान्सपोरटेशन का खर्चा होगा। 6।। लाख टन अनाज सीधा खरीदा है। राजस्थान को कितने अनाज की जरूरत होती है? खाद्य मन्त्रीजी ने इसका अनुमान लगाया होगा? जितना अनाज राज्य में सन् 64–65 में आया, उसे छोड़ दें तो 65–66 को आधार मान लें और जितना अनाज पिछले साल आया उतना अनाज निगम में राजस्थान के लिये रिजर्व करवा लिया जाय। हमने 4।। लाख टन अनाज बाहर से मंगवाया था। मैं जानना चाहता हूँ कि उसमें से कितना टन अनाज आपने रिजर्व करा लिया है। सभापति महोदय कीमतें ऊंची बढती जा रही हैं। इस सात दिनों में कितने ऊंचे ढग से कीमतें ऊंची गई हैं। बाजार में आज से दस दिन पहले जो गेहूँ 85 रुपये क्विन्टल था, वह आज 125 रुपये तक पहुंच गया है। कीमतें ऊंची चली जा रही है। राज्य सरकार चुप लगा कर बैठी है। हमारे यहां से चने की निकासी हो रही है। मोटे अनाज की निकासी हो रही है। एक बार निकासी करें और दूसरी बार मंगवायें मैं इसका विरोध करता हूँ। अनाज को आप इधर से उधर भेजें और उधर से इधर मंगवायेंगे उसमें ट्रान्सपोरटेशन का खर्चा होगा, व्यवस्था में गड़बड़ी होगी। इसको मद्देनजर रखते हुए मैं सरकार से पूछूंगा कि राज्य सरकार में इसके लिये कोई स्टेप ले लिया है क्या? जो लेवी का अनाज इकट्ठा किया है, उसको बाजार में कब ला रहे हैं? कीमतें अनाज को 40) रु. मन तक पहुंच गई है। आप यह करेंगे कि अपने कर्मचारियों के 5–7 रुपये बढा दिये। दो लाख कर्मचारी हैं, दस रुपये बढा दिये किन्तु राजस्थान के दो करोड़ उपभोक्ताओं के बारे में आपकी क्या नीति है? इसके बारे में सदन में हम चर्चा करते हैं हम चिन्तित हैं? दो, सवा दो करोड़ राजस्थान के उपभोक्ता हैं, उनके बारे में कोई कमीशन, कमेटी, खाद्य कमेटी बिठाने की कोई नीति आपने निर्धारित की है? इस सारी समस्या को कैसे सुलझायेंगे? कैसे निराकरण कर पायेंगे। मैं मन्त्री महोदय से यह चाहूँगा कि सरकार की निकासी के बारे में क्या नीति है? इसका स्पष्ट उत्तर दें। मुख्य मन्त्रीजी कहीं दौरे पर गये थे। वहां व्यापारियों ने पूछा आप निकासी के बारे में कब निर्णय लेंगे। मुख्य मन्त्री जी ने जवाब दिया 5–7 रोज में तय कर देंगे। मैं इसका ऐतराज करता हूँ। मुख्य मन्त्री जी जिस भाषण का प्रयोग करते है, उसका अर्थ व्यापारी समझते हैं। उसके बाद एकदम निकासी तेज हो गई। इसलिये सरकार इस सम्बन्ध में एक स्पष्ट घोषणा करे कि उसका निकासी जारी रखने का उद्देश्य है, या बन्द रखने का? 7 दिन में निर्णय करने का, तय करने की बात कह कर आप व्यापारियों को मौका देना चाहते हैं। हजारों व्यापारियों ने खरीद शुरू करदी और मद्रास वगैरह निकासी कर दी। सरकार को इस सम्बन्ध में स्पष्ट नीति का निर्देशन देना चाहिये।

निगम के कर्मचारियों ने, उनके अपराध के प्रति आप कहते हैं। हम जिम्मेदार नहीं हैं। मैं कानून का ज्ञाता नहीं हूँ इसके बारे में मुझे विशेष ज्ञान नहीं है और न मैं कोई वकील हूं। किन्तु मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि वे आपके यहां डकैती डाले तब भी आप केन्द्रीय सरकार से पूछेंगे कि

(श्री रामकिशन)
क्या किया जाय ? उनको सर्विस कन्डीशन, पेंशन, प्रोमोशन का सवाल हो तो आप पूछें लेकिन निगम के कर्मचारी, खाद्य विभाग के कर्मचारियों ने मिलकर लेवी के टाइम पर लूट की है । उसके सम्बन्ध में आपको कुछ करना चाहिये ? आप कुछ नहीं कर पाये तो इसका क्या अर्थ लगायें ?

श्री परसराम मदेरणा : खाद्य विभाग के कर्मचारी कहीं पिक्चर में नहीं आते ।

श्री रामकिशन : लेवी के टाइम में लूट की है । उनको असिस्टेन्स कर रहे थे । मैं बता दूंगा । आगे बता दूंगा । सभापति जी, मैं चाहूंगा कि मन्त्री महोदय इस सम्बन्ध में स्पष्ट उत्तर दें । हाऊस को कमीट करें । यह बतायें कि जो आपकी सीमा के बाहर, उसे केन्द्रीय सरकार आपसे किस प्रकार करवाना चाहते हैं। एक चीज की ओर जानकारी देने की कृपा करें आपने इसमें भी राजनीति से काम लिया या नहीं मैं यह जरूर मानता हूं कि राजनीति जीवन के हर क्षेत्र में प्रवेश कर जाय रोटी से लेकर शादी तक तो उससे बढ़िया और कोई काम नहीं हो सकता । लेकिन वह पोलिटिकल राजनीति ही हो । आप केवल अपने तुच्छ स्वार्थ के लिये इसमें जो राजनीति चला रहे हैं वह निन्दनीय है । आपके पीछे पीछे जो व्यापारी फिरता है, जो आपको चुनाव के लिये चन्दा देते हैं उनको आप हर तरह से जा-बेजा फायदा पहुँचाने की कोशिश करते हैं । मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताऊं । जयपुर में दो फ्लोर मिल काम करती हैं जिनको खाद्य निगम द्वारा निश्चित रेट पर गेहूं का कोटा दिया जाता है लेकिन दोनों मिलों के साथ आपका व्यवहार अलग अलग है । जब कि दोनों मिलों को एक भाव से आप गेहूं देते हैं । मंत्री जी आप इसका जरूर जवाब दें । एक मिल को तो आपने छूट दे रखी है कि वह अपना आटा बिना किसी की इजाजत के चाहे जहां भेज सकता है, राजस्थान के किसी भी कोने में दूसरे मिल को आपने पाबन्दी लगा रखी है जिनको आपकी तरफ से परमिट या चिट्ठी होगी उन्हीं को वह आटा दे सकेगा । आप मूल्य का नियन्त्रण करें इसमें हम समर्थक हैं लेकिन एक को तो छूट सारे राजस्थान मन चाहे जहां भेज सकता है और दूसरे पर पाबन्दी कि बिना उनकी इजाजत के वे किसी को आटा बेच भी नहीं सकता । यह हम जानते हैं कि जिनको आपने छूट दे रखी है उनके एजेन्ट गवर्नमेन्ट होस्टल में आपकी तरफ विधायकों को लाने के लिये पैसों और नोटों की थैलियां लिये फिरते रहते थे । उसी का आपने उनको इनाम दे रखा है । मैं खाद्य मंत्री जी आपसे निवेदन करना चाहता हूं जो पाप मुख्य मंत्री जी करें उस पाप के भागीदार आप क्यों बनते हो । यद्यपि बाल्मिकि ने भी अपने परिवार के पाप के लिये अपने को भागीदार नहीं बनाया तो आप सुखाड़िया जी के किये हुए पापों में भागीदार क्यों बनते हो। मदेरणा साहब आप इनको चालों में मत आइये । मैं यह मानता हूं कि आप इस तरह का अपराध कर नहीं सकते लेकिन ऊपरी लेवल पर जो पाप हो रहा है उस अपराध में आप भी भाग ले रहे हैं । जयपुर फ्लोर मिल और आसाम फ्लोर मिल में अन्तर्द्वन्द क्यों है यह भी आप बताने की कृपा करें ।

(श्री रामकिशन)

इसके अलावा जो आटा मिल से व्यापारियों को दिया जाता है उसमें एक मिल वाले की कोस्ट में दूसरे मिल वाले की कोस्ट में रेट में अन्तर है जब कि प्रेसक्राइब रेट पर दोनों को गेहूं दिया जाता है।

आपने कहा कि हमारा यह स्कोप नहीं कि खाद्य निगम के अधिकारियों के खिलाफ जांच करवायें। क्रिमीनल प्रोसीजर कोड के अनुसार आपके क्षेत्र में अगर कोई अपराध करता है तो आपको उसे पकड़ना चाहिये और उनको सजा दिलानी चाहिये। आप कहते हैं हमारे पास पुख्ता प्रमाण नहीं है मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं जो छोटे व्यापारी हैं जिनको फायदा नहीं हुआ वे गवाहियां देने के लिए तैयार हैं। आप केन्द्रीय सरकार पर दबाव डालें यह काम केवल चिठी पत्री से होने वाले नहीं आप उन पर दबाव डालकर लिखिये अगर एफ. सी. आई. के घोटालों की जांच नहीं हुई तो मैं मंत्री पद से त्याग पत्र दे दूंगा। आप भारत सरकार के खाद्य मंत्री को एक्सपोज करिये। उनसे कहिये कि आपके अधिकारियों को स्वेच्छाचारिता हम अपने यहां नहीं होने देंगे। आज उन पर किसी प्रकार का अनुशासन नहीं होने से उच्छृंखल होते जा रहे हैं। आप यदि इस प्रकार का मजबूत कदम उठायेंगे तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। नहीं तो आज क्या होता है कोई मंत्री बाजार में जाता है तो कोई उसको सलाम नमस्कार आदि नहीं करता। दो तरह के व्यक्ति होते हैं एक जो मंत्रियों के चापलूस होते हैं वे तो उनके पीछे पीछे फिरते रहे बाकी के मंत्री को देखकर मुंह फेर लेते हैं। एक मित्र से मैंने पूछा कि भाई आप मंत्री लोग जब आते हैं तो उनसे मुंह क्यों फेर लेते हो तो वे कहने लगे क्या करें अगर वे हमारा मुंह देख लेते है तो या तो चन्दा मांगते हैं या कहते हैं चाय तो पिलाओ। आपने अपनी हैसियत इतनी गिरादी है आप अपनी हैसियत के अनुसार आचरण करिये। आप भी शिवचरण जी माथुर की तरह स्तीफा दे दीजिये वे स्तीफा देकर अपने क्षेत्र में काफी लोकप्रिय हो गये आप भी हो सकते हैं। इसलिए मैं ये ही रचनात्मक सुझाव देकर निवेदन करूंगा कि आप इस पर अमल करने की चेष्टा करेंगे।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : सभापति महोदय, इस सदन में इस विषय में हमने कई बार प्रश्न उठाये कि राज्य सरकार द्वारा जो किसानों से लेवी का अनाज लिया गया है वह किस कीमत पर ली जाती है। इस बारे में कई बार कहा गया कि हमने इतना प्राइस लेवल तय कर दिया है जिसको हम कभी रेज नहीं होने देंगे। पहले साल में ही राज्य सरकार को इस कसौटी पर उतरना पड़ा पहली दफा यह कहा गया कि हमारे यहां पर बम्पर क्राप हुई है अतः हम किसानों को किसी प्रकार भी घाटा नहीं होने देंगे। इस पर मैं ज्यादा कुछ न कह कर मैं केवल दो बातें कहना चाहता हूं।

एक तो यह कि सरकार ने इसी सदन में घोषणा की कि अच्छी फसल होने के बाद भी हम किसानों को तबाह नहीं होने देंगे। पैदावार का सही दाम दिलाने की हमारी जिम्मेदारी है। जो लेवी ली गई इस सम्बन्ध में लेवी के दिनों में सही काम हुआ है या नहीं इसकी जिम्मेदारी किनकी है?

इस सम्बन्ध में हमारे खाद्य मंत्री कहते हैं कि यह जिम्मेदारी हमारी नहीं। मैं इस सारे मसले के सम्बन्ध में जब केन्द्रीय खाद्य

(श्री नत्थीसिंह)

मन्त्री यहां आये मैं उनसे मिला था और सारे तथ्य उनके सामने रखे थे । उस पर उन्होंने जवाब दिया कि जितनी खरीद की है वह राज्य सरकार के कहने पर की है इन्होंने जो लेवी लगाई है उसी आधार पर हमने खरीद का काम किया है। इसलिए जो राज्य सरकार कहती है कि गड़बड़ हुई है तो वह इसका इन्तजाम करे । चन्द रोज पहले आपने लेवी का आदेश वापिस ले लिया लेकिन आपके खाद्यान्न विभाग के अधिकारी और फाइनेन्स डिपार्ट-मेन्ट के अधिकारी कहते हैं कि यह जिम्मेदारी हमारी नहीं भारत सरकार की है । उन्होंने भी यह माना है कि मेरे पास इस बात की शिकायतें आयी हैं कि दो तीन रुपया प्रति क्विन्टल तक की गड़बड़ी हुई है।

गड़बड़ियां दो तरह से हुई जैसे क्वालिटी इन्स्पेक्टर्स और खाद्य निगम के मैनेजर द्वारा खरीद की जाय वह कैसे की जाय । क्वालिटी इन्स्पेक्टर्स थे उन्होंने क्या किया कि अलग अलग मंडियों के लिये अपने अलग अलग एजेन्ट्स मुकर्रर कर दिये उन एजेन्ट्स के लिये भरतपुर मण्डी में 3 रुपया प्रति क्विन्टल सीधा व्यापारी जिसको एजेन्ट बनाया है वह क्वालिटी इन्स्पेक्टर को देगा । इसमें क्या हुआ कि जो भरतपुर मंडी में 1 लाख 25 हजार बोरियां खरीद की गई उसका तीन रु. क्विन्टल के हिसाब से 3 लाख 75 हजार रुपया एजेन्ट्स द्वारा क्वालिटी इन्स्पेक्टर्स को दिया गया और निगम के अन्य अधिकारियों को दिया गया । इसे अनाज के लिये निगम के अधिकारियों ने इस बात की सुविधा दी दस रुपया प्रति क्विन्टल खर्चे की छूट दे दी । सभापति महोदय, यह ऐलान किया गया था कि 74 और 91 रुपया प्रति क्विन्टल के हिसाब से खाद्यान्न की खरीद की जायगी किसानों से ।

दो सिद्धान्त आपने तय किये एक तो लेवी आप व्यापारी से लेंगे यह तो ठीक किया इसके अलावा जितनी भी आप को खरीद करनी थी वह खाद्यान्न निगम करे जो सीधे किसानों से करनी चाहिये । उसमें कोई बिचौलिये नहीं आने चाहिये । जितनी भी इसमें सीधी खरीद हुई है, कि उसमें से एक बटा दसवां हिस्सा भी सीधा किसानों से खरीद नहीं हुआ सभी खरीद व्यापारियों की मार्फत की गई । जब किसान सीधा उनके पास लाते तो वे गड़बड़ करते वह केवल एक रुपया क्विन्टल से ज्यादा नहीं होती । क्वालिटी इन्स्पेक्टर को देते जरूर लेकिन एक रुपया प्रति क्विन्टल से अधिक नहीं। उस पर उनको 76 या 31 के भाव खरीद लिया जाता ।

सभापति महोदय मैंने इस सदन में भी प्रश्न पूछा था साफ साफ यह पूछा था कि यह बताया जाय कि जो खरीद हुई है वह व्यापारियों से कितनी खरीद हुई है और सीधे किसानों से कितनी हुई है । आपने जवाब दिया जो बहुत ही बढ़िया जवाब है खाद्यान्न निगम को हमने कहा है, ऐसी सूची देने में असमर्थ है । बहुत लम्बी सूची हो जायेगी । यह नहीं बता सके कि किसान से कितना और व्यापारी से कितना लिया । यह सूची बनाने में कोई दिक्कत नहीं है । सबका सब व्यापारियों से खरीदा गया है । इस बात से बचने के लिए जवाब सीधा नहीं देना चाहते । तो सभापति महोदय, दो तरह की लूट किसानों की हुई है। एक तो ऐजेन्ट के जरिये तीन रुपया

(श्री नत्थीसिंह)
क्विन्टल भरतपुर की मण्डी में मरे ग्राम लिया गया और चार रुपया क्विन्टल नदबई की मण्डी में इस तरह से रेट क्वालिटी कन्ट्रोल इन्सपेक्टर को एजेन्ट ने दिया और एक गिरोह बनाया गया।

इनमें जो ऐजेन्ट बनाये गये उनके साथ निगम के अधिकारियों और इन्सपेक्टरों ने एक समझौता किया कि तुम जिन जिन व्यापारियों से चाहे, थोड़े से व्यापारी हैं, उनके यहां माल खरीदवा लो। जिस दिन माल ज्यादा आवेगा हम कह देंगे कि यह माल हमारे लायक नहीं है और हम उस दिन नहीं खरीदेंगे। तो जिस दिन मण्डी में माल ज्यादा आया, निगम इन्सपेक्टर ने लेने से मना कर दिया और वह माल व्यापारियों को खरीदवाया गया, और उसी शाम को वही सारा माल निगम के गोदामों में डाल दिया गया। सिर्फ आढ़तिया को दस रुपया क्विन्टल का फायदा कराया और किसान को दस रुपया क्विन्टल का नुकसान। इसमें से तीन और चार रुपया क्विन्टल इन्सपेक्टर ने लिया। यह एक षड्यन्त्र था जो आई. पी. सी. की धारा 120 में आता है।

ऐसा ही नहीं, ऐसे भी उदाहरण हैं, सुबुत भी हैं, कि जब सेल्स टैक्ट पेड करके दिखाया है। आढ़तिया ने दो तरह से गड़बड़ियां की हैं। मैं कहता हूं उन्होंने 467 और 468 आई. पी. सी. की धारा का भी उल्लंघन किया है। उन्होंने कागजात फरजी बनाये। दोनों मिल गये। एन्ट्रीज नहीं की। आढ़तिया ने खरीद कागजात में बिना एन्ट्री किये पास आन कर दिया खाद्यान्न निगम को। भरतपुर में ऐसा भी तथ्य है कि सेल्स टैक्स पे किया है उस शाम को आढ़तिया ने खाद्यान्न के भण्डार में रखवाया है और तीन रुपया क्विन्टल उनको दिया है और दस रुपया क्विन्टल खुद ने खाया है।

इतना ही नहीं, एक बात और कहना चाहता हूं आप तो सप्लाई के मिनिस्टर हैं और आपके विभाग ने जिन व्यापारियों का ब्लेक लिस्ट कर दिया था भरतपुर में उनको ही इन्होंने अपने ऐजेन्ट बनाये और यह सब काम उनके मार्फत किया। ये आपके यहां चीनी के ऐजेन्ट रहे। इस सदन में सवाल पूछे गये। उनमें से दो के नाम बताना चाहता हूं। एक हैं गेंदालाल, उनके कार्यकर्ता है प्रेमचन्द वे इसलिए गिरफ्तार हुए कि उन्होंने कन्ट्रोल की चीनी जो थी उसको ब्लेक किया और रंगे हाथों कोतवाल ने पकड़ कर गिरफ्तार किया। जमानत हुई। आपने उनको ब्लेक लिस्ट किया।

श्री सभापति : यह आपके प्रस्ताव में नहीं है। कृपया वही बात कहिये जो आपके प्रस्ताव में है। इसका जवाब वे दे नहीं सकेंगे।

श्री मुकुटबिहारीलाल : वे तो ऐजेन्टों के गुणगान करते हैं।

श्री नत्थीसिंह : उनको खाद्य निगम ने अपने ऐजेन्ट बनाया। दूसरा है भरतपुर ट्रेडर्स। उनको भी गिरफ्तार किया गया। मुकद्दमे चल रहे हैं। ब्लेक लिस्ट उनको भी किया गया उनको ही दूसरा ऐजेन्ट बनाया गया।

सबसे बड़ी बात इस सम्बन्ध में जो निवेदन करनी है वह यह करनी है कि भरतपुर जिलाधीश महोदय को हमने कहा। वहां पर आन्दोलन किया। हजारों किसान उनके पास गये। उन सबने एक स्वर में मांग की कि आप

(श्री नत्थीसिंह)

जांच करिये। जिलाधीश इस पर स्वयं मण्डी में गये। मण्डी में जांच की स्वयं ने मण्डी में बुलाया मुझे भी। उनकी मौजूदगी में वहां के दलालों ने आढतियों से कलेक्टर के सामने कहलवाया जब क्वालिटी इन्सपेक्टर महोदय खड़े थे कि हमसे जब तक तीन रुपया क्विन्टल के हिसाब से चार्ज नहीं करते हैं तब तक हमारा माल नहीं उठाया जाता है। हम मजबूरन तीन रुपया क्विन्टल देते हैं। तो यह मामला डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने आ गया है।

आप यह कह कर बरी नहीं हो सकते कि हम क्या करें। वे तो सेन्टर के कर्मचारी हैं। पर मैं कहता हूं कि अगर वे भी इस तरह से काम करें तो राज्य सरकार चुपचाप बैठे देखेगी और अपनी आंखों के सामने किसानों को लुटते देखेगी। कलेक्टर मौके पर जाता है, सब देखता है। वह खुद कनविंस है कि सरासर बेईमानी हो रही है। उन्होंने राज सरकार को चिट्ठी भी लिखी है कि इसको व्यवस्था की जावे। इसके बाद तो राज्य सरकार कोई कदम उठा नहीं सकती। तो ऐसी उसकी क्या मजबूरी है।

इसका दुष्परिणाम किसानों के मानस पर पड़ रहा है। विश्वास उनका उठता जा रहा है कि सरकार उनको लाभ पहुँचाने का इरादा रखती है।

इसी तरह वेयर हाउस कारपोरेशन बनाते हैं तो सिद्धान्त यह है कि वहां किसानों का माल रखा जावेगा। कोआपरेटिव का माल रखा जावेगा। पर वास्तव में दो परसेन्ट भी कोआपरेटिव और किसानों का माल नहीं रखा जाता, 80 परसेन्ट से अधिक व्यापारियों का माल आता है। तो क्या किसान को लाभ पहुँचाने की, उसकी इकॉनोमी को मजबूत करने की सरकार ने अपनी नीति छोड़ दी है और इसलिये फिर उन व्यापारियों को ही पथ दिया जा रहा है। यह साबित करता है कि वे व्यापारी चूंकि आपके अधिकारियों की जेबें भरने में माहिर हैं और वे जानते हैं कि किस तरह आपसे काम लिया जा सकता है आपके अधिकारी रिश्वत और कमीशन के लिये उन व्यापारियों के साथ साजिश करते हैं षडयन्त्र करते हैं, इसलिये वे उनको ही प्रोत्साहन देते हैं। यह काम कोआपरेटिव संस्थाएं नहीं कर सकतीं।

सभापति महोदय, और कहना चाहता हूं कि आपका सरक्यूलर यह है कि क्रय विक्रय सहकारी समितियों को खाद्यान्न निगम को एजेन्सियां देनी चाहिये उनको प्राथमिकता दी जानी चाहिये। व्यक्तिगत व्यापारियों को नहीं। भरतपुर के क्रय विक्रय सहकारी समितियों ने आवेदन पत्र दिये। पर एजेन्सियां उनको नहीं देकर किनको दिया, जिनको आपने ब्लेक लिस्ट कर रखा है उन व्यापारियों को जिनको आपने गिरफ्तार किया, जेलों में ठूंसा है। आप कह सकते हैं कि हमारे जिले से आने वाले उपमन्त्री हंस रहे हैं शायद कि क्रय विक्रय संघ का पक्ष नत्थीसिंह कैसे ले रहा है। पर मैं कह सकता हूं कि यह बिश्नोई जनरल मैनेजर बैठे हैं राजस्थान के क्रय विक्रय संघ के डाइरेक्टर थे। भरतपुर में गुड़ घोटाला काण्ड से सम्बन्धित थे। वह एजेन्ट हैं उनके। और मैं कह सकता हूं क्रय विक्रय सहकारी समिति हींग ने अच्छा काम किया। जिसको आज तक कोई शिकायत नहीं।

(श्री नत्थीसिंह)

एक व्यापारी को खड़ा किया गया और इसको दिया गया। सैद्धान्तिक रूप से जब आप समाजवाद की बात करते हैं तो आपको निश्चित रूप से इन बातों की तरफ आस्था रखनी होगी और आस्था रखकर आगे चलना होगा। इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि यह सारा मामला जो लूट हुई है, किसान के दिमाग मे यह वहम बैठ गया कि हम ज्यादा पैदावार करेंगे तो हमारी लूट होती रहेगी। हाई ब्रिड दिया, उसके बाद पानी दिया और फिर जब पैदावार आये तो कहें कि ऊंचे दाम लेंगे तो इस तरह तो . . .

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

इसलिये मैं खाद्य मंत्री महोदय से कहूंगा उन्हे इस विषय में निश्चित रूप से अपने को अपंग साबित नहीं करना चाहिये–यह कहकर कि भारत सरकार का मामला है। भारत सरकार का मामला होते हुए भी अगर आप यह महसूस करते हैं कि बेईमानी हो रही है तो आप भारत सरकार को मजबूर कर सकते हो। ऐसी संस्थाओं के खिलाफ एक्शन लें। आईदा जो हवा बनती जा रही है कि पब्लिक सेक्टर का काम प्राईवेट सेक्टर से बुरा है, इससे बचें।

श्री सभापति : श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : मैं तो सप्लीमेंटरी से चाह लूंगा सूचना।

श्री रामकिशन : और जिले में यह माप कम कर लें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभापति महोदय, हमें भी कहना है, मंत्री महोदय का उत्तर आ जाय।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : अगर आपने जांच के लिये कहा तो उसके रास्ते बहुत हैं।

श्री सभापति : माननीय मंत्री महोदय उत्तर देंगे।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय चेयरमैन महोदय, बैर से आने वाले माननीय सदस्य ने और भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने निगम द्वारा की गई गेहूं की खरीद के सम्बन्ध में भ्रष्टाचार की ओर उनके द्वारा मुकर्रर किये गये एजेन्टों की अनियमितताओं के बारे मे मेरा ध्यान आकर्षण किया है। इसके लिये मैं दोनों माननीय सदस्यों का आभारी हूं। जैसा मैंने प्रारम्भ में कहा था कि राज्य सरकार की कुछ लिमिटेशन हैं। बैर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात यहां पर कही कि राज्य सरकार ने लेवी के आदेश वापिस क्यों लिये। अगर मैं इसकी भूमिका या इतिहास में जाना चाहूंगा तो काफी समय लगेगा क्योंकि मुझे रूल्स के अन्तर्गत स्टेटमेंट देना है और ज्यादा चर्चा नही करनी है। माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये माननीय चेयरमैन महोदय, मैं सबसे पहले यह बताना उचित समझूंगा कि भारत सरकार द्वारा गठित एग्रीकल्चरल प्राईस कमीशन मिनिमम सपोर्ट प्राईस कोर्स ग्रेन की और फाईन ग्रेन की हर साल बाजार में आने का तय करते हैं और इसी प्रकार गेहूं की भिन्न भिन्न वेरायटीज होती है। इसकी मिनिमम सपोर्ट प्राईस लाल की 44 व्हाईट

(श्री परसराम मदेरणा)

को 56 और सुपीरियर की 60 रु. राज्य सरकार के पास भेजी गई है। इस मिनिमम सपोर्ट प्राईस के बावजूद पिछले दो वर्ष में देश में सूखे की स्थिति थी इसलिये फूड मिनिस्टर और मुख्य मंत्रियों की एक मीटिंग मार्च के महीने में भारत सरकार ने बुलाई थी और वह कान्फ्रेन्स 16-11-67 को नई दिल्ली में हुई थी। इस कान्फ्रेन्स में विचार विमर्श करने के बाद भारत सरकार ने इस मामले को विचाराधीन रखा है। राज्य सरकार यह बात रखे कि मिनिमम सपोर्ट प्राईस आज कितनी नीची है। दो साल के सूखे के बाद इस साल भारतवर्ष में रेकार्ड प्रोडक्शन है और रेकार्ड उत्पादन की वजह से आज भाव गिरने की सम्भावना है। मिनिमम प्राईस सपोर्ट तक भाव नहीं पहुँचेंगे इसलिये मिनिमम सपोर्ट प्राईस इस साल के बाद में मायने नहीं रखेगी। यहां तक भाव गिर जाते हैं तो इन दो सालों में किसान ने भारी प्रयत्न किया है उसे निरुत्साहित होना पड़ेगा। उसके इन्सेन्टिव को कायम करने के लिये प्राईस हायर रखी जाय और भारत सरकार के मंत्रि-मण्डल ने एक फैसला करके राज्य सरकार को 30 मार्च 68 को इस बात की सूचना दी है कि प्रोक्योरमेंट प्राईस जो हम तय करने जा रहे हैं वह अलग अलग राज्यों के लिये लाल, बाजिये, काठे मेक्सिकन दड़ा, गजर के लिये 76 रु. प्रति क्विन्टल और शरबती, फरके, कनक और माल्वो इन 4 प्रकार के गेहूं का भाव 81 रु. तय किया गया। सदन के माननीय सदस्यों को जानकारी देना पसन्द करूंगा कि राज्य सरकार ने यह महसूस किया कि दूसरी स्टेट्स में यह प्राब्लम नहीं है इसलिये राज्य सरकार ने यह फैसला किया कि 73 रु. जो राज्य सरकार ने रखे हैं वह भारत सरकार को मंजूर नहीं है हमारे यहां रेड की क्वालिटी मेक्सिकन से अच्छी है। किसान को कनविन्स नहीं कर सकते हैं रेड की क्वालिटी सुपीरियर रही है। इन दोनों पाईन्ट आफ व्यू से प्रोक्योरमेंट प्राइस की है वह मुनासिब प्रतीत होती है। भारत सरकार ने जो कुछ किया है वह इस पॉईन्ट आफ व्यू से किया है इसलिये कोई तरमीम नहीं हो सकती है। सेक्रेटेरियेट लेवल से लम्बे रीजन्स लिखकर यूनियन फूड मिनिस्टर को दिये हैं यूनियन फूड मिनिस्टर ने इस बात को मान लिया है और हमको 11-5-68 को उन्होंने यह स्वीकार किया है। उपाध्यक्ष महोदय रेड गेहूं के बारे में यह बात करदी किसानों को इम्पीटस देना चाहते हैं ताकि हाई ब्रीड का प्रोडक्शन बढ़े। भारत सरकार से कहा अगर आप लाल गेहूं नहीं खरीदते हैं तो राज्य सरकार की क्षमता नहीं है, उसके वेज एन्ड मीन्स ऐसे नहीं हैं कि वह खरीद सके। अगर आपको लाल गेहूं की आवश्यकता नहीं है तो उसके भाव जो नीचे गिरेंगे प्रोक्योरमेंट प्राइस कोई मायने नहीं रखती है। उसके बारे में आप हमसे सहमत नहीं हैं। आपने खरीद बन्द की है। राजस्थान का एक बड़ा एरिया प्रोक्योरमेंट प्राईस और प्रोक्योरमेंट प्राइस के साथ साथ जैसा कि सदन के माननीय सदस्यों को जानकारी होगी पिछले लोक सभा के गर्मी के सत्र में यूनियन फूड मिनिस्टर ने लोक सभा में यह एलान कर दिया था कि प्रोक्योरमेंट प्राईज जो भारत सरकार ने मुकर्रर की है यह मिनिमम सपोर्ट प्राइस रहेगी। एक तरफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस मानते हैं दूसरी तरफ लाल गेहूं को खरीदना पसन्द नहीं करते।

(श्री परसराम मदेरणा)
इससे किसान को नुकसान होने वाला है और खास तौर से हमने उनको प्राइस बताई कि कितने प्राइस गिरते जा रहे है इसलिये फूड कार्पोरेशन आफ इंडिया को यह आदेश दें कि वह लाल गेहूं खरीदे ।

(3 म. प.)

इस पर उन्होंने 31-6-68 को····

श्री नत्थीसिंह : आपने बडी अच्छी मेहनत की इसके लिए तो धन्यवाद है, लेकिन चोरी हुई उसके बार में तो बताओ ।

श्री रामकिशन आपके प्रयत्नों की तो सराहना कर रहे हैं लेकिन अब असली बात पर तो आओ ।

श्री परसराम मदेरणा: माननीय चैयरमेन महोदय, माननीय सदस्य बोल रहे थे वह तो जो कुछ कह रहे थे वह समझ रहे हैं कि वह बहुत ज्यादा रेलेवेन्ट थे और मैं कह रहा हूं वह रेलेवेन्ट नहीं है । इसलिए रेलेवेन्सी के पाइन्ट ऑफ व्यू से बताना चाहता हूं कि आज किसानों को कई जगह असन्तोष रहा लाल गेहूं की खरीद में····

श्री नत्थीसिंह: हमने जो ध्यान आकर्षित किया है, उसी का जवाब दे दें ।

श्री परसराम मदेरणा: आपका सोचना रीजनल है ।

दूसरे इलाके में जो हालत हुई आपके यहां लाल गेहूं नहीं होता होगा लेकिन सांचोर में, उदयपुर में वर्षा हुई वहां भाव पूरे नहीं मिल सके । उसका यह कारण था जो सदन में बताना, चैयरमेन महोदय, बहुत आवश्यक था ।

अब मैं दूसरी बात जो माननीय सदस्य ने उठाई उन एक एक बात का जवाब दूं तो माननीय सदस्य चाहते हैं मुझे उसकी तफसील में नहीं जाना चाहिए और मैं सीधे उसी बात पर जाता हूं जिसके आरोप आपने लगाये थे । जिला परिषद् भरतपुर ने भारत सरकार को लिख कर भेजा था । गेहूं जब किसान लेकर आता है तो उसका गेहूं रिजेक्ट कर दिया जाता है और जैसा भरतपुर के माननीय सदस्य कह रहे थे कि रिजेक्ट करने वाले गेहूं को व्यापारी खरीद लेते हैं ? वही क्वालिटी इन्सपैक्टर जो, मुकर्रर है उसी गेहूं को अच्छी क्वालिटी का बता देता है और उसमें जो गडबडियां फैली हुई हैं उसमें लाखों रुपयों का भ्रष्टाचार हुआ है, इस प्रकार की शिकायत हुई है ।

श्री रामकिशन : 20 लाख का हुआ है ।

श्री परसराम मदेरणा : इसी प्रकार से भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य की यही शिकायत राज्य सरकार के पास आई थी, और श्री होतीलालजी जो वहां के प्रधान हैं उनकी भी शिकायत आई थी । राज्य सरकार की तरफ से इन शिकायतों के ऊपर कलेक्टर को लिखा गया और माननीय सदस्य का कहना है कि कलेक्टर ने अपनी असमर्थता प्रकट की यह बात सही नहीं है । कलेक्टर ने जितनी फेक्चुअल रिपोर्ट है वह राज्य सरकार के पास भेजी है ।

श्री नत्थीसिंह: मैंने तो यह कहा कि एक्शन लेने में असमर्थता प्रकट की ।

श्री परसराम मदेरणा: वैर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा उसका भी उत्तर मुझे देना पड़ता है । आप कुछ और बात कह रहे थे । यह कहना कि कलेक्टर

(श्री परसराम मदेरणा)

ने असमर्थता प्रकट की यह सही नहीं है और जो फेक्चुअल पोजीशन थी उस बात को उन्होंने राज्य सरकार को बताया है। जब इस प्रकार की चर्चा है मैं भी ऐसा अनुभव करता हूं कि इसके बारे में जांच होनी चाहिए। एक तरफ भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने खादी विभाग के अधिकारियों पर भी आरोप लगाया कि वह भी षडयन्त्र में शामिल हैं। तो मैंने तीन अधिकारियों को कॉन्फीडेन्शल जांच करने के लिये भेजा था और तीनों की प्रेलिमिनेरी रिपोर्ट आई थी उसके बेसिस पर मैंने यह समझा कि इसकी फर्दर डिटेल में इन्क्वायरी की जानी चाहिए और प्राइमाफेसी उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आरोप सही प्रतीत होते हैं। ऐसी सूरत में डिटेल में इन्क्वायरी करने के लिए मैंने भारत सरकार को लिखा है, और भारत सरकार ने उसमें क्या किया है उसकी मुझको जानकारी नहीं है। लेकिन राज्य सरकार ने भारत सरकार को लिखा है, क्योंकि निगम पर नियंत्रण सीधा भारत सरकार का है और इस प्रकार की हमने जांच करवाई है और भारत सरकार को हमने लिखा है कि राज्य सरकार भी प्राइमाफेसी सेटिस्फाइड है कि इस प्रकार की अनियमिततायें हुई है और इन अनियमितताओं की जांच भारत सरकार के द्वारा कराई जानी चाहिए जिससे जो दोषी हो उसको सजा दी जा सके।

इसी प्रकार के पत्र हमने फूड कार्पोरेशन को भी लिखे थे। ऐसा नहीं है कि राज्य सरकार इससे चिंतित नहीं थी। राज्य सरकार ने रीजनल फूड मैनेजर को बुलाया था, और मैं अपनी अटेची में कुछ सेम्पल्स भी ले गया था। मैंने कहा था कि आपने फेयर एवरेज क्वालिटी का शिड्यूल बनाया था उससे कट ज्यादा लगा रहे हैं और काश्तकार यह कह रहे हैं कि हमारा इतना कट नहीं लगना चाहिए। उसके बाद में आप उसकी क्वालिटी बदल देते हैं और इसके बार में आपको आदेश देने चाहिए। इसके लिए आदेश भी दिये। क्योंकि मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब यह होता है कि काश्तकारों को मिनिमम गारन्टी देनी है कि मिनिमम प्राइस नीचे उनके अन्त के भाव नहीं गिरेंगे। लेकिन फेयर एवरेज क्वालिटी की जितनी मात्रा है उसमें कमी होनी चाहिए, उन्होंने यह कहा। जहां तक लेवी का प्रश्न था लेवी के सम्बन्ध में जितनी खराबी थी उतना कट लगा दिया था, लेकिन हमारा यह शिड्यूल है जिस को तय कर रखा है उसमें पोजीशन यह है कि फेयर एवरेज क्वालिटी के नीचे जो रिजेक्शन होता है उस माल को हम नहीं ले सकते। इसलिए जो भी माल हम रिजेक्ट कर रहे हैं उसको इसलिए कर रहे हैं कि उसमें कई प्रकार के कंकर पत्थर होते हैं वह माल उपभोक्ताओं को देना पडता है और वह कहते हैं कि इस तरह का माल क्यों खरीदें? जिस समय यह लेवी लागू थी उसके फलस्वरूप जो भी अनाज आया उसकी शिकायत बडे बडे शहरों से उपभोक्ताओं द्वारा रात और दिन मुझे की गई इसलिए मैं फूड कार्पोरेशन को ऐसे आदेश नहीं दे सकता था क्योंकि जो फेयर एवरेज क्वालिटी के लिए शिड्यूल है वह भारत सरकार का है और उसके रहते हुए मैं किसी प्रकार के आदेश नहीं दे सकता था और जिस तरह से प्रोक्यूरर्स से खरीदा गया था उसी प्रकार का अनाज मिलता है जिसमें कंकर हैं, रेत है और दूसरी चीजें भी मिली हुई हैं। इस आधार पर वह कह रहे थे कि जो फेयर एवरेज क्वालिटी का है उसको खरीद रहे हैं? मैंने फूड कार्पोरेशन का ध्यान आकर्षित किया

(श्री परसराम मदेरणा)

है कि आप आउटराइट दो तीन रुपया कम कर देते हैं तो उन्होंने कहा कि नहीं हम क्वालिटी को देख कर करते हैं। मेरे पास भी कुछ काश्तकार आये थे और उन्होंने कहा था कि मन्डियों में उनके फूड इन्सपैक्टर इसको फार्मी गेंहू में नहीं लेते हैं और इसको दडों में लिया है। तो मैंने फूड कार्पोरेशन के पास वह सेम्पल भेजे और फूड कार्पोरेशन से वापिस सेम्पलस उनके टेक्निकल आदमियों से एग्जामिन होकर वापिस भेज दिया कि यह फार्मी के केटेगरी में नहीं आते हैं। काश्तकारों के इन्सिस्टेन्स पर और मैं भी समझता हूं कि मुझे यह फार्मी गेहूं दिखते हैं मैंने भारत सरकार को भेजे कि वह जांच कराके भेजे। समय समय पर जब कमी राज्य सरकार के सामने इस प्रकार की शिकायतें आई हैं हमने फूड कार्पोरेशन का ध्यान उन कमियों की ओर आकर्षित किया है।

इसके अलावा एक बात विधान सभा के सदस्य ने रखी वह थी फूड कार्पोरेशन के एजेन्ट के मुकर्रर करने के संबंध में। मैंने यह बात भी की थी कि जो आप एजेन्ट मुकर्रर करने जा रहे हैं जगह 2 बनियों को रख रहे हैं। जो फूड के डीलर्स हैं उनके लिए इस बात की गुंजाइश है कि वह दूसरों से मिल जायेंगे और आपको धोखे में रख सकते हैं। उन्होंने कहा कि जहां तक इसको करने का प्रश्न है हमने एक टेन्डर इन्वाइट किया है और जो लोएस्ट टेन्डर देता है उसी को एजेन्ट बनाते हैं कानून के अन्दर। लेकिन जहां तक भरतपुर का प्रश्न है माननीय सदस्य जानते होंगे कि भरतपुर में 10 मन्डियों में जब फूड कार्पोरेशन खरीद कर रहा था उसमें यह कहना कि दूसरे एजेन्ट नहीं थे वहां पर 6 जगह कोआ-परेटिव सोसाइटी एजेन्ट थी 10 में से। तो यह कहना कि बिल्कुल ही नहीं थे ...

श्री रामकिशन : जहां खरीद ही नहीं थी वहां तो एजेन्ट बना दिये और जहां खरीद थी वहां नहीं बनाये।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सदस्य की यह बात सही है कि भरतपुर जिले में जो 16,303 टन अनाज फूड कार्पोरेशन ने खरीदा है उसमें 9,240 टन भरतपुर में खरीदा है जहां कोआपरेटिव सोसाइटी एजेन्ट नहीं थी। लेकिन आगे जाकर 7,000 टन के करीब खरीदा है उसमें एक दो जगह एजेन्ट नहीं थे और बाकी 6 जगह थे। यह कहना कि कोआपरेटिव सोसाइटी को एजेन्ट बना कर नहीं खरीदा, यह बात सही नहीं थी। माननीय सदस्यों की भावनाओं को मैं समझता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कोआपरेटिव सोसाइटीज का टेन्डर नीचे होते हुए भी उनको नहीं दिया है और प्राइवेट पर्सन्स को दिया है।

श्री परसराम मदेरणा : यह टेन्डर मुझे दे दें तो मैं स्वयं देख लूंगा कि कौन इस पर कार्यवाही करने के लिए सक्षम है और इसका प्रयास किया जायगा। इसकी डिटेल्ड एन्क्वायरी करने के लिए मैंने भारत सरकार को लिखा है।

रही पैनल आफेन्स की बात तो पैनल आफेन्स जहां पर होता है और सेन्ट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में होता है, वहां पर सेन्ट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टीगेशन पैनल ऑफेन्स में प्रोब इन्टू करता है, और जो कुछ भी उचित भारत सरकार समझेगी उस ओर भारत सरकार कार्यवाही करेगी। लेकिन

(श्री परसराम मदेरणा)
माननीय सदस्यों ने जो भावनाएं सदन में रखी हैं फूड कार्पोरेशन ने जो परचेज की हैं उसके बारे में उन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मैं भारत सरकार को और चिट्ठी लिखूंगा।

श्री रामकिशन : सभापति महोदय, मैं इस पर बहस नहीं करना चाहता हूं लेकिन इतने लम्बे चौडे भाषण की जरूरत नहीं थी। यही कह देते कि एक चिट्ठी पहले लिखी है और एक दुबारा लिख रहा हूं। यह आप पहल ही कह देते।

मेरे यह समझ में नहीं आया है कि आप खुद कन्वीन्स हैं और राज्य सरकार कुछ भी करने को सक्षम नहीं है। कलेक्टर की रिपोर्ट भी सही है, आपकी सूचना भी सही है और सब बातें सही हैं और एक्शन कुछ नहीं तो विधान सभा का समय आपने और मैंने खराब किस लिए किया है? यह तो आप समझा दें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जो माननीय मंत्रीजी ने···

श्री सभापति : बहस नहीं उठायेंगे, कृपया।

श्री रामकिशन : मामला बडे झगडे का है। उन्होंने कहा है कि एक चिट्ठी पहल लिखी है और एक चिट्ठी और लिख रहे हैं···

श्री परसराम मदेरणा : पाइन्ट आफ ऑर्डर चैयरमैन महोदय, रूल्स आफ प्रोसीजर एन्ड कन्डक्ट आफ बिजीनेस के रूल 131 के अन्तर्गत मेरे स्टेटमेंट के बाद किसी प्रकार की भी चर्चा सदन में नहीं हो सकती। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में आप व्यवस्था दें।

श्री सतीशचन्द अग्रवाल : यह पाइंट आफ ऑर्डर बहुत देर से उठाया है। विचार हो चुका है उसके बाद में उठाया है।

एक माननीय सदस्य: मुंह को बन्द कर दिया जाय इस बात के लिए तो कोई पाइंट ऑफ ऑर्डर नहीं हो सकेगा।

श्री सभापति : आप (श्री रामानन्द से) क्लेरिफिकेशन संक्षेप में करा लें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभापति महोदय, माननीय मंत्रीजी ने जो अपना वक्तव्य दिया है उसमें मैं यह जानाना चाहूंगा जिसको कि उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है कि जो उन्होंने बार-बार इस बात को कहा है कि हमारी कुछ सीमाएं थीं और फूड कार्पोरेशन आफ इन्डिया, गवर्नमेंट आफ इन्डिया क तहत है, तो मैं यह जानना चाहूंगा कि जो फूड प्राइसेज गवनमेंट ने मुकर्रर की थी, स्टेट गवर्नमेंट ने जो फ्लोर प्राइसेज मुकर्रर की थीं उन फ्लोर प्राइसेज के मुताबिक परचेज करेंगे उनको मैन्टेन किया जाय, यह राज्य सरकार की जिम्मेवारी थी या नहीं थी? राज्य सरकार इस जिम्मेवारी को निभाने में कहां तक समर्थ रही?

नं. 2, फूड कार्पोरेशन एक कारपोरेट बोडी है, एक जरिडिकल पर्सन है और इस रूप में उन तमाम कार्यवाहियों को जो भी स्टेट गवर्नमेंट की ऑथोरिटी थी, जुरिस्डिक्शन था, तो इस रूप में एक एजन्ट के रूप में उन्होंने तमाम परचेज किये

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
और उन प्राइसेज पर जो गवर्नमेंट ने मुकर्रर की हैं उन प्राइसेज के मुताबिक पर्चेजेज करना उस पर्सन का, उस जुरिडिकल पर्सन फर्ज था, और स्टेट गवर्नमेंट के अफिरा में

श्री सभापति : आप बहुत लम्बा खींच रहे हैं ।

श्री रामकिशन : यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है ।

श्री सभापति : यह क्वेश्चन के रूप में रखें

श्री रामकिशन : 70 लाख रुपये की गड़बड़ है उस पर विचार भी नहीं हो यह कैसे सम्भव हो ?

श्री नत्थीसिंह : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाये हैं तो इसलिए कि इनको जो वाजिब प्राइसेज हैं वह उनको दिलवाई जायें या किसानों को मार दें ?

श्री सभापति : आर्डर प्लीज ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जो गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया तो गलती तो आपने खुद ने मानी है । आपने खुद ने महसूस किया है वे फार्मी गेहूं हैं । उसको आपने एप्रूवल के लिए फूड कार्पोरेशन दिल्ली को भेजा जैसे कि कोई स्टेट के ऊपर सुपर स्टेट फूड कार्पोरेशन में इनकार्पोरेट हो गई हैं । यह गवर्नमेंट ने अपनी ऑथोरिटी को एब्डीकेट किया है । जो ऑथोरिटी गवर्नमेंट की थी, जो गवर्नमेंट का जुरिस्डिक्शन था तय करने का, निर्णय करने का कि अगर पचजर ठीक तरह से पर्चेजेज नहीं कर रहा था,-अगर पर्चेजर ठीक तरह से प्राइस पे नहीं कर रहा है तो गवर्नमेंट का फर्ज था देखने का ।

श्री सभापति : देयर शुड बी नो डिबेट ओन सच स्टेटमेंट ।

श्री रामकिशन : डिबेट नहीं यह तो स्पष्टीकरण हो रहा है ।

श्री सभापति : उसकी भी सीमा होती है ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : यह राम किशनजी ने 10 दफा डिबेट कर डाली आपको इन को कानून के तहत रोकना चाहिए । क्वेश्चन के तरीके से पूछें । क्वेश्चन तो पूछे जा सकते हैं, मगर डिबेट नहीं हो सकती है । 10 मिनट से एक ही क्वेश्चन चल रहा है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कोई भी किसी भी पार्टी का व्हिप हो तो उसको नहीं चाहिए कि चैयर को डिक्टेट करे ।

श्री गिरधारीलाल व्यास: जो भी डिबेट नहीं हो सकती है और वह कानून की तहत नहीं हो सकती है इसलिए डिबेट को रोक दिया जाय ।

श्री नत्थीसिंह : आप किसानों को मारना चाहते हैं ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : सभापति महोदय, दूसरा बिजनेस और बाकी है उसके लिए भी समय चाहिए (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने से अश्रव्य)

श्री हीराभाई : यह तो किसानों को सही मूल्य दिलाने का सवाल है उस पर विचार किया जाय ।

श्री सभापति : कृपया बहुत ही संक्षेप में कहें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : दूसरा प्रश्न मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या गवर्नमेन्ट ने इस बात को जब खरीदने की एजेन्सी मुकर्रर कर रही थी तो प्रयत्न किया जब उनको यह संदेह पैदा हुआ कि एजेन्ट की इन्स्टीट्यूशन का दुरुपयोग हो सकता है, तो क्या गवर्नमेन्ट ने अपनी तरफ से यह प्रयत्न किया कि इस तरह की ये इन्स्टीट्यूशन्स बीच में क्रियेट न की जायें। इसके अलावा प्रायोरिटी कोआपरेटिव सोसाइटीज को दी जाय और उस पर नियंत्रण रखें कि सही तरीके से खर्च कर रहे हैं कि नहीं। गवर्नमेन्ट ने अपनी तरफ से विजिलेन्स इसके बारे में अख्त्यार किया या नहीं।

सभापति महोदय, खुद माननीय मन्त्रीजी ने इस बात को स्वीकार किया है कि इन्होंने भरतपुर के कलेक्टर से रिपोर्ट मंगाई और रिपोर्ट में उनके पास इस तरह से प्रिलीमिनेरी . . .

श्री सभापति : आप डिबेट में क्यों जाते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : बातें हैं उसके बावजूद भी उसको रोकने के लिए गवर्नमेन्ट ने अपने अख्त्यार फूड एसेन्शियल एक्ट के तहत प्रयोग किया या नहीं। उसने उस पर क्या कार्यवाही की ? अगर नहीं की तो क्यों नहीं की ?

सभापति महोदय 65 हजार टन खरीद की गई है ग्रोन दी एवरेज कम से कम 10 रु. क्विन्टल के हिसाब से लगाया जाय तो साढ़े 6 करोड़ रुपये का नुकसान किसानों को . . .

श्री रामकिशन : 65 लाख।

श्री रामानन्द अग्रवाल : हुआ है इस खरीद के अन्दर। तो इतना बड़ा नुकसान हुआ है और आप इस तरह से चुपचाप बैठे रहें और चिट्ठी लिखते रहें तो वह काफी नहीं होगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार को खुद को पावर्स थीं और आज भी हैं। एन्क्वायरी कराने के पावर्स हैं पर्चेजर चाहे वह फूड कार्पोरेशन हो तो उसको सजा देने के भी अख्त्यार हैं। सरकार अपनी आथोरिटी को एब्डीकेट न करे और एक हाई पावर कमेटी के जरिये सारी बातों की जांच करवाये। स्टेट को अख्त्यार है इस तमाम कार्यवाही करने का।

श्री मनोहरसिंह मेहता : सभापति महोदय . .

श्री सभापति : नो डिस्कशन। नो डिबेट। मन्त्री जी !

श्री देवीदत्त गाडिया : माननीय सभापति जी . . . . .

श्री रामकिशन : मन्त्रीजी तो फिर चिट्ठी की बात कहेंगे। उनको सबकी बात सुन लेन दें, उनको थोड़ी प्रेरणा मिलेगी और उनको जोश में आने दें।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज ! आगे महत्व का विषय है। डिमाण्ड्स हैं।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से . .

श्री मूलचन्द डागा : आपके आदेश के विरुद्ध बोल रहे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जिस रोज यह मोशन अध्यक्ष महोदय ने मंजूर किया था उस . .

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
दिन यह बात स्वीकार की थी कि इस पर पूरे दिन डिबेट होगी। हम इस पर पूरे दिन डिबेट करना चाहते हैं।

श्री सभापतिः अब डिबेट में कोई कमी नहीं रही है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप बार बार रोकने की कोशिश कर रहे हैं। यह महत्व पूर्ण क्वेश्चन है। आप समझें कि यह बहस हम खत्म कर दें–ऐसी बात नहीं है।

श्री सभापतिः आपके महत्वपूर्ण सुझाव आ चुके हैं उसका जवाब मन्त्री महोदय दे रहे हैं।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : मैं आपके माध्यम से 9 सवाल पूछना चाहता हूं ··

श्री रामकिशन : सीमा निश्चित् है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : एक बिन्दी और लगवा दीजिये।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : पहला प्रश्न मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं वह यह है · · ·

श्री सभापतिः आप सवाल पूछिये।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : जैसा मन्त्री महोदय ने कहा कि चार जून तक यह फूड कोर्पोरेशन राजस्थान सरकार के एजेन्ट के रूप में काम करता रहा ··

श्री मूलचन्द डागा : यह सवाल नहीं है।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : उसके बाद फूड कोर्पोरेशन ने किस हैसियत से व्यापार अनाज का किया ? आज राजस्थान के अन्दर कोई · · ·

श्री मूलचन्द डागा : प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं डिबेट कर रहे हैं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : कोई अनाज का व्यापार करता है तो उसे असेंशियल कामोडिटीज एक्ट के प्रावीजन्स के अन्तर्गत, फूड लाइसेंसिंग आर्डर के अन्तर्गत लाइसेन्स प्राप्त करना पड़ता है। बगैर लाइसेन्स प्राप्त किये वह कोई व्यापार नहीं कर सकता। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं इस स्थिति में विचार जून के बाद इस फूड कोर्पोरेशन ने किस अधिकार से यह खरीदफरोख्त की नाज के मामले में ? या उन्होंने कोई लाइसेन्स लिया या नहीं ? लाइसेन्स की टर्म्स एण्ड कन्डीशन्स को पूरी तरह से फुलफिल किया या नहीं ?

श्री रामकिशन : पहला है।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : जिन व्यक्तियों ने लाइसेन्स की कन्डीशन्स को इन्फ्रीन्ज किया है, प्रावीजन्स को वायलेट किया है उनके खिलाफ असेशियल कामोडिटीज एक्ट के अन्तर्गत ·· ··

श्री गिरधारीलाल व्यास : यह सवाल पहला है ?

श्री सभापति : आप भाषण कर रहे हैं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : क्या सरकार ने कार्यवाही की है ? क्या राज्य सरकार असेंशियल कामोडिटीज एक्ट के अन्तर्गत कोई कार्यवाही करने में अपने आपको असमर्थ पाती है ?

Page No. 113

श्री रामकिशन: दूसरा !

श्री सभापति: आप यह नई बात उठा रहे हैं, न तो ये प्रस्ताव में है और न बहस में आयी है।

श्री रामकिशन : यह नई बात है कि कोर्पोरेशन ने लाइसेन्स लिया है या नहीं। अभी तो नौ हैं।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : मैं लम्बा भाषण नहीं दूंगा।

सभापति महोदय, जहां किसानों से 65 रुपय मन के हिसाब से अनाज खरीदा जाय वहां वह शाम को जाकर सीधा का सीधा 81 रुपये मन के हिसाब से फूड कोर्पोरेशन गोदाम में चला जाय। इससे ज्यादा कोई किसानों की लूट नहीं हो सकती। अगर किसानों को लूटा है तो आपने किसानों को इस लूट से बचाने के लिए क्या कार्यवाही की है।

तीसरा सवाल, क्या इस प्रकार 420 के अन्तर्गत .....

श्री रामकिशन : यह चीटिंग है।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : चीटिंग के अन्तर्गत, पीनल प्रावीजन्स के अन्तर्गत कोई केस आपने या राज्य सरकार की किसी मशीनरी ने दर्ज कराया है ? मैं आपसे चाहूंगा कि आप अपनी जांच के आधार पर एफ. आई. आर. बना कर भेजें और वहां एक वरिष्ठ अधिकारी को नियुक्त करें और केस दर्ज कराके इन लोगों का चालान करायें जिन्होंने किसान को चीट किया है

श्री सभापति : यह नई बहस आप कर रहे हैं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : यह बात आपने क्यों नहीं की ?

श्री सभापति : आर्डर प्लीज !

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : इसके अलावा मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार के गडबड-घोटाले से किसानों की उत्पादन क्षमता का ह्रास हुआ है या नहीं हुआ है ? और यदि हुआ है तो आपने किसानों को इन्सेन्टिव देने के लिये कि वह अधिक से अधिक उत्पादन बढ़ाये, इसके लिए क्या कदम उठाया है ? और आगे आप क्या कदम उठाना चाहते हैं या नहीं ? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय . . . .

श्री सभापति : आप किस प्रश्न पर बोल रहे हैं।

श्री रामकिशन : चौथा हुआ है, पांचवा शुरू हुआ है।

श्री मुकटबिहारी लाल गोयल : मैं कान्क्रीट प्रश्न दे रहा हूं, आप मुझे रोक देते हैं।

इसके अलावा मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि इससे चुंगी टैक्स की चोरी हुई है ?

श्री रामकिशन : ठीक है।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : आप इसके बारे में जांच करने में अपने को असमर्थ क्यों पाते हैं जब कि यह फेक्ट है कि आपके एक जिलाधीश को कहा गया था . . . . .

Page No. 114

श्री मूलचन्द डागा : चुंगी की चोरी कैसे हुई ?

श्री रामकिशन : प्रश्न सुन लें । यह फिर बोलेंगे तो भाषण हो जायगा । प्रश्न हैं नौ, बोलेंगे तो भाषण हो जायगा ।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : इसके अलावा सेल्स टैक्स की चोरी हुई है । और सेल्स टैक्स की चोरी के मामले में, जिसमें राजस्थान सरकार को लाखों रुपया सेल्स टैक्स का मिलना चाहिए, राज्य सरकार जांच करने को तैयार है ? जांच करने को तैयार है, इसमें हुआ क्या ? हुआ यह, मैं एक मिनिट में एक्सप्लेन कर दूं, जब हमने यह हल्ला उठाया कि किसानों को इस तरह से लूट रहे हैं । मैं खुद गया और किसानों का एक बहुत बडा जुलूस लेकर गया । मैंने खुद ने यह चाहा कि जब सरकार अपने को असमर्थ पाती है · · · ·

श्री सभापति : भाषण नहीं होगा ।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : सरकार पैरेलाइज्ड हो गई है और कोई इनके खिलाफ कार्यवाही नहीं कर पाती है तो मने सोचा कि सीधे तरीके से कार्यवाही करने की जरूरत है । तो मैं घेराव में लेकर चाहता था कि सीधे पकड कर, फूड कोर्पोरेशन के आदमियों को पकड कर कार्यवाही कराना चाहता था, किसानों के लुटेरों को पकड कर ले जाकर उनके विरुद्ध कार्यवाही कराना चाहता था । परन्तु जब एसी कार्यवाही हो गई और आवाज उठाई कि किसानों से सीधा गल्ला खरीदना चाहिए, तो एजन्टों ने क्या किया कि वह खरीदते तो थे खुद लेकिन किसानों के नाम से झूंठे और फर्जी इन्द्राज करा लेते थे । मानों मदेरणा साहब के नाम से बिक्री दिखाई, कि मदेरणा साहब से इतना गल्ला खरीदा । अब दूसरा प्रश्न पैदा होता है कि मदेरणा साहब ने गल्ला बेचा या नहीं बेचा ? तो इस प्रकार से जाल साजी की (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) दो मिनिट ·········

श्री सभापति : लम्बा भाषण मत कीजिये ।

श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल : सभापति महोदय, मुझे शर्म आ रही है, मैं किसानों के हित की बात पूछ रहा हूं और फिर भी आप मुझे रोक रहे हैं ।

तो उसमें क्या हुआ ? उसमें यह हुआ, सभापति जी, जब उन्होंने फर्जी किसानों के नाम से दर्ज कर दिया और फूड कोर्पोरेशन के नाम से बिक्री दिखा दी । यानी वह सीधा नहीं बेचा, बल्कि किसानों के नाम से झूंठे और फर्जी इन्द्राज करके उनके द्वारा बेचा दिखाया । इसका क्या नतीजा हुआ ? इसका नतीजा यह हुआ कि उन सेठों के पास जो ब्लेक मनी पडा था लाखों रुपया, वह ब्लेक मनी किसानों के नाम से झूंठी बिक्री दिखा कर व्हाइट मनी कर लिया । और क्या हुआ ? और यह हुआ कि इन्कम टैक्स, सेल्स टैक्स की चोरी हुई । किसानों के नाम से बेचान नहीं हुआ इसलिए चुंगी की चोरी हुई । तो इसमें चार प्रकार की चीजें हुई हैं ······

श्री सभापति : सेल्स टैक्स, इन्कम टैक्स की चोरी का किसानों से तालुक नहीं है । आर्डर प्लीज ! सेल्स टैक्स, इन्कम टैक्स से इस प्रस्ताव का ताल्लुक नहीं है ।

श्री रामकिशन : मैं निवेदन करूंगा कि प्रश्न महत्वपूर्ण है ।

Page No. 115

श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल : बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री रामकिशन : मंत्री जी कमजोरी दिखाते हैं, उनको मजबूत करने के लिये आवश्यक हो गया है कि इस प्रकार की सूचनायें उनको दें। अभी पांच प्रश्न हुए हैं। चार और हैं उससे स्थिति और साफ हो जायगी।

श्री परसराम मदेरणा : स्थिति तो साफ है।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : बेचान के लिए निवेदन करना चाहूंगा कि बेचान का एक नियम है, सभापति महोदय, अगर जो खरीददार हैं, आढ़तिया है वह उसी रोज या दो तीन रोज के अन्दर नकद पेमेन्ट कर देता है तो उसको डेढ़ रुपया या एक रुपया सैकडा के हिसाब से रिबेट मिलता है। यह फूड कोर्पोरेशन से खरीद हुई इसमें नकद पेमेन्ट किया गया और बीच की दलाली को, रिबेट को, मुद्दत जिसको कहते हैं स्थानीय भाषा में, उसके नाम से लाखों रुपया खा गये जो कि फूड कोर्पोरेशन में जाना चाहिए। उस दलाली को कौन खा गया—इसकी जांच आप करायें।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : मैं भी दो मिनिट इस बारे में, फूड कोर्पोरेशन के बारे में कहना चाहता हूं।

श्री हरिदेव जोशी : इनके नौ हो गये ?

श्री सभापति : आर्डर प्लीज ! आर्डर !

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : अब मैं ज्यादा न कह कर कन्कलूड कर देना चाहता हूं।

श्री रामकिशन : छः हो गये हैं।

श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल : मैं आपकी घण्टी से डरता हूं। आप घण्टी से अंगुली हटा दें तो मुझे कहने का साहस हो। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं . . . .

श्री सभापति : आप भय मत खाइये।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : मैं आपके माध्यम से आखिरी बात कहना चाहता हूं प्रश्न रूप में, वह यह है कि क्या आप राजस्थान के किसानों के नेता बनने के लिए तैयार हैं ? आप आगे बढ़िये, हम आपका सहयोग देने के लिए तैयार हैं। सेन्ट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से, आपके एजेन्टों के माध्यम से किसानों को लूट से आप बचाने के लिए और किसानों को इस लुटाई से जो क्षति हुई है उस क्षति पूर्ति को करने के लिये आप बढ़ें। आप क्या उनके नेता के रूप में आगे बढ़ने को तैयार हैं या अपने आपको असमर्थ पाते हैं . . . .

श्री देवीदत्त गाडिया : माननीय सभापति महोदय . . . . . .

श्री सभापति : आर्डर प्लीज ! काफी हो चुका है।

श्री देवीदत्त गाडिया : दो मिनिट के लिए सिर्फ। मैं माननीय सभापति महोदय . .

श्री रामकिशन : मामला महत्वपूर्ण है।

श्री देवीदत्त गाडिया : मैं खाद्य मंत्री जी से . . . .

श्री सभापति : माननीय विश्नोई !

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : माननीय समापति जी, फूड कार्पोरेशन के पर्चेजज के बारे में जिला जालोर के बारे में मुझे जानकारी है। जिला जालोर के अन्दर इतनी जबरदस्त गेहूं की फसल थी खास तौर से सांचोर के नहरी एरिया के अन्दर लाखों मन गेहूं की पैदावार हुई थी। सांचोर मुख्य मंत्री जी गये थे उस समय उन्होंने वहां के किसानों को यह आश्वासन भी दिया था कि 74 रु. क्विन्टल के हिसाब से नीचे भाव गेहूं का नहीं जाने देंगे। लेकिन यह दुर्भाग्य है बार बार मैंने खाद्य मंत्री को पत्र लिखे कि वहां के व्यापारी इस गेहूं के भाव को पचास से लेकर चालीस रुपया क्विन्टल तक ले गये। इसके लिये फूड कार्पोरेशन ने पहले अपने एजेन्ट्स मुकर्रर किया कोआपरेटिव सोसाइटीज को खत्म करने के लिये लेकिन कोओपरेटिव सोसाइटीज को व खाद्य निगम वाले खरीदने नहीं आये। प्राइवेट व्यापारियों से उन्हें पचास और साठ रुपये में लिया और इसीका भाव 72 बताया गया जब कि वहां पर उस समय भाव पचास तक ही थे। फूड कारपोरेशन द्वारा खरीद में भयंकर घोटाले हुए हैं इसमें खाद्य निगम के अधिकारी भी शामिल हैं। सारे जालोर जिले में यही हाल था इसके बारे में राज्य सरकार को जांच करनी चाहिये। यही मामला सुमेरपुर मंडी का है वहां भी घोटाले हुए हैं, यह मुझे जानकारी है।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ) : समापति जी मैं भी एक मिनिट इस बारे में बोलना चाहूंगा। यह बहुत गम्भीर मामला है इसमें साठ सत्तर लाख की किसानों की लूट हुई है। मदेरणा साहब के प्रति हमारा रिगार्ड है। वे केवल चिट्ठी लिख देते भारत के खाद्य मंत्री को। उससे कोई काम होने वाला नहीं। आप इस बारे में एक दफा नहीं सौ दफा लिखें और इससे भी काम नहीं होवे तो कोई सख्त कदम उठायें। यदि इसी प्रकार की हालत रही तो जनता का राज्य व्यापार से विश्वास उठ जायगा। किसानों की जो लुटाई हुई है उसकी जांच की जावे।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : खाद्य मंत्री जी से मैं जानकारी चाहूंगा मई और जून 1968 में जो बैठक हुई उसके अन्दर सात लाख रुपये की लागत के गेहूं और चने की निकासी की गई.......

श्री सभापति : इसका प्रस्ताव से कोई ताल्लुक नहीं। माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

श्री देवीदत्त गाड़िया : किसानों से सस्ते भाव पर खरीदा गया। एक व्यापारी ने राजस्थान के उपमंत्री ने एफ. सी. आई. से मिल कर जो उसको खरीदने से इन्कार करता है वैसे माल को उप मंत्री के कहने के अनुसार बान्दी कुई से सात लाख रुपये का माल गला सडा दिलाया जिससे सरकार को भारी नुकसान हुआ।

कोटा के अन्दर एफ. सी. आई. ने दस हजार बोरी चना 90 रुपये क्विन्टल में बेचा। जब कि उसने 65 रुपये के भाव से खरीदा यह जो भारी मुनाफा कमाया इसके बारे में सरकार की क्या नीति है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री शंकरलाल (जेतारण) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, किसी भी मंत्री के ऊपर चार्ज लगाया जाय तो उसका पहले नोटिस मिलना

(श्री शंकरलाल)
चाहिये। माननीय सदस्य ने एक उपमंत्री पर चार्ज लगाया जिसका कोई नोटिस नहीं था।

श्री सभापति : इस तरह से चार्ज नहीं लगाया जाना चाहिये।

श्री देवीदत्त गाड़िया : बान्दीकुई की जनता ने अपने हस्ताक्षर युक्त प्रार्थना पत्र दिया है जिसकी कापी खाद्य मंत्री और मुख्य मंत्री जी को भी दी गई। उसमें यह आरोप लगाया हुआ है तीन रोज तक वे उप मंत्री अपनी कार लेकर उन व्यापारियों के यहां पड़े रहे, उससे सरकार को बहुत हानि हुई।

इतना ही नहीं जो एफ. सी. आई. के एजेन्ट्स हैं वे दिवालिया हैं जिनके कोई बैंक बेलेन्स नहीं ऐसे एजेन्ट्स को हजारों रुपया देकर नाजायज फायदा उठाया।

अभी एफ. सी. आई. ने जो ठेका दिया उनको दस पन्द्रह रुपया ऊपर देकर सरकार को एक लाख रुपये का नुकसान पहुंचाया। दूसरे व्यापारियों ने नीचे टेन्डर दिये उनके मंजूर न कर जो दिवालिया आदमी थे जिनका बैंक तक विश्वास नहीं करते जिनको कोई व्यापारी उधार नहीं देते स्टेट गवर्नमेन्ट ने और एफ. सी. आई. ने ऐसे व्यक्तियों को हजारों रुपया देकर घोटाला किया है। आज जो गहूं 80 रुपया क्विन्टल था उसको आज 120 रुपया क्विन्टल पर बेचा जा रहा है, उसको रोकने के लिये आप क्या उपाय कर रहे हैं?

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल जयपुर) : सभापति जी, जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है कि जिला परिषद् भरतपुर की शिकायत पर मामले की जांच करवाई है। कलेक्टर और अन्य अधिकारियों ने प्राथमिक जांच की है और उससे सरकार यह विश्वास करने लगी है कि कुछ मामलों में सचाई है कि खरीद में घोटाले हुए हैं। मैं एक जानकारी चाहता हूं इस प्रश्न के ऊपर आपने विचार किया है फूड कोरपोरेशन के अनुमति के बिना अगर उनके अधिकारियों के खिलाफ कोई मामला बनता है तो उनके खिलाफ सरकार एक्शन ले सकती है या नहीं?

श्री लादूराम सुलाणियां (फागी-सु.) : जानकारी मैं भी एक करना चाहता हूं जो गल्ला पैदा हुआ बिना मर्जी के फोर्स डालकर कन्ट्रोल रेट पर आप वसूल करते हैं। तो फिर जो अनाज रोज मोल लाकर खाते हैं उन लोगों को मिनिमम प्राइज पर मिलना चाहिए?

श्री सभापति : आपकी बात का प्रस्ताव से कोई ताल्लुक नहीं है।

श्री लादूराम सुलाणियां : 60 और 65 के भाव से खरीदा जाय और उसे ही 100 रुपया क्विन्टल के हिसाब से बेचा जाय क्या इतना मुनाफा ले सकते हैं इस बात के लिये जांच करवायेंगे? जो लोग रोजाना मोल ले कर खाते हैं उनके लिये आपने क्या इन्तजाम किया है। आज हालत यह है कि उपमंत्री लोग रिश्वत लेकर सारा मामला हजम कर लेते हैं ऐसे काण्ड की खुली जांच होनी चाहिए। ऐसे लोगों को दंड मिलना चाहिए।

श्री गिरधारीलाल व्यास : सभापति जी काल अटेन्शन नोटिस जो रखा गया उस पर मंत्री महोदय का स्टेटमेन्ट हो गया। स्टेटमेन्ट

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

के बाद माननीय सदस्यों को अवसर सवाल पूछने का दे दिया उसका जवाब भी मंत्री महोदय ने दे दिया इसके बावजूद भी डिबेट चल रही है। जब कि नियमानुसार समाप्त होनी चाहिए।

श्री दौलतराम सारण : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है क्या कोई सदस्य पान खाकर बोल सकता है। इनका मुंह खुलवा कर देखा जाय कि पान है या नहीं ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : मुझे यही निवेदन करना है कि डिबेट अभी तक बराबर कन्टीन्यू ही रही है और उन्हीं सवालात को बराबर 10 बार पूछा जा रहा है। आप प्रोसीडिंग्स को उठाकर देखें। माननीय सदस्यों ने जो सवालात एक बार पूछा उसको कई बार रिपीट किया है और दुबारा रिपीट करने से सदन का कितना समय नष्ट हुआ है। इसलिये इस डिबेट को समाप्त किया जाकर सदन का दूसरा बिजनेस शुरू किया जाय ताकि हमारी आज की जो डिमांडस हैं, उनको समय पर समाप्त कर सकें।

श्री लादूराम सुलाणियां : माननीय सदस्य को जानकारी नहीं है···

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज।

श्री लादूराम सुलाणियां : कौनसा नियम है ? आप देख लें।

श्री दौलतराम सारण : मैंने निवेदन किया था कि मैं दो शब्द कहना चाहता हूं ····

श्री सभापति : बहुत कह चुके हैं, आप सहयोग दें।

श्री दौलतराम सारण : मेरे बोलने से असहयोग होगा ? अब तक जो बोल रहे थे वे सहयोग कर रहे थे। आप नियमानुसार कार्यवाही चलाते तो मैं नहीं बोलता। एक तरफ तो नियमों में रिलैक्सेशन करते हैं और मैं जब अनुमति चाहता हूं तो कहा जाता है कि सहयोग दें।

(3.42 म. प.)

(श्री निरंजननाथ आचार्य अध्यक्ष, पदासीन)

श्री गिरधारीलाल व्यास : मैंने पोइंट ऑफ ऑर्डर उठाया था कि काल अटेन्शन मोशन जिन्होंने प्रस्तुत किया······

श्री दौलतराम सारण : मैंने व्यवस्था का सवाल उठाया है कि क्या कोई माननीय सदस्य पान खाकर बोल सकते हैं, क्या ? अपने मुंह में पान डालकर बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, दोनों व्यवस्था के प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक पान का है दूसरा बिना पान का······

श्री गिरधारीलाल व्यास : मैंने पहले पोइंट आफ ऑर्डर उठाया था·······

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपके पान खाने में कोई एतराज न भी करे लेकिन उसके कारण जो मुंह ऊंचा उठाते हैं उस पर ऐतराज है, आपको कला नहीं है पान खाने की।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आपसे सीख लूंगा।

श्री अध्यक्ष : मैं चाहता हूं कि खाद्य निगम पर जो डिबेट है, वह बहुत कुछ हो चुकी। संक्षेप में बारबार कहा गया, संक्षेप में हुई या नहीं लेकिन काफी संख्या में माननीय सदस्यों ने इसमें भाग लिया, अब आगे का बिजनेस और अधिक महत्वपूर्ण है। अभी भैरोंसिहजी का प्रश्न एक और है साम्भर लेक साल्ट्स का। उस पर भी थोडा समय लग सकता है। मैं चाहता हूं कि इस डिबेट को खतम किया जाय। लेकिन इससे पूर्व मैं यह भी नहीं मानता कि एक या दो माननीय सदस्यों को इसमें एकमोडेट नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं सदन का इसमें सहयोग चाहता हूं। अनावश्यक रूप से हमें देर तक बठना पड़ेगा यह उचित नहीं होगा। इसलिए माननीय सारण संक्षेप में कृपया बोलें।

श्री दौलतराम सारण : मैं बिल्कुल समय नहीं लूंगा। केवल एक ही प्रश्न मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं। जब आप मानते हैं कि खाद्य निगम ने गडबडी की, आपकी प्रारंभिक जांच से सही साबित है, तो आपने कानूनी कार्यवाही उनके खिलाफ क्यों नहीं की? केस रजिस्टर क्यों नहीं करवाया?

श्री अध्यक्ष : और कोई प्रश्न?

श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर) : क्या यह सही है कि पंजाब में 70 रुपये क्विंटल से कम कीमत में अनाज को नहीं गिरने दिया, मेरा मतलब ह मार्केट प्राइस? यहां राजस्थान में 50 और 60 के बीच में गिर गए तो वहां क्या हुआ कि सारी की सारी एजेन्सीज थीं वे मार्केटिंग सोसाइटीज थीं, यहां राजस्थान सरकार ने ऐसा क्यों नहीं किया?

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : क्या इस प्रकार का आश्वासन मंत्री महोदय दे सकते हैं कि आगे जो भाव बढ़ते जा रहे हैं 120-125 के आसपास पहुंच चुके हैं, क्या कोई सीमा निर्धारित कर दी है आपने कि हम अमुक दर से आगे भावों को नहीं बढ़ने देंगे?

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय कृपया स्पष्टीकरण करें लेकिन यह स्पष्टीकरण अंतिम होगा, उसके बाद दूसरा बिजनैस लिया जायगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या कहा, इनका अंतिम होगा?

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो सदन में नहीं हैं सवाल उठाया था कि 14 जून से जो लेवी का आर्डर रेसिड किया गया उसके बाद में खाद्य निगम किस हैसियत से खरीद कर रही थी। उस संबंध में मेरा उत्तर यह ह कि राजस्थान फुडग्रेन्स प्रोक्यूअरमेंट आर्डर 1965 की धारा 5 (ए) के अंतर्गत राइट आफ प्रीएम्पशन पर्चेजेज पर दिया हुआ था, अधिकार दिए गए थे, उसके अंतर्गत वे खरीद रहे थे। दूसरी बात उन्होंने कही कि लाइसेन्स क्यों नहीं लिया? मेरा निवेदन है कि राजस्थान फुडग्रेन्स लाइसेन्स आर्डर के अन्तर्गत खाद्य निगम को एग्जम्पशन दिया हुआ है इसलिये लाइसेन्स लेना आवश्यक नहीं है। दूसरी बात उन्होंने कही बीच के व्यापारी ने माल लिया और खाद्य निगम ने बेचा। खाद्य निगम के एजेन्ट्स हैं। एप्लीकेशन्स इन्वाइट करने के बाद सबसे कम रेट्स जिसके होते हैं, उनको एजंट एपाइंट करते हैं एक कमेटी के द्वारा। सहकारी समिति को प्रफरेन्स दिया

(श्री परसराम मदेरणा)

जाता है अगर काम्पीटिरीव रेट्स बराबर हैं, अगर बराबर नहीं हैं तो सहकारी समिति को नहीं देते लेकिन जहां तक खरीद करने का प्रश्न था, उसकी पूरी जिम्मेदारी जैसे निगम ने मुझे बताया है और मैं भी जानकारी लेता रहता हूं, क्वालिटी इन्सपेक्टर की थी और एजेन्ट की जिम्मेदारी उसको ट्रांस्पोर्ट करने की थी। टेन्डर्स मांगे जाते थे। इसलिये जो कुछ आप कह रहे हैं ज्यादा जिम्मेवारी उनकी नहीं है लेकिन निगम के अधिकारी जो खरीद करने वाले थे, जिला रीजनल आफिसर्स उनकी थी और जो शिकायतें आई हैं उसकी जांच के लिए मैंने भारत सरकार को लिखा है। उसके साथ ही साथ यहां पर किसानों की उत्पादन क्षमता के बारे में बात कही गई कि उनको उचित दाम नहीं मिले। राजस्थान में जो 65 हजार टन अनाज खरीद किया गया, इसकी खरीद क अन्दर सभी जगह भाव गिर गये हों जिसको फ्लोर प्राइस कहते हैं उसके नीचे चले गए हों मैं इस बात को नहीं मानता। आप स्वयं जानते हैं कि भाव करीब करीब प्रोक्यूअरमेंट प्राइस के आसपास आ गये थे और बाजार में खरीद नहीं थी तो हमने खरीदा। इसमें ज्यादा क्वान्टिटी जो निगम ने खरीदी है वह मेक्सीकन गेहूं की है इसलियें कहना कि किसानों को लाभ नहीं हुआ, यह सही नहीं है।

भरतपुर की शिकायत के बारे में स्थिति पहले भी स्पष्ट की गई है। वारां के माननीय सदस्य ने चुंगी के बारे में नई बात कही है जो मेरे सामने आई है उसकी मैं जांच करवा दूंगा।

दूसरी बात उन्होंने कही है कि मैं छिपाना चाहता हूं और छिपाता नहीं तो नेता नहीं बनता, नेता तो जनता ही बनाती है, मेरा बस होता तो हिन्दुस्तान का प्रधान मंत्री बन जाता। इसलिये मैं नहीं मानता कि किसानों को नुकसान हुआ। उन हालात में निगम ने अनाज खरीदा, जिस समय बाजार में व्यापारियों ने अनाज खरीदना बंद कर दिया था और कोई दूसरा व्यापारी काम्पीटीशन के लिए मार्केट में नहीं था। उस समय हो सकता है कि गडबडियां हुई हों लेकिन उसके बाद में प्राइसेस जो फिक्स की गई, अगर फिक्स नहीं होती तो भाव राक बाटम तक गिर जाते।

सांचोर में स्थिति दूसरी है। माननीय सदस्य उस समय यहां उपस्थित नहीं थे, उनके रेड व्हीट के बारे में मैंने विस्तार से चर्चा की है, सांचोर में सिर्फ लाल गहूं होता है। उसकी खरीद भारत सरकार ने बन्द की, राज्य सरकार ने प्रयत्न किया और जब 30 जून को सरकार को आदेश मिला कि खरीद करें उस समय आपके भाव भी बाजार में बढ़ गए थे।

श्री रघुनाथ विश्नोई : गेहूं बाहर चला गया था। सस्ते भावों में चला गया पैसे वालों के पास।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, मांडलगढ़ से आये माननीय सदस्य और जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बातें कहीं कि इसका पुलिस काग्नीजेन्स ले सकती है यह पीनल ओफेन्स है। इन बातों पर पुनर्विचार कर रहा हूं। प्राइमाफेसी जो इन्क्वायरी की उसके बाद सरकार सेटिस्फाइड है कि इसकी डिटेल्स में इन्क्वायरी कराना आवश्यक है इसलिये स्पेशल पुलिस एन्टी-करप्शन को भेज देंगे।

Page No. 121

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : माननीय अध्यक्ष महोदय···

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज । ऑर्डर प्लीज ।

सांभर साल्ट कम्पनी के संबंध में चर्चा।

श्री परसराम मदेरणा : एक बात है । बारां से आने वाले माननीय सदस्य ने कम्पनी का नाम तो नहीं बताया पर बडे गम्भीर आरोप लगाये हैं । कोटा में चना कम कीमत पर खरीदा और उप मंत्री महोदय से मिल कर····

श्री भैरोंसिंह : उन्होंने कोटा चना के लिये नहीं कहा था बल्कि खेडली मंडी में गेहूं का कम भाव बता कर परचेज किया और पास में बांदीकुई मे ज्यादा बता कर खरीदा गया ।

श्री श्रवणलाल : बांदीकुई के लिये कहा··

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर । ऑर्डर प्लीज ।

श्री परसराम मदेरणा : इतना ही निवेदन करना चाहता हू माननीय उपाध्यक्षजी ।

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्षजी कहिये ।

श्री परसराम मदेरणा : मुझे अफसोस है माननीय उपाध्यक्षजी लम्बे समय के लिये यहां आसन पर विराजे हुए थे इसलिये उसी रूप में संबोधित कर दिया ।

प्रिएम्पशन राइट्स पर एफ. सी. आई. के जरिये भारत सरकार राजस्थान में अनाज खरीदती है और वह ही प्राइस फिक्स अप करती है । हमने कहा कि हम करेंगे तो भारत सरकार ने कहा कि आप नहीं कर सकते । लेकिन हमारी कान्करेन्स से ही वह खरीदता है । इसलिये किन से खरीदा और किनको बेचा, यहां पर एक उप मंत्री का नाम लेकर कहा गया, इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस सत्र में ही इस सदन में मुझे एक स्टेटमेन्ट देने के लिये परमीशन दी जाय ताकि मैं उस स्टेटमेन्ट के द्वारा यह बता सकूं कि एफ. सी. आई. ने किस रेट पर खरीदा और किस रेट पर किसको बेचा । इस प्रकार का चार्ज लगाना किसी प्रकार बर्दाश्त नहीं किया जा सकता ।

श्री लादूराम सुलानियां : प्रश्न यह है··

श्री अध्यक्ष : प्रश्न बन्द हो गया ।
ऑर्डर माननीय सदस्य ।
सांभर साल्ट कम्पनी ।

श्री लादूराम सुलानियां : माननीय अध्यक्ष महोदय···

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज । ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर । माननीय सदस्य ।

श्री लादूराम सुलानियां :- सुनिये तो सही···

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज । ऑर्डर ।

(श्री परसराम एवं श्री लादूराम सुलानियां के बोलते रहने पर)

ऑर्डर माननीय सदस्य । ऑर्डर ।
ऑर्डर माननीय मंत्री महोदय ।
श्री भैरोंसिंह ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : प्वोंइट ऑफ ऑर्डर, सर ।

श्री अध्यक्ष : नो पोइन्ट ग्रोफ ग्रांर्डर, प्लीज रिज्यूम।

(श्री गिरधारीलाल व्यास के खडे रहने पर) प्लीज रिज्यम।

श्री गिरधारीलाल व्यास : सुन तो लीजिये, विड्रो कर लूंगा।

श्री अध्यक्ष : विड्रो ही करने का प्रश्न है तो फिर व्यवधान न डालें। बिजनिस के अनुसार चलते रहने दें। यस, श्री भैरोंसिंह।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही संयोग की बात है कि अब तक गेहूं के संबंध में चर्चा चल रही थी अब गेहूं के साथ जो जरूरी तत्व है नमक का उसका प्रश्न इस सदन में उठाया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन का ध्यान ग्रोर इस सरकार का ध्यान साम्भर साल्ट कम्पनी की ग्रोर आकर्षित करना चाहता हूं ग्रोर उसी ध्यान आकर्षण के जरिये से इस मसले पर यहां चर्चा उठा रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, साम्भर साल्ट कम्पनी की भूमिका जिस प्रकार से रही है उसके आधार पर सरकार के मंत्री ग्रोर सरकार भी यह महसूस करके चलती होगी कि हमने जिस समय हिन्दुस्तान साल्ट कम्पनी की राजस्थान में काम करने की अवधि थी वह समाप्त हुई ग्रोर उस समय राजस्थान गवर्नमेन्ट इस सारे उद्योग को अपने हाथ में लेने की चेष्टा कर रही थी उस समय कृष्णमाचारी अवार्ड के नाम पर हिन्दुस्तान साल्ट कम्पनी को साम्भर साल्ट कम्पनी की एक सबसीडियरी बना दिया। राजस्थान में कई प्राइवेट एन्टरप्राइज है।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : ग्रोन ए पोइन्ट ग्रॉफ आॅर्डर, सर। व्यवस्था का एक प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय। अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर एक बैठक में एक ही बार यह प्रश्न उठाया जा सकता है। मैं आपका ध्यान प्रक्रिया के नियम 131 के सब क्लॉज 3 की ग्रोर ले जाना चाहता हूं जिसके अनुसार एक बैठक में एक विषय से अधिक नहीं उठाया जा सकेगा। जब काल अटेन्शन उठाया जा चुका है...

श्री अध्यक्ष : किस नियम के अन्तर्गत यह कह रहे हैं ?

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, समय जा रहा है, न इन्होंने बिजनिस रूल्स को अच्छी तरह से पढ़ा है। 127 को पढ़ने से पोइन्ट ग्रोफ ग्रॉर्डर को रेज करने की आवश्यकता ही नहीं रहती।

श्री अध्यक्ष : आरम्भ रखिये।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता था उस समय राजस्थान सरकार ने कृष्णमाचारी अवार्ड को स्वीकार कर लिया ग्रोर उस अवार्ड को स्वीकार करने के कारण साम्भर में नमक उद्योग को ग्रोर राज्य सरकार को 20-30 लाख की आमदनी हो सकती थी उस आय से राजस्थान सरकार को महरूम रखा गया।

अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान साल्ट कम्पनी में तीन कन्सर्न हैं। एक सांभर साल्ट कम्पनी, एक मंडीका नमक उद्योग ग्रोर एक खारा गुढ़ा का नमक उद्योग

Page No. 123

(श्री भैरोंसिंह)

ये दो नमक उद्योग चल रहे हैं मंडीका और द्वारा गुढा का। उस कम्पनी को घाटा होता है। यदि किसी कम्पनी को लाभ होता है तो यह सांभर साल्ट कम्पनी है। राजस्थान सरकार दुनिया भर के ऐसे उद्योग लेना चाहती है जिन में राज्य सरकार को घाटा होता है और उसकी पूर्ति के लिये जनता के ऊपर राज्य सरकार को टैक्स लगाने पडते हैं। यह इस प्रकार का उद्योग है कि जिस उद्योग को राज्य सरकार स्वतन्त्र रूप से अपने अधिकार में लेकर चलती तो राज्य सरकार की अव्यवस्था और अयोग्यता का डिस्काउन्ट भी उसमें से काट लिया जाय तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि प्रति वर्ष राज्य सरकार को सांभर साल्ट कम्पनी के कारण 27-30 लाख रुपयों का मुनाफा होता। राज्य सरकार ने उस समय स्वीकार नहीं किया। किन तत्वों का दबाव था जिनके कारण राज्य सरकार ने अपने इन्ट्रेस्ट को इस प्रकार से छोड दिया जिसकी आज तक किसी प्रकार से पूर्ति नहीं की जा सकती है। सांभर साल्ट कम्पनी का सवाल आया, हम इस बात में संतोष करके चले गये, रायल्टी का अमाउन्ट बनता है और उस वक्त हिन्दुस्तान साल्ट कम्पनी ने मैन्यफेक्चर का काम किया उस रायल्टी को छोड कर वहां की पडअप कैपिटल में सब्स्क्राइब्ड कैपिटल में राजस्थान सरकार का शेयर होना चाहिये, भारत सरकार ने 6 लाख का भुगतान किया वहां राज्य सरकार 40 लाख भुगतान करना चाहती थी, राज्य सरकार ने कैश में भुगतान न करके रायल्टी के अगेन्स्ट में असेसमेंट करा लिया राज्य सरकार केवल संतोष करके बैठी रही, रायल्टी की रकम को देखा, स्वतन्त्र रूप से बिजनिस को हाथ में लेती तो रायल्टी तो आती ही और कम्पन्सेशन के असेट्स थे वे भी मिलते। यह दुर्भाग्य की बात

(4 म. प.)

है। अध्यक्ष महोदय मुझे खेद के साथ कहना पडता है कि राज्य सरकार अप इन्ट्रेस्ट को वाच करने में हमेशा कतराती रही है। इसके पहले श्री हिम्मतसिंहजी इसके चेयरमैन थे। उनके बाद में राजनैतिक दृष्टि से, राज्य सरकार की नीति रही है कि जो राजनैतिक पीडित हों, परास्त हो जाने के कारण पीडित हों, उन लोगों को किस प्रकार एडजस्ट किया जाय, उसकी व्यवस्था के लिये चिन्तित रहती है कि किस प्रकार से उनको सार्वजनिक क्षेत्र में एकोमोडेट किया जाय और राज्य सरकार ने श्री बाल कृष्ण कौल को इसका चेयरमैन बना दिया। राज्य सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र से किस प्रकार आमदनी बढाई जाय इसकी कोई चिन्ता नहीं रहती। यह आपत्तिजनक बात है। आज से चार दिन पहले चूंकि नामीनेशन फाईल करने में बाधा उपस्थित होती थी, उन्होंने इसे त्याग-पत्र दे दिया। हमारे यहां इस प्रकार की डायनामिक परसनलिटी के लोग हैं उनको एडजस्ट करने में, एकोमोडेट करने में किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोडते हैं। अध्यक्ष महोदय, यहां मैं यह बात कहना चाहूंगा कि भारत की कोई सरकार, विश्व में भी कोई सरकार रिटायर्ड ऑफिसर, या परास्त पोलिटिशियन को रिहेबिलिटेट या एकोमोडेट

(श्री भैरोंसिंह)

नहीं करती है। राजस्थान की सरकार ने, राजस्थान की जनता ने, एक बहुत डायनामिक परसनलिटी राजस्थान के मुख्य मन्त्री के रूप में पायी है जो सब तरह से ऐसे लोगों को एकोमोडेट करने के लिये तैयार रहते हैं। और उन्होंने इसी प्रोग्राम में श्री बाल कृष्ण कौल को रिहेबिलिटेट कर दिया है।

श्री मूलचन्द डागा : यह तो क्रेडिट है।

श्री भैरोंसिंह : यही तो मुश्किल है। आपको तो हार के बाद म्युनिसिपैलिटी में भी एडजस्ट नहीं कर पाये। अध्यक्ष महोदय प्रश्न यह आता है कि यह सब कुछ होने के बाद, राज्य सरकार अपने इन्टरेस्ट को किस प्रकार वाच करती है। आज तीनों कम्पनियों के, मैनेजिंग डाइरेक्टर जयपुर में हैं। उनके हैडक्वार्टर्स जयपुर में हैं। सांभर साल्ट कम्पनी के जनरल मैनेजर जयपुर में रहते हैं। उनके ऑफिस का पांच लाख रुपया का खर्चा आता है। अध्यक्ष महोदय, आपने सांभर साल्ट कं. की रिपोर्ट व ऑडिट रिपोर्ट को देखें उसमें बार बार ऑडिट ने आब्जेक्शन किया है कि जयपुर में हैडक्वार्टर क्यों है? इसके क्या कारण हैं? जो मैनेजिंग डाइरेक्टर्स के हैडक्वार्टर्स हैं, उसको शिफ्ट नहीं किया जा रहा है इसलिये 5 लाख का प्रति वर्ष सांभर साल्ट कं. को घाटा उठाना पड रहा है। यह घाटा सांभर साल्ट कं. को हिन्दुस्तान साल्ट कं. के कारण भुगतान पड रहा है। सारा का सारा खर्चा सांभर साल्ट क. को उठाना पड रहा है। इस तरह पांच लाख रुपये की सालाना बचत कंपनी को हो सकती है। हम राज्य सरकार से पूछना चाहते हैं कि यह स्थिति कब तक चलेगी?

अध्यक्ष महोदय तारीख 30-9-64 को इसकी सबसीडियरी के रूप में हिन्दुस्तान साल्ट कं. की सोसाइटी के रूप में इसका काम शुरू किया। अपने अधिकार में लिया। सांभर साल्ट कं. हिन्दुस्तान साल्ट कं. की सबसीडीयरी एजेन्सी के रूप में काम करने लगी। ऐसा लगता है कि राज्य सरकार ने कम से कम इसके ऊपर अपना जिस प्रकार का एक कन्ट्रोल होना चाहिए था, वह नहीं रखा है। मंत्री के पास आंकड़े होंगे। राज्य सरकार का 40 प्रतिशत के हिसाब से शेयर का डिविजन है। कैपिटल का डिविजन है। उसी अनुपात में बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स में हमारे मेम्बर होने चाहिये। मंत्री महोदय क्या स्वीकार करेंगे कि 40 प्रतिशत शेयर के हिसाब से क्या बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स में जितने मेम्बर होने चाहिए, उतने हैं? नहीं हैं और इसकी गवर्नेन्स के अन्दर राज्य सरकार का इन्टरेस्ट ठीक प्रकार से वाच नहीं किया जा सका है। राज्य सरकार को हानि हुई है। जो रेन्ट सांभर साल्ट कं. को मिलना चाहिये उसकी वसूली नहीं हुई है। वह रेन्ट काफी तादाद में हो गया है। हम वसूल नहीं कर पाये और उसका एक बडा डिस्पूट खड़ा हो गया है। वह डिस्पूट सांभर साल्ट कं. हिन्दुस्तान साल्ट कं. और राज्य सरकार के बीच में पडा है। इसका भुगतान वार्षिक होना चाहिये था। किन्तु हमें इस प्रकार का भुगतान आज तक नहीं हो पाया है। हम में सुपरवीजन, कन्ट्रोल की जो योग्यता होनी चाहिए वह भी नहीं कर पाये हैं, इसीलिए इतना नुकसान हुआ है। इस संबंध में राज्य सरकार का, सदन का

(श्री भैरोंसिंह)

ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, इस सदन को जानकारी है कि हमने तीन-चार दिनों में खाद्य की समस्या पर चर्चा की है, बाढ से जो हानि हुई है, इस पर इस सदन ने चिन्ता प्रकट की है। उस हानि से किस प्रकार बचा जा सके उसके उपाय ढूंढे हैं, उपाय ढूंढकर उन पर चलने की प्रतिज्ञा की है, चेष्टा करने का संकल्प लिया है। लेकिन इसके साथ साथ सांभर साल्ट कं. की हालत का मैं थोडा सा हाल बताऊंगा, अध्यक्ष महोदय, जो जानकारी मिली है, उसे इस सदन को जानकर ताज्जब होगा कि सांभर साल्ट कं. को इस बाढ के कारण 50 लाख रुपयों की हानि हुई है। इस 50 लाख रुपयों को बचाया जा सकता था सांभर साल्ट कं. ने इसकी उपेक्षा की। सांभर साल्ट कं. के जनरल मैनेजर, अधिकारी हिन्दस्तान साल्ट कं. के चेयरमैन समय के ऊपर कार्यवाही करते तो सांभर साल्ट कं. का जो नमक बह गया, मशीनरी बह गई, उसको बचाया जा सकता था। तारीख 11-7-68 को बरसात हुई। तारीख 12-7-68 को सांभर साल्ट कं. के जनरल मैनेजर ने एस. डी. ओ. सांभर को लिखित रूप में एक चिट्ठी भेजी कि इस बरसात से सांभर के पास जो अपोक टेंक है उसके टूटने की आशंका है। उससे सांभर को बचाया जाय। इसके लिये उचित व्यवस्था की जाय। एस. डी. एम. ने जांच की। उसने सूचित कर दिया कि चाहे कितनी बरसात हो, किसी भी प्रकार की बाढ आ जाय सांभर को बचा लिया जाय किन्तु सांभर साल्ट कं. अपने नमक को जो तैयार पडा हुआ है, जो स्टाक किया हुआ है, मशीनरी, पंप्स हैं, जो नमक क्यारियों में पडा हुआ है, उसको नहीं निकाला गया तो नुकसान हो सकता है। इस प्रकार की वारनिंग के बाद भी सांभर साल्ट कं. ने नमक को निकालने की व्यवस्था नहीं की। इसका परिणाम यह हुआ कि 23 हजार टन नमक सांभर साल्ट कम्पनी का जो क्यारियों में रह गया था पानी में बह गया। इसके साथ ही जो सोडियम सल्फेट का प्लान्ट लगा हुआ था, जो लेबोरेटरी लगी हुई थी, इसी प्रकार के जो दूसरे प्लान्टस लगे हुये थे, वे सारे के सारे पानी में बह गये। सामान जो क्वेरीज में पडा हुआ था, वह सारा का सारा नष्ट हो गया। यह कम्पनी की असावधानी के कारण 23 हजार टन नमक बहकर चला गया। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने इस कम्पनी के लिये वाशरी प्लान्ट लगाने के लिये स्कीम बनायी। बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स की मीटिंग में इसकी चर्चा हुई किन्तु फॉरन ऐक्सचेंज की कमी के कारण मशीनरी इम्पोर्ट नहीं की जा सकी। जिस प्लान्ट के लिए मशीनरी इम्पोर्ट नहीं की जा सकी, जिस प्लान्ट के लिये साइट तय नहीं की जा सकी, इस सदन को जानकर ताज्जब होगा कि प्लान्ट आया नहीं, मशीनरी लगी नहीं और सांभर साल्ट कं. के जनरल मैनजर ने वाशरी प्लान्ट के लिये 13500 टन रा मेटेरियल इकट्ठा कर दिया। बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स कहते हैं कि इस प्रकार का प्लान्ट सन् 72 के पहले नहीं लग सकता तब फिर सन् 68 में ही उसके लिये रा मटेरियल क्यों स्टाक किया जाता है। जिनको बन्डेदार कहते हैं उनकी मारफत करीब करीब 2000 पैन्स हैं, जहां जमीन में से पानी निकाल कर नमक बनाया जाता है और नमक भेजा जाता है साल्ट कम्पनी

(श्री भैरोंसिंह)

को। बरसात में पहले जो नमक पैदा हो गया वह कम्पनी क्यारी में से उठा कर स्टोर में ले जाकर जमा करे, इस प्रकार की वहां की परम्परा है। उन ठेकेदारों ने कम्पनी को लिखित में सूचना दे दी कि बरसात आने वाली है, नियमानुसार और परम्परा के अनुसार जो नमक क्यारों में पड़ा हुआ है, उसको उठाना चाहिये। परन्तु दुर्भाग्य की बात है कि यह लिखित में सूचना देने के बाद बरसात आने के बाद भी सांभर साल्ट कम्पनी ने नमक क्यारियों से नहीं उठाया जिससे 10 हजार टन नमक इन ठेकेदारों का और 13800 टन नमक जो वाशर प्लान्ट के लिये था, वह बह गया। आज ठेकेदार रो रहे हैं। हालत यहीं तक नहीं हुई मगर हालत यहां तक पहुंच गई कि सांभर साल्ट कम्पनी ने यह नहीं देखा कि जो क्यारें बनी हुई थीं उनकी मरम्मत किस सीमा तक की गई, जो पेन्स बने हुए हैं उनकी हालत किस सीमा तक मरम्मत मांगती है। यह कम्पनी ने आज तक नहीं देखा। झपोक डैम 1929 में बना था, उसके बाद इसमें एक दफा 1934 में ब्रीच आया, उस समय इसकी रिपेअर कराई गई, 1964 तक उसमें किसी प्रकार का खतरा नहीं आया। 64 में खतरा आया था तो उस समय जो सांभर साल्ट कम्पनी के मैनेजर थे उन्होंने वहां पत्थर लगवाये, बल्लियां गडवाई, झपोक डैम की ऊंचाई को बढ़ा दिया, बल्लियां गाढ दीं। पर आज का मैनेजमेंट ऐसा है कि उस समय जो वहां पत्थर लगाये गये थे, जो बल्लियां लगाई गई थीं उनको वहां से उठा उठा कर सांभर साल्ट कम्पनी के काम में ले लिया। अध्यक्ष महोदय, वहां जो पत्थर लगे हुए थे, जो बल्लियां वहां लगाई गई थीं, उनको हटा लिया और अपने काम में ले लिया उसका परिणाम यह निकला कि पानी आया। और झपोक बांध टूट गया, झपोक डैम 4 जगह से ब्रीच हुआ और इसके परिणाम स्वरूप सांभर और नावां के बीच में चलने वाली रेलवे लाइन जगह जगह से टूट गई और सांभर साल्ट का अन्तिम क्यार देवयानी का है, वह बह गया और मशीनरी बह गई।

अध्यक्ष महोदय, रेलवे ने अपना सामान इकट्ठा कर लिया, रेलवे के अधिकारी सामान इकट्ठा कर सकते थे, लाइन पर काम कर रहे थे उन्होंने सामान इकट्ठा कर लिया पर हमारे सांभर साल्ट के मैनेजमेंट ने इस बात की चिन्ता नहीं की कि बरसात के बाद नावों के जरिये घुस और उस सामान को बचायें।

अध्यक्ष महोदय, सांभर साल्ट के बारे में राजस्थान सरकार किस प्रकार राजनैतिक प्रोटेक्शन दे कर चलती है, उसका उदाहरण भी मैं सदन के सामने रखना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के सांभर साल्ट से जिस नमक का उत्पादन होता है, उसका अलोटमेंट होगा भारत सरकार के निर्धारित तरीके से। भारत सरकार ने जिनके लिये कोटा निर्धारित किया है उनको नमक दिया जाता है, जो वहां के जेन्वाइन ट्रेडर्स हैं उनका एक परसेंट के हिसाब से कोटा निर्धारित किया जाता है इसके अलावा भारत सरकार और राजस्थान सरकार इन्डस्ट्रीज को पनपाने के लिये, जहां नमक काम में आता है उनको नमक देती है।

Page No. 127

श्री हरिदेव जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री भैरोंसिह जी मुझे क्षमा करेंगे मैं उनको इन्टरप्ट कर रहा हूं पर जो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है, उसकी ओर मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अभी आप जो कह रहे हैं, वह बिल्कुल उसके स्कोप के बाहर है। मेरे लिये मुश्किल हो जायगा कि अलोटमेन्ट के बारे में आप कह रहे हैं उसका जवाब दूं। जिस चीज को मैंने देखा है, जिसका आपने जिक्र किया है, उसके बारे में मैं फुल्ली इक्विप्ड हूं, जो इस प्रस्ताव में आपने नहीं कहा है, उसके लिये मैं बिल्कुल नहीं कह सकूंगा।

श्री भैरोंसिह : मैं उदाहरण दे रहा हूं। मंत्री महोदय ने जो आपत्ति की है, वह भी मैं जानता हूं क्योंकि वे जानते हैं कि मैं क्या कहने वाला हूं, उसका मंत्री महोदय को अन्दाजा है। यह नमक का अलोटमेन्ट शान्ति प्रसादजी जैन को किया गया, इसलिये आपत्ति की जाती है। खैर मुझे इससे आपत्ति नहीं है।

सांभर साल्ट कम्पनी के पास बाढ से नुकसान होने के बाद 1 लाख टन नमक था, इसकी भूमिका मैं दो मिनिट में बताना चाहूंगा।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, आपका काल अटेन्शन मोशन है, वह इस प्रकार है:—

"सांभर साल्ट कम्पनी, जिसमें राज्य सरकार के 40 प्रतिशत शेअर हैं, में प्रशासनिक अकुशलता एवं अकर्मण्यता के कारण कम्पनी को बाढ के कारण लगभग 50 लाख रु. की हानि हुई है, जिसके कारण नमक उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पडा है व सरकारी आय को आघात लगा है, अतः इस प्रश्न पर चर्चा उठाई जाना आवश्यक है।"

ये तीन इश्यूज हैं उसमें, एलाटमेन्ट वगैरह नहीं है।

शान्ति प्रसादजी को अलाटमेन्ट करने में मुझे कोई ऐतराज नहीं है, यदि वह मेरे पास डायरेक्ट होता जैनवाइज तरीके से अलाटमेन्ट का कोई हकदार है उसको सीधे अलाटमेन्ट कर सकता होता तो करता। पर अलाटमेन्ट वगैरह ये चीजें इसके स्कोप में नहीं हैं।

श्री भैरोंसिह : इस बाढ के कारण शान्ति प्रसादजी का खीर में चम्मच कैसे रख दिया ?

श्री हरिदेव जोशी : अलोटमेन्ट इस मोशन स्कोप में है, यह कह दीजिये। आई वुड नोट स्पीक एनीथिंग।

श्री भैरोंसिह : मैं अलोटमेन्ट का नहीं कह रहा हूं। नमक के भाव बढ रहे हैं, इसका कारण बता रहा हूं। यह नमक के भाव क्यों बढ रहे हैं ? नमक के भाव बढने के तीन कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि सांभर साल्ट में बाढ आई उसके कारण बहुत बडी तादाद में नमक बह गया।

दूसरा कारण यह है कि सांभर साल्ट के अलावा नावां, कुचामन जहां नमक का उत्पादन होता है, प्राइवेट इन्टरप्राइजेज में का उत्पादन होता था, वह काम ठप्प हो गया, नमक बह गया।

तीसरा कारण यह है कि सांभर साल्ट कम्पनी के पास नमक का स्टाक कम हो गया, कुछ बाढ के कारण और कुछ इस कारण से कि बाढ के समय 1 लाख टन साल्ट स्टाक में

(श्री भैरोंसिंह)
था वह साल्ट का स्टाक सांभर साल्ट कम्पनी के पास रहता तो जो एक हवा सारे हिन्दुस्तान में नमक के बारे में हो गई वह पैदा नहीं होती और उस हिसाब से नमक के भाव नहीं बढ़ते। बाढ के पहले जो नमक का भाव था उसी भाव से नमक वहां मिलता। आप नमक नहीं खरीदते इसलिये आपको नमक के भाव का पता नहीं है।

श्री हरिदेव जोशी : आप तो नमक खाते ही नहीं हैं।

श्री भैरोंसिंह : मैं तो नहीं खाता पर जानकारी करने पर पता चला कि नमक के भाव पहले के मुकाबले में आसमान को छूने लग गये हैं।

श्री हरिदेव जोशी : आपको तो डाक्टर ने नमक खाना बन्द कर दिया है।

श्री अध्यक्ष : आप खाते नहीं हैं।

श्री भैरोंसिंह : खाता नहीं हूं पर ध्यान सब रखता हूं।

तो मैं निवेदन कर रहा था कि सारा नमक बाढ में बह जाने के साथ जो 1 लाख टन नमक सांभर साल्ट कम्पनी के पास स्टाक में बचा रहा उसमें से 50 हजार टन नमक शाहू जैन को दे दिया, जिनका रा मेटिरियल के अगेन्स्ट में कोई कोटा निर्धारित हो या जो जेन्वाइन वहां के ट्रेडर्स हैं, उनको दिया जाय तो कोई आपत्ति नहीं होगी पर जिनका कोई कोटा निर्धारित ही नहीं उनको दिया जाय तो वह मामला सदन में रखा जायगा। जो सांभर के जेन्वाइन ट्रेडर्स हैं नमक की कीमत 20 रुपया प्रति टन के हिसाब से ज्यादा देने को तैयार हैं। पर उनको नहीं दिया गया। कोटा का नमक लेकर लोग चले गये उसके बारे में 1 रु. 25 पैसे रेट बढा कर शान्ति प्रसाद जैन को देना, इस बात का संकेत है कि राजस्थान सरकार को चिन्ता नहीं है कि जो स्टाक में केवल 1 लाख टन नमक बचा है उसमें से 50 हजार टन नमक, 1 रु. 25 पैसा अधिक कीमत लेकर एक ही व्यक्ति को दे दिया गया तो सारे हिन्दुस्तान में नमक के भावों पर क्या असर पडने वाला है।

शाहू शान्ति प्रसाद जैन को राजस्थान सरकार आटा खिलाये या नमक खिलाये, चाहे जो खिलाये पर 50 हजार टन नमक से शान्ति प्रसाद जैन के बढे हुए रेट को और न बढाये। तो अध्यक्ष महोदय, इस तरह से हमारी सरकार ने सांभर साल्ट के मेनेजमेन्ट ने शान्ति प्रसाद जैन को 50 हजार टन नमक देकर सांभर साल्ट कम्पनी को 10 लाख रुपये का नुकसान पहुंचाया है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि 50 लाख रुपये का घाटा तो बाढ में नमक बह जाने से हुआ और 10 लाख का घाटा सस्ती कीमत से एक व्यक्ति को 50 हजार टन नमक देकर पहुंचाया गया है और जनता से महंगाई के नाम से सरकार ज्यादा रुपया एंठना चाहता है। यह राजस्थान स्टेट का नमक इन्टरप्राइज इन्डिपेन्डेन्ट होता तो किसी तरह विधान सभा में इस प्रश्न को लाने से रोका जा सकता था और सरकार कह सकती थी कि भारत सरकार से अलोटमेंट होता है। पर जो आर्डर दिये गये हैं उनमें साफ लिखा है कि यह दूसरा के लिये प्रतिबंन्स नहीं होगा, इस शर्त के साथ इनको 50 हजार टन नमक दिया गया है।

(श्री भैरोंसिंह)
इस प्रकार की स्थिति में समझता हूं कि शाहू शान्ति प्रसाद जैन के लिए हैं और अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के मन्त्रि मण्डल की चोटी शाहू शान्ति प्रसाद जैन ने पकड रखी है। आज राजस्थान सरकार उनकी गुलाम है शाहू शान्ति प्रसाद जैन को राजस्थान का मन्त्रि मण्डल साष्टांग प्रणाम करता है चाहे वह फारेस्ट डिपार्टमेन्ट का सवाल हो, चाहे आवकारी का सवाल हो यह सरकार नत मस्तक होकर चलती हैं। इसलिए मैं माननीय मन्त्री महोदय से नम्र शब्दों में निवेदन करूंगा कि इस प्राईवेट सेक्टर को डिजोल्व किया जाय। पब्लिक सेक्टर में राजस्थान सरकार अपना हाथ में ले जिसके कारण राजस्थान की सरकार को लगभग 20 से 30 लाख रुपये प्रति वर्ष की आय होती रहे ताकि राजस्थान सरकार कुछ कर भार से बचे।

श्री अध्यक्ष: मन्त्री महोदय।

श्री हरिदेव जोशी (उद्योग मन्त्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने बीच में ही माननीय सदस्य से कहा था कि माननीय सदस्य ने बहुत कुछ बातें ऐसी कही हैं जो उन्होंने लिखित में अपने काल अटेन्शन मोशन दिया उसमें कतई नहीं थी और मुझे ऐसा लगता है कि माननीय सदस्य ने जब यह प्रस्ताव दिया था, उस समय उनके ध्यान में नहीं थी। ये उनके आफटर थाट आये हैं और आफटर थाट के कारण से कृष्णामाचारी अवार्ड की जो राजस्थान की शुरूआत में थी उसको आज छोड़ा है। इस बात की फुर्सत उन्हें राजस्थान बनने के बाद आज आई है।

श्री भैरोंसि: आपको याद नहीं होगा। आप प्रोसीडिंग्स उठाकर देख लें, मैंने कई बार कहा है।

श्री हरिदेव जोशी: अध्यक्ष महोदय, इन सारी बातों का कि राजस्थान सरकार का डिसिजन गलत था या नहीं था। मैं इस बारे में बहुत कुछ विस्तार से कहता। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पहली बार छोटा से छोटा भाषण दिया है और उस भाषण के अन्दर 75 पर्सेंट टाइम तो उन बातों में लगाया है जिसका उल्लेख इसमें नहीं था। मैं आपके फिर इस प्रस्ताव को पढ़ता हूं।

श्री भैरोंसिंह: आपके पास जवाब नहीं है तो साफ कह दें।

श्री हरिदेव जोशी: उन्होंने ऐसा कहा है कि कम्पनी को 50 लाख की हानी हुई है। मैं जो रिलेवेन्ट बातें हैं उनका उत्तर दे दूंगा और जो रिलेवेन्ट नहीं हैं, जिनका इस प्रस्ताव से सम्बन्ध नहीं है उनका उत्तर देने को बाध्य नहीं हूं। मैं माननीय सदस्य से यह अपेक्षा करता हूं कि न तो वे ही इसको चाहेंगे और न सदन ही यह अपेक्षा करता है और अध्यक्ष महोदय आप तो यह अपेक्षा करते ही नहीं होंगे।

श्री भैरोंसिंह: अध्यक्ष महोदय नमक नहीं खाते हैं। यह अपेक्षा आप उनसे भी करते हैं क्या।

श्री हरिदेव जोशी: अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि सांभर साल्ट कम्पनी राजस्थान सरकार के सीधे नियन्त्रण में नहीं है। उसमें यह भी नही है कि 40 पर्सेन्ट शेयर राजस्थान सरकार के हैं और यह भी सही है कि उसमें दो डाईरेक्टर्स हैं। दो डाईरेक्टर्स कृष्णामाचारी अवार्ड के ऊपर हैं और उनको राजस्थान सरकार अपने प्रतिनिधि के तौर पर नियुक्त करती है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य

(श्री हरिदेव जोशी)
ने जो पब्लिक सेक्टर और प्राईवेट सेक्टर के बारे में बात कही है, मैं समझता हूं कि आप पब्लिक सेक्टर के विरोध में हैं क्योंकि जनसंघ ने अपनी नीति में परिवर्तन किया है। कोई उपयोगी चीज अगर पब्लिक सेक्टर में ली जाय तो बहुत अच्छा है, माननीय सदस्य को यह बहुत अच्छी तरह मालूम है। पब्लिक सेक्टर में एक-आध छोटी मोटी चीजों को कोई चीज नहीं है जो घाटे में चल रही हो।

श्री भैरोंसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इजाजत दें तो अभी बता दूं कि कौन से एन्टरप्राइज में घाटा है।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, कमेटी जो जांच करने वाली है, उसके चेयरमैन हैं।

श्री भैरोंसिंह: अध्यक्ष महोदय, इसीलिए तो इजाजत मांग रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : बीच में इजाजत नहीं दी जा सकती है।

श्री हरिदेव जोशी : इसीलिए बीच में इजाजत नहीं देंगे इन्टरप्ट करने की इजाजत नहीं दी है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक पब्लिक सेक्टर का सवाल है, राजस्थान में वे अच्छे ढंग से चल रही हैं। मैं आपकी इस बात को ऐप्रीसियेट करता हूं। प्राईवेट सेक्टर के बजाय अगर ये पब्लिक सेक्टर में होती तो ज्यादा मुनाफा में चलती। राजस्थान के अन्दर हमने जो प्राईवेट एन्टर प्राईज है उनको टेक ओवर की और उनको मुनाफे में चलाकर प्राईवेट लोगों को फिर सुपुर्द किया है। राजस्थान सरकार ने घाटे के अन्दर चलने वाली मेवाड टैक्सटाईल को टेक ओवर करके मुनाफे में दिया है।

श्री भैरोंसिंह : धौलपुर का हाई टेक . .

श्री हरिदेव जोशी: उसकी भी मैं आपको 6 महीने बाद यह इनफार्मेशन दूंगा कि यह उद्योग मुनाफे में चल रहा है।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : सिर्फ दो हजार का ही तो घाटा है।

श्री हरिदेव जोशी : मैं उस हिस्टोरिकल बैक ग्राउन्ड में नहीं जाना चाहता जिसके अन्दर कृष्णमाचारी अवार्ड ग्रुप है, किन्तु मैं यह निश्चित रूप से मानता हूं कि सांभर साल्ट कम्पनी के लिए राजस्थान सरकार आंखें बन्द कर नहीं चल सकती है। उसका घाटा राजस्थान सरकार का है। उसकी इन-एफीशियेन्सी राजस्थान सरकार को नुकसान पहुंचाने वाली है। इसलिए आपकी जो भी एडवाइस इस सदन को मिलेगी, हम उसको वेलकम करेंगे। मैं यह भी चाहूंगा कि हमारे जो डाईरेक्टर्स वहां बैठते हैं वे राजस्थान सरकार के इन्टरेस्ट को पूरी तरह वाच करें और अगर वे नहीं करते हैं तो मैं राजस्थान सरकार से यह कहूंगा कि अधिक सीनियर आफिसर को वहां पर भेजना चाहिए ताकि इफैक्टिव काम हो सके। ऑफिसर्स की इनएफीसियेन्सी बहुत असर करती है इसलिए मैं निश्चित रूप से देखूंगा कि ये ऑफिसर ठीक वाच करते हैं या नहीं क्योंकि मैं यह नहीं चाहता कि इन डाईरेक्टर्स की इन-ऐफीशियेन्सी के कारण हमारे शेयर का जो मुनाफा मिलना चाहिए वह वाजिब तौर पर नहीं मिलता है तो हम उस नुकसान को दुबारा दरगुजर नहीं करेंगे। बोर्ड का जो सवाल है और जो सूचना मुझे

(श्री हरिदेव जोशी)

हैं अध्यक्ष महोदय जैसा हम सब जानते हैं। सांभर एक कटोरे की तरह लोअर लेवल में है। उसके अन्दर पानी को रोका नहीं जा सकता है। जो पानी आया वह दो दिन में आया और ड्रेनेज नहीं होने के कारण वहां भर गया। मेरे पास सांभर का नक्शा हैं। माननीय सदस्य के पास जो इन्फार्मेशन है, वह मेरे पास भी है। गवर्नमेन्ट आफ इंडिया की ऑथोरिटीज हैं, उन्होंने विजिट किया है। उन्होंने भी कहा है कि इस प्रकार की ब्रिचेज को किसी प्रकार रोका नहीं जा सकता है। अगर इस पानी को किसी तरह रोका जाता तो कुचामन टाऊन है वह आज की हालत में नहीं रहता। सांभर में अन एक्सपेक्टेड 24 घंटे में जो पानी आया उस बान्ध को डेमेज किया, बान्ध के डेमेज करने के कारण कोई चीज वह गई माननीय सदस्य की इनफार्मेशन मुझे लगता है सही नहीं है जैसा आपने कहा 50 लाख का नुकसान हुआ है। कम्पनी का नुकसान 25 लाख का है।

श्री भैरोंसिंह : कम्पनी का लेटर मेरे पास है।

श्री हरिदेव जोशी : वह मुझे दे दीजिये।

श्री भैरोंसिंह : 50 पर्सेन्ट कम्पनी खा गई।

श्री हरिदेव जोशी : माननीय सदस्य ने मुझे कभी नहीं कहा।

श्री भैरोंसिंह : मैं आपकी जानकारी के लिए कह रहा हूं। मैंने स्टेटमन्ट दिया उसके ऊपर श्री बालकृष्ण कौल ने इस्तीफा दे दिया। मुझे यह कहना नहीं चाहिए लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं। मैंने कम्पनी का रेकार्ड देखा है तो उसमें · ·

श्री हरिदेव जोशी : आप देखें, उसमें मुझे किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है।

किन्तु अध्यक्ष महोदय मैं जो निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि मुझे जो आथेन्टिक सूचना दी गई है और अध्यक्ष महोदय इस सदन में आने से पहले जनरल मैनेजर और मेनेजिंग डाइरेक्टर को बुलाकर अपने सामने बिठा कर उनसे बात की है। अगर यह सूचना जनरल मैनेजर, मेनेजिंग डाइरेक्टर यह कहते हैं और उन्होंने मुझे गलत सूचना दी है आप मेहरबानी करके जो आपके पास सूचना है उसको मुझे दीजिये और म उसको देखूंगा और उसके बारे में जो कुछ कर सकूंगा वह करूंगा। लेकिन अध्यक्ष महोदय, जो सूचना मुझे दी गई है उस सूचना के अनुसार आज 19 लाख के अन्दर 12॥ लाख रुपये का तो रीहेबिलीटेशन का खर्चा होगा। एक्चुअल डेमेजेज जो है या लासेस जो हैं, वह बहुत कम हैं। इसमें मशीनरी की बातें करते हैं वह तो लास कुछ हजार के ऊपर ही है। वह बहुत छोटी चीजें हैं। जहां तक साल्ट का सवाल है जो इम्प्योर था और ह्यूमन कन्जम्प्शन के काम में नहीं आ सकता था, या जानवरों के काम में नहीं आ सकता था या बिना प्योरीफाई किये काम में नहीं आ सकता था उसका लास बडा है उसके लिए दूसरे किसी प्रकार के प्रिकाशनरी मेजर्स लिये जा सकते थे क्या ? उसकी इन्क्वायरी कम्पनी करवा रही है और मैं उसका इन्तजार कर रहा हूं। मैं उसमें जल्दीबाजी नहीं करना चाहता हूं। मुझे मालूम पडेगा कि कम्पनी के ऑफिसर्स की तरफ से कोई निगलीजेन्स बरती गई है और उस निगलीजेन्स के कारण हमको नुकसान हुआ है तो हम उसका कानूनी-

Page No. 132

(श्री हरिदेव जोशी)

जेन्स लेंगे। किन्तु मैं जो निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि इससे जहां तक राजस्थान का प्रश्न है, राजस्थान की हालत में कोई फर्क नहीं पडेगा। आज सूखा पडा है अनाज महंगा हो रहा है और दूसरी प्रकार की भी परेशानियां पैदा हो रही हैं लेकिन नमक की स्थिति क्या है? नमक की अवेलेबिलिटी का सवाल है राजस्थान सरकार के पास में 511 लाख टन का नमक हमारे पास में पडा है और मैं उसे इमीडियेटली डिस्पोस ऑफ करना चाहता हूं इसलिए कि नमक के भाव नीचे गिरें और मैं आशा करता हूं कि इसका सालिटरी असर होने वाला है। जो भी हमारा स्टाक है उसको अरलियेस्ट रिलीज करना चाहते हैं।

श्री भैरोंसिंह: पचपद्रा में है वह तो निकालेंगे ही।

श्री हरिदेव जोशी: आप चाहते हैं कि वह नहीं निकालें? मेरे खयाल से निकालना चाहिए।

श्री भैरोंसिंह: उसको समय पर नहीं निकाला। उसमें भी राज्य सरकार को घाटा हुआ है। पचपद्रा का अलग से स्केन्डल है।

श्री हरिदेव जोशी: उसकी भी बात कर लेंगे। जहां तक सांभर साल्ट का सवाल है उससे जो राजस्थान को शेयर मिलना चाहिए वह किसी हालत में कम नहीं होने दिया जायेगा। वह राजस्थान के व्यापारियों को मिलेगा, राजस्थान की एजेन्सी को मिलेगा। उसमें कोई कमी नहीं होने दी जायेगी। और हम लोग राजस्थान के लोगों के प्रतिनिधि होने के कारण अगर इसमें कोई गलती होती है तो उसको सुधारने का प्रयत्न करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात माननीय सदस्य ने यह कही है कि इसके उत्पादन के अन्दर भी विपरीत असर पडा है। बाढ़ आने के कारण से, सूखा पडने के कारण से खेती के ऊपर असर पडा है तो इसके ऊपर भी विपरीत असर पडा है। किन्तु मैंने ऑफिसर्स से बात की है और हम चाहते हैं कि अरलियेस्ट एफर्ट्स किये जाने चाहिए जिससे इस वर्ष के अन्दर जो यह अफवाह थी कि पूरे वर्ष के अन्दर नमक नहीं बनाया जा सकेगा ऐसी स्थिति नहीं हो। हम स्वयं देखेंगे कि इस वर्ष में नमक का उत्पादन होवे। चाहे हम पूरे टारगेट्स पर नहीं पहुचें लेकिन किन्हीं भी स्थिति में नमक बनाने का काम बन्द नहीं हो ऐसा प्रयत्न करेंगे। मगर जहां तक मैं समझता हूं नमक के उत्पादन के ऊपर बहुत बडा असर पडने वाला नहीं है बल्कि मैं ऐसा समझता हूँ कि सांभर साल्ट को छोड दें मगर डीडवाना जिसमें हमारा डर था उसको सारे को ठीक कर लिया गया है और उसका उत्पादन कर रहे हैं। इसी प्रकार से पचपद्रा में जो उत्पादन पिछले वर्ष हुआ है उसकी अपेक्षा ज्यादा उत्पादन होगा और हम आम लोगों के सामने और हिन्दुस्तान के अन्दर ज्यादा तादाद में नमक को रख सकें। इसलिए जहां तक अवेलेबिलिटी का सवाल है वह किसी हालत में कम नहीं होने वाला है।

अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी चीजों में नहीं जाकर इसी बात का विश्वास दिलाता हूं कि जहां तक कृष्णमाचारी अवार्ड का सवाल है उसमें कोई संकट होगा तो हम उसको री-

(श्री हरिदेव जोशी)
कन्सीडर करेंगे। जहां तक हमारे रिप्रेजेन्टेशन का सवाल है इन-इफेक्टिव नहीं होगा। जहां तक हमारे लासेस का सवाल है किसी भी हालत में हम देखेंगे कि नमक बह जाने से किसी भी हालत में राजस्थान का शेयर उसमें कम मिले यह नहीं होगा।

अब माननीय सदस्य ने शांतिप्रसाद जैन के बारे में शिकायत की वह निश्चित रूप से बनी रहेगी। उसको वह भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं और सारा सदन जानता है और हिन्दुस्तान जानता है कि यह शिकायत क्यों है आपकी। शांतिप्रसाद जैन ने पिछले चुनावों में कांग्रेस को मदद दी और उसमें आप ऐसा समझते हैं कि आपका विरोध हुआ तो यह तो राजनैतिक कारण है आपके विरोध का··

श्री भैरोंसिह: मन्त्री महोदय ने स्वीकार तो किया कि कांग्रेस को मदद दी इसीलिए राज्य सरकार ने अनुचित लाभ दिया उसको।

श्री हरिदेव जोशी: अगर शांति प्रसाद जैन ने कांग्रेस की मदद की है तो दूसरों ने आपको मदद दी है। मगर एक ही चीज है। मुझे यह कहना है कि आपकी शिकायत के प्रति सहानुभूति है जहां तक शांतिप्रसाद जैन का ताल्लुक है। मगर मैं ऐसा समझता हूं कि कोई गैर वाजिब ढंग से किसी व्यक्ति को लाभ नहीं उठाने दिया जायेगा और कम से कम आज की स्थिति में जब कि नमक की कमी की स्थिति है। उस स्थिति में बहुत सावधानी से करना चाहिए और मैं इसको भी देखूंगा कि कोई आउट ऑफ दी वे जाकर इनको नमक दिया गया है। यही बात मुझे निवेदन करनी थी।

श्री भैरोंसिह: क्या राजस्थान की सरकार इसको इन्डीपेन्डेन्ट अपने स्टेट का पब्लिक सेक्टर बनाने के पक्ष में है? क्या इस सम्बन्ध में वह भारत सरकार को मूव करना चाहती है और बाकी सोर्सेस से इनकम नहीं होती और यहां हैडक्वार्टर बनाकर जो खर्चा होता है उसके बारे में क्या कहना है?

श्री हरिदेव जोशी: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य अच्छे पार्लियामेन्टेरियन है और सारी चीजों को जानते हैं। राजस्थान गवर्नमेन्ट और गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया के बीच में अमुक वर्षों के लिए लीज एग्रीमेन्ट है और आप मुझसे यह चाहते हैं मैं यह कहूं। जिसके ऊपर राज्य सरकार ने कोई डिसीजन नहीं लिया है और बाहर तो फिर भी बात करूं लेकिन जब राज्य सरकार ने कोई निर्णय ही नहीं लिया तो मैं हाउस में कैसे कह सकता हूं।

(4.38 म. प.)

अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर विचार

श्री अध्यक्ष: अनुपूरक अनुदानों की मांगों के ऊपर विचार करने के पूर्व मैं सदन को सूचित करना चाहूंगा कि 4 बजकर 45 मिनिट पर मुखबन्द का प्रयोग किये जाने की व्यवस्था पहले से थी। अब चूंकि समय पर मांगों को नहीं लिया जा सका है इसलिए 4.45 पर मुख बन्द का प्रयोग किये जाने वाला था उसको मैं अब 5.45 पर करूंगा।

श्री हरिदेव जोशी: डिमाण्ड की तो कोई खास बात नहीं है। ज्यादातर डिमाण्ड्स चार्ज्ड हैं और एक अनचार्ज्ड की है जो कि केरोगेटेड शिट्स के बारे में है जिसको हम मिलट्री

(श्री हरिदेव जोशी)
से खरीद रहे हैं इमरजेन्सी बेसिस पर। इसलिए मुख बन्द का प्रयोग जो 4.45 पर होने वाला था उसको 5 बज कर लें और इन्डस्ट्रीज की डिमाण्ड को ले लें। जो वोटड हैं उसको पहले ले लें।

श्री अध्यक्ष: सदन की अनुमति है कि 5 बजे मुख बन्द का प्रयोग किया जाये ?

श्री रामकिशन: 5 बजे के बजाय तो अभी ही मुख बन्द ठीक है।

श्री हरिदेव जोशी: तो क्या माननीय सदस्य की यह राय है कि अभी मुख बन्द हो जाये तो मैं उसके पक्ष में हूं। अभी कर लो।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, वह तो मैंने वेदना के कारण कहा है।

श्री भैरोंसिंह : लेकिन एक बात कर दी जाय यदि मुखबन्द कर दें तो कोई आपत्ति नहीं है मेरा व्यक्तिगत सुझाव ऐसा है कि मुखबन्द करके डिमान्ड्स पास कर दी जायं और आज और कल एप्रोप्रियेशन बिल पर डिबेट हो जाय।

श्री हरिदेव जोशी : मुखबन्द की बात सब ओर से आ रही है, और काफी विचार दूसरे विषयों पर हो चुका है।

श्री भैरोंसिंह : डिमान्ड्स पास कर दी जायें और डिमाण्ड के बाद में एप्रोप्रियेशन बिल आयगा तो उसके ऊपर डिबेट हो जाय।

श्री अध्यक्ष : मेरे खयाल से यह उपयुक्त होगा अगर माननीय सदस्यों की यह अनुमति हो कि एप्रोप्रियेशन पर बहस कर ली जाय और डिमाण्ड्स पास कर दी जायं।

कई माननीय सदस्य : एग्रीड।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि····

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मगर मैं बीच में यह निवेदन कर दूं···

श्री अध्यक्ष : फिर नहीं। अब तो डिमाण्ड्स पर मतदान हो जायगा।

श्री हरिदेव जोशी : नो इफ्स एण्ड बट्स

अनुपूरक अनुदान की मांगों पर मतदान

मांग संख्या 46

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या 46, मुख्य शीर्षक, 124 सरकारी व्यापारी की योजानाओं पर पूंजी की लागत के संबंध में 31 मार्च, 1968 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निर्मित राज्यपाल महोदय को 1,00,000 रु. तक की राशि और प्रदान को जावे।

(स्वीकृति)

मांग स्वीकार गई गई।

मांग संख्या 8

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 18 संसद, राज्य संघ राज्य क्षेत्र विधान सभाओं के संबंध में 31 मार्च, 1968 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निर्मित राज्यपाल महोदय को 2,00,000 रु. तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या 13

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26-विविध विभाग के संबंध में 31 मार्च, 1969 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,01,000 रु. तक की राशि और प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

एप्रोप्रियेशन बिल मूव करेंगे माननीय मंत्री महोदय ।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी (राज्य मंत्री वित्त) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1968 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1968 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई ।

राजस्थान विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1968

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1968 को पुरःस्थापित करता हूं ।

श्री भैरोंसिंह : आज ही लेना है क्या इसको ?

श्री अध्यक्ष : समय का उपयोग करलें ।

श्री रामकिशन : इसको कब तक चलाना है ?

श्री भैरोंसिंह : इसी आश्वासन पर डिमाण्ड पास की गई थी कि इसको कल चलायेंगे ।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1968, को विचारार्थ लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय ।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया ।

श्री रामकिशन : टाइम तो तय हो जाय ।

श्री अध्यक्ष : अब कर देता हूं ।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1968 को पारित किया जाय ।

श्री भैरोंसिंह : यह नहीं आयेगा । विचारार्थ लिया गया है उसके बाद पारित करने का प्रस्ताव बिना बहस के नहीं आयेगा ।

श्री अध्यक्ष : मेरा यह निवेदन है कि क्या इस समय का उपयोग नहीं किया जाय ?

श्री रामकिशन : 10 मिनट में क्या होगा ?

श्री हरिदेव जोशी : साढे पांच बजे तक चल जायगा।

श्री अध्यक्ष : एक माननीय सदस्य तो एकोमोडेट हो ही सकता है कम से कम श्री रामकिशन जी तो ।

श्री भैरोंसिह : गिरधारीलालजी बार बार उठते हैं ये बोलने के लिये ज्यादा उत्सुक हैं ।

श्री अध्यक्ष : गिरधारी लालजी कल बोलेंगे ।

श्री हरिदेव जोशी: आज कांग्रेस का कोई नहीं बोलेगा ।

श्री अध्यक्ष : श्री रामचन्द्र आर्य !

श्री भैरोंसिह : डिबेट कल चलेगी । आज तो पूरी होगी नहीं ।

श्री अध्यक्ष : कल हो जायगा ।

श्री हरिदव जोशी : कितना टाइम लगेगा ?

श्री अध्यक्ष : टाइम का निर्धारण हम करेंगे ।

श्री हरिदेव जोशी : अभी तय करवालें।

श्री गिरधारीलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, कल दो इम्पोर्टेन्ट बिल्स हैं उनको पारित करना है ।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : अध्यक्ष महोदय, आज जो अतिरिक्त मांगें मन्जूर करवाने के लिये विनियोग विधेयक पेश किया गया है इसकी तारीफ में मैं यह निवेदन करूंगा कि यह जो राशि पारित की गई है यह जरूरत से ज्यादा है और फिजूल खर्च की तारीफ में आती है। गाडियों के लिए जिस तरह से जो राशि इस विधेयक मे मन्जूर करवाई जाती है राजस्थान मोटर गैराज की गाडियों और अन्य सरकारी गाडियों का बडा ही दुरुपयोग हमेशा ही किया जाता रहा है । इस संबंध में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान के मंत्रि-मंडल के सदस्यों द्वारा सरकारी गाडियों का दुरुपयोग समय समय पर किया जाता रहा है। इसके प्रमाण स्वरूप मैं आपके सामने यह निवेदन करूंगा कि हरियाणा के चुनाव में राजस्थान के पूल की गाडियों और गैराज की गाडियों का इस्तेमाल किया गया है ।

(4.48 म. प.)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति पदासीन)

इसका आखों से देखने का प्रमाण हमारे पास में है। राज्य के खजाने से रुपया खर्च किया जाकर सरकारी गाड़ियां खरीदी जायें और उन गाडियों का एक पार्टी के चुनाव में उपयोग किया जाय इससे बढकर और लज्जा की क्या बात हो सकती है । मैं यह चाहूंगा कि इस बारे में गहराई में जाकर इसकी जांच करवाई जाय कि इस तरह से हमारे इलाके के पास में हरियाणा का एलनाबाद का एक हलका है उस हलके में हमारे यहां के डिप्टी मिनिस्टर श्री बृज प्रकाशजी गोयल 10 दिन तक वहां रहे और पूल की गाडियों का उन्होंने वहां पर इस्तेमाल किया हमारे सामने था और उनको मना किया कि इस तरह से आप राजस्थान की सरकारी गाडियों में पब्लिक के धन का इस चुनाव में

(श्री रामचन्द्र आर्य)

गैर तरीके से उपयोग करते हैं, यह आपके लिये शोभा की बात नहीं हैं। तो उन्होंने यह उत्तर दिया कि तुम तो ऐसा ही करते हो रोजाना और इनकी हमें कोई परवाह नहीं है। मैंने मेरे खास आदमी को भेजकर बृजप्रकाशजी के कार्यालय में जो कि एलनाबाद में था वहां पर कहलाया और इनको हमने रास्ते में पकडा तो बीरबल एम. एल. ए. और बृजप्रकाशजी गोयल जो उस वक्त संसदीय सचिव थे उन्होंने उस गाडी को गंगानगर से मंगाकर इस्तेमाल किया। इसका फोटो मेरे पास है। मैंने तारीख 14-5-68 को उस गाडी का फोटो पोलिंग स्टेशन पर लिवाया और उसी समय मैंने गवर्नर महोदय को और चुनाव कमिश्नर को वहां से तार भी किया और मुख्य मंत्री के पास भी तार भेजा कि इस तरह से सरकारी गाडियों का इस चुनाव में दुरुपयोग हो रहा है। इसकी जांच करवाई जाये, लेकिन उसका उत्तर आज तक हमारे पास नहीं आया।

मैं समझता हूं कि इस प्रकार से सरकारी गाडियों का इस सरकार के मंत्रिमंडल के सदस्य अपने घरों में बच्चों को स्कूल छोडने के लिये, सब्जी खरीदने के लिये व प्राइवेट काम में लेते हैं इससे भी इनको संतोष नहीं हुआ तो दूसरे प्रान्तों में जाकर इस राज्य की जो सरकारी गाडियां हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से चौमू और दौसा के क्षेत्र में न मालूम कितनी ही सरकारी गाडियों का दुरुपयोग हुआ है। यह तो राजस्थान की सीमा क अन्दर है। यहां तो सौ बहाने बनाकर गाडियों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पडोसी राज्य में हरियाणा प्रान्त में जो मध्यावधि चुनाव हुए हैं वहां पर बृजप्रकाशजी गोयल की ड्यटी लगाई गई थी एलनाबाद के हलके में तो उनको पार्टी की गाडी लेना चाहिए थी, लेकिन उन्होंने राजस्थान पूल की गाडी का इस्तेमाल किया।

सभापति महोदय, मैं यह आपके सामने, इस सदन के सामने प्रमाण पेश करना चाहता हूं। इस तरीके से हमारे राजस्थान में गाडियों का दुरुपयोग किया जाय, सरकारी धन का दुरुपयोग किया जाय और हम चुपचाप बैठे देखते रहें, यह कतई नहीं हो सकता। मैं यह चाहूंगा कि यह मांग कतई मंजूर न की जाय। इस प्रकार से नाजायज तरीके से गाडियों का इस्तेमाल करना और सरकार के धन का दुरुपयोग करना और फिर उसके बाद में गाडियों को खरीदने के लिये, गाडियों की मरम्मत के लिये, गाडियों के लिये अतिरिक्त मांग मंजूर करवाना–यह कतई गैर वाजिब है। मैं सदन के सामने यह तथ्य पेश करना चाहता हूं। यह फोटो है इसमें अहलनाबाद में यह गाडी नम्बर 53, जो गंगानगर पूल की है, खडी है और यह गाडी वहां एक से लेकर 14 तारीख तक रही है और चुनाव क्षेत्र में और पोलिंग स्टेशनों पर जा जाकर यह दिखाया है कि राजस्थान गर्वनमेन्ट के बडे बडे मंत्री यहां वोट मांगने के लिये आये हैं, इतनी ताकत इस उम्मीदवार के साथ में है। इसका चुनाव के ऊपर तो असर पडा ही है लेकिन राजस्थान की दो करोड जनता की गाढ़ी कमाई को भी इस तरह से पानी की तरह बहाया गया है। ऐसी हालत में यह सदन इस बात को स्वीकार करे और उससे यह मांग मंजूर कराई जाय–यह गैर वाजिब है। मेरा निवेदन है कि इस तरह की मांग मंजूर न की जाय चाहे इधर बैठने वाले सदस्य हों या चाहे उधर बैठने वाले सदस्य हों, वह समझे कि इस तरह से पब्लिक

(श्री रामचन्द्र आर्य)

के धन का दुरुपयोग करने और उसके बाद में इनको अतिरिक्त मांग मंजूर करने के आधार पर इनके हाथ में हथियार देना यह एक नामुमकिन बात है। मैं यह निवेदन करूंगा अहलनाबाद इलाके में गंगानगर पूल की गाडी इस्तेमाल की गई, इसके बाद में रिपोर्ट की गई है, इसलिए इसकी जांच करवाई जाय। जितने दिन गाडी वहां पर रही है इसका खर्चा डिप्टी मिनिस्टर से वसूल किया जाय और आयन्दा के लिये इस प्रकार की गलत कार्यवाही करने वाले मंत्री को मंत्रिमंडल से हटाया जाय। उनको यह कोई अधिकार नहीं है कि जनता के खजाने को अपने कार्य के लिये या पार्टी के प्रचार के लिये गाडी के इस्तेमाल के रूप में खर्च किया जाय। मैंने इसके बारे में जानकारी की है, उस तारीख से 14-5-68 तारीख तक जो लाग बुक भरी गई है उसके लिए ड्राईवर ने कहा था कि मैं यहां की ही लाग बुक भरूंगा। तो अहलनाबाद के बारे में ही लाग बुक भरी गई है। मैंने जानकारी ली है उसके आधार पर मुझे यह जानकारी मिली है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर जनता की गाढी कमाई में जो घोटाले होते हैं और जिस प्रकार से गाडियों का दुरुपयोग होता है उसको हम आये दिन देखते हैं। इस तरह से सरकार की गाडियों का निजी कामों में उपयोग होता है। आये दिन गाडियां खरीदी जाती है और उनकी मरम्मत के नाम से रुपया उठाया जाता है लेकिन निजी कामों में यह गाडियां इस्तेमाल की जाती हैं। इनके कार्यकर्त्ता सरकार की गाडियों को अपने इलाके में लेकर घूमते फिरते रहते हैं। मैंने कई गाडियों में देखा है कि उनमें मंत्री नहीं होता, उनका प्राइवेट सेक्रेटरी रहता है या कांग्रेस के कार्य-कर्त्ताओं को मैं उन गाडियों में देखता हूं। गंगानगर में आये दिन हम इस तरह की हरकत देखते हैं। गाडियों को लेकर लोग घूमते फिरते हैं, प्राइवेट कामों के लिये, बारातों के लिये भी गांवों में गाडियां जाती हैं, रिस्तेदारों से मिलने के लिये, जब कि कोई सरकारी प्रोग्राम नहीं होता फिर भी गाडियां इस्तेमाल की जाती हैं। पार्टी की मीटिंग की जाती हैं पार्टी के प्रचार के लिये, उनके लिए, कोई भी मंत्री का प्रोग्राम नहीं होता फिर भी गाडियां इस्तेमाल की जाती है। इस प्रकार की गलत परम्पराओं के साथ राजस्थान के मंत्री महोदय द्वारा जितना पब्लिक के धन का दुरुपयोग किया है उसके कारण आज राजस्थान की दो करोड जनता जानती है कि कितनी ईमानदारी इन लोगों के अन्दर है और किस प्रकार से इन लोगों ने सरकारी धन का दुरुपयोग किया है अपने निजी फायदे के लिये। इसके परिणाम का तो आने वाले सालों के अन्दर ही अन्दाज लग सकेगा जब कि इन्क्वायरी होगी इनके खिलाफ और उस समय सारे तथ्य, जितना इन्होंने दुरुपयोग किया है जनता के धन का, वह सामने आयेंगे। इस मांग पर मेरा कटौती प्रस्ताव भी था, यह सरकारी गाडियों का दुरुपयोग किया जाता है इस बारे में मैं यह बनावटी बात नहीं कहता हूं, यह तथ्य की बात है जो मैं सदन की मेज पर रखता हूं। आज इस प्रकार से राजस्थान के मंत्रिमंडल के सदस्य सरकारी गाडियों का चुनाव में इस्तेमाल करें और फिर भी उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं हो तो मैं कैसे तसल्ली करूं। इस प्रकार की कार्यवाही की जांच की गई तो राजस्थान की दो करोड जनता के धन के सदुपयोग की जो जिम्मेदारी इन लोगों पर है, उसके लिये इन लोगों पर किसी का

(श्री रामचन्द्र आर्य)

विश्वास नहीं रहेगा । वैसे ही हर काम में जनता के विश्वास को खो दिया है, जनता आज कतई आपको पसन्द नहीं करती है क्योंकि जो मंत्रिमंडल बनाया गया है वह लोगों की खरीद फरोख्त करके जाली तरीके से बनाया गया है । न तो प्रजातांत्रिक तरीके से यह सरकार बनाई है और न प्रजातांत्रिक तरीके में इनका विश्वास है क्योंकि आज जो भी प्रजातांत्रिक संस्थायें हैं उनके यह चुनाव नहीं करवा रहे हैं, नगरपालिकाओं के चुनाव नहीं करवा रहे हैं, पंचायत एक्ट में संशोधन लाकर पांच साल की म्याद बढा रहे हैं । आपको यह नहीं मालूम है कि प्रजातन्त्र में जिस मकसद के लिये लोग वोट देते हैं, जिस भावना से देते हैं उसको कुचल देने से यह प्रजातंत्र समाप्त हो जायगा, इस पर लोगों की आस्था नहीं रहेगी । आज हर आदमी के दिमाग में एक रेखा खिच गई है अविश्वास की । यह लोग जबरदस्ती कांग्रेस सरकार, फर्जी तरीके से बना कर राजस्थान की दो करोड जनता के धन का दुरुपयोग करें और हम चुपचाप बैठे देखते रहें । यह कतई नामुमकिन बात है । यह दूसरी बात है कि हाउस के अन्दर बैठ कर लोगों के हाथ खडे कराये जायं और यह बताया जाय कि हम कितने हैं । हां पक्ष जीता, ना पक्ष हारा । इतने से संतोष नहीं होता है कि हां पक्ष जीता, ना पक्ष हारा, इससे बहुमत साबित नहीं होता है । आपको यह भरोसा है कि हां पक्ष का बहुमत है, वह सबल है । आप इस सरकार को समाप्त कर दीजिये । इस सरकार को समाप्त करके आप यहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर चुनाव करायें और फिर बहुमत में आकर सरकार बनायें तो हम मानने के लिये तैयार हैं कि आपका बहुमत है, नहीं तो हम इस बात को थोथी और खोखली समझते हैं, इससे इस सरकार का पर्दाफाश होता है कि किस तरह से सरकारी गाडियों का और किस तरह से जनता की गाढी कमाई का चुनावों में दुरुपयोग किया जाता है । मैं कह नहीं सकता कि और कितनी गाडियां चुनाव में गई होंगी । मैं तो एक क्षेत्र में ही था और वहां पर मैंने फोटोग्राफर को बुलाकर उसकी फोटो खिचवाई थी । एक फोटो के अन्दर गाडी के अन्दर बृज प्रकाशजी बैठे हुए हैं और गाडी पोलिंग स्टेशन पर खडी है । जिस दिन 14 तारीख को वोट गिर रहे थे तो उस दिन इस गाडी के द्वारा वोटर्स पहुंचाये गये हैं– इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है । उनको मालूम नहीं था कि वहां उनके पीछे कोई इन्क्वायरी के लिये घूम रहा है । उनकी पीठ के पीछे सुखाडिया जी हैं उनके रिश्तेदार हैं इसलिये वह समझते हैं कि सुखाडिया जी के होते हुए कोई भी इन्क्वायरी नहीं करा सकता, कोई भी उनका कुछ बिगाड नहीं सकता । उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि सरकारी धन का प्राइवेट काम में इस्तेमाल करते हैं यह कतई गैर वाजिब है । सभापति महोदय, मैं सदन की मेज पर यह फोटो रखना चाहता हूं, अहलनाबाद हल्के में सरकारी गाडी, गंगानगर पूल की गाडी नम्बर 53 बृजप्रकाशजी गोयल ने चुनाव में इस्तेमाल की है । इसकी जांच कराई जाय । और न जाने कितना दुरुपयोग किस किस क्षेत्र में हुआ है, कितनी सरकारी गाडियां गई हैं और न मालूम किस तरह से सरकारी गाडियों को अपने प्राइवेट कामों में लिया है ।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज !

इस विनियोग विधेयक पर कल एक घंटे के लिये अध्यक्ष महोदय ने चर्चा के लिए

(श्री सभापति)

निश्चित किया है। आज सदन की बैठक कल प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही मध्याह्न पश्चात् 5 बजे वृहस्पतिवार दिनांक 12 सितम्बर, 1968 के मध्याह्न पूर्व 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 326 की सूची)

राजस्थान में रेवेन्यू अपीलेट आथोरिटी की न्यायालय में निम्नांकित सरकारी वकील उनके सामने अंकित तिथि से नियुक्त किये गये हैं।

न्यायालय का स्थान	सरकारी वकील का नाम	तिथि
1. जयपुर	श्री कृष्णानन्द शर्मा श्री चन्द्र प्रकाश	15-9-1966 से
(केम्प अलवर)	श्री कृष्णानन्द शर्मा श्री चन्द्र प्रकाश	26-7-1966 से
2. कोटा	श्री चन्द्र भान श्रीवास्तव	8-12-1966 से
3. बीकानेर	श्री केवल चन्द्र शर्मा	22-2-1967 से
(केम्प जोधपुर)	श्री लक्ष्मी नारायण योगानन्दी	29-12-1967 से
4. उदयपुर	कोई नहीं	
(केम्प जयपुर)	श्री चन्द्र प्रकाश	29-12-1967 से

परिशिष्ट 2

(तारांकित प्रश्न संख्या 332 की सूची)

नगरपालिका, पाली ने जिन तांगे वालों के तांगे किराये पर लिये हैं उन तांगे वालों के नाम की सूची।

क्र. सं.	नाम
1.	श्री मूलचन्द
2.	श्री लाल
3.	श्री भैरुलाल
4.	श्री नरसिंह
5.	श्री नूरमोहम्मद
6.	श्री लालखां
7.	श्री सैयदखां
8.	श्री फैजअहमद
9.	श्री लालराम
10.	श्री हुसैन
11.	श्री जवानमल
12.	श्री कमरू
13.	श्री बुन्दू
14.	श्री सागीर
15.	श्री महमद हुसैन
16.	श्री रमजान
17.	श्री रमजान खां व अल्लाउदीन
18.	श्री गनी
19.	श्री दयालसिंह
20.	श्री रामसिंह
21.	श्री गोविन्द
22.	श्री कालू
23.	श्री सागीर
24.	श्री अहमद
25.	श्री कासम
26.	श्री हीसामुद्दीन
27.	श्री ताराचन्द
28.	श्री फतेहमोहम्मद
29.	श्री भैरूलाल
30.	श्री कालू
31.	श्री समदरखां
32.	श्री नजीर खां
33.	श्री अल्लाद्दीन
34.	श्री हुसीयार अहमद
35.	श्री निसार अहमद
36.	श्री सोकत
37.	श्री समसुद्दीन
38.	श्री गफूर
39.	श्री अब्दुल अजीज
40.	श्री छोटू
41.	श्री गुलाब
42.	श्री मोहम्मद शरीफ
43.	श्री नूर
44.	श्री फरीद
45.	श्री मैरा
46.	श्री उसमान
47.	श्री मोहब्बत अली
48.	श्री इब्राहीम
49.	श्री अब्बास
50.	श्री नूरअली
51.	श्री रूस्तमखां
52.	श्री सरफूद्दीन
53.	श्री सेसाराम
54.	श्री इकबाल
55.	श्री हाजीमोहम्मद
56.	श्री जमालूद्दीन
57.	श्री मूरेखां
58.	श्री जालमसिंह
59.	श्री महमूद
60.	श्री याकूब
61.	श्री अल्लानूर
62.	श्री मांगीलाल
63.	श्री जगनाथ

परिशिष्ट 3

(तारांकित प्रश्न संख्या 333 की सूची)

सूची

एक्रेलिक फाइबर के लिए	
प्लाट नं.	क्षेत्रफल
2	9.50 एकड
3	10.62
13	9.25
14	9.25
16	9.00
17	9.00
19	8.75
20	9.00
21	9.00
22	9.0
31	6.20
32	10.25
33	7.80
34	5.40
37	6.40
40	6.00
	134.42

आर्ट सिल्क के लिए	
प्लाट नं.	क्षेत्र फल
23	4.5
24	4.5
25	4.5
26	6.00
27	5.9
28	6.9
29	5.00
30	4.5
	40.9

परिशिष्ट 4

समयाभाव के कारण समय पर न लिये जाने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर।

नागौर नगर में स्थित पी. डब्ल्यू. डी. के भवनों की कीमत

345. **श्री रामसिंह कुड़ी** (जायल) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) नागौर नगर में सार्वजनिक निर्माण विभाग के भवन नं. 19, 20, 21, 22 व 23 में मोजूदा में क्या क्या इमारतें बनी हुई हैं एवं प्रत्येक भवन की मौजूदा कीमत क्या है ?

(2) क्या नागौर नगर में स्थित पी. डब्ल्यू. डी. के भवन नं. 22 के आस पास सार्वजनिक निर्माण विभाग की कोई खुली जमीन पडी है ? यदि हां, तो कितनी व किस तरफ ? क्या सरकार इस भवन के पास की कोई जमीन बेचने वाली है ? अगर हां, तो क्या वह बेचान खुली नीलामी बोली द्वारा होगा ? क्या यह सच है कि एक्जीक्यूटिव इंजीनियर द्वारा किसी व्यक्ति को ऐसी कोई जमीन या इमारत बेचान की जा रही है ? यदि हां, तो किस भाव से एवं किस प्रणाली से ?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) जी हां। बंगला नं. 22 के पश्चिम में 65'35' का टुकडा है। जी नहीं अधिशासी अभियन्ता द्वारा जमीन व इमारत बेचान नहीं किया जा रहा है।

सूची (अ) तारांकित प्रश्न संख्या 68

बंगला नं. 19 कीमत 17,490

कमरा	स्टोर	बरामदा	चबूतरा	लेटरीन
5	2	1	2	1

बंगला नं. 20 कीमत 17,220

कमरा	कोठरी	बरामदा	चबूतरा
1	8	8	1

बंगला नं. 21 कीमत 44,000

रसोई	स्टोर	बरामदा	कमरा	टट्टी	चबूतरा
1	1	2	3	1	1

खाली जगह 2
22' 22' प्रत्येक

बंगला नं. 22 कीमत 29,000

कमरा	चौक खुला	स्टोर	रसोई	बांध	टट्टी
6	2	1	1	1	1

बंगला नं. 23 कीमत 1,10,000

कमरे कोर्ट रूम आदि	स्टोर माल-खाना	बरामदा	पेशाबघर	रसोईघर	सिवाई वाइन
20	1	7	1	2	2

महिला जेल	पुरुष जेल	चौक
1	1	1

नक्की झील, माउण्ट आबू में मोटर बोट

346. **श्री दिग्विजय सिंह** (उनियारा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि माउण्ट आबू नगरपालिका द्वारा प्रति वर्ष नक्की झील में बोट (Boats) का आक्शन किया जाता है ? यदि हां, तो वर्ष 1963-64, 64-65, 65-66, 66-67 व 67-68 में कितने कितने का आक्शन हुआ और किस किस के नाम ? कृपया सूची मय सालवार आमदनी के सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि यह आक्शन हर साल के लिए अलग अलग होता है ? यदि हां, तो इसकी क्या शर्तें हैं ?

उत्तर

(1) जी नहीं। प्रथमबार वर्ष 1965-66 में तीन वर्ष के लिये किया गया था। नीलाम में सबसे ऊंची बोली (11,500) रुपया वार्षिक श्री ललित नारायण हीरालाल महादेव की होने से 3 वर्ष की अवधि के लिये ठेका दिया गया था।

(2) जी नहीं। प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

घाटोल-प्रतापगढ़ सडक निर्माण में आई भूमि का मुआवजा

347. **श्री विट्ठल भाई** (पीपल खूंट-सूं) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला बांसवाडा के घाटोल से प्रतापगढ़ जाने वाली सडक में कितने काश्तकारों की जमीन आई है और कब से ?

(2) उक्त काश्तकारों को मुआवजा चुका दिया गया है या नहीं ? ऐसे कितने काश्तकार हैं जिनको अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ?

उत्तर

(1) इस सडक के लिये 248 काश्तकारों की ज़मीन सन् 1960 से 1967 तक सडक निर्माण के कार्य के साथ अवाप्त की गई।

(2) सभी काश्तकारों को मुआवजा मुगतान कर दिया गया है। 36 काश्तकारों को मुगतान करना बाकी है। ग्रामवार संख्या संलग्न है।

(तारांकित प्रश्न संख्या 347 की सूची)

(अ) तारांकित प्रश्न संख्या 89

काश्तकारों की सूची जिनको मुआवजा भुगतान नहीं हुआ।

1.	गांव घाटोल	1
2.	गांव खमेरा	1
3.	मौजा नाथूलेडिया	1
4.	मौजा मुडासल	18
5.	मौजा सिंहपुरा	7
6.	मौजा पीपलखूंट	2
7.	मौजा आंवा	6
		36

अस्पृश्यता मिटाने के लिए दलित जाति के व्यक्तियों द्वारा खोले गये होटलों को प्रोत्साहन

348. **श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा** (अकलेरा): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य के कस्बों, तहसीलों, हैड क्वार्टरों, नगरों आदि में दलित जाति के लोगों ने कोई होटल, टी स्टाल, भोजनालय आदि खोले हुए हैं ?

(2) क्या समाज कल्याण विभाग ने इसका जिलेवार सर्वे कराया हुआ है ?

(3) अस्पृश्यता मिटाने के लिए ऐसे होटलों को प्रोत्साहन दिये जाने के बारे में सरकार का क्या विचार है ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा ऐसी जानकारी संचालित नहीं की गई है।

(2) जी नहीं।

(3) अस्पृश्यता निवारण के लिये अनुसूचित जातियों के लोगों को होटल, टी स्टाल, भोजनालय आदि खोलने के लिए प्रोत्साहित करने के लिये फूड एक्ट के अन्तर्गत आवश्यक लाइसेन्स देने के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा स्वायत्त शासन विभाग को लिखा जा रहा है।

खानों से आय

349. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई): क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) राज्य में हर वर्ष विभिन्न प्रकार की खानों से क्या आमदनी होती है और इस आमदनी को बढ़ाने के लिए सरकार के पास क्या योजना है ?

(2) विभाग का सरकारी व अर्ध-सरकारी संस्थाओं व अन्य लोगों में कब से कितना रुपया बकाया है ?, आंकडे सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) पिछले वर्षों की आमदनी के आंकडे सदन की मेज पर रख दिये गये हैं। इस आमदनी के बढ़ाने हेतु विभाग के पास निम्न योजनायें हैं:—

(अ) विभाग द्वारा नये खनिज भण्डारों की खोज एवं पूर्वेक्षण कार्य विभागीय परियोजनाओं के अन्तर्गत।

(खनिज मंत्री)

(ब) कुछ चुने खनिजों यथा डेगाना के पास टंगस्टन, नागौर के पास जिप्सम, माण्डव की पाल के पास फलोरसफार एवं जालौर के पास ग्रेनाइट का खनन कार्य विभाग द्वारा।

(स) छोटे खान मालिकों को खनन सम्बन्धी नये उपकरण लागत खर्च पर किराया पर उपलब्ध करना एवं खानें चलाने हेतु उन्हें कर्ज पर राशि उपलब्ध करना।

(2) दिनांक 31-3-68 तक निम्न बकाया है :—

(1)	दूसरे सरकारी विभाग में	51,245.87
2.	अर्द्ध-सरकारी संस्थाओं में	2,85,421.16
3.	अन्य लोगों में	88,01,527.00
	कुल योग	91,38,194.03
	इसमें पिछले साल का चालू बकाया	32,41,859 है।
	और पुराने बकाया	58,96,335

इस बकाया के विवरण की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

रु. 25,000 व इससे ऊपर की बकाया के मामलों के विवरण की सूची भी सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

छात्रवृत्तियों के गबन की जांच

350. **श्री लादूराम मुलानियां** (फागी) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर — दरबार बहुउद्देशीय माध्यमिक स्कूल के छात्र श्री भीम कुमार की छात्रवृत्ति के गबन की शिकायत सी. आई. डी. पुलिस में की गई है ?

(2) क्या यह सही है कि यह राशि वर्ष 1963-64 व 1964-65 के वर्षों की है।

(3) क्या यह इस स्कूल में अन्य हरिजन छात्रों के छात्रवृत्तियों के गबन से सम्बन्धित शिकायतें गत 5 वर्षों में की गई हैं।

(4) क्या इस प्रकार के मामलों की जांच की गई है ? यदि हां, तो इसमें किसे दोषी पाया गया तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां शिकायत सी. आई. डी. पुलिस में न की जाकर ए.सी.डी. में की गई थी।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं।

(4) जी हां। इस मामले की शिकायत भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, जयपुर में प्राप्त हुई। इस पर जांच शुरू की गई। अभी तक भ्रष्टाचार निरोधक विभाग इसकी जांच को पूरा नहीं कर पाया है। इसलिए इस मामले में कौन कौन दोषी हैं यह कहना कठिन है। जांच पूरी होने पर ही दोषियों के बारे में बताया जा सकता है। उक्त जांच को शीघ्र पूर्ण करने के आदेश दे दिये गये हैं।

अनिवार्य शिक्षा स्कूल नगरपालिका, रतनगढ में अनियमितताओं की जांच

351. **श्री रावतराम** (छापर-सु०) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्री सत्यनारायण रिणवां, तत्कालीन प्रधानाध्यापक, अनिवार्य शिक्षा स्कूल, नगरपालिका, रतनगढ ने दि. 13-4-63 को एक पत्र द्वारा नगरपालिका रतनगढ को यह लिखा कि नगरपालिका कर्मचारियों द्वारा शिक्षा शाला में घोर अनियमितता बरती जा रही है; अतः इनकी जांच करवाई जाय अन्यथा इस पाप कार्य को मैं सहन नहीं कर पाता, इसलिए नियमानुसार मेरा त्याग-पत्र स्वीकार कर सकते हैं ? यदि हां, तो उक्त पत्र को प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखी जावे और जांच किसने की बताया जाय ।

(2) क्या यह सही है कि प्रधानाध्यापक ने अपने पत्र संख्या 384, दि. 8-6-63 के द्वारा अनियमितताओं का स्पष्ट ब्यौरा नगरपालिका को दिया लेकिन प्रशासक नगरपालिका ने जांच करवाने की बजाय उक्त अध्यापक का बिना वजह त्याग-पत्र स्वीकार कर लिया ?

(3) क्या यह सही है कि इस सारे मामले की जांच विद्यालय निरीक्षक श्री कर्णदेव शर्मा, शिक्ष विभाग, जिला चूरू ने की और अपनी जांच रिपोर्ट दि. 12-2-68 को सम्बन्धित अधिकारियों को प्रस्तुत की ? यदि हां, तो उस रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें और कृपया यह बतावें कि उक्त अध्यापक के सम्बन्ध में सरकार ने क्या फैसला किया है तथा प्रशासक नगरपालिका रतनगढ के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

प्रश्न
(स्थगित किया गया)

जुरहरा की जल योजना

352. **श्री मजलिस खां** (कामां) : क्या जनस्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति कामां, (भरतपुर) की ग्राम पंचायत जुरहरा की ओर से जल योजना के लिये धनराशि जमा कराई गई है ? यदि हां, तो यह धनराशि कितनी और कब जमा कराई गई और कहां ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त योजना स्वीकृत हो चुकी है ? यदि हां, तो कब और निर्माण कार्य चालू न होने का अब तक क्या कारण रहा है ?

(3) क्या सरकार अब इसे शीघ्र से शीघ्र करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां कुल 7,700) रु० सहायक अभियन्ता जलदाय विभाग भरतपुर के कार्यालय में (5,000) रु० माह अगस्त 1965 में) (2,700) रु० माह जून 1966 में) ।

(2) जी नहीं ।

(3) योजना की प्रशासकीय स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति के बाद ही निर्माण कार्य हाथ में लिया जा सकेगा ।

नोहर नगरपालिका क्षेत्र की सीमा के पास आबाद ग्राम

353. **श्री रामचन्द्र आर्य** (नौहर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कस्बा नौहर की नगरपालिका सीमा के बिल्कुल पास ही जोगी आसन व चक सरदारपुरा बास आबाद हैं ?

(2) क्या सरकार इन दो ग्रामों को नगरपालिका क्षेत्र में शामिल करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि नगरपालिका के पानी के पाइप गांव जोगी आसन को पीने का पानी देते हैं ? यदि हां, तो किस किस व्यक्ति को वाटर वर्क्स के पाइप से पानी दिया जाता है ?

उत्तर

(1) यह इस विभाग से सम्बन्धित नहीं है।

(2) प्रश्न विचाराधीन नहीं है।

(3) नगरपालिका ने इस क्षेत्र में पीने के पानी की कोई लाइन नहीं डाली है। वाटर वर्क्स का पानी का पाईप लगभग इस बस्ती के शुरूआत होने की सीमा तक जाता है। इस पाइप से तीन कनेक्शन उपभोक्ता अपने स्थानों तक ले गये हैं। एक कनेक्शन मस्जिद के लिये व दूसरा श्री रामचन्द्र आर्य व तीसरा स्टेण्डपोस्ट का है।

परिशिष्ट 5

(तारांकित प्रश्न संख्या 328 की सूची)

27-12-60 से 31-7-68 तक निम्न बस्तियों में विकास कार्य पर किये गये व्यय का विवरण

क्र.सं.	योजना का नाम	कु.भू.सं.	अनुसूचित जनजाति व हरिजनों को दिये गये भूखण्डों की संख्या।	योजना में व्यय की गई 27-12-60 से 31-7-68 तक की राशि का विवरण रु. में	विशेष विवरण
1.	बजाज नगर योजना	219	113	49,543	
2.	वास बदनपुरा (रेगर बस्ती)	60	33	5,648	
3.	अमृतपुरी	370	155	23,325	
4.	हसनपुरा (उप-योजना)	88	27 (54 परिवार)	11,475	
5.	बलाइयों की बस्ती	130	68	2,906	
6.	डी. पी. कोलोनी	192	13	2,33,726	

परिशिष्ट 6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 363 की सूची)

फेहरिस्त मेम्बरान राजस्थान बोर्ड आफ मुस्लिम वक्फ्स जयपुर

प्रश्न नं० 1 से सम्बन्धित	अ०ता० 170
1. श्री अल्लाहनूर चौधरी	चैयरमैन
2. श्री अहमद बक्ष सिंधी	मेम्बर
3. श्री मौलाना अबदुल शकूर	,,
4. श्री हाजी इसमाइल अली	,,
5. श्री हाजी जान मोहम्मद खां	,,
6. श्री मजलिस खां, एम. एल. ए.	,,
7. श्री हाजी मोहम्मद उसमान, एम. एल. ए.	,,
8. श्री अबदुल मजीद अखतर	,,
9. श्री हाजी हसन मुजतुबा	,,
10. श्री मोहम्मद उसमान आरिफ	,,
11. श्री मोहम्मद अली जैदी	

फहरिस्त कर्मचार गण राजस्थान बोर्ड आफ मुस्लिम वक्फ्स जयपुर।

प्र. नं. 2 से सम्बन्धित

	नाम कर्मचारी	पद	योग्यता	वेतन
1.	श्री अब्दुल गफ्फार	सचिव	आर. ए. एस.	850) रु.
2.	श्री एहतरामुल्ला खां	शीघ्र लिपिक	बी. ए.	150) रु.
3.	श्री सलादुदीन फारुकी	यू. डी. सी.	नान-मैट्रिक	125) रु.
4.	श्री राम बक्ष माथुर	अकाउन्टेन्ट	नान-मैट्रिक	135) रु.
5.	श्री इब्राहीम अली	यू. डी. सी.	नान-मैट्रिक	125) रु.
6.	श्री अब्दुल समद खां	,,	मैट्रिक	125) रु.
7.	श्री अमजद अली खां	,,	,,	125) रु.
8.	श्री सैयद आरिफ हुसैन	एल. डी. सी.	,,	102) रु.
9.	श्री गोरे खां	,,	हायर सेकेन्ड्री	90) रु.
10.	श्री अताउर्रहमान	,,	मैट्रिक	90) रु.
11.	श्री मोहम्मद अमीन	,,	,,	90) रु.
12.	श्री रफीक एहमद	,,	,,	90) रु.
13.	श्री नाथू मेहरा	चतुर्थ श्रेणी		47) रु
14.	श्री चौथमल	,,		48) रु.
15.	श्री छोटे खां	,,	—	47) रु.
16.	श्री लईक एहमद	,,	—	47) रु.

परिशिष्ट 7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 370 की सूची)

जिलेवार तालिका बाबत पेन्डिंग टी. ए. एण्ड डी. ए. बिल्स

संख्या	नाम जिला	सिपाहियों की संख्या जिनके बिल्स पैन्डिंग हैं	बिल की संख्या जो पैन्डिंग है	पैन्डिंग बिलों की धनराशि	भुगतान किस कारण से रुका हुआ है	बिलों का चुकारा करने की अवधि
1	2	3	4	5	6	7
1.	जयपुर	483	19	9,572–00	जांच हेतु	सितम्बर से पूर्व
2.	भरतपुर	—	—	—	—	—
3.	सवाई माधोपुर	197	35	7,310–00	देरी से प्राप्त हुए।	दिनांक 15.9.68 से पूर्व।
4.	अलवर	—	—	—	—	—
5.	अजमेर	250	80	20,000–00	देरी से प्राप्त हुए।	सितम्बर, 68 तक
6.	सीकर	104	8	2,250–00	जांच हेतु	सितम्बर, 68 के दूसरे सप्ताह में।
7.	रेल्वे पुलिस	352	30	4,500–00	पास होने को है।	सितम्बर, 68 में।
8.	जोधपुर	—	—	—	—	—
9.	जैसलमेर	—	—	—	—	—
10.	बाड़मेर	1.3	27	9,380–00	जांच हेतु	सितम्बर, 68।
11.	सिरोही	—	—	—	—	—
12.	नागौर	100	30	13 –00	देरी से प्राप्त हुए।	सितम्बर, 68।
13.	पाली	119	27	3,40 –25	"	"
14.	जालौर	71	10	1,976–50	जांच हेतु	सितम्बर, 68 के प्रथम सप्ताह तक।
15.	उदयपुर	700	235	30,000–00	कार्य की अधिकता एवं ए. जी. द्वारा निरीक्षक व अन्य महत्वपूर्ण कार्य होने से।	अक्टूबर, 68।
16.	बांसवाड़ा	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7
17.	बून्दी	243	23	4,947-00	3 ट्रेजरी भेजे हैं 8 चैक किये जा रहे हैं 12 जांच हेतु पडे हैं।	सितम्बर, 68 के दूसरे सप्ताह में।
18.	चित्तौडगढ	429	51	8,543-46	देर से प्राप्त हुए।	सितम्बर, 1968 ।
19.	डूंगरपुर	70	15	2,000-00	"	—
20.	झालावाड	—	—	—	—	"
21.	कोटा	66	50	15,500-00	जांच हेतु ।	"
22.	भीलवाडा	48	8	4,796-00	"	—
23.	बीकानेर	—	—	—	—	—
24.	चूरू	—	—	—	—	—
25.	गंगानगर	—	—	—	—	—
26.	झुंझुनूं	—	—	—	—	—
27.	टोंक	—	—	—		
	योग :—	3345	647	1,24,325-51		

परिशिष्ट 8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 373 की सूची)

राजस्थान में खादी और ग्रामोद्योगों के द्वारा दिए गए रोजगार की उद्योगवाइज सूची

क्रमांक	नाम उद्योग	रोजगार पूर्ण	रोजगार आंशिक
1.	खादी	1,164	62,420
2.	अनाज दाल प्रशोधन उद्योग ..	29	500
3.	रेशा उद्योग	38	43
4.	लुहारी सुतारी	10	5
5.	ग्रामीण कुम्हारी उद्योग	1,068	1,069
6.	हाथ कागज उद्योग	697	[illegible]91
7.	साबुन उद्योग	24	8
8.	मधुमक्खी पालन	4	111
9.	कुटीर दियासलाई उद्योग	3	41
10.	कलई चूना उद्योग	14	[illegible]5
11.	चर्मोद्योग	1,833	814
12.	तेल घानी उद्योग .. .	1,364	1,304
13.	गुड खांडसारी	1,175	—
	योग :—	7,423	66,439

कुल योग पूर्ण व आंशिक 73,861

परिशिष्ट 9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 373 की सूची)

क्रम संख्या	योजना का नाम	पूर्ण की जा चुकी है
1.	आहोर	पूर्ण की जा चुकी है
2.	गुड्डा बोलोतान	कार्य चालू है
3.	बांगरा	पूर्ण
4.	सियाना	पूर्ण
5.	रामसिन	पूर्ण
6.	थूर	पूर्ण
7.	जसवन्तपुरा	पूर्ण
8.	सांचोर	पूर्ण
9.	दासपान	पूर्ण
10.	पाथेरी	पूर्ण
11.	सामला	कार्य चालू है
12.	खेतरा	पूर्ण
13.	उम्मेदाबाद	पूर्ण
14.	मोडकला	पूर्ण
15.	वालवाडा	पूर्ण
16.	रिजनलस्कीम (इसमें ये गांव शामिल हैं:—	कार्य चालू है।
	किशनगढ, नरसाना, बहूरानी, द्रेवावास, पानरा, पोढवाडा, रायथल, व भूरी	कार्य चालू है

योजना का नाम	अनुमानित लागत	5% जन सहयोग की धनराशि	जन सहयोग की धनराशि जमा कराई गई।	जन सहयोग की धनराशि जो अभी बकाया है।
1	2	3	4	5
1. आहोर	2,50,000.00	12,500.00	12,000.00	500.00
2. गुढा बालोतन	1,51,000.00	7,750.00	2,500.00	5050.00
3. बागरा	2,00,000.00	10,000.00	10,000.90	—
4. सियाना	1,76,000.00	8,800.00	4,000.00	4800.00
5. रामसिन	1,75,000.00	8,750.00	7,750.00	1000.00
6. थूर	1,00,000.00	5,000.00	5,000.00	—
7. जसवन्तपुरा	1,44,600.00	7,230.00	7,230.00	—
8. सांचोर	1,96,500.00	9,750.00	9,825.00	—
9. दासपान	88,000.00	4,400.00	4,54[illegible].00	—
10. पाथेरी	78,000.00	3,900.00	15,000.00	—
11. सायला	97,000.00	4,850.00	4,850.000	—
12. रावतडा	2,14,900.00	10.745.00	10,745.00	—

1	2	3	4	5
13. उमेदाबाद	1,17,600.00	5,880.90	5,850.00	—
14. मांल्याला	89,900.00	4,495.00	4,500.00	—
15. बालवाडा	2,27,000.00	11,350.00	9,350.00	2,000.00
16. बाकहा	—	—	7500	ये योजनाये अभी बनाई जा रही है।
17. केसवाना			5000	
18. मोरसीन			11350	
19. हरजी	1,16,000.00	8000	8000	योजना तैयार है किन्तु निर्माण कार्य योजना की स्वीकृति एवं धन की उपलब्धि पर ी किया जा सकेगा ।

Page No. 159

परिशिष्ट 10

(अतारांकित प्रश्न संख्या 384 की सूची)

सूची (ख) तारांकित प्रश्न संख्या 16 अ. ता.

क्र. सं.	नाम कार्य	वर्ष ठेका	ठेके की धनराशि	ठेकेदार द्वारा किये काम की धनराशि
1.	पलायता सांगोद रोड	64-65	83,385	49,599
2.	राजगढ़ कुन्दनपुर रोड मील 4 से 7, 8 से 10	64-65 65-66	76,035 95,364	28,295 20,242
3.	बारां अटरू रोड मील 15, 16, 17	65-66	27,715	4,068
4.	अटरू गऊ घाट मील 2 से 6	64-65	47,350	—
5.	डामर कार्य बारां शाहबाद रोड मील 60 से 61	65-66	49,2[illegible]	12,[illegible]76
6.	कैथून घाणा हेडा मील 19 से 22	65-66	47,0[illegible]	9,035

परिशिष्ट 11

(अतारांकित प्रश्न संख्या 393 की सूची)

सूची 'अ'

क्र. सं.	फैक्ट्री का नाम	जिलों का नाम
1.	सवाई माधोपुर वर्क्स	अजमेर, अलवर, बांसवाडा, बीकानेर, बूंदी, भरतपुर, चूरू, जयपुर, झालावाड, झुंझुनू, कोटा, नागौर, सवाई माधोपुर, सीकर और टोंक।
2.	चित्तौडगढ वर्क्स	अजमेर, बाडमेर, बांसवाडा, बीकानेर, भीलवाडा, चित्तौडगढ, चूरू, डूंगरपुर, जयपुर, जालौर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, पाली, श्रीगंगानगर, और उदयपुर।
3.	लाखेरी वर्क्स	बांसवाडा, बूंदी, भरतपुर, जयपुर, झालावाड, कोटा और टोंक।

सूची (ब)

स्टॉकिस्टों की जिलेवार सूची :—

नाम जिला	सवाई माधोपुर वर्क्स	चित्तौड़गढ़ वर्क्स	लाखेरी वर्क्स
अजमेर	13	14	—
अलवर	12	—	—
बाडमेर	—	3	—
बांसवाडा	3	2	2
बीकानेर	23	4	—
बूंदी	2	—	3
भरतपुर	41	—	8
भीलवाडा	—	11	—
चित्तौडगढ़	—	13	—
चूरू	24	—	—
डूंगरपुर	—	3	—
जोधपुर	—	22	—
जयपुर	72	—	8
जालौर	—	5	—
जैसलमेर	—	3	—
झालावाड़	6	—	2
झुंझुनू	10	—	—
कोटा	15	—	8
नागौर	21	3	—
पाली	—	9	8
सवाई माधोपुर	37	—	6
सिरोही	—	—	—
सीकर	25	—	—
श्री गंगानगर	—	28	—
टौंक	6	—	4
उदयपुर	—	18	—
	317	138	49

परिशिष्ट 12

(अ० प्र० सं० 46 की सूची)

अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत सड़कों के निर्माण की सूची (ब)

क्रम सं.	नाम सड़क
1.	आडसर से मौमासर
2.	श्री डूंगरगढ से कालू
3.	सूडसर से सेरूना
4.	धाना से बीदासर
5.	सूडसर से लिखमीसर
6.	आससर से पुमरासर
7.	लखासार से बैनीसर
8.	सरदारशहर से लूणकरणसर
9.	भानीपुरा से स।मासर
10.	भानीपुरा से महाजन
11.	सरदारशहर से नौहर
12.	भैरासर से साहका
13.	मालासी से सोमासर

क्रम सं.	नाम सड़क
14.	दैपालसर से बीनासर
15.	चूरू से तारानगर
16.	चूरू से देवा खारा
17.	तारानगर से दूधवा खारा
18.	तारानगर से वाय
19.	पालेरी से साख
20.	राजगढ से दूधवा खारा
21.	राजगढ से सांखू
22.	धैरम्सर से मंडेका
23.	राजगढ से बहल
24.	राजगढ से सिधनुख
25.	सिधनुख से गालर

सूची (अ)

सूची सडक जिनका मुआवजा सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा दिया जाना चाहिये ।

क्रम. सं.	नाम सड़क	क्रम सं0	नाम सड़क
1.	चूरू से देपालसर	11.	डूंगरगढ से तोलिम्बासर
2.	चूरू से बिसाउल	12.	सुजानगढ से सरदार शहर वाया-रतनगढ
3.	चूरू से रतनगढ़	13.	रतनागढ फतेहपुर
4.	चूरू शहर से मरातिया अस्पताल	14.	अप्रोचरोड दरिबा रेस्ट हाउस
5.	दुधवा खारा से दुधवाखारा रेल्वे स्टेशन	15.	अप्रोच रोड तारानगर
6.	लालगढ से कातर	16.	अप्रोच रोड सादुलपुर
7.	रावतसर से सरदारशहर	17.	छपर से सालासर
8.	सरदार शहर से भल्लू	18.	बीकानेर देहली रोड
9.	चूरू से मालेरी		
10.	न्यू रेस्ट हाउस सुजानगढ		

शुद्धि-पत्र

(बुधवार, दिनांक 11 सितम्बर, 1968)

स्कम्भ सं. 1	पंक्ति संख्या 2		अशुद्ध 3	शुद्ध 4
1		8	जनस्वास्थ्य	जनस्वास्थ्य
,,		13	लाइसस	लाइसेन्स
3	अन्तिम से	6	आ र	आर्डर
4		12	अन्तति	अन्तर्गत
10		7	थिरवविद्यालय	विश्वविद्यालय
13		17	रह	रहा
16	अन्तिम से	7	निर्साण	निर्माण
19	,,	8	श्री गाराम राजोरिया	श्री डूंगाराम राजोरिया
21	शीर्ष		(श्रीदेवदत्त गाडिया)	(श्री देवीदत्त गाडिया)
,,		9	बताला	बतलावें
,,		13	प्जोज	प्लीज
,,	अन्तिम से	12	श्री केशरसिंह हाडा	श्री केसरीसिंह हाडा
25	,,	13	लान	प्लान
26	,,	5	ता	तो
,,	,,	4	वूल	वसूल
28	,,	14	इ ा	इस
,,	,,	4	आूरा	अधूरा
31	,,	9	करादिया दिया जायेगा	करा दिया जायेगा
35	शीर्षक		प्रम्नोत्तर	प्रश्नोत्तर
36	अन्तिम से	5	360 रुपये	3600 रुपये
37	,,	4	तकता	सकता
39		12	श्री केसरीसिंह हाडा (हिन्दोली)	श्री केसरीसिंह हाडा (हिण्डोली)
40	शीर्षक		1C6	1968
,,		10	राज्यमंत्री, समाज कल्याण	राज्य मंत्री, समाज कल्याण
			(श्र। विश्म्भर नाथ जोशी)	(श्री विश्बम्भर नाथ जोशी)
42	अन्तिम से	3	श्र अध्यक्ष	श्री अध्यक्ष
45		11	।ी देवीदत्त गाडिया	श्री देवीदत्त गाडिया
,,	अन्तिम से	7	कमचारियों	कर्मचारियों
46		7	एग्रामेंट	एग्रीमेन्ट
51	शीर्ष		श्री धीरसिंह)	(श्री धीर सिंह)
55		12	श्र हीरालाल देवपुरा	श्री हीरालाल देवपुरा

1	2	3	4
58	अन्तिम से 7	सते	सकते
59	शीर्षक	11 सिम्वर	11 सितम्बर
62	अन्तिम से 11	एस. डा. ग्रो.	एस. डी. ग्रो.
63	4	अतगर्त	अन्तर्गत
64	अन्तिम से 7	निणय	निर्णय
73	12	निर्माणाधान	निर्माणाधीन
,,	अन्तिम से 9	को	की
,,	,, 8	पैस	पैसे
,,	,, 2	ज्ञहर	शहर
76	6	न ीं	नहीं
78	17	राज्य सरकार को बन्दी को	राज्य सरकार बन्दी को
85	3	ार	पर
88	7	गृह नर्माण	गृह निर्माण
	16	उद्याग	उद्योग
,,	अन्तिम से 4	श्री गंगा हाय	श्री गंगासहाय
89	15	सच्च शिक्षण हेतु	उच्च शिक्षण हेतु
91	18	अध्ः ापकों	अध्यापकों
92	6	का	की
95	13	व्य स्था	व्यवस्था
,,	अन्तिम से 7	क	के
,,	शीर्ष	(समाज कल्याण मंत्री)	(जन स्वास्थ्य मंत्री)
97	अन्तिम से 7	श्र बालसिंह सोढा	श्री बाल सिंह सोढा
,,	8	श्र लादूराम सुलानिया	श्री लादूराम सुलानिया
98	12	नगर रिषद	नगर परिषद्
,,	अन्तिम से 15	स्केल	स्केल्स
,,	,, 13	राष्ट्र ाति	राष्ट्रपति
,,	,, 11	ालये च र	लिये चार
,,	,, 9	स्वकृत	स्वीकृत
,,	,, 3	रा पत्रित अवकाशों के भागने	राजपत्रित अवकाशों के भोगने
		प	पर
99	15	ध्यान नहीं जाता है	ध्यान नहीं दिया जाता है
102	15	श्रा रामसिंह कुडी	श्री रामसिंह कुडी
111	9	कस	किस
115	अन्तिम	बुरा प्रभाव प्रभाव पडा	बुरा प्रभाव पडा
118	16	नह	नहीं
122	14	अवंटन	आवंटन
134	अन्तिम से 8	आवंटात	आवंटित
135	2	चाहिये	चाहते
139	11	शाशकीय	शासकीय
147	शीर्षक	दी	दो
150	अन्तिम से 8	नहीं गई	नहीं की गई
151	12		

1	2		3	4
159	अन्तिम		क	कि
161		13	जाता	जाती
162		3	चज	चार्ज
,,		10	श्री प सराम मदेरणा	श्री परसराम मदे-रणा
,,	अन्तिम से	11	नु ा	अनुसार
164.	,,	2	श्री उ ाध्यक्ष	श्री उपाध्यक्ष
165.		10	ग्रॉथोरिटी	ऑथोरिटी
166.	अन्तिम से	3	pe mission	permission
167.	,,	6	महदय	महोदय
,,	,,	5	डठाई	उठाई
176.		2	उठया	उठाया
,,	अन्तिम से	4	श्री मुकुट ि हारी लाल गोयल	श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल
178.		3	महता	महत्ता
,,		7	इन्सेन्टि	इन्सेन्टिव
186.	अन्तिम		ि	किया
187.		12	मं ियों	मंडियों
190.	अन्तिम .		गड़ब	गड़बड़
192.	अन्तिम से	7	स्व्या	ख्याल
197.		3	पशन	पेंशन
207.	शीर्ष		(श्र नत्थीसिंह)	(श्री नत्थीसिंह)
,,	अन्तिम से	9	आई दा	आईन्दा
211.		11	बार	बारे
214.		4	,,	,,
217.		12	पहल	पहले
218.	अन्तिम से	15	क	के
,,	,,	13	गवनमेंट	गवर्नमेंट
,,	,,	5	जीरिडिकल	जुरिडिकल
219.	,,	2	पचजर	पर्चेजर
227.	,,	14	श्री मुकुट बिहारी लाल गोल	श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल
,,	,,	11	मने	मैंने
,,	,,	3	कसानों	किसानों
,,	,,	2	ो	तो
234.	,,	13	श्र लादूराम सुलानियां	श्री लादूराम सुलानियां
237.		15	बठना	बैठना
,,	अन्तिम से	10	श्न	प्रश्न
,,	,,	6	ह	है
243.		4	रिज्यम	रिज्यूम
249.		8	ढंढकर	ढंढकर
253.	अन्तिम		धपरीत	विपरीत
255.	,, से	9	साह	साल्ट

1

1	2	3	4
257.	शीर्षक	ध्यानाकर्ण	ध्यानाकर्षण
,,	अन्तिम से 3	श्री भैरोनि	श्री भैरोंसिह
260.	,, 7	देखगा	देखूंगा
267.	,, 11	करक	करके
268.	,, 10	(स्वीकृति)	(स्वीकृत)
271.	,, 5	श्री रामचन्द्र आय	श्री रामचन्द्रआर्य